सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
(दिव्यांगजन)
वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023

Hon'ble Ministers of Social Justice & Empowerment
Government of India

Dr. Virendra Kumar
Minister of Social Justice & Empowerment

Shri Ramdas Athawale
Minister of State for
Social Justice &
Empowerment

Km. Pratima Bhoumik
Minister of State for
Social Justice &
Empowerment

Shri A Narayana Swamy
Minister of State for Social Justice & Empowerment

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
(दिव्यांगजन)
वार्षिक रिर्पोट 2022-2023

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन)
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003
www.disabilityaffairs.gov.in

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	अनुबंध	05
2	सिंहावलोकन	09
3	सांविधिक संरचना	13
4	राष्ट्रीय नीति – 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकारों को साकार करने के लिए" इंचियोन कार्यनीति	17
5	विभाग के अधीन सांविधिक निकाय	20
	5.1 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)	20
	5.2 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी)	31
	5.3 राष्ट्रीय न्यास	34
6	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	46
	6.1 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)	46
	6.2 नेशनल हैंडिकैप्ड फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी)	51
7	राष्ट्रीय संस्थान	60
	7.1 परिचय	60
	7.2 पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), दिल्ली।	60
	7.3 स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीएनआईआरटीएआर) कटक।	66
	7.4 राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान(एनआईएलडी), कोलकाता ।	69
	7.5 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान(एनआईईपीवीडी),देहरादून।	71
	7.6 अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	78
	7.7 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान(एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद।	81
	7.8 राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी) चेन्नई ।	93
	7.9 भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली,	97
	7.10 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश	102
8	विभाग की योजनाएं	107
	8.1 दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)/जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)	107
	8.2 सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	113
	8.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना	119
	8.3.2 दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन	121
	8.3.3 दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)।	122
	8.3.4 सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)	127
	8.3.5 बेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन हेतु सहायता की योजना	135
	8.3.6 जागरूकता सृजन और प्रचार योजना (एजीपी)	136
	8.3.7 दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों तथा मामलों पर अनुसंधान	143

8.3.8 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) 144
8.3.9 देश के पांच क्षेत्रों में बधिरों के कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता हेतु परियोजना 145
8.3.10 स्पाइनल इंजरी सेंटर स्कीम (एएसआईसी) को वित्तीय सहायता 146
8.3.11 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) 148
8.4 छात्रवृत्ति योजनाएँ 148
8.5 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष 155
8.6 दिव्यांगता खेल केंद्र (सीडीएस) 155
9 दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 157

अ.सं.	अनुबंध शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य	159
2.	जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्य वार जनसंख्या	161
3.	अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजना के कार्यान्वयन का विवरण	162
4.	सफलता की कहानियां	164
5.	राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठयक्रमों (एक या एक वर्ष से अधिक अवधि) का विवरण	179
6 (क)	डीडीआरएस के तहत 2019–20 से 2022–23 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या।	188
(ख)	पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में डीडीआरएस के तहत जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निधियां	190
(ग)	पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में डीडीआरएस के तहत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य वार संख्या।	192
(घ)	वर्ष 2022–23 के दौरान डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का विवरण।	194
7 (क)	डीडीआरसी के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य पद	205
(ख)	वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान में सहायता प्रदत्त डीडीआरसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या और उन्हें जारी की गई राशि।	207
(ग)	वर्ष 2022–23 के दौरान डीडीआरसी को जारी सहायता अनुदान का विवरण।	209
8 (क)	पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2022 तक) के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एडिप योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित किए गए शिविर, उपयोग की गई निधियों और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार विवरण	210
(ख)	एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थानों/ सीआरसी/ एलिम्को/ राज्य निगमों/ डीडीआरसी/ एनजीओ/डीडीआरसी आदि) को जारी की गई निधियां	212
(ग)	एडिप योजना के अंतर्गत माननीय सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022–23 (31–12–2022 तक) के दौरान मांग पर आयोजित विशेष शिविरों का ब्यौरा।	213
(घ)	एडिप योजना के तहत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31–12–2022 तक) के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एनजीओ/वीओ/राज्य निगमों/डीडीआरसी आदि को जारी सहायता अनुदान।	220
9	सिपडा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए संस्थानों/संगठनों/राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को जारी सहायता अनुदान बाधा मुक्त वातावरण, सुगम्य भारत अभियान, समेकित पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी), के लिए सहायता जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) पीडब्ल्यूडी के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और पीडब्ल्यूडी की पहचान और सर्वेक्षण/सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) आईडी	224
10	यूडीआईडी परियोजना की स्थिति (10–01–2023 तक)	233
11	पिछले सात वर्षों और चालू वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों की संख्या औरं जारी की गई राशि	235
12	राष्ट्रीय निधि के जिन प्रस्तावों पर "सैद्धांतिक रूप से" सहमति हो गई है, जिनके लिए निधियां जारी की जाएगी।	236
13 (क)	दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021	238
(ख)	दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची (श्रेणी–वार)।	241

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पृष्ठभूमि

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित नीतिगत मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने और गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। विभाग दिव्यांगता से संबंधित मामलों में विभिन्न स्टेकहोल्डरों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के बीच और नजदीकी समन्वय स्थापित करने के साथ ही दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1. विभाग को आवंटित कार्य

1.1 कार्य आवंटन : भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली 1961 के अनुसार विभाग के लिए आबंटित कार्य **अनुबंध–1** पर दिए गए हैं। विभाग को मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है।

1.2 विजन : एक ऐसा समावेशी समाज बनाना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

1.3 मिशनः अपने विभिन्न अधिनियमों /संस्थाओं /संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त करना और एक ऐसा समर्थकारी वातावरण स्थापित करना जो ऐसे व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे ताकि वे स्वतंत्र रूप से समाज में भाग ले सकें और उपयोगी सदस्य बन सकें।

1.4 उद्देश्यः अपने उद्देश्य (विजन) को पूरा करने एवं मिशन को हासिल बनाने के लिए, विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयास करता है;

(i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र निदान तथा उपाय, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता शामिल है;

(ii) व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षणिक पुनर्वास;

(iii) आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण;

(iv) पुनर्वास व्यावसायिकों/कर्मियों को तैयार करना।

(v) आंतरिक कार्य–दक्षता/संवेदनात्मकता/सेवा प्रदायगी में सुधार; और

(vi) समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता पैदा करने के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन।

1.5 विभाग की प्रमुख प्रतिबद्धताएं :

(i) **सतत् विकास लक्ष्य** : भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और सतत् विकास लक्ष्य का एक समर्थक (पार्टी) है। विभाग ने अपने नवीनतम कानून नामतः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जो 19 अप्रैल, 2017 को प्रभावी हुआ, को यूएनसीआरपीडी के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप इन्हें अपने राष्ट्रीय कानून के साथ समेकित किया है।

(ii) **समावेशन एवं बाधामुक्त वातावरण** : समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभाग ने मुख्यतः निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और आईसीटी पारिस्थिकी प्रणाली में दिव्यांगजनों के लिए एक बाधामुक्त वातावरण के निर्माण पर अपना अधिकतर ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए, विभाग ने एक ओर दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने और दूसरी ओर सार्वजनिक भवनों, परिवहन और आईसीटी को सुगम्य बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा।

(iii) **सामाजिक मॉडल** : दिव्यांगता के बोझ को कम करने के लिए चिकित्सीय उपाय हेतु पहले से ही दिव्यांगता को चिन्हित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जोखिम वाले मामलों को पहले से ही चिन्हित करना तथा जीवन के प्रारम्भिक स्तर पर उपयुक्त पुनर्वासन करने से दिव्यांगता की गंभीरता कम होती है तथा यह परिवार और समाज पर इसका बोझ कम होगा। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, विभाग द्वारा सात राष्ट्रीय संस्थानों और सात समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में प्रारम्भिक पहचान और उपचार केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। ये केंद्र दिव्यांग बच्चों की स्कूल जाने में तत्परता को बढ़ावा देने में भी मदद करेंगे।

(iv) **दिव्यांगजनों का पुनर्वास** : पूर्व वर्षों में, दिव्यांगजनों के पुनर्वास का फोकस अधिक या कम शारीरिक दिव्यांगता पर केंद्रित था। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विभाग ने सभी 21 श्रेणी के दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु अपने फोकस को बौद्धिक, विकासात्मक और मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर विशेष महत्व देते हुए पुनः स्थापित किया है।

(v) **दिव्यांगता–केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तनः** विभाग मानसिक–सामाजिक दिव्यांगता (मानसिक रोग) की घटनाओं में वृद्धि से चिंतित है। सक्रिय उपचार के अलावा, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकृत करने के लिए अक्सर पुनर्वास की आवश्यकता होती है। इस विचार पर ध्यान देने के लिए, विभाग ने मध्य प्रदेश, सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह संस्थान मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, जो सफलतापूर्वक उपचारित किए गए हैं, को मुख्य धारा में लाने के लिए पुनर्वास प्रोटोकॉल आधारित समुदाय का विकास करने के अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के प्रति कार्य करने का लक्ष्य रखता है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल–सीहोर राजमार्ग के साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में, एनआईएमएचआर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'पुराने जिला पंचायत भवन', सीहोर में प्रदान किए गए एक अस्थायी आवास में कार्य कर रहा है।

(vi) **संस्कृति, मनोरंजन, अवकाश और खेल गतिविधियाँ** : विभाग ने यह स्वीकार किया है कि दिव्यांगजनों के लिए समर्थकारी वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है ताकि वे खेल सहित जीवन के प्रत्येक कदम पर श्रेष्ठ होने में समर्थ हों, इस उद्देश्य से कि खेल गतिविधियों में, दोनों स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दिव्यांगजनों को भाग लेने में बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक दिव्यांगता खेल केंद्र (सैंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स) को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें इनडोर और आउटडोर दोनों खेलों हेतु विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं तथा लगभग 300 दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं।

1.6 दिव्य कला शक्ति

दिव्यांगजन सभी क्षेत्रों में चाहे वे शिक्षा, खेल, साहित्य, संस्कृति हो, में श्रेष्ठ हो सकते हैं और वे अपने अंतर्निहित सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें उपयुक्त अवसर तथा वातावरण प्रदान किया जाए।

1.7 चुनौतियां

दिव्यांगजनों के प्रति सामान्य जनता की अनुभूति में एक अभिवृत्तिक परिवर्तन लाना विभाग की एक सबसे बड़ी चुनौती रहा है। अतः जागरूकता पैदा करना सामान्य जनता की सोच को बदलने केवल मानसिकता को बदलने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों में उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है की दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण के निर्माण हेतु डिजाइनिंग, योजना और निष्पादन स्तर पर सुगम्यता मानकों के संवर्धन को आत्मसात करें। दिव्यांगजनों के लिए समर्थक वातावरण के निर्माण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल (मैचिंग) संसाधनों को जुटाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है।

1.8 अभिकथन

विभाग की वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट में विधिक फ्रेमवर्क संस्थागत अवसंरचनात्मक को सशक्त बनाने और कार्यक्रम आधारित सहायता के माध्यम से दिव्यांगता क्षेत्र में की गई प्रगति शामिल है। राज्य सरकारें, सिविल सोसायटी संगठन, दिव्यांगजन और अन्य स्टेकहोल्डर इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार रहे हैं।

****

सिंहावलोकन

2.1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। कुल दिव्यांगजनों में से लगभग 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें दृष्टि, श्रवण, वाक् और गतिविषयक दिव्यांगताएं, मानसिक रूग्णता, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगताएं), बहु–दिव्यांगताएं तथा अन्य दिव्यांगताएं शामिल हैं।

2.1.1 दिव्यांगता के प्रकार

यद्यपि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, दिव्यांगजनों की राज्यवार संख्या का विवरण **अनुबंध–2** पर दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार, उनकी संख्या का विवरण नीचे दिया गया है :–

जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की श्रेणी–वार संख्या			
दिव्यांगता का प्रकार	**व्यक्ति**	**पुरुष**	**महिला**
	1	**2**	**3**
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक मंदता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रूग्णता	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु दिव्यांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	**2,68,14,994**	**1,49,885,93 (55.89%)**	**1,18,264,01 (44.11 %)**

2.1.2 आवासीय क्षेत्र के आधार पर दिव्यांगजनों का वर्गीकरण नीचे दिये अनुसार है:–

भारत में आवास के आधार पर दिव्यांगजनों की जनसंख्या, 2011*			
निवास	व्यक्ति	पुरुष	महिला
शहरी	81,78,636 (30.51%)	45,78,034	36,00,602
ग्रामीण	1,86,31,921 (69.49%)	1,04,08,168	82,23,753
कुल	**2,68,10,557**	**1,49,86,202**	**1,18,24,355**

**स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय*

2.1.3 दिव्यांगजनों का शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	व्यक्ति	पुरुष	महिला
साक्षर	1,21,96,641	56,40,240	65,56,401
निरक्षर	1,46,18,353	9,34,835	52,70,000
(i) साक्षर परंतु प्राथमिक से नीचे	28,40,345	17,06,441	11,33,904
(ii) प्राथमिक परंतु मिडिल से नीचे	35,54,858	21,95,933	13,58,925
(iii) मिडिल परंतु मैट्रिक / माध्यमिक से नीचे	24,48,070	16,16,539	8,31,531
(iv) मैट्रिक/माध्यमिक परंतु स्नातक से नीचे	34,48,650	23,30,080	11,18,570
(v) स्नातक और उससे ऊपर	12,46,857	8,39,702	4,07,155
कुल	**2,68,14,994**	**1,49,88,593**	**1,18,26,401**

**स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय*

2.2 दिव्यांगजनों की कार्य करने की स्थिति

जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 36 प्रतिशत दिव्यांगजन कार्य कर रहें हैं (पुरूष–47 प्रतिशत तथा महिलाएं–23 प्रतिशत)। दिव्यांग श्रमिकों में से, 31 प्रतिशत कृषि संबंधी मजदूर हैं। 15–59 वर्ष के आयु समूह में पचास प्रतिशत दिव्यांगजन जनसंख्या कार्य कर रहे हैं जबकि 14 वर्ष से कम आयु समूह में 4 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे कार्य कर रहे हैं।

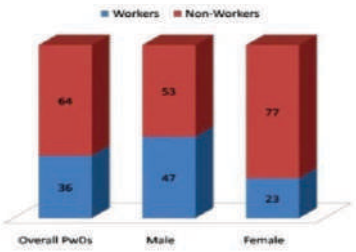

2.3 भारत के महा रजिस्ट्रार ने जनगणना, 2021 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और वे जनगणना, 2021 में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में शामिल दिव्यांगताओं की सभी 21 श्रेणियों के आंकड़ें प्राप्त करने के मानदंडों को संशोधित कर रहे हैं। विभाग ने इस संबंध में अपने विचार पहले ही भारत के महा रजिस्ट्रार को दे दिए हैं।

2.4 वर्ष 2022 के दौरान विभाग की प्रमुख गतिविधियां

(i) 27 अप्रैल, 2022 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए चिली सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौते में प्रवेश करने के लिए इस विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(ii) विभाग ने दिव्यांागजन अधिक्कार अधिनियम, 2016 के तहत दिनांक 08 नवंबर, 2017 की अधिसूचना के जरिए दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) का गठन किया है। सीएबी की अब तक पांच बार बैठक हो चुकी है। कैब की 5 वीं बैठक 24–06–2022 को हुई। विभाग ने बाद में अधिसूचना दिनांक 12–10–2022 के माध्यम से 18 नए नामित सदस्यों के साथ केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) का पुनर्गठन किया ।

(iii) विभाग मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के परामर्श से और दिनांक 27.12.2022 को प्रकाशित दिनांक 16. 12.2022 की अधिसूचना संख्या एसओ 6055 (ई) के जरिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत बैंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के प्रावधान से आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय में निम्नलिखित परिचालन पदों में कार्य की प्रकृति और प्रकार के संबंध में छूट दी गई है:–

- कार्यकारी
- तकनीकी
- मोटर परिवहन
- सुरक्षा

2.5 बजट आवंटन और व्यय

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए विभाग के लिए बजट अनुमान 1212.42 करोड़ रुपये था। 2022–23 में वास्तविक व्यय (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार) 571.51 करोड़ रुपये है।

वर्श	बजट अनुमान	संसोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (रू. करोड़ में)
2018-2019	1070.00	1070.00	1017.56
2019-2020	1204.90	1100.00	1016.18
2020-2021	1325.39	900.00	861.63
2021-2022	1171.77	1044.31	1009.45
2022-23	1212.42	1015·98	571.51 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

*****

सांविधिक ढांचा

3.1 संबद्ध संवैधानिक प्रावधान

3.1.1 भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने सभी नागरिकों के लिए न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करता है।

3.1.2 संविधान का भाग –III सभी नागरिकों (और कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी) के लिए छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें शामिल हैंः समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध हैं, तथापि संविधान के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.3 संविधान के भाग–IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। यद्यपि ये लागू नहीं कराए जा सकते हैं, तथापि इन्हें देश के प्रशासन में यथा मौलिक घोषित किया गया है। इन सिद्धांतों से राज्य की नीति का अनिवार्य आधार होना अपेक्षित है। ये वास्तव में भविष्य की विधायिकाओं और कार्यपालिकाओं के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिए गए अनुदेशों के स्वरूप हैं। अनुच्छेद 41 में दिव्यांगता के मामलों का निम्नानुसार उल्लेख किया गया हैः–

अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कहा गया हैः

''राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की परिसीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और दिव्यांगता तथा अन्य अपात्र आवश्यकता के मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।''

3.1.4 अनुच्छेद 243–जी की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243–डब्ल्यू की 12वीं अनुसूची, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में है, क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, में समाज के अन्य कमजोर वर्गों में दिव्यांगजनों का कल्याण और उनके हितों का संरक्षण शामिल है। उक्त अनुसूचियों के संबंधित उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत हैं :

अनुच्छेद 243 जी की 11वीं अनुसूचीः ''दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण''' (प्रविष्टि सं 26)।

अनुच्छेद–243 डब्ल्यू की 12वीं अनुसूचीः' ''दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण'' (प्रविष्टि सं 09)।

3.2 विभाग द्वारा अभिशासित विधायन

विभाग दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं और दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को शासित करने वाले निम्नलिखित विधायनों से संबंधित है :–

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

(ii) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999.

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

3.2.1 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को आर सी आई अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित और मॉनीटर करती है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। उक्त अधिनियम के अनुसार, इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

(ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों हेतु विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना।

(iii) भारत के बाहर के संस्थानों की अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना

(iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना।

(v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण, और

(vi) पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचार संहिता को निर्धारित करना।

3.2.2 स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999, संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रत रूप से और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवारों में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) ऐसे दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को शुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्य जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के प्रासंगिक हो।

3.2.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी, 2016) सरकार ने संसद के माध्यम से दिसंबर, 2016 में यथा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया।

3.2.3.1 19 अप्रैल, 2017 से यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में निम्नानुसार 5 श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत विभिन्न विनिर्दिश्ट दिव्यांगताएं अभिज्ञात की गई हैं:

(i) शारीरिक दिव्यांगता :

- गतिविषयक दिव्यांगता सहित, कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्राफी, एसिड अटैक पीड़ित
- दृष्टि बाधिता (केवल दृष्टिहीन और निम्न दृष्टि)
- श्रवण बाधिता (केवल बधिर और सुनने में कठिनाई वाला)
- वाक् और भाषा दिव्यांगता

(ii) बौद्धिक दिव्यांगता सहित, विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार

(iii) मानसिक व्यवहार (मानसिक रूग्णता)

(iv) निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता

(v) गंभीर तंत्रिका संबंधी दशाएं जैसे पार्किसन रोग, बहु–स्केलेरोसिक

(vi) रक्त विकार जैसे कि हेमोफीलिया, थेलेसीमिया और सिक्कल कोशिका रोग

(vii) बहु–दिव्यांगताएं

3.2.3.2 इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के विचार से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) इसने दिनांक 15 जून, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली अधिसूचित की। इन नियमों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने एवं इसे प्रदान करने की प्रविधि, समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति, राष्ट्रीय निधि के उपयोग एवं प्रबंधन के तरीके आदि को निर्दिष्ट करने के साथ–साथ निर्मित वातावरण, यात्री बस परिवहन और वेबसाइटों के लिए सुगम्यता मानकों का प्रावधान किया गया है।

(ii) इसने दिनांक 04 जनवरी, 2018 को किसी व्यक्ति में विशिष्ट दिव्यांगता की सीमा के मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देश अधिसूचित किए। इन दिशा–निदेशों में मूल्यांकन की विस्तृत प्रक्रिया के साथ–साथ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को निर्दिष्ट करते हुए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को 15 जनवरी, 2018 को परिपत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17.05.2022 की अधिसूचना के माध्यम से, डीओपीटी ने बैंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण के लाभ प्रदान कर दिया है।

(iv) समय–समय पर राज्यों को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 101 के संदर्भ में नियम तैयार करने के लिए सलाह दी जाती है। 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त अधिनियम के तहत नियमावली अधिसूचित की है।

3.2.3.3 विभाग की नई पहलें :

I. दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय

(i) वर्ष 2015–16 में, तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण संस्थान (एनआईएसएच) को राष्ट्रीय पुनर्वास एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की घोषणा की थी। तदनुसार, विभाग ने शुरू में एनआईएसएच को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, प्रस्तावित विश्वविद्यालय का स्थान हरित क्षेत्र परियोजना के रूप में तिरुवनंतपुरम, केरल से बदलकर कामरूप जिला, असम (गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित) कर दिया गया है क्योंकि एनआईएसएच एक राज्य स्तरीय संस्थान है जो केवल दिव्यांगता के एकल क्षेत्र का ही कार्य करता है नामतः श्रवण दिव्यांगता और इसे तकनीकी रूप से ऐसे एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में अपग्रेड करना पूर्णतया व्यवहार्य नहीं था जहां पर सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के अध्ययन तथा पुनर्वास विज्ञान सहित विभिन्न प्रकार के विषयों की आवश्यवकताओं को पूरा किया जा सके। असम राज्य सरकार ने 50 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित की है।

(ii) विभाग ने अब संसद के एक अधिनियम के माध्यम से कामरूप जिले, असम में दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालयों स्थापित करने का निर्णय किया है। व्यय विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए स्थल विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एडुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल) को नियुक्त किया है। एड्सिल (ईडीसीआईएल) ने दिनांक 15.12.2022 को मसौदा डीपीआर प्रस्तुत किया है जिसकी जांच की जा रही है।

****

राष्ट्रीय नीति, 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) तथा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए ''अधिकार को वास्तविक रूप प्रदान करना'' की इंचियोन कार्यनीति

4.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006

दिव्यांगजन देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास उपाय उपलब्ध हों तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी जी सकते हैं। इस बारे में सरकार ने, उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके, दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जिसे 10 फरवरी, 2006 को प्रकाशित किया गया ।

4.1.1 दिव्यांगता रोकथाम और पुनर्वास उपायों पर केन्द्रित इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i) दिव्यांगता रोकथाम
ii) पुनर्वास उपाय

(क) शारीरिक पुनर्वास कार्यनीतियां :

- शीघ्र पहचान और उपचार
- काउंसलिंग (परामर्श) एवं चिकित्सा पुनर्वास
- सहायक यंत्र
- पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास

(ख) दिव्यांगजनों की शिक्षा

(ग) दिव्यांगजनों का आर्थिक पुनर्वास

- सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार
- निजी क्षेत्र में वेतन (वेज) आधारित रोजगार
- स्व–रोजगार

(iii) दिव्यांग महिलाओं के लिए प्रावधान

(iv) दिव्यांग बच्चों के लिए प्रावधान

(v) बाधामुक्त वातावरण

(vi) दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करना

(vii) सामाजिक सुरक्षा

(viii) गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहन

(ix) दिव्यांगजनों से संबंधित नियमित सूचनाओं का संकलन

(x) अनुसंधान

(xi) खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन

(xii) दिव्यांगजनों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

तद्नुसार, इस नीति के अंतर्गत प्रमुख उपाय क्षेत्र हैं: रोकथाम, शीघ्र निदान, और उपाय, पुनर्वास कार्यक्रम; मानव संसाधन विकास; दिव्यांगजनों की शिक्षा; नियोजन; बाधामुक्त वातावरण; सामाजिक संरक्षण ; अनुसंधान; खेल; मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां।

4.1.2 राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया हैं :

(i) नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है।

(ii) स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधित्व वाली दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समिति होती है।

(iii) नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास; शहरी विकास; युवा कार्यक्रम और खेल; रेलवे; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; श्रम; पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और शिक्षा मंत्रालय; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग; सार्वजनिक उपक्रम; राजस्व; सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की भी पहचान की गई है।

(iv) पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण से संबद्ध हैं। स्थानीय स्तर के मामलों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में इनसे अहम भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

4.1.3 केंद्रीय स्तर पर मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन और राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, अपनी संबंधित वैधानिक जिम्मेदारियों के अलावा, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.1.4 विभाग ने उपरोक्त नीति की समीक्षा करने और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और वैश्विक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति दस्तावेज का सुझाव देने के लिए सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। दिव्यांगता के प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाए हैं। नई राष्ट्रीय नीति का मसौदा सुझाने के लिए मुख्य समिति के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स ने एक मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत की है जिसे 30.09.2022 तक टिप्पणियों के लिए 09.06.2022 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। मसौदा नीति का भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) संस्करण भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और मसौदा नीति का ब्रेल पाठ भी उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, व्यापक कवरेज के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मसौदा नीति को क्षेत्रीय भाषा में बदलने का अनुरोध किया गया था। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों पर वर्तमान में राष्ट्रीय नीति में उपयुक्त संशोधन पर विचार करने के लिए जांच की जा रही है।

4.2 दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी)

भारत उन कुछ पहले देशों में से एक है जिन्होंने कन्वेंशन की पुष्टि की थी। इसके परिणामस्वरूप भारत ने 30 मार्च, 2007 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप यह देश में 3 मंई, 2008 से लागू हो गया है। कन्वेंशन में प्रत्येक राज्य पार्टी के निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण दायित्व हैं

(i) अधिवेशन के प्रावधानों का कार्यान्वयन,

(ii) कन्वेंशन के साथ देश के कानूनों का सामंजस्य, और

(iii) देश की रिपोर्ट (कंट्री रिपोर्ट) तैयार करना।

तदनुसार, सरकार ने नवंबर 2015 में अपनी पहली देश रिपोर्ट (कंट्री रिपोर्ट) प्रस्तुत की जिसको यूएनएचआरसी मुख्यालय जिनेवा में आयोजित इसके 22 वें सत्र (सितंबर, 2019) के दौरान दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा अपनाया गया था ।

4.3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाग की प्रमुख पहलें:

(i) यूएनसीआरपीडी के लिए राज्य पाटियों का सम्मेलन का 15 वां सत्र 14–16 जून 2022 के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। सुश्री अंजलि भावडा, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वक्तव्य दिया, जिसमें कोविड और उससे आगे के संदर्भ में दिव्यांगता समावेशी और भागीदारी समाज बनाने की दिशा में देश की प्रगति का संकेत दिया गया।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए जर्मन संघीय सरकार के आयुक्त द्वारा आयोजित जी–7 समावेशन शिखर सम्मेलन 1–2 सितंबर, 2022 के दौरान बर्लिन, जर्मनी में आयोजित किया गया था। सुश्री अंजलि भावडा, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी) होने के नाते इस कार्यक्रम में भाग लिया और भारत के अनुभवों को साझा किया और एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में कार्रवाई की सिफारिश की।

(iii) 19–21 अक्टूबर, 2022 के दौरान जकार्ता इंडोनेशिया में दिव्यांगता समावेशी सतत् विकास लक्ष्यों और इंचियोन रणनीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए दिव्यांगजनों के एशिया प्रशांत दशक, 2013–22 की अंतिम समीक्षा की गई। इस विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने अधिवेशन में भाग लिया। श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव ने "दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सम्मेलन के साथ राष्ट्रीय कानून का सामंजस्य – दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को तैयार करने में भारत का अनुभव" विषय पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया।

(iv) विभाग में संयुक्त सचिव, श्री राजेश यादव भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए। भारत के एलडी सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जिनेवा में 8–11 नवंबर 2022 के दौरान सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के चौथे चक्र के दौरान मानवाधिकारों पर भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट को अपनाने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को प्रस्तुत किया गया। प्रतिनिधिमंडल कों एमएचए, डब्ल्यूसीडी, अल्पसंख्यक मामले, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नीति आयोग ने जी अभ्यावेदन दिए ।

******

विभाग के अधीन सांविधिक निकाय

5.1 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों तथा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विनियमन और मॉनिटरिंग करता है, पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देती है, तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करती है। इसे निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के अनुरूप बनाने के लिए और इसे व्यापक आधारित बनाने के लिए संसद द्वारा अधिनियम को 2000 (2000 की संख्या 38) में संशोधित किया गया।

(i) 897 संस्थानों और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और एमफिल और पीएसवाई.डी. स्तर के आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी दी गई है।

5.1.1 परिषद की प्रमुख गतिविधियाँ (2022–23)

I. कार्यक्रम प्रभागः

क. परिषद ने विशेष शिक्षा में 9 डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों को 4 डिप्लोमा अर्थात् डी.एड.स्पे.ईएड (एचआई), डी.–एड.स्पे.ईएड. (वीआई), डी.एड.स्पे.(एमडीडी) और डी.एड.स्पे.ईएड. (एमडी) में परिवर्तित कर दिया है।

ख. भारतीय पुनर्वास परिषद ने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के लिए मानदंड और दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसमें डेफ–ब्लाइंडनेस, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, वाक और श्रवण बाधिता एवं दृष्टि बाधिता सहित ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी), बौद्धिक दिव्यांगताएं, बहु दिव्यांगताएं जैसी दिव्यांगताएं शामिल हैं।

ग. भारतीय पुनर्वास परिषद ने सामान्य शिक्षकों के लिए 5 दिनों की अवधि का सेवाकालीन प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाया है।

घ. भारतीय पुनर्वास परिषद ने एनईपी 2020 के अनुसार इक्विटी और समावेशी शिक्षा को साकार करने के लिए सामान्य/मुख्यधारा के स्कूलों और विशेष शिक्षकों के लिए मानदंड तैयार किए हैं। दस्तावेज में सीडब्यूसएसएन के लिए मुख्याधारा (मेनट्रीम) स्कूलों में विशेष प्रशिक्षकों, छात्र–शिक्षक अनुपात की भूमिका भी शामिल है। डीओएसईएल को प्रस्तुत किए गए मानदंडों को संख्या 4586(ई) दिनांक 21–09–2022 के जरिए अधिसूचित किया गया है।

II केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में पंजीकृत पेशेवर/कार्मिकों का विवरण

जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 माह तक पंजीकरण की रिपोर्ट									
माह	नए आवेदन			अतिरिक्त			नवीनीकरण		
	पेशेवर	कार्मिक	कुल	पेशेवर	कार्मिक	कुल	पेशेवर	कार्मिक	कुल
जनवरी –22	1037	2360	3397	164	3	167	370	278	648
फरवरी–22	458	1553	2011	27	1	28	497	411	908
मार्च–22	2879	4994	7873	254	12	266	526	374	900
अप्रैल –22	327	969	1296	37	0	37	371	304	675
मई –22	364	663	1027	193	16	209	449	319	768
जून–22	191	561	752	33	2	35	287	217	504
जुलाई–22	796	1039	1835	239	16	255	664	536	1200
अगस्त–22	639	599	1238	138	11	149	240	188	428
सितम्बर 22	702	699	1401	157	8	165	640	485	1125
अक्टूबर –22	595	593	1188	195	8	203	498	444	942
नवम्बर–22	609	806	1415	168	6	174	515	495	1010
दिसम्बर–22	355	600	955	8	0	8	257	240	497
कुल योग	**8952**	**15436**	**24388**	**1613**	**83**	**1696**	**5314**	**4291**	**9605**
संचयी	**80264**	**113767**	**194031**						

(क) सतत् पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) ऑफलाइन/ऑनलाइन कार्यक्रम/सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और वर्ष 2022 के लिए स्वीकृत लाभार्थी। विवरण निम्नानुसार हैं:–

माह	सीआरई कार्यक्रम				कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन				कुल कार्यक्रम	लाभार्थियों की कुल संख्या
	ऑफलाइन		ऑनलाइन		ऑफलाइन		ऑनलाइन			
	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)
जनवरी, 2022	--	--	6	240	--	--	36	7400	42	7640
फरवरी, 2022	--	--	16	1080	--	--	39	7800	55	8880
मार्च, 2022	--	--	19	940	--	--	28	5750	47	6690
अप्रैल, 2022	1 1	700	20	3200	4	400	9	3150	44	7450
मई, 2022	63	1890	1	30	29	2900	213	42500	306	47320
जून, 2022	18	510	17	3150	14	1875	6	1150	55	6685
जुलाई, 2022	14	420	41	5800	5	350	15	3200	75	9770
अगस्त, 2022	13	390	14	2800	8	750	8	1650	43	5590
सितंबर, 2022	8	240	12	2400	12	1150	8	1700	40	5490
अक्टूबर, 2022	39	1155	--	--	26	2075	--	--	65	3230
नवंबर, 2022	17	510	--	--	20	1800	--	--	37	2310
दिसम्बर, 2022 से 16-12-22 तक	15	450	--	--	6	790	--	--	21	1240
कुल	**198**	**6265**	**146**	**19640**	**124**	**12090**	**362**	**74300**	**830**	**112295**

कार्यक्रम की स्थिति	माध्यम	जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2022 तक	
		कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या
सीआरई कार्यक्रम	ऑफलाइन	198	6265
	ऑनलाइन	146	19640
कार्यशाला / संगोष्ठी / सम्मेलन	ऑफलाइन	124	12090
	ऑनलाइन	362	74300
कुल		**830**	**112295**

III राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड (एनबीआर)

शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियाः

क) परिषद ने डी.एड. विशेष शिक्षा (आईडीडी), डी.एड. विशेष शिक्षा (एचआई), डी.एड. विशेष शिक्षा (वीआई), डी.एड. विशेष शिक्षा (सीपी), डी.एड. विशेष शिक्षा (एमडी), डी.एड. विशेष शिक्षा (डीबी), डीआईएसएलआई और डीटीआईएसएल पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश के लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे। तद्नुसार कुल 13133 अभ्यर्थियों को इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया। प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की पाठ्यक्रम–वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	भरी हुई सीटें
1	डी.एड. विशेष शिक्षा (आईडीडी)	6160
2	डी.एड. विशेष शिक्षा (एचआई)	4344
3	डी.एड. विशेष शिक्षा (वीआई)	1975
4	डी.एड. विशेष शिक्षा (सीपी)	318
5	डीटीआईएसएल	112
6	डी.एड. विशेष शिक्षा (डीबी)	95
7	डीआईएसएलआई	68
8	डी.एड. विशेष शिक्षा (एमडी)	61
कुल		**13133**

ख) अकादमिक सत्र 2021–22 के दौरान डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम में अनंतिम रूप से प्रवेश पाने वाले 13133 उम्मीदवारों की राज्य–वार, पाठ्यक्रम–वार और राष्ट्रीय संस्थान (एनआई)वार सूची एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई, एनआईईपीएमडी, चेन्नई और एनआईईपीवीडी, देहरादून, आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली को उम्मीदवारों को पीआरएन/पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए भेज दी गई है।

ग) शैक्षणिक सत्र 21–22 के लिए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेशः पाठ्यक्रमों में आयोजित किए जा रहे शैक्षणिक सत्र 2021–22 के दौरान 74 प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 527 उम्मीदवारों को सीसीसीजी, सीसीआरटी, डीसीबीआर, डीसीई (वीआई), डीईसीएसई (आईडी), डीईसीएसई (एचआई), डीएचएलएस, डीपीओ, डीआरटी, डीवीआर(आईडी), डीएचआरआरईएम पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया । उम्मीदवारों को पीआरएन/पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए उम्मीदवारों का विवरण संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों को भेज दिया गया है।

घ) ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (एआईओएटी) – 2022 का आयोजनः आरसीआई की कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एनबीईआर, आरसीआई ने अपने परिपत्र सं. 25–15/एनबीईआर(एआईओएटी)/आरसीआई 2016 दिनांक 22–06–2022 के जरिए 14 डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों अर्थात् डी.एड. विशेष शिक्षा(आईडी), डी.एड. विशेष शिक्षा(एचआई), डी.एड. विशेष शिक्षा(वीआई), डी.एड. विशेष शिक्षा(एमडी), डीसीबीआर, डीवीआर(आईडी), डीईसीएसई(आईडी), डीआईएसएलआई, डीपीओ, डीईसीएसई(एचआई), डीटीआईएसएल, डीआरटी, डीएचएआरईएमटी, डीएचएलएस में प्रवेश के लिए एआईओएटीः 2022 के माध्यम से संभावित उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 थी।

ड.) सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों को एआईओएटी के बारे में सूचना देने करने के लिए सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था। एआईओएटी के लिए कुल 59374 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 40054 उम्मीदवार 4 सितंबर, 2022 को 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 103 परीक्षा केंद्रों पर 34888 सीटों के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे। एआईओटी का परिणाम 8 सितंबर, 2022 को घोषित किया गया था। कुल 34888 सीटों में से 18342 (53%) सीटें भर गई थीं और 16546 सीटें खाली रह गई थीं।

च) सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई ने 18–10–2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एआईएओटी के माध्यम से एक बैठक भी की है, जिसमें प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रवेश की स्थिति और अभ्यावेदन की समीक्षा की गई है। रिक्त सीटों को भरने और पोर्टल को लाइव करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को 31–10–2022 तक एक अवसर और देने का निर्णय लिया गया । प्रवेश पोर्टल को फिर से खोलने के बारे में सभी स्टेकहोल्डरों को ई–मेल और एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया गया है।

छ) एनबीईआर, आरसीआई को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से रिक्त सीटों को भरने के लिए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति देने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संभावित उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए और देश भर के अधिकांश प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए उन प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जहां सीटें खाली हैं। भर्ती की स्थिति निम्नानुसार हैः

एआईओएटी के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	19444
सीधे प्रवेश के माध्यम से प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या	5704
कुल योग	25148

IV वार्षिक शैक्षणिक गतिविधि कैलेंडर –2022–23 और 2023–24

क) आरसीआई द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे विभिन्न डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट) स्तर के पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक गतिविधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, एनबीईआर, आरसीआई की ओर से परीक्षा आयोजित करने वाले संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु एनबीईआर, आरसीआई ने शैक्षणिक सत्र 2022–23 और 2023–24 के लिए वार्षिक शैक्षणिक गतिविधि कैलेंडर तैयार किया है। । शैक्षणिक कैलेंडर प्रवेश प्रक्रिया के पूरा होने से शुरू होता है जिसमें कक्षाएं शुरू होने की तिथि, प्रथम और द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमों की परीक्षा का आयोजन और संबंधित एनआई द्वारा परिणाम की घोषणा शामिल है। शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए संभावित प्रवेश प्रक्रिया भी पहले से तैयार कर ली गई है और इसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यह सूचना सभी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को भी भेज दी गई है ताकि सभी छात्र प्रशिक्षुओं को उनकी सूचना के लिए आगे परिचालित किया जा सके।

ख) सीधे प्रवेशः शैक्षणिक सत्र 2022–23 के दौरान सीसीसीजी, सीसीआरटी और डीसीई (वीआई) जैसे विभिन्न प्रमाण–पत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति दी गई है।

ग) मॉनीटरिंगः परीक्षा के दौरान 103 परीक्षा केंद्रों पर उडनदस्ते भी तैनात किए गए ताकि परीक्षा का निष्पक्ष और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

V एनबीईआर, आरसीआई की ओर से संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट) और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन ।

क) एनबीईआर, आरसीआई ने संबंधित डीईपीडब्ल्यूडी के एनआई को डीटीआईएसएल, डीआईएसएलआई, डीसीबीआर, डीआरटी, डीपीओ सहित विभिन्न दिव्यांगता विशेषज्ञता अर्थात् आईडीडी, एचआई, वीआई, एमडी में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। एनआईईपीएमडी, चेन्नई, एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई, एनआईईपीवीडी, देहरादून और आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2020–21 और 2021–22 के लिए परीक्षा के आयोजन और परिणाम की घोषणा के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है:

राष्ट्रीय संस्थान	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक सत्र			
		2020-21		2021-22	
		पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष
एनआईईपीएमडी, चेन्नई	डी. एड. विशेष शिक्षा (आईडीडी)	22–27 नवंबर, 2021 को परीक्षा आयोजित की गई और 24 दिसंबर, 2021 और 19 जनवरी, 2022 को परिणाम घोषित किया गया	4–9 जुलाई, 2022 को परीक्षा आयोजित की गई और 16 अगस्त, 2022 को परिणाम घोषित किया गया	परीक्षा फरवरी/मार्च, 2023 में आयोजित की जाएगी और परिणाम अप्रैल, 2023 में घोषित किया जाएगा	कार्यक्रम निश्चित नही है अभी तैयार किया जाना है।
	डी. एड. विशेष शिक्षा (एएसडी)				
	डी. एड. विशेष शिक्षा (सीपी)				
	डी. एड. विशेष शिक्षा (एमडी)				
	डीआरटी				
	डीईसीएसई (आईडी)				
	डीवीआर (आईडी)				
	डीसीबीआर				
	डीपीओ				
	सीसीसीजी				
	सीसीआरटी				
एवाईजेएनआईएसएच (डी), मुंबई	डी.एड. विशेष (एचआई)	परीक्षा फरवरी 2022 में आयोजित की गई और परिणाम अप्रैल, 2022 में घोषित किया गया।	परीक्षा आयोजित की गई परिणाम नवंबर 2022 में घोषित किया जाएगा	परीक्षा 23 फरवरी को आयोजित और परिणाम 23 अप्रैल को किया जाना है	
	डीईसीएसई (एचआई)				
	डीएचएलएस				
	डीएचएआरईएमटी				
एनआईईपीवीडी, देहरादून	डी.एड. विशेष (वीआई)	नवंबर 2021 को परीक्षा आयोजित	परीक्षा हो चुकी है और परिणाम	परीक्षा हो चुकी है और परिणाम दिसंबर 22 में घोषित किया	
	डी.एड. डीबी				

	डीसीई (वीआई)	और जनवरी 2022 में परिणाम घोषित (अनुसूची के अनुसार)	घोषित कर दिया गया है।	जाएगा	
आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली	डीटीआईएसएल डीआईएसएलआई	दिसंबर 2021 में परीक्षा आयोजित की गई और मई, 2022 में परिणाम घोषित किया गया (विलंब के साथ)	दिसंबर 2022 में परीक्षा आयोजित की गई	परीक्षा फरवरी 23 को और परिणाम अप्रैल 23 में किया जाना है।	

VI विभिन्न प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में आकस्मिक और संबद्धता शुल्क

क) वर्तमान में देश भर के 550 प्रशिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा और प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के 956 बैच आयोजित किए जा रहे हैं। एनबीईआर के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को एनबीईआर और संबंधित एनआई में से प्रत्येक के लिए 50% के अनुपात के अनुसार आकस्मिक और संबद्धता शुल्क का भुगतान करना होता है ताकि परीक्षा आयोजित करने, मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा में किए गए व्यय को पूरा किया जा सके जिसके लिए इस विशेष उद्देश्य हेतु स्टॉफ तैनात किया गया है। वर्ष के दौरान, एनबीईआर, आरसीआई को प्रशिक्षण संस्थानों से 33,84,500/– लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

ख) बैठकें और संवादात्मक सत्र: प्रवेश समिति की बैठक 17 जनवरी, 2022 को अध्यक्षा, डॉ. (श्रीमती) उमा तुली, पूर्व सीसीपीडी, भारत सरकार की अध्यक्षता में प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच करने और रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश के ओपन राउंड की घोषणा करने के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए डॉ. सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई थी।

ग) विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोलियों को खोलने के लिए तकनीकी समिति की बैठक 5 मई, 2022 को श्री अनुज भारद्वाज, सहायक रजिस्ट्रार, एसपीए, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी ।

घ) शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संजय कुमार, उप निदेशक (प्रशासन), आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (एआईओएटी) आयोजित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी समिति की बैठक 18–20 मई, 2022 को आयोजित की गई थी।

ङ.) वित्तीय बोलियों को खोलने और उनका मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय समिति की बैठक 26 मई, 2022 को श्री अनुज भारद्वाज, सहायक रजिस्ट्रार, एसपीए, नई दिल्ली की अध्यक्षता में हुई और अन्य सदस्य उपस्थित थे।

च) एनबीईआर, आरसीआई ने दीक्षांत समारोह आयोजित करने के तौर–तरीकों को तय करने और सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के सभी पास आउट पूर्व छात्रों का नेटवर्क बनाने के लिए दिनांक 30–11–2022 को श्री विनीत सिंघल, सदस्य सचिव, आरसीआई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संस्थानों के सभी निदेशकों जैसे कि एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई, आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली, एनआईईपीवीडी, देहरादून, एनआईईपीएमडी, चेन्नई की बैठक आयोजित की है।

VII दूरस्थ शिक्षा सेल

क) अधिदेश के अनुसार, दिव्यांगता क्षेत्र में फेस–टू–फेस मोड के माध्यम से प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स और उससे ऊपर के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यक अनुमति दी जा रही है। हालांकि, यह महसूस किया गया कि विशेष शिक्षा के लिए विशेष रूप से मानव संसाधन की मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरी करने के लिए विशेष शिक्षा में हाइब्रिड और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा मोड कार्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है। अब, वर्तमान परिदृश्य में, एनईपी 2020 में लचीले तथा प्रवेश और निकास के साथ सीखने के हाइब्रिड और ऑनलाइन मोड के प्रावधान की भी परिकल्पना की गई है। अब यूजीसी, आरसीआई और अन्य शैक्षणिक प्राधिकरणों जैसे नियामक निकायों के लिए यह आवश्यक है कि वे सीखने के नए मिश्रण को बढावा दें। इस उद्देश्य से परिषद बी.एड. आयोजित करने के लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को बढावा दे रही है। यूजीसी विनियमन अगस्त, 2020 के अनुसार विशेष शिक्षा – ओएलडी कार्यक्रम और बाद में बी.एड. विशेष शिक्षा उनके संबंधित राज्य में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ओएलडी और ऑनलाइन मोड के साथ सितंबर 2021 और सितंबर 2022 में संशोधित किया गया। इस उद्देश्य से, परिषद ने 3–4 दिव्यांगता विशेषज्ञता के साथ 500 छात्रा के वार्षिक प्रवेश के साथ ऑनलाईन मोड के माध्यम से बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने के लिए 9 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ 05 वर्ष की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पाठ्यक्रम उनके संबंधित राज्य में अनुमोदित अध्ययन केंद्रों पर संचालित किए जा रहे हैं।

ख) एमओयू का नवीनीकरणः ईसी, आरसीआई के निर्णय के अनुसार, विशेष शिक्षा ओडीरल कार्यक्रम के तहत बीएड जारी रखने के लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू के विस्तार पर हस्ताक्षर करने से पहले 3–4 सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, वाईसीएमओयू, नासिक और टीएनओयू, चेन्नई, यूओयू, हल्द्वानी, यूपीआरटीओयू, प्रयागराज और एनएसओयू, कोलकाता को समझौता ज्ञापन के विस्तार के लिए विचार किया गया है। परिषद ने एनएसओयू, कोलकाता, यूओयू, हल्द्वानी और एमपीबीओयू, भोपाल के साथ 2019 से 05 वर्ष की एक और अवधि के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है जो संशोधित मानदंड 2021 के अनुसार ऑनलाईन मोड के माध्यम से बी.एड. विशेष शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 2024 तक मान्य होगा जिसे शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू किया गया है।

ग) राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा आरसीआई के 10% शुल्क हिस्से का प्रेषणः समझौता ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार, परिषद ने यूपीआरटीओयू, प्रयागराज और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, बीआरएओयू, हैदराबाद, एनईएचयू, शिलांग, वाईसीएमओयू, नासिक, बीएओयू, अहमदाबाद और एनएसओयू, कोलकाता से 10% शेयर शुल्क के रूप में 52,86,900/–रुपये की राशि प्राप्त की है।

घ) बैठकें: परिषद ने प्रोफेसर एसएस सरकार, कुलपति, एनएसओयू, कोलकाता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो शैक्षणिक सत्र 2015–16 के दौरान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के अस्वीकृत अध्ययन केंद्र से बी.एड.विशेष शिक्षा ओडीएल पाठ्यक्रम प्राप्त करने वाले 364 छात्रों के पंजीकरण के नियमितीकरण के लिए 06 महीने के पाठ्यक्रम के विकास के लिए है। कोर कमेटी की बैठक दिनांक 12–09–2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से हुई। बैठक के दौरान, समय के साथ पाठ्यक्रम संरचना को अंतिम रूप दिया गया। उप–समिति को 31 जनवरी, 2023 तक विस्तृत पाठ्यक्रम विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ।

VIII समुदाय आधारित समावेशी विकास

क) भारत सरकार ने दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग हेतु 22 नवंबर, 2018 को ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामाजिक सेवा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने संयुक्त रूप से देश में पहला क्षमता आधारित समुदाय आधारित समावेशी विकास प्रशिक्षण (सीबीआईडी) विकसित किया है।

ख) इस कार्यक्रम का उद्देश्य फ्रंटलाइन समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं का एक कैडर विकसित करना है, जिसे दिव्यांग–मित्र के रूप में जाना जाता है, जो पीडब्ल्यूडी के व्यापक समावेशन के लिए सामुदायिक लचीलापन (कम्युनिटी रिसाइलेंस) बनाने में मदद करेगा। दिव्यांग–मित्र सामुदायिक स्तर पर दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए अत्याधुनिक स्तर पर आंगनवाडी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ निकट समन्वय के साथ काम करेंगे।

ग) पहला बैच आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को जीआईए जारी करना : सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला बैच आयोजित करने के लिए 15 प्रशिक्षण संस्थानों को 81.04 लाख रुपये का जीआईए जारी किए गए हैं।

घ) सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच के दौरान 15 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हुए 308 छात्रों को 11.26 लाख रुपये का स्टाईपेंड जारी किया गया हैं।

ड.) सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच के अंतिम सिद्धांत परीक्षा का आयोजन और परिणाम की घोषणा :

च) एनबीईआर, आरसीआई ने उक्त कार्यक्रम आयोजित करने वाले सभी आरसीआई अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों में 23–06–2022 को अंतिम थ्योरी परीक्षा आयोजित की है। परीक्षा में कुल 347 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परिषद की वेबसाइट पर 01–09–2022 को परिणाम घोषित किया गया। 347 छात्रों में से कुल 276 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया और 71 छात्र अनुत्तीर्ण रहे।

छ) सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे बैच की घोषणा: परिषद ने जुलाई, 2022 के महीने में सीबीआईडी प्रशिक्षण के दूसरे बैच में प्रवेश के लिए संभावित अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रवेश अधिसूचना जारी की है। कुल 466 अभ्यार्थियों ने दूसरे बैच में 16 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया। सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे बैच की कक्षाएं 28–10–2022 से सभी प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू कर दी गई हैं।

ज) सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच की पूरक परीक्षाः एनबीईआर , आरसीआई ने 21–12–2022 को 09 परीक्षा केंद्रों पर सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच की पूरक परीक्षा आयोजित की है और परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा।

IX बैठकें:

क) सदस्य सचिव, आरसीआई की अध्यक्षता में 10 जनवरी, 2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई थी। सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच के समवर्ती मूल्यांकन के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए श्रीमती अंजलि भावडा, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और अध्यक्ष, आरसीआई की अध्यक्षता में 19 जनवरी, 2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी।

ख) सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच की थ्योरी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ सदस्यों की बैठक श्री विनीत सिंघल, सदस्य सचिव, आरसीआई और निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में 09 मार्च, 2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी ।

ग) सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच के टर्म एंड थ्योरी परीक्षा आयोजित करने के तरीके और तौर–तरीके तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक 4 मई, 2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से श्री विनीत सिंघल, सदस्य सचिव, आरसीआई और निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी ।

घ) परिषद ने उत्तीर्ण होने के मानदंड की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की है। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि जिन अभ्यर्थियों ने थ्योरी और व्यावहारिक में कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण माने जाने के लिए 10 ग्रेस अंक भी दिए जाएंगे। इसके अनुसार, 62 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

X क्षेत्रीय समन्वय समिति (जेडसीसीएस):

क) जेडसीसी की मौजूदा योजना का संशोधन: प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, इसकी मॉनीटरिंग करने और इन कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में आरसीआई के विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करने के लिए, वर्ष 2001 में 07 क्षेत्रीय समन्वय समितियों का गठन किया गया था, शुरुआत में इसे जोनल एडवाइजरी कमेटी (जेडएसी) के रूप में जाना जाता था, बाद में जेडएसी के आधार पर वर्ष 2014 में जेडसीसी के रूप में नाम बदल दिया गया, जेडसीसीएस को देश के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए 7–14 जोन बढ़ा दिया गया है। जेडसीसी का कार्यकाल 03 वर्ष का होता है।

ख) मौजूदा योजना के प्रावधान के अनुसार, परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार उनके क्षेत्र में क्षेत्रीय गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए परिषद प्रति वर्ष 3 लाख रुपये की राशि प्रदान करके भी उनकी सहायता करती है। इसके अलावा, उनके कार्यालयों में आकस्मिक और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए 60,000 रुपये भी दिए जाते हैं।

ग) प्रथा के अनुसार, डॉ. आलोक गुहा, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षता में 10–08–2022 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित एक बैठक में जेडसीसी की मौजूदा योजना की समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान, श्री विनीत सिंघल, सदस्य सचिव, आरसीआई, डॉ सुबोध कुमार, उप निदेशक, आरसीआई, डॉ. भूषण पुनानी, बीपीए, डॉ. अशोक चक्रवर्ती, सचिव, शेल्टर, डॉ. मुकेश गुप्ता, विजन, फाउंडेशन, डॉ. सीमा तुली, श्री एलटी रिक्की और श्री संदीप ठाकुर, एसीई भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान यह सिफारिश की गई थी कि मौजूदा योजना और दिशा–निर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए और अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार क्षेत्रीय गतिविधियों के संचालन के लिए बजटीय प्रावधान के आवंटन को भी उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। कार्यवृत्त को अनुमोदित कर दिया गया है और तदनुसार सभी सदस्यों को उनकी फीडबैक के लिए परिचालित किया गया है। सदस्यों से प्राप्त फीडबैक को संकलित किया जा रहा है और अगले वित्त वर्ष से इसके कार्यान्वयन से पहले अध्यक्ष, आरसीआई के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी)

5.2.1 सिंहावलोकन

(i) सीसीपीडी का कार्यालय निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 57 (1) के तहत और वर्तमान संदर्भ में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74(1) के तहत स्थापित किया गया है ।

(ii) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा था उसके तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेंगे; उन कारकों की समीक्षा करेंगे जो दिव्यांगजनों के अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और उपरोक्त अधिनियम की धारा 75 (2) के अनुसार उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेंगे;

(iii) मुख्य आयुक्त भी अपने प्रस्ताव पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा दिव्यांगजनों के अधिकारों से वंचित होने या कार्यान्वयन न करने या नियमों, उप–कानूनों, विनियमों के कार्यकारी आदेशों, दिशा–निर्देशों या निर्देशों आदि के कार्यान्वयन न करने या जिसे संबंधित शिकायतों पर विचार कर सकते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाए गए या जारी किए गए हैं और इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के पास ले जा सकते हैं। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं ।

5.2.2 स्वप्रेरणा से लिए गए मामले :

सीसीपीडी का कार्यालय इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों जैसे रोजगार में आरक्षण, प्रवेश, प्रेस, मीडिया में रिपोर्ट किए गए दिव्यांगों के खिलाफ भेदभाव के मामलों को लागू न किए जाने के बारे में स्व प्रेरणा से कार्य करता है और संबंधित प्राधिकारियों के साथ चर्चा करता है। इस तरह की सक्रिय पहलों ने न केवल दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा की है, बल्कि विभिन्न स्टेकहोल्डरों को भी संवेदनशील बनाया है और दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की है।

(i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 के तहत मुख्य आयुक्त–

(क) स्वयं या अन्यथा, किसी भी कानून या नीति, कार्यक्रम तथा प्रक्रिया–विधियों के प्रावधान का पता लगाएंगे, जो इस अधिनियम के असंगत है तथा आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करेंगे।

(ख) स्वयं या अन्यथा, दिव्यांगजन के अधिकारों के अपवंचन अथवा ऐसे मामलों के लिए जिसमें केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है, के संबंध में उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा की जांच करेंगे तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष ले जाएंगे।

(ग) दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेंगे।

(घ) दिव्यांगजनों के अधिकारों के उपयोग को रोकने वाले कारकों की समीक्षा करेंगे तथा उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेंगे।

(ड.) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करेंगे तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे।

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे तथा उसका प्रचार करेंगे।

(छ) दिव्यांगजन के अधिकारों की जागरूकता का प्रचार करेंगे तथा उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों का प्रचार करेंगे।

(ज) इस अधिनियम के प्रावधानों और दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए योजनाओं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेंगे।

(झ) दिव्यांगजनों के लाभार्थ केंद्र सरकार द्वारा संवितरित निधियों के प्रयोग की मॉनिटरिंग करेंगे तथा केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य क्रियाकलापों का निष्पादन करेंगे।

(ii) मुख्य आयुक्त इस अधिनियम के तहत अपने क्रियाकलापों के निष्पादन के दौरान किसी भी मामले पर आयुक्तों से परामर्श करेंगे।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) की धारा 77 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से मुख्य आयुक्त की शक्तियां सिविल न्यायालय के समान हैं, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में मुकदमें की सुनवाई करते हुए सिविल प्रक्रिया –विधि संहिता, 1908 के तहत किसी एक न्यायालय में निहित होती हैं, नामतः

(क) गवाहों को बुलाना और उपस्थित होने के लिए उन्हें बाध्य करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज का पता लगाना तथा समक्ष रखने को कहना

(ग) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या प्रतिलिपि को मांगना

(घ) शपथ पत्र पर सबूत प्राप्त करना; और

(ड.) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए अधिकार–पत्र (कमीशन) जारी करना।

(iv) मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अधीन एक न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय XXVI के उद्देश्य के लिए एक सिविल न्यायलय के रूप में माना जाएगा।

5.2.3 राष्ट्रीय समीक्षा बैठक :

आयुक्तों के कार्य के समन्वयन और दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से, सीसीपीडी कार्यालय प्रतिवर्ष राज्य आयुक्तों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित करता है। राज्य आयुक्त अपने कार्य और उनके द्वारा की गई पहलों और वर्ष के दौरान दिव्यांगता के क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। कोविड–19 के कारण वर्ष 2020–21 और 2021–22 में राष्ट्रीय समीक्षा बैठक (एनआरएम) नहीं आयोजित की जा सकी। हालांकि, वित्त वर्ष 2022–23 की समाप्ति से पहले इसे आयोजित करने के लिए सोचा जा रहा है।

5.2.4 निधियों की मॉनीटरिंगः

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 75 (i) के तहत सीसीपीडी का एक महत्वपूर्ण कार्य केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लाभ के लिए वितरित की गई निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग करना है।

5.2.5 सार्वजनिक भवनों / स्थानों का एक्सेस ऑडिट :

सीसीपीडी के कार्यालय ने सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी कार्यालय भवनों, अस्पतालों, स्टेडियमों, बाजार स्थानों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस स्टॉप, धार्मिक स्थानों आदि में उनकी सुगम्यता हेतु ऑडिट करने की पहल की और यह सुनिश्चित किया कि दिए गए समय सीमा के भीतर आवश्यक संशोधन किए जाएं।

5.2.6 शिकायतों का निवारण :

क) दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 75 के तहत, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी) को दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराए गए अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा करने और उनके अधिकारों के अपवंचन से संबंधित उनकी शिकायतों को दूर करने और उचित सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों उप–कानूनों आदि को लागू नहीं करने के संबंध में कदम उठाने का अधिदेश दिया गया है। सीसीपीडी कार्यालय दिव्यांगजनों द्वारा न्याय मांगने के लिए एक केंद्र बिंदु है। जब भी उन्हें किसी उपयुक्त सरकारी निकाय या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो बड़ी संख्या में दिव्यांगजन इस कार्यालय से संपर्क करते हैं।

ख) सितंबर, 1998 में अपनी स्थापना के बाद से, सीसीपीडी के कार्यालय में कुल 39773 मामले दर्ज किए गए हैं और दिसंबर, 2022 के अंत तक 39558 मामलों का निपटारा किया गया था। वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान, 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 436 मामले दर्ज किए गए और पिछले वर्ष के बैकलॉग सहित 479 मामलों का निपटारा किया गया। उपरोक्त मामलों में मुख्य आयुक्त/आयुक्त की सिफारिश को मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

5.2.7 शिकायतों की वर्चुअल सुनवाई :

कोविड 19 के कारण, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना संभव नहीं था। इसलिए सीसीपीडी कार्यालय जून 2020 से वेबेक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन हियरिंग का आयोजन कर रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2022 तक कुल 324 मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया गया।

5.2.8 आरपीडब्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 40 के तहत दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता के मानकों और सुविधाओं के प्रावधान के लिए सुसंगत दिशानिर्देशः

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अनुसार, केंद्र सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता के मानकों को निर्धारित करने वाले नियम बनाएगी। आरपीडब्ल्यूडी नियमों की धारा 16 में कहा गया है कि केंद्र सरकार नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर अधिसूचित सुगम्यता मानकों की समय–समय पर समीक्षा करेगी। इस प्रकार, केंद्र सरकार के 18 मंत्रालयों/विभागों ने दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय के परामर्श से नियम/दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

5.3 ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास ।

5.3.1 परिचय

राष्ट्रीय न्यास संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है जिसका नाम है "ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999"।

राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना;

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना;

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना;

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना;

(v) दिव्यांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना;

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना;

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना; और

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के आनुषंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों–कानूनी और कल्याण के निर्वहन के लिए की गई है। स्थानीय स्तर की समितियों (एलएलसी) के माध्यम से कानूनी संरक्षकता प्रदान करने के लिए कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। योजनाओं के माध्यम से कल्याण कर्त्तव्य का निर्वहन किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल और सशक्तिकरण शामिल हैं। अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए दिव्यांगजनों के समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूरी भागीदारी के लिए राष्ट्रीय न्यास प्रतिबद्ध है।

5.3.2 संगठनों का पंजीकरण

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन दिव्यांगजनों के अभिभावक संघ दिव्यांगजन संघ जो ऑटिसम प्रमस्तिष्क घात मानसिक मंदता तथा बहुत दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या पब्लिक चौरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम के अधीन और निःशक्त अधिनियम 1995 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत संबंधित राज्य में पहले से ही पंजीकृत किए गए हैं वे राष्ट्रीय न्यास में फॉर्म ई, (ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को भरने पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त) उचित रूप से मोहर लगाकर संगठन के मुखिया से हस्ताक्षर कराकर ऑनलाइन फॉर्म भरने के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकते हैं। न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए न्यास के साथ ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक है।गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष है। पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को पंजीकरण की समाप्ति से 6 महीने पहले आवेदन करना होगा।

राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या 541 है। 01–04–2022 से 15–12–2022 तक पंजीकृत एनजीओ की संख्या 128 है। आरओ की सूची राज्यवार और जिलेवार राष्ट्रीय न्यास वेबसाइट (www.thenationaltrust.gov.in)पर देखी जा सकती है।

5.3.3 राष्ट्रीय न्यास की प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं–

(i) कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति

क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17 में स्थानीय स्तर की समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगजनों के लिए दी जाने वाली संरक्षकता के बारे में विस्तार से बताया गया है। संरक्षकता एक आवश्यकता आधारित सक्षम प्रावधान है।

ख) एक संरक्षक वह व्यक्ति होता है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह उस व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा लेता है जिसके लिए उसे संरक्षक नियुक्त किया जाता है। संरक्षक व्यक्ति की ओर से तथा उसके प्रतिपाल्य (वार्ड) संपत्ति के संबंध में सभी कानूनी निर्णय लेता है।

ग) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्ति एक विशेष स्थिति में हैं क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी, वे हमेशा अपने स्वयं के जीवन का प्रबंधन करने या अपनी बेहतरी के लिए कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए, उन्हें किसी को अपने पूरे जीवन में कानूनी क्षेत्रों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, सेरेब्रल पाल्सी और बहु दिव्योंगता के मामलों में, सक्षम तंत्र और / या वैज्ञानिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण केवल सीमित संरक्षकता की आवश्यकता हो सकती है, जो ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता की अलग–अलग डिग्री के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है।

घ) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली स्थानीय स्तर की समिति को नियम 16 (1) के तहत फॉर्म ए में आवेदन प्राप्त करने और ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए नियम 16 (2) के तहत फॉर्म बी में अभिभावकों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। यह उनकी संपत्तियों सहित उनके हितों की मॉनीटरिंग और रक्षा के लिए तंत्र भी प्रदान करता है।

ड.) 2016 से पहले, 30304 अभिभावकों को ऑफलाइन तरीके से नियुक्त किया गया था। नई योजना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के माध्यम से, 15.12.2022 तक 29682 संरक्षककों की नियुक्ति की गई है, जिससे अब तक कुल 59986 संरक्षक हो गए हैं, जिसमें 2022–23 (15.12.2022 तक) में अनुमोदित और सत्यापित 5527 कानूनी संरक्षकता आवेदन शामिल हैं।

(ii) स्थानीय स्तर की समिति (एलएलसी)

स्थानीय स्तर की समिति का कार्य कानूनी संरक्षककों की स्क्रीनिंग, नियुक्ति, मॉनीटरिंग और हटाने के लिए है। एलएलसी जागरूकता सृजन, अभिसरण और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने जैसी गतिविधियों को भी बढावा देते हैं। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13 के तहत देश के प्रत्येक जिले में 3 वर्षों की अवधि या जब तक निम्नलिखित सदस्यों का बोर्ड द्वारा पुनर्गठन नहीं किया जाता है तब तक एक स्थानीय स्तर की समिति का गठन करना अपेक्षित है–

- संघ के या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला न्यायाधीश या जिले का जिला आयुक्त के रैंक से कम ना हो;
- राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
- राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत किसी संगठन का एक प्रतिनिधि तथा निःशक्तजन अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (ण) में परिभाषित कोई दिव्यांग व्यक्ति।

देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 745 एलएलसी का गठन किया गया है, जिसमें एलएलसी के अध्यक्ष के रूप में डीसी / डीएम हैं।

(iii) राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी)

राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को पूरा करने, राज्य स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन और संबंधित राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय/संपर्क के लिए राष्ट्रीय न्यास के एक प्रतिष्ठित पंजीकृत संगठन को राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास संस्थागत गतिविधियों के संचालन के लिए निधियां प्रदान करता है जैसे पंजीकृत संगठनों/स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी), राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलएलसी) की बैठकों के आयोजन, डाक्युमेंटेशन/रिपोर्टिंग, समन्वयकों के लिए मानदेय, विविध गतिविधियां । इस समय देश में 28 एससी हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, एसएनएसी को (15–12–2022 तक) 0.71 करोड रुपये की राशि जारी की गई है। सभी राज्य नोडल एजेंसी केन्द्रों (एसएनएसी) की व्यापक सूची राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(iv) राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी)

प्रत्येक राज्य/यूटी सरकार से राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) गठित करने का अनुरोध किया गया है। दिव्यांगता को देखने वाले राज्य सरकार के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित एसएनएसी समिति का संयोजक होता है।
एसएलसीसी की संरचना निम्नानुसार है:–

सचिव, समाज कल्याण	अध्यक्ष
आयुक्त (दिव्यांगता)	उपाध्यक्ष
निदेशक, समाज कल्याण	सदस्य
राज्य नोडल एजेंसी केंद्र	सदस्य सचिव
1 एलएलसी एनजीओ सदस्य (प्रत्येक 10 जिलों से)	सदस्य

5.3.4 राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा 1 अप्रैल, 2018 को अनुबंध–3 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान योजनाओं की विशेषताएं और योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाएं शुरू की गई नई/संशोधित योजनाओं के तहत स्वीकृत योजनाएं, मुख्य विशेषताएं और परियोजनाएं इस प्रकार हैं–

i. दिशा (0–10 वर्श की आयु वालों के लिए प्रारम्भिक उपाय और स्कूल तैयारी योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं वाले 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक प्रारंभिक उपाय और विद्यालय तैयारी योजना है और इसका उद्देश्य उपचारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए प्रारंभिक उपाय करने हेतु दिशा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। पंजीकृत संगठनों को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को एक दिन में (प्रातः 8 बजे और सायंकाल 6 बजे के बीच) न्यूनतम 4 घंटों के लिए आयु विशिष्ट गतिविधियों सहित दिवसीय देख–भाल की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसमें दिव्यांगजनों के लिए केन्द्र में देखभाल प्रदाता और आया सहित विशेष अनुदेशक अथवा प्रारम्भिक उपाय थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और परामर्शदाता होने चाहिए।

यह योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी। पिछले 8 वर्षों के दौरान, 4141 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत 14.46 करोड रुपये की राशि खर्च की गई है। इसमें 33 दिशा केंद्रों के माध्यम से 319 दिव्यांगजनों को लाभ मिलना और चालू वित्त वर्ष 2022–23 (15.12.2022 तक) के दौरान 0.94 करोड रुपये जारी करना शामिल है।

दिशा में सीखने के कौशल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चे– महेसाणा, गुजरात और हावडा, पश्चिम बंगाल में नेशनल ट्रस्ट का अर्ली इंटरवेंशन सेंटर

(ii) विकास (10 + वर्षीय के लिए दिवस देखभाल योजना)

यह 10 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वाले दिव्यांगजनों के लिए दिवस देखभाल योजना है, जिसे वर्ष 2015–16 में शुरू किया गया था, मुख्य रूप से अन्तर्वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशलों को बढाने हेतु यह दिवस देखभाल योजना है क्योंकि वे उच्चतर आयु वर्गों में आगे (संक्रमण काल में) जाने की स्थिति में होते हैं। जिस समय के दौरान दिव्यांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस–देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को उनकी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए सहायता करता है। पंजीकृत संगठनों को दिव्यांगजनों को एक दिन में (प्रातः 8 बजे और सांयकाल 6 बजे के बीच में) न्यूनतम 6 घंटों के लिए आयु विशिष्ट गतिविधियों सहित दिवसीय–देखभाल की सुविधा दी जानी चाहिए। दिवसीय देखभाल केन्द्र एक माह में न्यूनतम 21 दिनों के लिए खुला रहना चाहिए।

पिछले 8 वर्षों के दौरान, 6918 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत 25.13 करोड रुपये की राशि खर्च की गई है। इसमें 706 दिव्यांगजनों को 34 विकास केंद्रों के माध्यम से लाभ मिलना और चालू वित्त वर्ष 2022–23 (15.12.2022 तक) के दौरान 1.86 करोड रुपये जारी करना शामिल है।

विकास केंद्र के बच्चे कटक, ओडिशा और विलुप्पुरम, तमिलनाडु में अपने सीखने के कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षण और अधिगम सामग्री (टीएलएम) किट के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं

iii. दिशा–सह विकास योजना (डे केयर)

पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। परियोजना धारकों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर, 41 परियोजना धारकों को 1.4.2018 से विलय दिशा–सह–विकास योजना (डे केयर) आवंटित की गई थी।

पिछले 5 वर्षों के दौरान 5300 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत 23.24 करोड रुपये की राशि खर्च की गई है। इसमें 45 दिशा–सह–विकास केंद्रों के माध्यम से 1029 दिव्यांगजनों को लाभ मिलना और चालू वित्त वर्ष 2022–23 (15.12.2022 तक) के दौरान 3.14 करोड रुपये जारी करना शामिल है।

राजस्थान के कोटा में दिशा–सह–विकास केन्द्र में व्यावसायिक द्वारा विकासात्मक विलंब वाले एक बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है।	विकासात्मक विलंब से पीडित एक बच्चा भोपाल के दिशा–सह–विकास केंद्र में कला और शिल्प पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

iv. समर्थ (राहत रेस्पाइट देखभाल योजना)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथों या परित्यक्तों, संकट में फँसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक दिव्यांगता वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एंव निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित दिव्यांगों को राहत (रेस्पाईट) गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। इस योजना के तहत सभी आयु वर्गों के लिए,

व्यावसायिक चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली सामूहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

यह योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी। पिछले 8 वर्षों के दौरान, 1975 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत 11.97 करोड रुपये की राशि खर्च की गई है। इसमें 194 दिव्यांगजनों को 13 समर्थ केंद्रों के माध्यम से लाभ मिलना और चालू वित्त वर्ष 2022–23 (15.12.2022 तक) के दौरान 1.24 करोड रुपये जारी करना शामिल है।

समर्थ केंद्र के लाभार्थी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में मनोरंजानात्मक गतिविधियाँ कर रहे हैं

v. घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह)

2015–16 में शुरू की गई घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और जीवनभर न्यूनतम देखभाल सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है। योजना देशभर में सुनिश्चित गृह व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना की स्थापना करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान करती है, स्वतंत्र और गौरवपूर्ण सहायता प्राप्त रहन–सहन को प्रोत्साहित करती है तथा चिरस्थायी आधार पर देख–भाल सेवाएं उपलब्ध कराती है।

यह योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी। देश में पिछले 8 वर्षों के दौरान 1897 दिव्यांगजन लाभान्वित और इस योजना के तहत 20.62 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। इसमें 24 घरौंदा केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले 347 दिव्यांगजन और चालू वित्त वर्ष 2022–23 (15–12–2022 तक) के दौरान 2.43 करोड़ रुपये जारी करना शामिल है।

इंदौर, मध्य प्रदेश और औरैया, उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक और शारीरिक गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे घरौंदा केंद्र के लाभार्थी

vi. समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय) देखभाल

पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई सहमति और योजना की दिशानिर्देशों के आधार पर, 12 क्षेत्रीय कार्यालयों को 01 अप्रैल, 2018 से विलय की गई समर्थ–सह घरौंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गई थी।

देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान 1241 दिव्यांगजनों को लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत 9.63 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। इसमें 315 दिव्यांगजनों को 13 समर्थ–सह–घरौंदा केंद्रों के माध्यम से लाभ मिलना और चालू वित्त वर्ष 2022–23 (15.12.2022 तक) के दौरान 2.27 करोड़ रुपये जारी करना शामिल है।

समर्थ–सह–घरौंदा केंद्र के लाभार्थी गुंटूर, आंध्र प्रदेश और भद्रक, ओडिशा में अपने केंद्र में वृक्षारोपण कर रहे हैं

vii 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है और इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। इस योजना के तहत, 1 लाख रुपये का बीमा कवर है, जिसमें ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेपी, सुधारात्मक सर्जरी, वैकल्पिक चिकित्सा और परिवहन शामिल हैं। उपचार किसी भी अधिकृत चिकित्सक / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से लिया जा सकता है। यह प्रतिपूत के आधार पर है। यह योजना पूरे देश में 556 से अधिक पंजीकृत संगठनों के माध्यम से चल रही है जो ऑनलाइन आवेदन भरने में दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान करते हैं। उपर्युक्त शर्त वाला कोई भी व्यक्ति नाममात्र शुल्क का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकता है। 2021–22 से, योजना के तहत नवीकरण हमारे पोर्टल के माध्यम से माता–पिता / अभिभावकों द्वारा स्वयं किया जा सकता है। मूल (नेचुरल) माता–पिता के अलावा कानूनी अभिभावक रखने वाले दिव्यांगजनों के लिए नामांकन/नवीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है। 1 लाख रुपये के लाभ चार्ट को समिति द्वारा आंतरिक रूप से संशोधित किया गया है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। 1 लाख रुपये के बीमा कवरेज के साथ संशोधित चार्ट को नीति 2022–23 से लागू किया गया है।

वर्ष 2022–23 (15.12.2022 तक) के दौरान, कुल 1,65,243 दिव्यांगजनों को नामांकित किया गया है। कुल 12641 दावों का निपटान 7.24 करोड रुपये किया गया। वर्ष के दौरान व्यय 9.82 करोड रुपए है। वर्तमान में, यह योजना मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

निरामय– स्वास्थ्य बीमा योजना का संशोधित लाभ चार्ट – निरामय– स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, समग्र बीमा कवर प्रति वर्ष 1.0 लाख रुपये है, जिसे अस्पताल में भर्ती, ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेपी, वैकल्पिक चिकित्सा, परिवहन आदि के तहत उप–सीमाओं में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाली दिव्यांगता ऐसी शर्तें हैं जिनके लिए दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए, निरामय योजना पर विशेषज्ञ समिति ने मामले का विश्लेषण किया और लाभ चार्ट में आंतरिक संशोधन की सिफारिश की, जिसमें कुछ क्षेत्रों में राशि में वृद्धि की गई है जबकि अन्य क्षेत्रों में राशि में कटौती की गई है। 1.0 लाख रुपये के समग्र बीमा कवर में आंतरिक संशोधन के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय ट्रस्ट के बोर्ड ने 2022–23 से कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को अनुमोदन किया। 2022–23 से पूर्व–संशोधित लाभ चार्ट और संशोधित लाभ चार्ट की राशि का विवरण देने वाला एक तुलनात्मक चार्ट निम्नानुसार हैः –

निरामय योजना के तहत तुलनात्मक लाभ चार्ट

केवल प्रतिपूर्ति के आधार पर				
अनुभाग	**उप–अनुभाग**	**विवरण**	**श्रेणी और उप–श्रेणीवार विभाजन (पूर्व–संशोधित)**	**श्रेणी और उप–श्रेणीवार विभाजन (2022–23 से संशोधित)**
I	**अस्पताल में भर्ती होने की सभी सीमा से अधिक**			
	क	जन्मजात दिव्यांगता सहित मौजूदा दिव्यांगता के लिए सुधारात्मक सर्जरी	40,000/-	40,000/-
	ख	गैर–शल्य चिकित्सा / अस्पताल में भर्ती	15,000/-	15,000/-
	ग	दिव्यांगता को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए सर्जरी	15,000/-	उप–श्रेणी हटाई गई
		कुल	**70,000/-**	**55,000/-**
II	**बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के लिए समेकित सीमा**			
	क	नियमित चिकित्सा जांच, दवाएं, पैथोलॉजी, नैदानिक परीक्षण आदि के साथ ओपीडी उपचार।	8,000/-	15,000/-
	ख	गैर–बीमार दिव्यांगजनों के लिए नियमित चिकित्सा जांच	4,000/-	उप–श्रेणी हटाई गई
	ग	दंत चिकित्सा निवारक दंत	2,500/-	4,000/-
		चिकित्सा		
	कुल		**14,500/-**	**19,000/-**
III	दिव्यांगता और दिव्यांगता संबंधी जटिलताओं के प्रभाव को कम करने के लिए चल रहे उपचार		**10,000/-**	**20,000/-**
IV	वैकल्पिक चिकित्सा		**4,500/-**	**4,000/-**
V	परिवहन लागत		**1,000/-**	**2,000/-**
एक व्यक्ति के लिए कवरेज की समेकित सीमाः रु. 1,00,000/-				

5.3.4 राष्ट्रीय न्यास की अन्य गतिविधियाँ:

(i) विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस :

2 अप्रैल 2022 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी जिसमें डॉ निधि सिंघल, निदेशक, अनुसंधान और प्रशिक्षण, एक्शन फॉर ऑटिज्म, दिल्ली ने ऑटिज्म के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए। बैठक में राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्यों, विभिन्न योजनाओं के परियोजना धारकों, राज्य नोडल एजेंसी केन्द्रों (एसएनएसी) और राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) ने भाग लिया। प्रतिभागियों के कई प्रश्नों का डॉ. सिंघल ने जवाब दिया।

डॉ निधि सिंघल, निदेशक और अन्य विशेषज्ञ वर्चुअल मीटिंग के दौरान ऑटिज्म के लिए एक्शन

(ii) स्थानीय स्तर की समिति (एलएलसी) पर बैठक –

एलएलसी के गठन, एलएलसी एनजीओ सदस्य और दिव्यांगजन और सह–चयनित सदस्यों की सहायता से कानूनी अभिभावकता आवेदनों के निपटान पर एक बैठक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए आयोजित की गई थी। बैठक 28 जून, 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान जिला अधिकारी, संबंधित राज्यों के राज्य नोडल एजेंसी केंद्र और पंजीकृत संगठन उपस्थित थे। जिले के अधिकारियों को एलएलसी के एक एनजीओ और किसी एक दिव्यांगजन सदस्य की सिफारिश करने, ऑनलाइन कानूनी अभिभावकता आवेदनों की प्रक्रिया और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत आने वाले व्यक्ति का कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है, इस बारे में मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास ने बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया।

(iii) राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की वर्चुअल समीक्षा बैठक – राष्ट्रीय न्यास ने 22 जुलाई, 2022 को अपराह्न 3 बजे से राज्य नोडल एजेंसी केन्द्रों (एसएनएसी) की आभासी समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राष्ट्रीय न्यास के कार्यक्रम निदेशक श्री यू.के.शुक्ला, राष्ट्रीय न्यास के उप निदेशक श्री नवनीत कुमार और 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एसएनएसी ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य एसएनएसी की गतिविधियों के महत्व को उजागर करना था और उनसे राज्यों में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और कवर न किए गए जिलों में राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया था, ताकि राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को उन जिलों तक पहुंचाया जा सके।

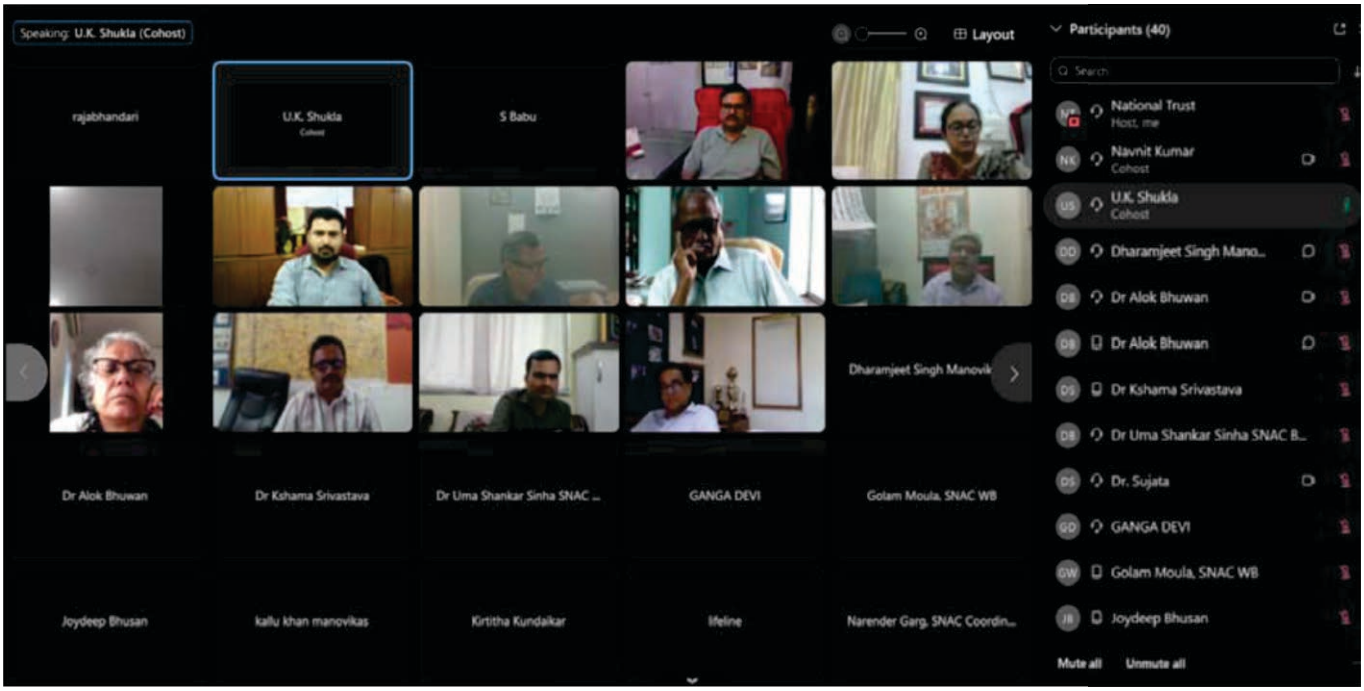

22–07–2022 को राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की समीक्षा बैठक

(iv) निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बैठक– 2 सितंबर, 2022 को निरामया–स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाली रक्षा टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, योजना के तहत दावों के निपटान से संबंधित कई मुद्दों को उठाया गया। इसके साथ ही, राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों ने रक्षा टीपीए के क्षेत्रीय केंद्रों के प्रमुखों के साथ बातचीत की और दावों के निपटान से संबंधित उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें दावा फॉर्म जमा करना और उनके क्षेत्रीय केंद्रों में दस्तावेजों की जांच आदि शामिल हैं। कार्यक्रम निदेशक ने रक्षा टीपीए को निर्देश दिया कि सभी दावा केंद्र प्रतिनिधि हमारी दिव्यांगता की गंभीरता के बारे में बताएं और माता–पिता / अभिभावक को ठीक से सुनें और अपने वरिष्ठ से वांछित जानकारी एकत्र करने और दावेदार को समयबद्ध तरीके से जवाब देने का प्रयास करें। दावों के आसान निपटान में और सुधार के सुझावों पर भी विचार किया गया।

(v) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) : राष्ट्रीय न्यास की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन 22 सितंबर, 2022 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव और राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से किया गया था। राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बोर्ड के सदस्यों और बैठक में भाग लेने वाले सभी पंजीकृत संगठनों का स्वागत किया। एजीएम में कुल 315 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जेएस एंड सीईओ, राष्ट्रीय न्यास ने राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 पर एक प्रस्तुति दी। चर्चा के दौरान, यूडीआईडी कार्ड जारी करने, कानूनी अभिभावकता और निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना आदि के कार्यान्वयन सहित दिव्यांगजन से संबंधित कई मुद्दों को उठाया गया। हितधारकों के सभी प्रश्नों का समाधान राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों द्वारा किया गया था। हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सुझाव, यदि कोई हों, को ईमेल के माध्यम से राष्ट्रीय न्यास को भेजें। प्रतिभागियों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वे इस क्षेत्र के लाभ के लिए सभी प्रकार से अपना सहयोग देंगे।

श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षता में 22 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई

(vi) आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शीघ्र उपचार (इंटरवेंशन) पर बैठक – राष्ट्रीय न्यास ने 19 अक्टूबर, 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के तहत प्रारंभिक हस्तक्षेप पर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। बैठक में राष्ट्रीय न्यास की पूर्व चेयरपर्सन पूनम नटराजन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद में मनोचिकित्सा में सहायक प्रोफेसर डॉ. वी श्रवण रेड्डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज (एनआईईपीएमडी), चेन्नई के फिजियोथेरेपी के व्याख्याता डॉ. बी. एस. संतोष कन्ना, देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर, वाराणसी रिसोर्स पर्सन्स थे। दिशा योजना और राष्ट्रीय न्यास के दिशा–सह–विकास (डे केयर स्कीम) के प्रोजेक्ट धारकों, राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्यों और कई गैर–सरकारी संगठनों, पेशेवरों और माता–पिता ने वर्चुअल मीट में भाग लिया।

(vii) आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर बैठक – राष्ट्रीय न्यास ने 5 नवंबर, 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के तहत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। बैठक में राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड सदस्य डॉ. आशीष कुमार, स्नेहनागडा, मध्य प्रदेश के पंकज मारू रिसोर्स पर्सन थे। असम राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) और माता–पिता ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित मुद्दों और सुझावों पर चर्चा की गई।

(viii) सुगम्य निर्वाचन के लिए राज्य संचालन समिति की बैठक – कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास ने 18 नवम्बर, 2022 को आयोजित सुगम्य निर्वाचन के लिए राज्य संचालन समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक का उद्देश्य दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुगम्य चुनाव कराना था और चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को शामिल करना सुनिश्चित करता है।

****

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई)

6.1 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) एक अनुसूची ''ग'' लघुरत्न श्रेणी–II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य के लिए नही) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप), के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनर्वास, सहायक यंत्रों का निर्माण करके और उनके लिए कृत्रिम अंगों और पुनर्वास सहायक यंत्रों की उपलब्धरता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा, प्रोत्साहन देने और विकसित करने के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव लाभान्वित करना है। निगम का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि इसका मुख्य जोर उचित कीमत पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी संख्या को सहायक यंत्रों और उपकरणों को उपलब्ध कराने पर है। संस्थान ने 1976 में कृत्रिम अंग का निर्माण करना शुरू किया। वर्तमान में इसके पांच सहायक उत्पादन केंद्र (एएपीसीएस) हैं जो भुवनेश्वर (उडीसा), जबलपुर (म.प्र.), बंगलुरू (कर्नाटक), मोहाली (पंजाब) और उज्जैन (म.प्र.) में हैं। एक और एएपीसी फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। निगम के पांच विपणन केंद्र हैं जो नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद और गुवाहाटी में हैं।

6.1.2 उद्देश्य

देश के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास उपकरणों के संवर्धन, प्रोत्साहन तथा उपलब्धता बढाने, प्रयोग, आपूर्ति तथा वितरण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों के निर्माण द्वारा उन्हें अधिकतम लाभान्वित करना है। निगम का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है और इसका मुख्य जोर उचित मूल्य पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराना है।

6.1.3 वित्तीय विशिष्टताएं

वित्त वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान निगम ने पिछले वर्ष 2021–22 में 350.03 करोड़ के कारोबार की तुलना में 314.03 करोड़ रुपये (अनंतिम)का कारोबार किया है। इस प्रकार 2021–22 में 317.32 करोड़ रुपये की तुलना में 284.70 करोड़ रुपये (अनंतिम) उत्पादन मूल्य दर्ज किया गया है।

6.1.4 निगम के वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े

क्र. स.	वास्तविक प्रदर्शन	उत्पादन (संख्या में)		बिक्री (संख्या में)	
	(महत्वपूर्ण उत्पाद का वास्तविक प्रदर्शन	2021-22	2022-23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़े)	2011-22	2022-23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़े)
1	ट्राईसाइकिल	68,008	58,849	68,513	55,860
2	व्हील चेयर	1,11,667	1,19,464	1,07,452	1,05,384
3	बैसाखियां	72,437	61,158	74,488	58,873
4	श्रवण यंत्र	47,347	1,16,869	1,13,584	93,891

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2022-23 के बिक्री आंकड़े (31.12.2022 तक के अनंतिम आँकड़े)	2022-23 की बिक्री
जीआईए से जुटाए गए संसाधन	220.34	229.41
जीआईए के अलावा जुटाए गए संसाधन	110.05	120.63
कुल	**330.39**	**350.04**

6.1.5 एडिप शिविर

निगम ने 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने वाले 227 शिविरों के माध्यम से एडिप योजना के तहत वित्त वर्ष 2022–23 में 61456 लाभार्थियों (31.12.2022 तक के अनंतिम आंकड़े) को उपकरण–वार कवर किया है.

6.1.6 एडिप–सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिविर

एडिप–सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत, वित्त वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक के अनंतिम आंकड़े) में 354 शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 01–12 के वर्ग समूह में विशेष आवश्यकताओं वाले 57,133 बच्चों को सेवा प्रदान की गई थी।

6.1.7 राष्ट्रीय वयोश्री योजना

देश भर के विभिन्न जिलों/स्थानों पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के निष्पादन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एलिम्को को एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निगम ने देश भर के 28 जिलों में 28 वितरण शिविरों का आयोजन किया है, जिसमें निगम ने 41,863 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र और उपकरण (31.12.2022 तक) अनंतिम वितरित किए थे।.

6.1.8 औद्योगिक संबंध

निगम में औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा है। निगम सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करके परामर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से अपने प्रबंधन में सहभागिता संस्कृति को प्रोत्साहित करना जारी रखता है। किसी भी प्रकार की औद्योगिक संबंध समस्या के कारण निगम ने वर्ष के दौरान एक भी काम के घंटे का नुकसान नहीं किया है।

6.1.9 सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निगम द्वारा उठाए गए कदम

क. भारतीय गुणवत्ता परिषद (भारत सरकार का एक निकाय), गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की सहभागिता: सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरणों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, निगम ने निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दूसरे स्तर/चरण की गुणवत्ता जांच के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को नियुक्त किया। भारतीय गुणवत्ता परिषद स्वतंत्र रूप से अपने तेजी से आगे बढ़ने वाले 16 उत्पादों के लिए निगम में उत्पाद गुणवत्ता मूल्यांकन कर रही है और विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करती है जिसमें वित्त वर्ष 2020–21 और 2021–22 में 100 प्रतिशत गुणवत्ता अनुपालन की सूचना दी गई है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद नियमित आधार पर सभी 5 एएपीसी द्वारा विनिर्मित किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता लेखा परीक्षा भी कर रही है।

ख. सहायक यंत्रों/उपकरणों के परिवहन के लिए क्लोज्ड बॉडी कंटेनरों को अपनाना: परिवहन/ट्रांसशिपमेंट, जंग लगने के दौरान और प्रत्यक्ष पर्यावरणीय जोखिम के कारण विभिन्न सहायक यंत्रों/उपकरणों के नुकसान को दूर करने के लिए, निगम ने क्लोज्ड बॉडी कंटेनरों का उपयोग करके परिवहन को अपनाया है। सुपुर्दगी किए गए माल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

6.1.10 शिविर की तस्वीरों की झलक

(माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने एडिप योजना के तहत 14.12.2022 को टीकमगढ़ में आयोजित वितरण शिविर के दौरान एलिम्को द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित 'सुगम्य केन' का शुभारंभ और वितरण किया)

(25.11.2021 को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एडिप एसएसए योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण)

(माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक ने 24.08.2021 को बक्सा, असम में आयोजित शिविर के दौरान आरवीवाई योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी और माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री ए. नारायणस्वामी ने 02.10.2021 को बेलगाव, कर्नाटक में आयोजित शिविर के दौरान आरवीवाई योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए)

(मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक श्री असीस मैती की उपस्थिति में मथुरा रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत 200 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण)

6.1.11 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत गतिविधियां (विक्रय)

एलिम्को अपनी सीएसआर परियोजनाओं के हिस्से के रूप में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में कई कंपनियों के लिए सीएसआर कार्यान्वयन साझेदार के रूप में भी काम कर रहा है। निगम ने पहल की है और दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के मूल्यांकन और वितरण के लिए एलिम्को के माध्यम से अपने सीएसआर दायित्व को हाथ में लेने के लिए सभी लाभ कमाने वाले सीपीएसयू से संपर्क करना शुरू कर दिया है। निगम ने ओएनजीसी लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गेल (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित कई सीपीएसयू के साथ हाथ मिलाया है। इरकॉन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, वाप्कोस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड आदि के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया है। निगम ने 45 सीएसआर शिविर आयोजित किए थे और 2022–23 में 39,518 उपकरण वितरित किए हैं (31.12.2022 तक अनंतिम आंकड़ा)।

6.1.12 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

भले ही कंपनी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है लेकिन एक कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते, कंपनी अन्य व्यक्तियों की सामाजिक जरूरतों को भी समझती है। इसलिए, कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति के तहत 2022–23 के दौरान 134.62 लाख रुपये के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों (31.12.2022 तक) पर 22.23 लाख रुपये खर्च किए।

6.2 नेशनल हैंडीकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

नेशनल हैंडीकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी, 1997 में की गई थी। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक नोट फोर प्रोफिट कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार स्वामित्व अधीन है तथा इसकी 499.50 (चार सौ निनयानवे और पचास लाख रू. केवल) करोड़ रूपए की अधिकृत शेयर पूंजी है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

6.2.1 उद्देश्य

(i) दिव्यांगजनों के लाभ /आर्थिक पुनर्वास के लिए स्व–रोजगार और अन्य उपक्रमों को बढ़ावा देना।

(ii) ऐसी आय और/या आर्थिक मानदंडों जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हो, के अध्यधीन सहायता करना। जो आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं माध्यम से दिव्यांगजनों या दिव्यांगजनों के समूहों को ऋण और अग्रिम राशि द्वारा की जा सकती है। स्नातक और उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए सामान्य / व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा को जारी रखने के लिए दिव्यांगजनों को ऋण देना।

(iii) उत्पादन इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजन के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन में सहायता करना।

(iv) दिव्यांगजनों के लिए समाज में समावेशन और आरामदायक जीवन जीने की सुविधा।

(v) उनकी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए दिव्यांगजनों के उचित पुनर्वास/उत्थान के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी, सामान्य सुविधा केंद्र और अन्य ढांचागत गतिविधियाँ स्थापित करना।

(vi) दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और पुनः वित्तपोषण करने के माध्यम से उन्हें वाणिज्यिक निधियन प्राप्त करने के माध्यम से उनके विकास के प्रबंधन करने के लिए राज्य स्तर के संगठनों की सहायता करना।

(vii) राज्य सरकारों द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों, साझेदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों, जिनके द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए निधियों के चेनेलाईजिंग हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

(viii) स्व–नियोजित व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह या पंजीकृत के कारखानों/कंपनियों/दिव्यांगजनों की सहकारी समितियों को उनके तैयार माल विपणन में सहायता करने और कच्चे माल की खरीद में सहायता करना।

6.2.2 गतिविधियां/कार्य

(i) **क्रेडिट आधारित गतिविधियां:**

एनएचएफडीसी 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण सहायता, ब्याज–दर और पुनर्भुगतान अवधि विस्तार का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	योजना	अधिकतम ऋण	लाभार्थी द्वारा देय ब्याज दर	ऋण चुकाने हेतु अधिकतम अवधि
1	दिव्यांगजन स्वाबलंबन योजना	50.00 लाख रू.	5–9% वार्षिक	10 वर्ष
2	विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना	प्रति पीडब्ल्यूडी 60000 रू.	12 प्रतिशत वार्षिक	3 वर्ष

दिव्यांगजन स्वाबलम्बन योजना के तहत दिव्यांग महिलाओं/ओएच के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगजनों को 50000/–रू. तक के स्वरोजगार ऋण में 1 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी गई है। एनएचएफडीसी द्वारा इस छूट को वहन किया जाता है।

(ii) गैर क्रेडिट आधारित गतिविधियाँ :

एनएचएफडीसी अपने जनादेश को प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों के हित में निधियां प्रदान करता है और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। ये हैं :

(क) कौशल प्रशिक्षण :

- **कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए सहायता :** एनएचएफडीसी भारत सरकार की सिपडा योजना के तहत 15–59 वर्ष की आयु के बीच के पीडब्ल्यूडी (कम से कम 40% दिव्यांगता) को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि उन्हें पारंपरिक और तकनीकी व्यवसायों और उद्यमिता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारा/प्रतिष्ठित संस्थानों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएफडीसी निर्धारित सरकारी मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान स्टाइपेंड भी प्रदान करता है।

(ख) जागरूकता सृजन और विपणन सहायता

- **जागरूकता सृजन :** एनएचएफडीसी, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनी योजनाओं के संबंध में प्रचार/जागरूकता सृजन के लिए पिछले वित्त वर्ष रू. 50,000/– (केवल रूपये पचास हजार) तक की राशि या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पिछले वित्त वर्ष से बिल्कुल पहले संवितरित राशि के 0.10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, पर विचार किया जाता है, के व्यय प्रतिपूर्ति करता है।
- **विपणन सहायता :** एनएचएडीसी दिव्यांगजनों को उनके उत्पादों के विपणन कि लिए सहायता प्रदान करता है। विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए दिव्यांगजनों को नियमित रूप से प्रायोजित किया जाता है। एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों की व्यवसाय पहुँच को बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों के ऑनलाइन और ऑफलाइन विपणन में भी सहायता करता है।

6.2.3 प्रदर्शन और उपलब्धि :

2020–21 से 2022–23 तक (31.12.2022 तक) ऋण योजनाओं के तहत एनएचएफडीसी की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र. संख्या	वित्त वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	
1	2020–21		133.62	18,326
2	2021–22		112.75	16,713
3	2022–23 (12.12.2022 की स्थिति के अनुसार)		69.09	10,223

निगम ने आउटरीच बढ़ाने के लिए कुछ पहल की है। ये इस प्रकार हैं:

(i) एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र

(क) एनएचएफडीसी ने पायलट पैमाने पर ऋण आवश्यकताओं, कौशल संबंधों, सुनिश्चित व्यावसायिक संपर्क आवश्यकताओं आदि को अभिसरण करके एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र (एनएसके) की अवधारणा को शुरू किया है और

6.2.4 एनएचएफडीसी की पहल:

शुरू में देश के प्रत्येक जिले को एक एनएसके की दर से कवर करते हुए एक भव्य योजना में बदलने की आकांक्षा रखता है। प्रत्येक एनएसके की स्थापना एनएचएफडीसी से 100 प्रतिशत वित्त पोषण की मदद से दिव्यांग उद्यमियों द्वारा लगभग 12 लाख रूपये की पूंजीगत लागत से की जाती है।

(ख) हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने के साथ–साथ सुनिश्चित व्यावसायिक संपर्क/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए, एनएचएफडीसी इन एनएसए के माध्यम से कौशल कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक स्थल के लिए स्कोपिंग एक्सरसाइज के आधार पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) गतिविधियाँ शुरू करने, बैग, फेस मॉस्क, अगरबत्ती जैसी मदों हेतु रिटेल फॉर्मेट/कैप्टिव उत्पादन केंद्रों का आयोजन शुरू करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) इन एनएसके का विस्तार स्थानीय रूप से प्रासंगिक और व्यवहार्य व्यवसायों पर व्यावहारिक कौशल सहित मिनी इनक्यूबेशन केंद्रों के रूप में किया जाएगा ताकि ग्रामीण दिव्यांगजनों को उनके इलाकों में और उसके आसपास स्वरोजगार के अवसरों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके ।

(घ) निगम ने पहले ही बागपत (2), नोएडा, कन्नौज (उत्तर प्रदेश), यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र (हरियाणा), छिंदवाड़ा, इंदौर, नागदा, टीकमगढ़, निवाड़ी (मध्य प्रदेश), भीलवाड़ा, दौसा (राजस्थान), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), नयागढ़ (ओडिशा), दंतेवाड़ा और बालोद (छत्तीसगढ़) में 18 एनएसके स्थापित किए हैं। एनएचएफडीसी ने डीईपीडब्ल्यूडी की सिपडा योजना के तहत 7810 दिव्यांगजनों का कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। उपरोक्त सभी एनएसके में दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। इन एनएसके में प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए सीसीटीवी, बायोमेट्रिक मशीन, लैपटॉप/अन्य उपकरण लगाए गए हैं और ये शौचालयों सहित दिव्यांगजनों के लिए आसानी से सुगम्य हैं।

(ii) पीडब्ल्यूडी उद्यमियों के उत्पादों का ऑनलाइन विपणनः रियायती ऋण के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास की प्रक्रिया में दिव्यांग उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन में हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि दिव्यांग उद्यमी को अपनी गतिशीलता/संप्रेषण सीमाओं के साथ अपने उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने में कुछ मुश्किल हो सकती हैं । एनएचएफडीसी ने दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और सेवाओं का एकत्रीकरण करने के माध्यम से उनके वस्तुओं और सेवाओं के विपणन में उनकी सीधे सहायता करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। मौजूदा ई–मार्केटिंग मंच के साथ इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद अब अग्रणी ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म (अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, जैम आदि) पर उपलब्ध हैं।

(iii) **निगम की पहुंच को बढ़ानाः** अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, निगम ने नई राज्य नामित एजेंसियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। निगम ने 27.04.2022 को यूनियन बैंक की शाखाओं के माध्यम से एनएचएफडीसी योजना के तहत स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी को रियायती ऋण के प्रवाह के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है।

(iv) **राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में एनएचएफडीसी की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग प्रणालीः** एनएचएफडीसी अपनी योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित आंतरिक तंत्र का पालन कर रहा हैः

क. **ऋण का उपयोगः** कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग इसके जारी होने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशि के संबंध में उपयोग विवरण प्रस्तुत करना होता है।

ख. **राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएंः** एनएचएफडीसी नियमित रूप से अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ऐसे सम्मेलनों/कार्यशालाओं में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्यों में एनएचएफडीसी की योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों पर भी चर्चा और मूल्यांकन किया जाता है। चर्चाओं के आधार पर नीतियों को एनएचएफडीसी के उद्देश्यों के दायरे में उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है।

ग. **आंतरिक समीक्षा बैठकः** विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा/मॉनीटरिंग की जाती है और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(v) **कौशल प्रशिक्षण केंद्र** : एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण पर जोर दे रहा है और बागपत, नोएडा, कन्नौज (उत्तर प्रदेश), यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र (हरियाणा), छिंदवाड़ा, इंदौर, नागदा, टीकमगढ, निवाड़ी (एमपी), भीलवाड़ा, दौसा (राजस्थान), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), नयागढ़ (ओडिशा), दंतेवाड़ा और बालोद (छत्तीसगढ़) में एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्रों के नाम पर स्मार्ट सेंटर/एनसीएससीडीए और अपने माइक्रो स्किलिंग केंद्रों के माध्यम से उनके ईडीपी/कौशल प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। एनएचएफडीसी ने मुख्य रूप से उपर्युक्त केंद्रों के माध्यम से डीईपीडब्ल्यूडी की सिपडा योजना के तहत 7810 दिव्यांगों का कौशल प्रशिक्षण शुरू किया।

6.2.5 प्रदर्शनी/जागरूकता शिविर/रोजगार मेले/सम्मेलन/कार्यशालाएं विवरण:

वित्त वर्ष 2022–23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान, निगम ने अपनी योजनाओं के बारे में दिव्यांगजनों/जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों/अभियानों में भाग लिया,

प्रदर्शनियां और मेलें वर्ष 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान, एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लाभ के लिए अपनी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यशालाआ/ शिविरों /मेलों में भाग लिया। ये निम्नानुसार हैं:

क) निगम ने 19 मार्च, 2022 से 4 अप्रैल, 2022 तक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लिया।

ख) निगम के कर्मचारियों के लिए डायटेटिक्स पर व्याख्यान और योग व्यायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों के लाभ के लिए सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। देशभर में मौजूद एनएसके में प्रशिक्षण लेने वाले दिव्यांगजनों को भी इस प्रसारण से जुड़ने से लाभ हुआ।

ग) एनआईडीएआर द्वारा ऑनलाइन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के 24वें बैच के प्रशिक्षुओं को एनएचएफडीसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

घ) दिनांक 06.05.2022 को एटीडीसी दिलशाद गार्डन में आयोजित ऋण मेलें और जागरूकता शिविर में एनएचएफडीसी ने स्टाल लगाकर अपनी योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया। इस अवसर पर एनएचएफडीसी के माध्यम से रिटेल एसोसिएट प्रशिक्षण लेने वाले दिव्यांग प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

ड़) दिनांक 24 मई, 2022 को योगी महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लाभ के लिए बनाई गई अपनी योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया।

च) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के स्वावलंबन केंद्र अमरवाड़ा में निगम द्वारा 30 मई, 2022 को ऋण मेला और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

छ) दिनांक 31 मई, 2022 को एनएचएफडीसी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में दिव्यांगजनों के स्वरोजगार के लिए ऋण मेले का आयोजन किया और दिव्यांगजनों को स्व–सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेले में आए सभी लोगों के बीच एनएचएफडीसी की विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया।

ज) दिनांक 31 मई 2022 को नागदा, उज्जैन, मध्य प्रदेश में ऋण मेले का आयोजन किया गया था जिसमें दिव्यांगों को एनएचएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी।

झ) एनएचएफडीसी ने दिनांक 7–13 जुलाई, 2022 तक खारची पूजा मेला, त्रिपुरा, 2022 में एक स्टाल लगाकर निगम की योजनाओं का प्रचार किया।

ञ) मेहसाणा में दिनांक 8–10 जुलाई, 2022 को आयोजित "गर्वी गुजरात 2022" कार्यक्रम में एनएचएफडीसी की योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया।

ट) एनएचएफडीसी द्वारा सहायता–प्राप्त दिव्यांग कलाकारों के चित्रों को डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में दिनांक 12–14 अगस्त 2022 को आयोजित 'एशियाई कला प्रदर्शनी' में प्रदर्शित किया गया।

ठ) राष्ट्रऋर्षि नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में आयोजित तीसरे ग्रामोदय मेले में एनएचएफडीसी ने योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए स्टाल लगाया।

ड) दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 को निगम द्वारा मुंबई (महाराष्ट्र) में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान स्टॉल लगाकर अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया।

ढ) एनएचएफडीसी द्वारा सिरोही, जालोर, राजस्थान में 01 से 03–11–2022 तक आयोजित 'विजन राजस्थान–2022' में निगम की योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया और दिव्यांगजनों के उत्पादों को भी बढ़ावा दिया गया।

ण) दिनांक 6–7 नवंबर 2022 को देहरादून के गांधी रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित मेले में निगम की योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया।

त) एनएचएफडीसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 24/05/2022 को समर्थनम ट्रस्ट द्वारा और 10–11 नवंबर 2022 और 24–25 नवंबर 2022 को एनसीएससीडीए–दिल्ली द्वारा आयोजित रोजगार मेले में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

थ) एनएचएफडीसी द्वारा 5–6 दिसंबर 2022 को दिल्ली में रोजगार मेले का आयोजन किया गया।

6.2.6 स्वच्छता अभियानः एनएचएफडीसी द्वारा भारत सरकार के विशेष मिशन 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में 2 अक्टूबर 2022 को ओखला फेज –1, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान आरम्भ किया गया था। इस अवसर पर ओखला फेज 1, नई दिल्ली में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा जांच के साथ–साथ दवाइयां वितरित की गईं, और दिव्यांगजनों के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया गया।

6.2.7 एमएसएमई पुरस्कार

21 नवंबर, 2022 को, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एनएचएफडीसी को भारत सरकार के अधिदेश की दिशा में अपने प्रयासों के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था।

6.2.8 हर घर तिरंगा

आजादी का अमृत महोत्सव 2022 के एक भाग के रूप में, एनएचएफडीसी द्वारा 15 अगस्त 2022 को डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज –1, नई दिल्ली के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए और कर्मचारियों को उनके घरों पर फहराने के लिए प्रदान किए गए।

6.2.9 दिव्य कला मेला 2022

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग कला मेले के ब्रांड नाम से दिव्यांग कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों और कलाकृतियों की राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए एनएचएफडीसी को नोडल संगठन बनाया। मेला 2–7 दिसंबर 2022 तक इंडिया गेट, कर्तव्य पथ के समीप आयोजित किया गया था। यह बड़ी संख्या में उपस्थिति और बिक्री के मामले में एक शानदार सफलता थी। पीडब्ल्यूडी के लिए काम करने वाले लगभग 200 पीडब्ल्यूडी उद्यमियों और संगठनों ने भाग लिया और बहुत अच्छी बिक्री की। यह दिव्यांग कारीगरों की कला, प्रतिभा, कौशल और उद्यमिता का प्रदर्शन करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक पहल थी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजना देश के अन्य हिस्सों में और अधिक दिव्य कला मेलों का आयोजन करने की है। ये विशेष प्रदर्शनियां सह मेले दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होंगे।

दिनांक 19 मार्च, 2022 से 4 अप्रैल, 2022 तक आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में लगाए गए स्टाल का निरीक्षण करते हुए माननीय मंत्री (एसजे एंड ई) डॉ. वीरेंद्र कुमार

एएनएचएफडीसी की समीक्षा बैठक

सुश्री प्रतिमा भौमिक जी ने खारची पूजा मेला, 2022 का दौरा किया। उन्होंने मंत्रालय और एनएचएफडीसी के स्टॉल का भी निरीक्षण किया।

01–03 नवंबर 2022 के दौरान सिरोही, जालौर, राजस्थान में एनएचएफडीसी द्वारा आयोजित विजन राजस्थान–2022 में एनएचएफडीसी स्टॉल।

डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल में 12–14 अगस्त 2022 के दौरान एशियाई कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राष्ट्रीय संस्थान

7.1 परिचय

दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल नौ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ये नौ राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित हैं:–

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली
(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा
(iii) राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता, पष्चिम बंगाल
(iv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, उत्तराखंड
(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई, महाराष्ट्र
(vi) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना
(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई।
(viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रषिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
(ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सिहोर, मध्य प्रदेष

राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे दीर्घावधि पाठ्यक्रम (एक या एक वर्ष से अधिक की अवधि) का ब्यौरा (अनुबंध–5)

7.2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), वर्ष 1975 में स्थापित हुआ था जो गतिविषयक दिव्यांगजनों जैसे पोलियोमाइलिटिस, सेरेब्रल पाल्सी, अभिघातजन्य विकृति, ब्रेन स्ट्रोक के मामले आदि के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।

7.2.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

(i) फिजियोथैरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट, प्रोस्थैटिक्स और आर्थोटिक्स तथा अन्य ऐसे व्यावसायिकों, जो दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है, को प्रषिक्षण देना।
(ii) मानसिक मंदता वाले अथवा बिना मानसिक मंदता वाले अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए षिक्षा, प्रषिक्षण, कार्य–समायोजन और इसी तरह की अन्य पुनर्वास सेवाएं, जिन्हे सोसाइटी उपयुक्त समझती है, प्रदान करना।
(iii) ऐसे सहायक यंत्रों और उपकरणों, जिनकी दिव्यांगजनों की षिक्षा, प्रषिक्षण और पुनर्वास के लिए जरूरत पड़ती है, का निर्माण और वितरण करना।
(iv) दिव्यांगजनों की षिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना। इसमें बैठकों, सेमिनारों तथा संगोष्ठियों का आयोजन करना भी शामिल है।
(v) दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए अधिकाधिक प्रभावी तकनीकों के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान करना, प्रायोजित करना और उन्हें बढ़ाना।

7.2.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) चिकित्सा उपचार और रेफरल
(ii) विशिष्ट क्लीनिकल सेवाएं
(iii) बाह्य रोगी आयुर्वेदिक क्लीनिक
(iv) अत्याधुनिक उपकरण और जिम सहित फिजियोथैरेपी
(v) व्यावसायिक थैरेपी
(vi) संवेदी अनुकूलन थैरेपी
(vii) मॉडल समेकित स्कूल
(viii) प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स
(ix) वाक् एवं भाषा तैयारी
(x) मनोवैज्ञानिक उपचार
(xi) मार्गदर्शन और परामर्श
(xii) स्वतंत्र जीवन यापन प्रशिक्षण (एडीएल) इकाई
(xiii) एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण
(xiv) क्रॉस दिव्यांगता प्रारंभिक इंटरवेंशन केंद्र
(xv) किरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन (24×7)

7.2.3 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्रः संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के परिसर में अपना दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र (एसआरसी), और सीमापुरी और नरेला, नई दिल्ली में सैटेलाइट केंद्र, करनाल, हरियाणा में नीलोखेड़ी और टोंक, राजस्थान में विस्तार केंद्र स्थापित किए हैं। संस्थान कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) लखनऊ और श्रीनगर इस संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विस्तारित शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

7.2.4 नई पहल और कार्यक्रमः

i. अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पीएंडओ, स्पीच थेरेपी, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संस्थान द्वारा आयोजित वेबिनार।

ii. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडिप योजना के अंतर्गत अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक भाजपा मुख्यालय, दिल्ली, भरतपुर (राजस्थान), बैंक कॉलोनी, नंद नगरी, सुल्तानपुरी, नरेला, मौजपुर, रोहिणी, दिल्ली, नीलोखेड़ी (हरियाणा), उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इस संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संस्थान, सैटेलाइट केंद्रों, विस्तार सेवा केंद्र और सीआरसी द्वारा विभिन्न मूल्यांकन/वितरण शिविर आयोजित किए गए।

iii. दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी स्तर/आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुल 8 संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक लगभग 800 आशा कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में जागरूक किया।

iv. संस्थान द्वारा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में 12 से 13 अप्रैल 2022 तक आयोजित एक व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट 'स्वावलंबन मास्टर ब्लास्टर'।

v. पीडीयूएनआईपीपीडी, एसआरसी, सिकंदराबाद के क्षेत्रीय केंद्र ने 17 अप्रैल 2022 को भारत के माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू की उपस्थिति में एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में पीडब्ल्यूडी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रदर्शित किया।

vi. संस्थान ने आयुष मंत्रालय और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 19 अप्रैल 2022 को 'कॉमन योग प्रोटोकाल' कार्यक्रम का आयोजन किया।

vii. 11 जून, 2022 को एसी–39 राजेंद्र नगर, दिल्ली के उप–चुनाव में प्रतिनियुक्त अधिकारियों के लिए दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए पुलिस और अन्य अधिकारियों और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण में समन्वय और भाग लिया।

viii. 12 जून, 2022 को दिल्ली पुलिस अकादमी, झड़ौदा कलां, दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 325 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ix. पीडीयूएनआईपीपीडी ने सीडीईआईसी की अवधारणा और आवश्यकता और सीडीईआईसी में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में एमसीडी डिस्पेंसरी, सुल्तानपुरी, एफ–ब्लॉक, दिल्ली में 5 अगस्त, 2022 (शुक्रवार) को आशा कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। सीडीईआईसी की आवश्यकता और महत्व को प्रदर्शित करने के लिए नुक्कड़ नाटक बजाया गया था। (प्रतिभागीः 49)

x. संस्थान द्वारा पीडीयूएनआईपीपीडी के वर्कशॉप डिवीजन में बने पहली बार 3डी प्रिंटिंग स्पाइनल ब्रेस का उपयोग करके सुश्री पायल सोलंकी को अल्ट्रालाइट वेट स्पाइनल ब्रेस लगाए गए हैं। माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने रक्षा बंधन, दिनांक 11 अगस्त 2022 के अवसर पर संस्थान की टीम (श्री ललित नारायण, उप निदेशक (प्रशासन), श्री महेश शर्मा, प्लेसमेंट ऑफिसर/वोकेशनल काउंसलर और श्री जी पांडियन, सहायक प्रोफेसर (पी एंड ओ) के साथ सुश्री पायल सोलंकी निवास, पूंठकलां गांव, उत्तर पश्चिम दिल्ली का दौरा किया।

xi. माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस संस्थान के कर्मचारियों को संबोधित करने और संस्थान द्वारा पहचाने गए जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित करने के लिए 12 अगस्त, 2022 को संस्थान का दौरा किया।

xii. माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री डॉ. मीनाक्षी लेखी की उपस्थिति में 17 सितंबर, 2022 को संस्थान परिसर में एक मेगा एडिप शिविर 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों को 200 सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए।

xiii. आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर पीडीयूएनआईपीपीडी द्वारा 17 सितंबर, 2022 को खलीहरियात (मेघालय), इंफाल (मणिपुर), बोकारो (झारखंड), औरंगाबाद (बिहार), श्री गंगानगर (राजस्थान) और बीदर (कर्नाटक) में वितरण शिविर (सामाजिक अधिकारिता शिविर) का आयोजन किया गया।

क) माननीय सांसद श्री निहाल चंद की उपस्थिति में श्री गंगानगर, राजस्थान में लाभार्थियों को 143 सहायक उपकरण प्रदान किए गए।

ख) बोकारो, झारखंड में लाभार्थियों को 270 सहायक उपकरण और उपकरण प्रदान किए गए।

ग) मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स, जिला खलीहरियात में उपायुक्त के निल्डकोल कार्यालय में दिव्यांगजनों को 200 सहायक उपकरण और उपकरण वितरित किए गए।

घ) मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह की उपस्थिति में संस्थान द्वारा इंफाल, मणिपुर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए।

ड़) आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, एसआरसी सिकंदराबाद ने 17 सितंबर, 2022 को माननीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा जी की शुभ उपस्थिति में सामाजिक अधिकारिता शिविर बीदर, कर्नाटक का आयोजन किया। इस शिविर से 492 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

xiv. अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस दिनांक 23 सितंबर, 2022 को संस्थान परिसर में मनाया गया। संस्थान द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है।

xv. पीडीयूएनआईपीपीडी ने दिनांक 26 से 30 सितंबर, 2022 तक 'सेरेब्रल पाल्सी पर क्लिनिकल प्रशिक्षणः वर्तमान उपचार विधियां' पर 05 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

xvi. श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्यूडी, एमओएसजे एंड ई, ने 10 अक्टूबर, 2022 को संस्थान का दौरा किया।

xvii. संस्थान द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

xviii. विज्ञान भवन में दिनांक 03 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 और 2022 आयोजित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सहायता की गई है।

xix. दिव्यांगजनों के संस्थान में प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता के लिए 2 दिसंबर से 7 दिसंबर, 2022 तक दिव्य कला मेले में पीडीयूएनआईपीपीडी द्वारा एक स्टाल का आयोजन किया गया है।

xx. डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय स्तर की दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया। संस्थान दिनांक 10 दिसंबर 2022 को रंगभवन ऑडिटोरियम आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सहायता की है।

xxi. सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) और संयुक्त सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) ने 23 दिसंबर, 2022 को पीडीयूएनआईपीपीडी के ओक्यूपेशनल थेरेपी/फिजियोथेरेपी (28वें बैच) और पीओ (13वें बैच) छात्रों की विदाई के अवसर पर हिंदी भवन का दौरा किया।

xxii. जून, सितंबर और दिसंबर 2022 में हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया।

12 से 13 अप्रैल 2022 तक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में संस्थान द्वारा आयोजित एक व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट **"स्वावलंबन मास्टर ब्लास्टर"**

12 जून, 2022 को दिल्ली पुलिस अकादमी, झड़ौदा कलां, दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 325 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने रक्षा बंधन के अवसर पर संस्थान की टीम (श्री ललित नारायण, उप निदेशक (प्रशासन), श्री महेश शर्मा, प्लेसमेंट ऑफिसर/वोकेशनल काउंसलर और श्री जी पांडियन, सहायक प्रोफेसर (पी एंड ओ) के साथ सुश्री पायल सोलंकी निवास, पूंठकलां गांव, उत्तर पश्चिम दिल्ली का दौरा किया।

माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस संस्थान के कर्मचारियों को संबोधित करने और संस्थान द्वारा पहचाने गए जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित करने के लिए 12 अगस्त, 2022 को संस्थान का दौरा किया।

माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री डॉ. मीनाक्षी लेखी की उपस्थिति में 17 सितंबर, 2022 को संस्थान परिसर में एक मेगा एडिप शिविर **"सामाजिक अधिकारिता शिविर"** का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों को 200 सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए।

डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय स्तर की दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया। संस्थान ने 10 दिसंबर 2022 को रंगभवन ऑडिटोरियम आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सहायता की है।

श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, राज्य मंत्री, ने 10 अक्टूबर, 2022 को संस्थान का दौरा किया।

7.3 स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) पिछले 47 वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा करता आ रहा है। यह ओडिशा के कटक जिले (भुवनेश्वर और कटक से 29 किमी दूर) के ओलातपुर में स्थित है। इसे वर्ष 1975 में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर की एक सहायक इकाई के रूप में राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक संस्थान (एनआईपीओटी) के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईपीओटी को 22 फरवरी, 1984 को समुदाय आधारित पुनर्वास और मानव संसाधन विकास पर जोर देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पहले कल्याण मंत्रालय), भारत सरकार के अन्तर्गत लाया गया था। तब से ही यह इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। इसका नाम 1984 में एनआईपीओटी से बदलकर एनआईआरटीएआर कर दिया गया और बाद में वर्ष 2004 में इसका नाम (एसवीएनआईआरटीएआर) कर दिया गया। यह लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले देश के शीर्ष संस्थानों में से एक है।

7.3.1 लक्ष्य और उद्देश्य :

(i) जनशक्ति विकास–दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रास्थेटिस्टों, आर्थोटिस्टों, फीजियो थैरोपिस्टों, ओक्यूपेशनल थैरेपिस्टों, बहुउद्देशीय पुनर्वास थैरोपिस्टों और अन्य पुनर्वास कार्मिकों हेतु दीर्घकालीन, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण।

(ii) सहायक यंत्रों और उपकरणों के प्रोटोटाइप डिजायन किए गए नमूनों का प्रचार करना, वितरण करना और निर्माण के लिए सब्सिडी देना।

(iii) गतिशील दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवा वितरण कार्यक्रमों के मॉडलों का विकास।

(iv) शारीरिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट (नियोजन) और पुनर्वास।

(v) भारत और विदेश में दिव्यांगता और पुनर्वास पर प्रलेख और प्रचार–प्रसार सेवा।

(vi) शोध– अस्थि रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए गतिशील सहायक उपकरणों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए बॉयो मेडिकल इंजीनियरिंग पर शोध गतिविधियों को संचालित करना और उनका समन्वयन करना अथवा उपयुक्त सर्जिकल अथवा चिकित्सा प्रक्रियाओं संबंधी शोध करना तथा नए सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए शोध एवं समन्वयन करना।

(vii) विस्तार और आउटरीच सेवाएं।

(viii) भारत और विदेश में पुनर्वास के क्षेत्र में कोई अन्य कार्रवाई करना।

7.3.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) सुधारात्मक सर्जरियां

(ii) डिजिटल एक्स–रे

(iii) अल्ट्रासाउंड

(iv) 100 बिस्तरों वाला अस्पताल

(v) विभिन्न प्रकार की लोकोमोटर दिव्यांगताओं वाले रोगियों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करना

(vi) सामाजिक कार्य

(vii) वाक् एवं श्रवण

(viii) स्थानीय प्रशासन/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर अनेक मूल्यांकन शिविरों और सर्जिकल शिविरों को आयोजित करना

(ix) थैरेप्यूटिक पुनर्वास सेवाएं (फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थैरेपी)

(x) प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक उपकरणों का निर्माण और फिटमेंट

(xi) कैड–कैम लैबोरेटरी

(xii) प्रारंभिक उपचार क्लीनिक

7.3.3 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्रः

दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए चार समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), गुवाहाटी, रांची बलांगीर और सीआरसी इम्फाल में एसवीएनआईआरटीएआर, कटक के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किए गए है। एसवीएनआईआरटीएआर ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कटक, भुवनेश्वर, ढेंकानाल और नुआपाड़ा में 04 उप केंद्र स्थापित किए हैं।

7.3.4 नई पहल, उपलब्धियां और घटनाएं

(i) इस संस्थान के 100 बिस्तरों वाले पुनर्वास एनेक्सी भवन (सीएसआर सहायता आरईसी लिमिटेड के तहत 15.89 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित), स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा और चिकित्सीय पार्क (फाल्कन मरीन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से सीएसआर सहायता के तहत 20.00 लाख रुपये की लागत से निर्मित) का उद्घाटन 30 सितंबर 2022 को किया गया था।

(ii) विभिन्न विभागों की 40 अनुसंधान परियोजनाएं अगस्त 2022 में पूरी की गईं और 45 परियोजनाएं अगस्त–सितंबर 2023 में पूरी हो जाएंगी।

(iii) एसवीएनआईआरटीएआर के "जर्नल ऑफ रिहैबिलिटेशन" ने फरवरी और सितंबर 2022 के महीने में दो अंक यानी 4 और 5 वें को प्रकाशित किया और अगला फरवरी 2023 में प्रकाशित किया जाएगा।

(iv) एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक और आईसीएमआर–आरएमआरसी के साथ एसवीएनआईआरटीएआर के बीच 28.04.2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(v) विभाग के लिए एक स्मार्ट क्लास रूम का विकास किया गया है और 18.00 लाख रुपये की लागत से प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (डीपीओ), विभाग के लिए एक स्मार्ट क्लास रूम और 24.00 लाख रुपये की लागत से फिजियोथेरेपी (डीपीटी) का विकास किया गया है।

(vi) सीआरसी–इम्फाल में सुगम्य सुविधाओं का निर्माण सिपडा शीर्ष के तहत 69,94,800/– रुपये की राशि से किया गया था।

(vii) लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के लिए सुविधाओं में वाशिंग मशीन, रसोई का आधुनिकीकरण, मल्टी–जिम, इन–डोर और आउट–डोर स्पोर्ट्स आदि शामिल हैं।

(viii) प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 1 जनवरी 2023 से काम करेगा।

(ix) स्किल ट्रेनिंग का निर्माण प्रगति पर है, मई 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। दिव्यांगजनों को आठ ट्रेडों पर कौशल प्रदान करने की योजना है।

(x) एलिम्को सेल सेंटर जल्द शुरू होगा

(xi) यूडीआईडी काउंटर 01.01.2023 से खोला जाएगा

(xii) पीडब्ल्यूडी के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र के उत्पादों के लिए उत्पादन केंद्र और बिक्री केंद्र 01.01.2023 से संचालित होंगे

7.3.5 भविष्य की योजना

(i) फिजियोथेरेपी/ओक्यूपेशनल थेरेपी और प्रोस्थेटिक्स तथा आर्थोटिक में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में नई विशिष्टता की वृद्धि करना।

(ii) फिजियोथेरेपी/ओक्यूपेशनल थेरेपी और प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने के लिए।

(iii) दिव्यांगजनों में दिव्यांगता के साथ प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट प्रदान करना।

(iv) इनक्यूबेशन और नवाचार केंद्र की स्थापना।

(v) दिव्यांगता के साथ प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न खेल और मनोरंजक गतिविधियों में सुविधा प्रदान करना।

(vi) फिजियोथेरेपी/ऑक्यूपेशनल थेरेपी और प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक पाठ्यक्रम प्रयोगशाला को विश्व स्तर पर अपग्रेड करना।

(vii) भारत @75–अखिल भारतीय व्हीलचेयर बास्केट बॉल राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट (महिला)

(viii) सीआरसी में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना।

(ix) बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए डे केयर जेरियाट्रिक पुनर्वास शुरू करना।

(x) एनएएसी मान्यता।

(xi) छात्रों के लिए एनसीसी इकाई, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड शुरू करना।

(xii) 1000 क्षमता वाले सभागार और प्रशासनिक भवन का निर्माण।

(xiii) शेष इमारतों की छत पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।

(xiv) वर्षा जल संचयन।

7.4 राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी)

तत्कालीन सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1978 में राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), पहले का राष्ट्रीय अस्थिरोग ग्रस्त संस्थान (एनआईओएच), की कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई थी। एनआईएलडी दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने गैर–दिव्यांग मित्र समूह के साथ एक समान आधार पर पुनर्वास, प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के माध्यम से जीवन जीने के लिए अपने अधिकारों को अनुभव करने में सक्षम बनाता है।

7.4.1 लक्ष्य और उद्देश्य :

(i) समन्वय अथवा समस्या ग्रस्त गतिशील दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान को संचालित/प्रायोजित समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना ।

(ii) बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में सहायक यन्त्रों के प्रभावी मूल्यांकन और मानकीकरण अथवा उपयुक्त सर्जिकल अथवा चिकित्सा प्रक्रिया अथवा नए सहायक उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान शुरू करना, प्रायोजित करना, समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं अथवा ऐसे अन्य कार्मिकों, जिन्हें संस्थान द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने अथवा गतिशील दिव्यांगजनों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझा जाता है, के प्रशिक्षण को शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

(iv) लोकोमोटर दिव्यांगजनों की शिक्षा, पुनर्वास या चिकित्सा के किसी भी पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी या सभी सहायक यंत्रों के विनिर्माण और वितरण को वितरित करने, बढ़ावा देने या सब्सिडी देने के लिए।

7.4.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) मानव संसाधन विकास (संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही डिग्री, पीजी डिप्लोमा और मास्टर स्तरीय डिप्लोमा 11 विभिन्न पाठ्यक्रम)
(ii) अनुसंधान और विकास
(iii) शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास
(iv) 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में ओपीडी सेवाएं और सुधारात्मक सर्जरी
(v) डायग्नोस्टिक सेवाएं –पैथालाजी, रेडियोलाजी –एक्स–रे, ईएमजी व एनसीवी
(vi) उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराना
(vii) फिजियोथैरेपी
(viii) ऑक्यूपेशनल थैरेपी
(ix) प्रोस्थेसिस और आर्थोसिस फैब्रिकेशन व फिटमेंट
(x) संस्थान और शिविरों के माध्यम से एडिप योजना का कार्यान्वयन करना
(xi) सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास
(xii) वोकेशनल काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन

(xiii) विशेष शिक्षा काउंसलिंग
(xiv) दिव्यांगजनों को रेल रियायत प्रमाणपत्र
(xv) पुस्तकालय, प्रलेखीकरण और सूचना का प्रसार
(xvi) छात्रों का प्लेसमेंट (नियोजन)
(xvii) प्रशिक्षण भागीदारों के सहयोग से कौशल विकास
(xviii) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मानीटरिंग
(xix) जागरूकता सृजन एवं प्रदर्शनी

वर्ष के दौरान नवंबर 2022 तक, एनआईएलडी, कोलकाता की ओपीडी/आईपीडी में 17216 नए मामले, 14228 अनुवर्ती मामले और 17089 सहायक सेवाएं प्रदान की गई हैं।

7.4.3 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्रः

यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तराखंड राज्य में पटना, त्रिपुरा और नाहरलागुन में अपने समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से तथा क्षेत्रीय केंद्र आइजोल और क्षेत्रीय चैप्टर देहरादून के माध्यम से दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण से संबंधित गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है।

7.4.4 नई पहल और घटनाक्रम/कार्यक्रम :–

(i) **दिव्यांगजनों को नौकरी:** एनआईएलडी परिसर में आयोजित रोजगार मेले के माध्यम से 297 दिव्यांगजनों को नौकरी के लिए चुना गया।

(ii) **दीमापुर में सीआरसी की स्थापनाः** नागालैंड सरकार ने सीआरसी की स्थापना के लिए दीमापुर में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सह ब्लाइंड स्कूल में भूमि आवंटित की है।

(iii) 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष (@ 75वां वर्ष) सतर्कता जागरूकता सप्ताह संविधान दिवस पोषण माह, यौन उत्पीड़न अधिनियम, और दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(iv) दिव्यांगजनों, माता–पिता, छात्रों, पेशेवरों और संकायों के लिए एनआईएलडी, सीआरसी, आरसी और सीडीएस द्वारा 47 वेबिनार / सेमिनार / अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(v) लंबित संदर्भ के निपटान और भौतिक फाइलों/दस्तावेजों की समीक्षा के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान चलाया गया। स्वच्छता के लिए चलाए गए अभियान की संख्या 10 और कुल 12418 भौतिक फाइलों/दस्तावेजों की समीक्षा की गई और 16 फाइलें वीड की गई।

25.12.2022 को सीआरसी त्रिपुरा और सीआरसी पटना में माननीय केंद्रीय एमएसजे एंड ई मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार जी का दौरा और एडिप योजना के तहत सहायक उपकरणों का वितरण।

04.11.22 को एनआईएलडी और सीआरसी त्रिपुरा में माननीय राज्य मंत्री, एमएसजे एंड ई, सुश्री प्रतिमा भौमिक का दौरा

17 सितंबर 2022 को एनआईएलडी, कोलकाता में एडिप योजना के तहत सहायक यंत्र और उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर।

7.5 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) 116, राजपुर रोड, देहरादून में 1943 से डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई और भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में दृष्टि दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है।

7.5.1 लक्ष्य और उद्देश्य

- मानव संसाधन विकास गतिविधियों को शुरू करना।
- दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन, संवर्धन और प्रायोजन करना।
- डिजाइन, विनिर्माण, वितरण, आपूर्ति और सभी आयु वर्ग के दृष्टिबाधित वाले व्यक्तियों के बीच इन सामग्रियों के उनके उपयोग को बढ़ावा देना।
- दिव्यांगता से संबंधित सेवाओं को विकसित करना और इन सेवाओं की वितरण प्रणाली शुरू करना।

7.5.2 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्रः

संस्थान का चेन्नई (तमिलनाडु) में एक क्षेत्रीय केंद्र, सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में दो क्षेत्रीय अध्याय हैं और यह सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) और सिक्किम में दिव्यांगजनों के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र का समन्वयन करता है।

7.5.3 प्रदान की जा रही सेवाएं

(i) दीर्घावधि के एचआरडी पाठ्यक्रम

(ii) लघु अवधि और क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास के लिए सीआरई कार्यक्रम

(iii) कौशल कार्यक्रम (एनसीवीटीई मान्यता प्राप्त, एनएसडीसी (एससीपीडब्ल्यूडी) मान्यता प्राप्त और अनुसंधान एवं विकास आधारित)

(iv) स्कूली शिक्षा (दृष्टिहीन और निम्न दृष्टि व्यक्तियों के लिए नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक)

(v) विभिन्न हितधारकों के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम

(vi) अनुसंधान और विकास

(vii) नौकरियों की पहचान और जॉब प्लेसमेंट।

(viii) ब्रेल सहायक यंत्र और उपकरणों का उत्पादन और आपूर्ति

(ix) 24X7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन– ''किरण''

(x) अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन (ईआईसी)

(xi) क्लिनिकल, रेफरल और मार्गदर्शन और काउंसलिंग

(xii) सामुदायिक / आउटरीच कार्यक्रम

(xiii) सुगम्य पठन सामग्री का उत्पादन, संवर्धन और वितरण ।

(xiv) ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियो रूप में सुगम्य साहित्य प्रदान करता है और

(xv) सामुदायिक एफएम रेडियो (हैलो दून) ने जागरूकता कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया

7.5.4 संस्थान की नई गतिविधियाँ

(i) माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डॉ वीरेंद्र कुमार ने 23.5.2022 को संस्थान का दौरा किया। इस अवसर पर कार्यकारी परिषद (एनआईईपीवीडी) के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार यादव और संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई भी उपस्थित थे। संस्थान के उप निदेशक आई/सी ने संस्थान की गतिविधियों के लिए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी और दृष्टि दिव्यांगजनों को प्रदान की जा रही सुविधाओं और योजनाओं को साझा किया। अपनी यात्रा के दौरान, माननीय केंद्रीय मंत्री ने मॉडल स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के छात्रों और प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की और दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस तरह की यात्रा हमेशा संस्थान के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए एक अमृत है और यह सरकारी योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद करती है। माननीय मंत्री ने एडिप योजना के तहत दिव्यांग छात्रों और प्रशिक्षुओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप भी वितरित किए।

(ii) 1 नवंबर 2022 को, भारत सरकार के एमएसजे एंड ई राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक ने अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ एनआईईपीवीडी, देहरादून का दौरा किया। डॉ. हिमांशु दास, निदेशक, एनआईईपीवीडी ने उनका स्वागत किया और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए संस्थान द्वारा की जा रही गतिविधियों और सेवाओं के बारे में बताया। माननीय मंत्री महोदय ने त्रिपुरा के आवासीय छात्रों के साथ बातचीत की, जो संस्थान के दृष्टिबाधित छात्रों और प्रशिक्षुओं के अलावा उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने संस्थान के विभिन्न विभागों का भी दौरा किया और संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

(iii) 16 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एनआईईपीवीडी, देहरादून का विशेष दौरा किया। यात्रा के दौरान, श्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस दिन को अद्वितीय बनाने के लिए, उनके जन्मदिन को "संकल्प दिवस" के रूप में मनाया गया। उन्होंने मॉडल स्कूल के दृष्टिबाधित छात्रों के साथ बातचीत की। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने दृष्टिबाधित छात्रों के कल्याण के लिए 25 लाख रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की।

(iv) स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 72वीं जयंती के अवसर पर एमएसजे एंड ई ने देश के विभिन्न हिस्से में 72 शिविरों का आयोजन किया, जिससे 20,000 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए। इन 72 शिविरों में से, एनआईईपीवीडी, देहरादून ने विभिन्न राज्यों में कुल 10 शिविरों का आयोजन किया। उत्तराखंड राज्य में लगभग 300 दिव्यांगजन भी लाभान्वित हुए। इस अवसर पर टिहरी गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखंड की सांसद माननीय माला राज्य लक्ष्मी शाह, निदेशक, एनआईईपीवीडी और उत्तराखंड राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

(v) माननीय राज्य मंत्री श्री ए. नारायण स्वामी ने 27 अक्टूबर, 2022 को अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ संस्थान का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और संस्थान के कर्मचारियों, छात्रों और प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की। उन्होंने संस्थान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

(vi) संस्थान द्वारा चलाए जा रहे मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रमों (स्नातकोत्तर स्तर, डिग्री स्तर, डिप्लोमा स्तर और सर्टिफिकेट) की श्रृंखला में, इस वर्ष एनआईईपीवीडी मुख्यालय में निम्नलिखित 04 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए:

क) क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम.फिल (2 वर्ष)

ख) एकीकृत एम.एससी. एप्लाइड साइकोलॉजी–बी.एससी., एम.एससी. कार्यक्रम (5 वर्ष)

ग) बी.एड स्पेशल एजुकेशन (एमडी) (2 वर्ष)

घ) बी.एड विशेष शिक्षा (डीबी) (2 वर्ष)

(vii) मॉडल स्कूल के 07 छात्रों ने 18 से 20 सितंबर, 2022 तक चेन्नई में आयोजित छठे पुरुष राष्ट्रीय नेत्रहीन फुटबॉल टूर्नामेंट, 2022 में भाग लिया। इस टूर्नामेंट में कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। मॉडल स्कूल के छात्र मास्टर साहिल ने टूर्नामेंट में 09 गोल किए और उन्हें "प्रॉमिसिंग यंगस्टर" से सम्मानित किया गया। 19 गोल के साथ उत्तराखंड की टीम एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली पहली और एकमात्र टीम बन गई।

(viii) "हुनर को मिली दिशा" और "मेरी बात" दो नई रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला, सामुदायिक रेडियो स्टेशन (91.2 एनआईवीएच हैलो दून) द्वारा जिंगल्स और वीडियो के साथ विकसित और प्रसारित की गई थी।

क) **मेरी बातः** यह ऑडियो/वीडियो कार्यक्रम, जो 19 जुलाई, 2022 को शुरू हुआ और इसमें साक्षात्कार आधारित रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगों की सफलता की कहानियों को कवर किया गया।

ख) **हुनर को मिली दिशाः** देश भर में कलाकारों और कलाकारों के रूप में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को विकसित करने के लिए, यह पहल 18 जुलाई, 2022 को शुरू हुई। इसके अतिरिक्त, इन कार्यक्रमों को संस्थान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। इस श्रृंखला में, संस्थान ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की क्षमताओं और प्रतिभाओं को उजागर करने और उन्हें कलाकारों और कलाकारों के रूप में करियर के लिए तैयार करने के लिए "हुनर को मिली दिशा" नामक एक प्रतिभा शो का आयोजन किया। विभिन्न शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में नामांकित प्रशिक्षुओं/छात्रों ने संगीत गायन, वाद्य (हारमोनियम, तबला, ढोलक, कीबोर्ड, नाल आदि), स्व–लिखित कविता और मिमिक्री सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी विजेताओं को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिले। जज और दर्शक उनके अभिनय से काफी प्रभावित हुए।

(ix) संस्थान में 13 से 15 अगस्त, 2022 तक **'हर घर तिरंगा'** मनाया गया। संस्थान के सभी विभागों को स्टिकर, बैच, एक कपड़े का झंडा और तिरंगा कोड वितरित किए गए थे। समावेशी विषय **"हर घर तिरंगा"** पर आधारित विशेष गीत (ऑडियो और वीडियो) का निर्माण सुगम्य मीडिया विकास और अनुसंधान विभाग द्वारा किया गया था और इसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों (संस्थान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल) पर अपलोड किया गया था। संस्थान के निदेशक ने सभी को **"हर हाथ तिरंगा अभियान"** में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

(x) 21 जून 2022 को, एनआईईपीवीडी ने मॉडल स्कूल के प्ले ग्राउंड में **"मानवता के लिए योग"** विषय पर **'8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'** मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व एनआईईपीवीडी के निदेशक डॉ. हिमांशु दास ने किया। योग प्रशिक्षक ने स्वास्थ्य संबंधी प्रैक्टिस का सामना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए योग और ध्यान के महत्व के विशेष संदर्भ में आसन और ध्यान तकनीकों की विभिन्न अवधारणाओं का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम एनआईईपीवीडी मुख्यालयों/आरसी/सीआरसी और टीसीटीवीआई के अधिकारियों, स्टाफ सदस्यों और छात्रों/प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित किया गया था।

(xi) संस्थान ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में सहयोग और सहायता प्राप्त करने और संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके अन्य गैर–सरकारी संगठनों/अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए अपने कठोर प्रयास किए। वर्ष के दौरान, संस्थान ने भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान (आईआईटीई), गांधीनगर और वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

(xii) 18 जुलाई 2022 को संस्थान में आयोजित एक समारोह में, संस्थान के निदेशक डॉ. हिमांशु दास, आरसीआई के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुदेश मुकोपाध्याय, निदेशक डॉ. दिव्या शर्मा और प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह, डीन, डॉ. शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ ने रिसोर्स बुक "विस्तृत मूल पाठ्यचर्या" (विस्तारित कोर पाठ्यक्रम)। इस पुस्तक की सामग्री विस्तारित कोर पाठ्यक्रम (ईसीसी) से संबंधित है जो दिव्यांग छात्रों को अपनी शिक्षा प्राप्त करने और जीवन भर अपनी पसंद चुनने में मदद करती है। यह पुस्तक दिव्यांगजनों के लिए ई–पीयूबी (सुगम्य प्रारूप) में भी उपलब्ध है।

(xiii) 21 अक्टूबर, 2022 को संस्थान ने एनआईईपीवीडी के निदेशक डॉ. हिमांशु दास के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में संस्कृति साहित्य कला परिषद सभागार, देहरादून में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम की पौराणिक कहानियों को दर्शाते हुए द लीजेंड ऑफ ज्योतिर्लिंगम–'ए नाट्य' का आयोजन किया। ज्योतिर्लिंगम की किंवदंतियां एक नृत्य नाटक उत्पादन है जो भारतीय नृत्यों (भारतीय शास्त्रीय, पारंपरिक, मार्शल, लोक और समकालीन नृत्य रूपों) के माध्यम से 12 पौराणिक कहानियों को लाता है। सुनैना, सोसाइटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ नेशनल आर्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित यह नाट्य, गुरु श्रीमती कनक सुधाकर द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है, जो प्रमुख भरतनाट्यम कलाकारों में से एक है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति कोष, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस मौके पर डीआईजी, संजीव कुमारय डॉ. बी.के. संजय, पदमश्री और श्रीमती बसंती बिस्ठ, पदमश्री विशिष्ट अतिथि थे।

(xiv) एनआईईपीवीडी, देहरादून के 33 छात्रों और प्रशिक्षुओं के एक समूह ने 14 से 16 अक्टूबर 2022 तक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय गोल बॉल चैम्पियनशिप में भाग लिया। लडकों की टीम यूके "डी" और लडकियों की टीम यूके "बी" क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई और टीम यूके "ए" ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और टीम महाराष्ट्र के साथ फाइनल में पहुंची जहां उसे उपविजेता का स्थान मिला। आयोजन समिति के अधिकारियों और प्रतिद्वंद्वी टीमों के सभी ने उत्तराखंड टीम के सदस्यों की उनके दृढ़ संकल्प और खेल भावना के लिए प्रशंसा की। जबकि श्री दीपक सिंह रावत (डी.एड छात्र, एनआईईपीवीडी) यूके "टीम ए" के कप्तान थे, जिन्हें चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ गोलर घोषित किया गया था और उसी टीम के सदस्यों को मुख्य अतिथि डॉ. शरणजीत कौर और डॉ. देवेंद्र सिंह खेल निदेशक, एमडीयू विश्वविद्यालय रोहतक को रजत पदक मिला।

(xv) संस्थान ने दिव्यांग छात्रों के लिए सुगम्य प्रारूपों (ऑडियो और ब्रेल) में दो कहानी पुस्तकों का उद्घाटन किया, जिसका शीर्षक "दिल्ली की बुलबुल" और "कुछ करोगे क्या" है। भारत सरकार के नेशनल बुक ट्रस्ट की आईएएस अधिकारी और ट्रस्टी डॉ. अनीता भटनागर जैन ने इन पुस्तकों को लिखा और संपादित किया। ये कहानियां नैतिक मूल्यों और पर्यावरण और प्रकृति के बारे में उपयोगी ज्ञान पर आधारित हैं। ये कहानी पुस्तकें 14 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं।

माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार का एनआईईपीवीडी, देहरादून में दौरा: 23 मई, 2022

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक का एनआईईपीवीडी, देहरादून में दौराः 1 नवंबर 2022

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, ए. नारायणस्वामी, एनआईईपीवीडी, देहरादून मेंः 27 अक्टूबर, 2022

75वीं आजादी का अमृत महोत्सव का जश्नः दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित '72 सामाजिक अधिकारिता शिविर' के कार्यक्रम में एडिप योजना के तहत सहायक उपकरणों का वितरण टिहरी गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखंड से संसद सदस्य माननीय माला राज्य लक्ष्मी शाह, निदेशक, एनआईईपीवीडीः 17 सितंबर, 2022

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी मॉडल स्कूल के छात्रों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए: 16 सितंबर, 2022

डॉ. सुदेश मुकोपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष, आरसीआई और डॉ. हिमाग्शु दास, निदेशक, एनआईईपीवीडी ने सुगम्य प्रारूप में 'विस्तारित कोर पाठ्यक्रम' (हिंदी में)' पुस्तक का विमोचन किया: 18 जुलाई, 2022

कार्यक्रम में भाग लेने वाले एनआईईपीवीडी के छात्र और प्रशिक्षु–संस्थान में आयोजित एक टैलेंट हंट शो "हुनर को मिली दिशा" : 18 जुलाई, 2022

भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम की पौराणिक कथाओं को दर्शाता एक नाट्यः 21 अक्टूबर, 2022

7.6 अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी) (डी), मुम्बई की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को मुख्य रूप से देश में वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन के पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए की गई थी। संस्थान के कोलकाता, सिकंदराबाद, जानला और नोएडा में स्थित चार क्षेत्रीय चैप्टर हैं और भोपाल, अहमदाबाद और नागपुर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण (सीआरसी) के लिए तीन समेकित क्षेत्रीय केंद्र भी हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान (एवाईजेएनआईएसएचडी) (डी) ने 21123 नए मामलों, 53917 अनुवर्ती मामलों और 222443 सहायक सेवाएं प्रदान की। एडिप योजना के तहत संस्थान ने श्रवण बाधिता ग्रस्त 5095 व्यक्तियों को 8146 श्रवण सहायक यंत्र वितरित किए। इस योजना के तहत 554 कॉकलियर इम्प्लांटेशन सर्जरियां हुई, जिनमें से 552 एडिप के अधीन थीं और 2 सीएसआर के तहत थी। सर्जरी कराने वाले सभी बच्चे अपने निवास स्थान के पास स्थित सूचीबद्ध पुनर्वास केंद्रों में पोस्ट – सीआई उपचार ले रहे हैं।

7.6.1 उद्देश्य और लक्ष्य :

(i) शिक्षा और श्रवण बाधित व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजन, समन्वय करना

(ii) जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजन, समन्वय करना या अनुसंधान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि सहायक यंत्रों/उपकरणों या उपयुक्त शल्य चिकित्सा या चिकित्सीय प्रक्रियाओं या नए सहायक यंत्रों/उपकरणों का प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके।

(iii) प्रशिक्षुओं, शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक काउंसलरों और ऐसे अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित करना या प्रायोजित करना, जिसे संस्थान द्वारा श्रवण बाधिता वाले व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देना उपयुक्त समझा जाता हो।

(iv) श्रवण बाधिता व्यक्तियों के लिए शिक्षा, पुनर्वास और चिकित्सा के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए प्रोटोटाइप का वितरण या प्रोत्साहन या आर्थिक सहायता प्रदान करना और डिजाइन किए गए किसी भी अथवा सभी सहायक यंत्रों का वितरण करना।

7.6.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) श्रवण, वाक् और भाषा दिव्यांगता का मूल्यांकन और निदान
(ii) श्रवण यंत्रों और ईयर मोल्ड्स का चयन और फिटिंग
(iii) मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
(iv) शैक्षिक मूल्यांकन सेवाएं
(v) मनोचिकित्सा और व्यवहारगत चिकित्सा
(vi) अभिभावक मार्ग निर्देशन और काउंसलिंग
(vii) प्री–स्कूल तथा प्रारंभिक उपचार (इंटरवेंशन)
(viii) एनआईओएस के माध्यम से निरंतर शिक्षा
(ix) आउटरीच और विस्तार सेवाएं
(x) अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम
(xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट
(xii) वाक् और भाषा थेरेपी
(xiii) कॉकलियर इंप्लांट के लिए सहायता
(xiv) टोल फ्री दिव्यांगता सूचना लाईन

7.6.3 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता (1984), नोएडा (1986) सिकंदराबाद (1986), जानला, ओडिशा (1986) और वयस्क बधिर प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद (1986) में स्थापित किए गए हैं। भोपाल, अहमदाबाद और नागपुर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र क्रमशः वर्ष 2006, 2011 और 2020 से एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य जनशक्ति विकास और सेवाओं के संदर्भ में स्थानीय और क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करना है ।

7.6.4 नई पहल और घटनाएँ/कार्यक्रमः

27 अप्रैल, 2022 को मुंबई में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजे एंड ई) द्वारा पहली बार पश्चिमी क्षेत्रीय रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम "दिव्य कला शक्ति" "दिव्यांगता में क्षमताओं का दर्शन" का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री कमल नाथ ने किया। महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शाम 6.15 बजे वर्ली, मुंबई–18 में नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में सम्मानित अतिथि सुश्री अंजलि भावड़ा आईएएस, सचिव और श्री राजेश कुमार यादव, आईएएस, संयुक्त सचिव, भारत सरकार की उपस्थिति में भाग लिया। भारतीय सांकेतिक भाषा में भारतीय राष्ट्रगान के साथ शुरू हुए उद्घाटन समारोह के बाद शास्त्रीय, लोक और आधुनिक शैली में नृत्य, संगीत, कठपुतली, कलाबाजी आदि के रूप में पंद्रह अनूठी घटनाओं के माध्यम से मंच के रंगीन प्रदर्शन में 86 दिव्यांग बच्चों की क्षमता का निरंतर प्रदर्शन किया गया।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने 03.06.2022 को अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा द्वारा प्रदान की जा रही गतिविधियों और सेवाओं की समीक्षा की। यात्रा के दौरान, माननीय मंत्री ने एडिप कॉक्लियर इम्प्लांट और हियरिंग एड योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने माता–पिता को सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों के छात्रों और आरसी नोएडा के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने ऑडियोमेट्रिक कक्षों के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने आरसी, नोएडा द्वारा किए जा रहे कर्मचारियों और गतिविधियों के समर्पण की सराहना की और दिव्यांगजनों के उत्थान के पक्ष में गतिविधियों और कार्यक्रमों को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने फिर से केंद्र का दौरा करने की भी इच्छा व्यक्त की।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

9 और 10 अगस्त, 2022 को द क्लब, अंधेरी, मुंबई में विविध डाइवर्सिटी हायरिंग के साथ एक सहयोगी रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। डॉ. अरुणबनिक, निदेशक (कार्यवाहक) इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सुश्री विधि शाह, पुनर्वास अधिकारी (परामर्शदाता) ने आयोजन स्थल पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों के साथ–साथ दोनों दिनों में ऑनलाइन शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। संस्थान ने आईएसएल दुभाषियों को पूरे आयोजन को समावेशी बनाने के साथ–साथ साक्षात्कार के दौरान श्रवण बाधिता वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए भी नियुक्त किया। व्यावसायिक परामर्शदाता श्री नवनाथ जगदाले ने 9 अगस्त, 2022 को रोजगार मेले में भाग लिया। रोजगार मेले में निम्नलिखित कंपनियों ने भाग लिया– प्यूमा, एडिडास, वीएफएस, परनोड रिचर्ड, यूबीआई समूह। मेले में श्रवण बाधित उम्मीदवारों के साथ 127 व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें से छह उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

27 अप्रैल, 2022 को मुंबई में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम "दिव्य कला शक्ति" में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माननीय कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार का वीडियो रिकॉर्ड किया गया संदेश।

27 अप्रैल, 2022 को मुंबई में सांस्कृतिक कार्यक्रम "दिव्य कला शक्ति" आयोजित किया गया

अपनी यात्रा के दौरान श्री वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार ने 03.06.2022 को आरसी, एवाईजेएनआईएसडी नोएडा द्वारा प्रदान की जा रही गतिविधियों और सेवाओं की समीक्षा की।

7.7 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी)

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी, दिव्यांगजन) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में वर्ष 1984 से स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है। यह संस्थान एक शीर्ष निकाय है जिसके देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं के त्रिपक्षीय कार्य हैं। 39 वर्षों से, संस्थान बौद्धिक दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए क्षमताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।

एनआईईपीआईडी बौद्धिक दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूआईडी) के जीवन में समानता और गरिमा लाने के लिए अपने कामकाज के हर पहलू में उच्च मानकों पर ध्यान केंद्रित करने वाला उत्कृष्टता संस्थान बनने का प्रयास करता है जिसका समर्थन आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन द्वारा किया गया है।

7.7.1 उद्देश्य एव लक्ष्य

(i) बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु जनशक्ति का सृजन और मानव संसाधनों का विकास करना।

(ii) देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगता की पहचान करना, शोध संचालित करना और समन्वयन करना।

(iii) भारतीय संस्कृति के अनुरूप बौद्धिक दिव्यांगजनों की देखभाल और आवास पुनर्वास के उपयुक्त मॉडल विकसित करना।

(iv) बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

(v) बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रलेखीकरण और सूचना केन्द्र के रूप में सेवा करना।

(vi) ग्रामीण और कम आय वाली जरूरतमंद जनता के लिए समुदाय–आधारित पुनर्वास सेवाओं का विकास करना।

(vii) बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में विस्तार और आउचरीच कार्यक्रमों का संचालन करना।

7.7.2 आईडी वाले व्यक्तियों के लिए एनआईईपीआईडी और क्षेत्रीय केंद्रों में दी जाने वाली सेवाएं:

चिकित्सा सेवाएं	विशेष शिक्षा	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
प्रारंभिक इंटरवेंशन सेवाएं	पीएमआर यूनिट	व्यवहारगत परिवर्तन
फिजियोथेरेपी/आर्थोपेडिक्स	राहत देखभाल	माता–पिता की काउंसलिंग
जैव–रसायनिकी	ऑटिज्म	व्यावसायिक मूल्यांकन
वाक और ऑडियोलॉजी सेवाएं	बहु–संवेदी	व्यावसायिक मार्गदर्शन और सूचना
इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम (ईईजी)	कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेश (सीएआई)	व्यावसायिक मार्गदर्शन और काउंसलिंग
बहु दिव्यांगता	समूह गतिविधि	वर्कस्टेशन (व्यावसायिक प्रशिक्षण)
पोषण	मोबाइल सेवाएं	ओक्यूपेशनल चिकित्सा
हाइड्रोथेरेपी	योग	सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम
न्यूरोलॉजी / डेंटल	राहत देखभाल सेवाएं	पूर्वोत्तर की गतिविधियां
होमियोपैथी	पारिवारिक कुटीर सेवाएं	टीएलएम का वितरण
नेत्र विज्ञान		

7.7.3 दिव्यांगजनों के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	विशेष शिक्षा	ओक्यूपेशनल चिकित्सा
अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण	ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सेवाएं	कौशल विकास कार्यक्रम
फिजियोथेरेपी / सेवाएँ	व्यावसायिक प्रशिक्षण	जागरूकता कार्यक्रम
पुनर्वास सेवाएं	चिकित्सा सेवाएं	
वाक तथा ऑडियोलोजी सेवाएँ	माता–पिता प्रशिक्षण कार्यक्रम	

7.7.4 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

चार क्षेत्रीय केंद्र हैं इनमें से नई दिल्ली, नोएडा, कोलकाता और नवी मुंबई में प्रत्येक में एक–एक क्षेत्रीय केंद्र हैं। एनआईईपीआईडी का नई दिल्ली और नोएडा में एक मॉडल विशेष शिक्षा केंद्र है। दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए तीन समेकित क्षेत्रीय केंद्र नेल्लोर, राजनंदगांव और देवांगेरे में स्थित हैं जो एनआईईपीआईडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

7.7.5 प्रमुख गतिविधियाँ :

(i) सीआरसी दावणगेरे की आधारशिला रखी गई :

दिनांक 16 अप्रैल 2022 को वडानिहल्ली, दावणगेरे, कर्नाटक में माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सीआरसी दावणगेरे की आधारशिला स्थापित की गई थी। इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार द्वारा आबंटित 16.23 एकड़ भूमि में 24.61 करोड़ रुपये की लागत पर भवन का निर्माण किया जाएगा। श्री जीएम सिद्धेश्वरा एमपी दावणगेरे, प्रोफेसर लिंगन्ना, विधायक, जेएसडीईपीडब्ल्यूडी, श्री राम कुमार, निदेशक (ऑफजी), एनआईईपीआईडी, उपायुक्त दावणगेरे सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर लगभग 45 लाख रुपये की कुल लागत से लगभग 490 दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए गए।

दिनांक 16 अप्रैल 2022 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री ए नारायण स्वामी द्वारा सीआरसी दावणगेरे की आधारशिला स्थापित की गई थी।

(ii) माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौराः

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 17 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद का दौरा किया। उन्होंने नव स्थापित क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और विशेष शिक्षा केंद्र का दौरा किया जो बौद्धिक दिव्यांगता और अन्य संबंधित स्थितियों वाले बच्चों को व्यापक पुनर्वास, क्लीनिकल और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने डिजिटल क्लास रूम और एनआईईपीआईडी द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का निरीक्षण किया है। माननीय उपराष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए प्रदान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं की सराहना की। उन्होंने एडिप योजना के तहत चिन्हित पात्र लाभार्थियों को शिक्षण अधिगम सामग्री किट, व्हीलचेयर, हियरिंग एड और कृत्रिम अंग जैसे सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए।

माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 17 अप्रैल, 2022 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौरा किया।

(iii) सीआरसी, राजनंदगांव के लिए आधारशिला स्थापित की गई :

सीआरसी, राजनंदगांव के लिए आधारशिला 2 मई को ठाकुरटोला, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से की गई थी। इस अवसर पर राजनंदगांव निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के माननीय सांसद श्री संतोष पांडे, सुश्री अंजलि भावड़ा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई, भारत सरकार, डॉ रमन सिंह, माननीय विधानसभा सदस्य, राजनंदगांव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न) एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद और श्री कुमार राजू, निदेशक सीआरसी, राजनंदगांव उपस्थिति थे। इसके अलावा, 33,28,681/– रुपये की कुल लागत से 500 पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री किट वितरित की गई।

2 मई, 2022 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक द्वारा सीआरसी राजनादगांव के लिए आधारशिला रखी गई।

(iv) सचिव श्रीमती अंजलि भावड़ा ने 43वीं जीसी बैठक के लिए एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौरा किया:

श्रीमती अंजलि भावड़ा, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और जनरल काउंसिल की अध्यक्ष ने 19 मई 2022 को आयोजित एनआईईपीआईडी की 43 वीं जीसी बैठक के दौरान अन्य जीसी सदस्यों के साथ एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौरा किया।

श्रीमती अंजली भावड़ा, आईएएस, सचिव ने 43वीं जीसी बैठक के लिए 19.05.2022 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौरा किया।

(v) माननीय केंद्र मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार द्वारा एनआईईपीआईडी आरसी और एमएसईसी नोएडा का दौराः

माननीय सामाजिक न्याय केंद्र मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने 3 जून 2022 को एनआईईपीआईडी–क्षेत्रीय केंद्र और एमएसईसी, नोएडा का दौरा किया। एनआईईपीआईडी आरसी नोएडा में अपने दौरे के दौरान, उन्होंने सामान्य सेवाओं में विभिन्न गतिविधियों के कामकाज को देखा, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के साथ बातचीत की और उन्होंने लाभार्थियों को टीएलएम किट भी वितरित की। माननीय कैबिनेट मंत्री ने पीडब्ल्यूआईडी के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करने में एनआईईपीआईडी आरसी नोएडा के प्रयासों की सराहना की।

माननीय केंद्र मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, एमएसजेई ने 3 जून, 2022 को एनआईईपीआईडी आरसी और एमएसईसी नोएडा का दौरा किया।

(vi) इंदौर, मध्य प्रदेश में दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यशालाः

इंदौर में 15 और 16 सितंबर, 2022 को दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार, श्री रामदास अठावले और कुमारी प्रतिमा भौमिक राज्य मंत्री एमएसजे एंड ई ने किया। इस अवसर पर एमएसजे एंड ई ने और समाज कल्याण एवं दिव्यांगता कल्याण के विभिन्न राज्य मंत्रियों जैसे पंजाब के एमएसजे एंड ई, राज्य मंत्री डॉ बलजीत कौर, गोवा के एमएसजे एंड ई राज्य मंत्री सुभाष फल देसाई, ओडिशा के एमएसजे एंड ई राज्य मंत्री श्री अशोक चंद्र पंडा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एमएसजे एंड ई राज्य मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति द्वारा इस समारोह की शोभा बढ़ाई गई ।

(vii) माननीय केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा टीएलएम किट का वितरणः

माननीय केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 17 सितंबर 2022 को दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सशक्तिकरण शिविरों के अवसर पर टीएलएम किट वितरित की। दिव्यांगजनों के लिए कुल 2,036 सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए।

माननीय केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 17.09.2022 को टीएलएम किट का वितरण।

(viii) संयुक्त सचिव द्वारा एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद का दौराः

संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा ने 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईईपीआईडी का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विशेष शिक्षा बच्चों के स्कूल का दौरा किया और विशेष बच्चों के साथ बातचीत की और विशेष शिक्षा, पुनर्वास मनोविज्ञान, पुस्तकालय, सामान्य सेवा और डीएआईएल जैसे सभी विभागों का दौरा किया।

श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एनआईईपीआईडी के अध्यक्ष ईसी का 19.10. 2022 को दौरा।

(ix) एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद की विशेष अभियान 2.0 की गतिविधियाँः

20 अक्टूबर 2022 को श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीआईडी के साथ श्री संदीप कुमार, अवर सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई, भारत सरकार द्वारा एनआईईपीआईडी के विशेष अभियान 2.0 गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई।

(x) त्रिशूर, केरल में 28 वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठकः

एनआईईपीआईडी द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय अभिभावक बैठक (एनपीएम) और परिवार द्वारा आयोजित – राष्ट्रीय अभिभावक संगठन परिसंघ, 12 और 13 नवंबर 2022 को त्रिशूर, केरल में आयोजित की गई थी। 18 राज्यों के 300 से अधिक माता–पिता और बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता (पीडब्ल्यूआईडीडी) वाले कुछ व्यक्तियों ने एनपीएम में भाग लिया। एनपीएम का विषय "समान आजीविका के अवसर और सम्मान सहित जीना" था।

(xi) एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीआईई) आयोजित किया गयाः

समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीआईई) – 2022 का आयोजन एनआईईपीआईडी द्वारा 24 नवंबर, 2022 को किया गया था। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डी. रविंदर उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। एनआईईपीआईडी के निदेशक (स्थानापन्न) श्री बी.वी. राम कुमार ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। कुलपति ने "बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए यौन शिक्षा" पर पुस्तकों का विमोचन किया, जो डॉ आर. शिल्पा मनोगना द्वारा समन्वित अनुसंधान परियोजना का परिणाम था। श्रीमती वी.आर.पी. शैलजा राव और श्रीमती सुभा चंद्रशेखर ने उद्घाटन सत्र में गरिमामयी अतिथि के रूप में भाग लिया।

(xii) एनआईईपीआईडी ने राष्ट्रीय प्रदर्शनी – दिव्य कला मेला में भाग लियाः

एनआईईपीआईडी ने 2 दिसंबर 2022 को इंडिया गेट, नई दिल्ली में एनएचएफडीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी–दिव्य कला मेले में भाग लिया। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक, सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) श्री राजेश अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इंडिया गेट पर दिव्य कला मेले के अवसर पर एनआईईपीआईडी के स्टालों का दौरा किया, जिन्होंने मग प्रिंटिंग और मैट बनाने की प्रक्रिया को देखा और सराहना की।

एनआईईपीआईडी ने 02.12.2022 को राष्ट्रीय प्रदर्शनी–दिव्य कला मेले में भाग लिया।

(xiii) एनआईईपीआईडी मुख्यालय, आरसी और सीआरसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया:

एनआईईपीआईडी ने 3 दिसंबर 2022 को "अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" मनाया। इस समारोह के हिस्से के रूप में नृत्य और गायन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष (दिव्यांग) बच्चों के साथ दीर्घकालिक पाठ्यक्रम के छात्रों और माता–पिता द्वारा प्रदर्शन किए गए थे। एनआईईपीआईडी के निदेशक श्री बी.वी. राम कुमार ने अन्य कर्मचारियों के साथ पात्र लाभार्थियों को कुल 124 टीएलएम किट वितरित किए। इस अवसर के मुख्य अतिथि केवीएस, बोवेनपल्ली के प्राचार्य एन. चंद्रमौली थे। केवीएस बोवेनपल्ली के सहयोग से, विभिन्न एकीकृत मजेदार गेम्स और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय "समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधानः एक सुगम्य और न्यायसंगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका" था। माता–पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सुबह अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(xiv) एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में नेत्र विज्ञान इकाई का उद्घाटनः

क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन यूनिट, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में नेत्र विज्ञान इकाई का उद्घाटन 5 दिसंबर 2022 को श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीआईडी द्वारा किया गया था।

(xv) एनआईईपीआईडी ने दिव्य कला शक्ति में भाग लिया:

डीईपीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10.12.2022 को आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में दिव्य कला शक्ति, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने वोकल, अर्ध शास्त्रीय, लोक, आधुनिक और देशभक्ति तथा मिमिक्री नृत्य में प्रदर्शन किया। एमएसईसी नोएडा से दो छात्राओं सुश्री भावना और सुश्री दीक्षा ने लोक नृत्य में प्रदर्शन किया। एमओएसजेई के माननीय राज्य मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने उनके प्रदर्शन की सराहना की।

7.7.6 अन्य गतिविधियाँ और घटनाएँ:

(i) विश्व ऑटिज्म दिवस समारोह 4 अप्रैल 2022 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में आयोजित किया गया था और इसके आरसी और सीआरसी में भी आयोजित किया गया था।

(ii) आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में 7 अप्रैल, 2022 को "विश्व स्वास्थ्य दिवस" के अवसर पर, विशेष ओलंपिक भारत (एसओबी) के सहयोग से एनआईईपीआईडी ने क्यूआर कोड के साथ आईडी कार्ड जारी करने,

बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त 375 बच्चों को टी–शर्ट वितरित किया गया, "विभिन्न अस्पतालों के 32 दंत चिकित्सकों द्वारा दंत चिकित्सा शिविर", पोषण स्तर की जांच, शारीरिक फिटनेस और "राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव" में बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त 370 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की गई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आदि हासिल करने के विशेष एथलीटों का प्रयास किया गया।

(iii) भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का 131वां जन्मदिन 19 अप्रैल 2022 को एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में मनाया गया, मौलाना उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ जी.वी. रत्नाकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, श्री बी.वी रामकुमार निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद, डॉ श्री कृष्णा और श्री दशरथ चौधरी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक, स्टाफ और विद्यार्थी भी उपस्थित थे।

(iv) 8 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ओपन एयर थिएटर, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद और इसके आरसी एवं सीआरसी में 22 अप्रैल 2022 से बौद्धिक दिव्यांगजनों और दीर्घकालिक प्रशिक्षु छात्रों के लिए योग अभ्यास सत्र आयोजित किए गए थे।

(v) एनआईईपीआईडी, एसईसी छात्रों ने माता–पिता के साथ 16 से 21 मई, 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के अवसर पर 20 मई, 2022 को सालार जंग संग्रहालय का दौरा किया।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मनोचिकित्सा में सहायक प्रोफेसर डॉ श्रवण रेड्डी द्वारा एक भाषण दिया गया था।

(vii) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद ने 20/06/2022 को एनआईईपीआईडी आरसी, नोएडा में 'info@one click" की अनुसंधान परियोजना, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई की "डेस्सिमिनेशन वर्कशॉप" का आयोजन किया। श्री बी.वी. रामकुमार, निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीआईडी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों ने ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों में भाग लिया। सीडब्ल्यूएसएन के कुछ माता–पिता और एलटीसी के छात्रों ने भी भाग लिया और बहुत मूल्यवान इनपुट दिए।

(viii) एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद, इसके आरसी और सीआर में 21 जून 2022 को 8 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाया गया। सभी पीडब्ल्यूआईडी माता–पिता, दीर्घकालिक पाठ्यक्रम के छात्रों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

(ix) सीआरसी नेल्लोर ने मेडी कवर अस्पताल, नेल्लोर के सहयोग से "पीडब्ल्यूडी / सीडब्ल्यूएसएन की पहचान के लिए ग्रीष्मकालीन चिकित्सा शिविर" का आयोजन किया।

(x) एनआईईपीआईडी में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। कुल 78 वर्तमान छात्रों और एनआईईपीआईडी एवं अन्य एनआई के पूर्व छात्रों ने प्लेसमेंट साक्षात्कार में भाग लिया है।

(xi) एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा अपने आरसी और सीआरसी द्वारा हर घर तिरंगा मनाया गया। आम जनता के बीच भी जागरूकता सृजित की जा रही है।

(xii) "आजादी का अमृत महोत्सव" के भाग के रूप में, एनआईईपीआईडी ने टीएएसए, भारतीय सेना के सहयोग से 11–18 जुलाई 2022 तक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की। दिनांक 14.07.2022 (गुरुवार) को गजराज स्टेडियम, एओसी केंद्र, सिकंदराबाद में सभी दिव्यांगजनों के लिए खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में तेलंगाना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री उज्जल भुइयां, मेजर जनरल कमांडिंग ऑफिसर श्री रंजीत सिंह मनराल, श्री मेजर बी.वी. रामकुमार, निदेशक (स्थानापन्न) उपस्थित थे।

(xiii) दिनांक 18.07.2022 को एमसीईएमई सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं टीएलएम किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेलंगाना की राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के दक्षिण भारत क्षेत्र के लेफ्टिनेंट जनरल श्री अरुण, टीएएसए के जीओसी श्री रणजीत सिंह मनराल, निदेशक (स्थानापन्न) श्री मेजर बी वी रामकुमार ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रमों के दौरान कुल 524 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(xiv) आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, एनआईईपीआईडी ने भारतीय सेना–तेलंगाना आंध्र उप क्षेत्र हैदराबाद कार्यालय के सहयोग से हेल्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, सुबेदारी, वारंगल जिले, तेलंगाना में पीडब्ल्यूडी के लिए पहचान और मूल्यांकन शिविर कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम 4 और 5 जुलाई 2022 को वारंगल, तेलंगाना और कुरनूल, आंध्र प्रदेश राज्यों में आयोजित किए गए थे। शिविर स्थल पर कुल 164 दिव्यांगजनों ने भाग लिया और 04 जुलाई को एडिप पंजीकरण, यूडीआईडी पंजीकरण, आयुष्मान भारत पंजीकरण, एनसीएस आईडी पंजीकरण, एसएडीएआरईएम पंजीकरण आदि की सेवाओं का लाभ उठाया। ब्रिगेडियर सोमशेखर डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग टीएएसए, भारतीय सेना इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

(xv) विशेष ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय विशेष ओलंपिक कोचिंग शिविर जून 2023 में बर्लिन में आयोजित किया जाएगा। श्रीमती सी. स्वप्नलता, जूनियर शिक्षक को 10–17 जुलाई 2022 के बीच अहमदाबाद, गुजरात में पावर लिफ्टिंग कोचिंग शिविर के लिए कोच के रूप में नामित किया गया है। सुश्री वर्षा, सुश्री वैष्णवी ने पावर लिफ्टिंग कोचिंग शिविर में भाग लिया है और मास्टर राहुल, मास्टर नंदीश ने स्केटिंग कोचिंग शिविर में भाग लिया है।

(xvi) विशेष शिक्षा केंद्र के छात्र, मास्टर गणेश चारी ने 21 से 25 जुलाई 2022 तक बोकारो स्टील सिटी, झारखंड में आयोजित साइकिलिंग में राष्ट्रीय कोचिंग और चयन शिविर में भाग लिया। श्री सी. अंजी रेड्डी, सेकियल टीचर ने विशेष एथलेट्स को एस्कॉर्ट किया और विशेष ओलंपिक कोचिंग प्रशिक्षण शिविर के रूप में भी भाग लिया।

(xvii) श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह 19 अगस्त 2022 को एनआईईपीआईडी, सिकंदरबाद में पीडब्ल्यूआईडी और उनके माता–पिता द्वारा आयोजित किया गया था। श्री बी.वी.राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न) और स्टाफ ने कार्यक्रम में भाग लिया।

(xviii) समावेशी ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता विशेष ओलंपिक भारत, तेलंगाना के सहयोग से आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में 132 विशेष बच्चों, नियमित स्कूलों के 100 बच्चों, 75 शिक्षकों, 30 स्वयंसेवकों और 10 अधिकारियों ने भाग लिया।

(xix) आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, एनआईईपीआईडी ने 11 अगस्त 2022 को एनआईईपीआईडी खेल के मैदान में विशेष ओलंपिक भारत के सहयोग से समावेशी खेलों का आयोजन किया। छात्रों, डीएआईएल प्रशिक्षुओं, अन्य गैर सरकारी संगठनों और नियमित स्कूली छात्रों ने विभिन्न खेलों जैसे कि बोके, सॉफ्टबॉल, रिले रेस और अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया।

(xx) दिनांक 19.09.2022 से 25.09.2022 तक एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद, आरसी और सीआरसी में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस (अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह) मनाया गया। इस अवधि के दौरान, केंद्र में आने वाली आम जनता, क्लाइंटों और माता–पिता, केंद्र के कर्मचारियों और छात्रों, विशेष स्कूल के सीडब्ल्यूआईडी और एनआईईपीआईडी के डीएआईएल के प्रशिक्षुओं आदि के बीच सांकेतिक भाषाओं के प्रति संवेदनशील, उन्मुख और रुचि विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं।

(xxi) एनआईईपीआईडी, इसके क्षेत्रीय केंद्रों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों ने 14 सितंबर, 2022 से 28 सितंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया ।

(xxii) पोषण सप्ताह 28 से 30 सितंबर, 2022 तक मनाया गया, डीईसीएसई (आईडी) छात्रों द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(xxiii) क्लिनिकल मनोचिकित्सा में हिंसा पर 12 वीं यूरोपीय कांग्रेस की बैठक 6 से 8 अक्टूबर 2022 तक रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित की गई थी। श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीआईडी को कांग्रेस में भाग लेने और एक पेपर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीआईडी ने तदनुसार 6 से 8 अक्टूबर तक कांग्रेस में भाग लिया और 7 अक्टूबर 2022 को नीदरलैंड में "बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों में माता–पिता की सुसंगतता, स्वभाव संबंधी आशावाद और जीवन की गुणवत्ता" पर एक पेपर प्रस्तुत किया।

(xxiv) "मानसिक स्वास्थ्य" पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन संयुक्त रूप से एनआईईपीआईडी, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, निलोफर अस्पताल और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा 22–23 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीआईडी मुख्य अतिथि थे और उन्होंने "मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास में सरकारी एजेंसियों की भूमिका" पर पेपर प्रस्तुत किया, जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की व्यापकता और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य पर केंद्रित था। टेली थेरेपी, मानस, ई–मेल मानस, चिरी, मनसवाड और टोल फ्री नंबरों जैसी राज्य सरकार की विभिन्न पहलों पर भी चर्चा की गई।

(xxv) नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पैरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एनसीपीओ) ने 15 और 16 अक्टूबर 2022 को नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) 'ईटीसी' दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र, वाशी नवी मुंबई में बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के माता–पिता के लिए क्षेत्रीय अभिभावक बैठक (आरपीएम) का आयोजन किया। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई ने नवी मुंबई नगर निगम 'ईटीसी' केंद्र वाशी, नवी मुंबई के सहयोग से इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया।

(xxvi) सीआरसी, राजनंदगांव ने 18 अक्टूबर 2022 को पीडब्ल्यूडी के लिए "अनुकूलित उपहार मुद्रण" व्यापार पर व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

(xxvii)सीआरसी–नेल्लोर ने 10 अक्टूबर, 2022 को सीआरसी, नेल्लोर परिसर और स्वाति कॉलेज परिसर में "विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस" पर ऑफ़लाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के महत्व के साथ–साथ दैनिक मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा की गई। माता–पिता, डी.एड. प्रशिक्षुओं, संकायों और दिव्यांग व्यक्तियों ने भाग लिया।

(xxviii) राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी 29 नवंबर 2022 को निमहांस, बेंगलुरु में आयोजित की गई। श्री विनीत सिंघल, निदेशक, एनआई और अध्यक्ष, आरसीआई ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक, एनआईईपीआईडी ने सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और पीडब्ल्यूडी द्वारा चित्रित कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

(xxix) एनआईईपीआईडी और द हंस फाउंडेशन ने दिव्यांग बच्चों और वयस्कों के लिए मोबाइल सामुदायिक आउटरीच पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कार्यनीतिक साझेदारी की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 3 नवंबर 2022 को "दिव्यांगजनों के लिए मोबाइल सामुदायिक आउटरीच पुनर्वास" शीर्षक एक सहयोगी परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, हंस फाउंडेशन और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी) ने 3 नवंबर 2022 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

(xxx) तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के तहत एनआईईपीआईडी और तेलंगाना राज्य नवाचार प्रकोष्ठ (टीएसआईसी) ने 09 नवंबर, 2022 को सीडब्ल्यूएसएन के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग,

पहचान और हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) तथा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(xxxi) 31 अक्टूबर 2022 से 4 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया। श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न) ने 31 अक्टूबर, 2022 को एनआईईपीआईडी के सभी कर्मचारियों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के अवसर पर "सत्यनिष्ठा शपथ" की सराहना की।

(xxxii) 14 नवंबर 2022 को विशेष शिक्षा केंद्र (एसईसी), एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में बाल दिवस मनाया गया। एसईसी से विशेष आवश्यकताओं वाले कुल 112 छात्रों और पल्लवी स्कूल, बोवेनपल्ली के 28 छात्रों ने दौड़, पुस्तक संतुलन आदि जैसी एकीकृत खेल गतिविधियों में भाग लिया।

(xxxiii) 26 नवंबर 2022 को "भारतीय संविधान दिवस के उत्सव" पर एक ऑनलाइन शपथ आयोजित की गई। एनआईईपीआईडी मुख्यालय, आरसी, सीआरसी और एमएसईसी के सभी स्टाफ सदस्य इसमें ऑनलाइन / ऑफलाइन शामिल हुए।

(xxxiv) एल.वी. प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, बंजारा हिल्स द्वारा एसईसी, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में दिनांक 1 नवंबर 2022 से 2 नवंबर 2022 तक दो दिवसीय नेत्र स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल 86 लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की गई।

(xxxv) 4 नवंबर 2022 को एनआईईपीआईडी एमएसईसी के 10 छात्रों और तीन माता–पिता के साथ दो स्टाफ सदस्यों, श्री मुकेश मनोचा और श्रीमती सीमा नारायण ने "सुगम्य चुनावों के लिए पीडब्ल्यूडी आइकन के राष्ट्रीय सम्मेलन" में भाग लिया।

(xxxvi) संस्थान ने 28 नवंबर 2022 को "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न" (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013) पर ऑनलाइन जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। एनआईईपीआईडी मुख्यालय, आरसी, सीआरसी और एमएसईसी के सभी स्टाफ सदस्य इसमें शामिल हुए।

(xxxvii) सीआरसी दावणगेरे ने 03/12/2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन किया। इस समारोह के हिस्से के रूप में संस्थान द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन, उनके माता–पिता/देखभाल करने वाले, सीआरसी के प्रशिक्षु, सरकारी स्कूलों के छात्र, सीआरसी के कर्मचारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वॉकथॉन सीआरसी से शुरू होकर आरटीओ, कार्यालय की ओर बढ़ा और सीआरसी में समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों सहित कुल 150 व्यक्ति शामिल हुए।

(xxxviii) एनआईईपीआईडी ने एफआईसीसीआई एफएलओ के सहयोग से 6 दिसंबर, 2022 को "विभिन्न और विशेष क्षमताओं वाले व्यक्तियों के कौशल विकास, आर्थिक समावेश और सशक्तिकरण" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई, भारत सरकार इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। एनआईईपीआईडी के निदेशक (स्थानापन्न) श्री बी.वी. राम कुमार और एफएलओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री जयंती डालमिया ने अन्य एफएलओ सदस्यों सुश्री मीतू कोहली, सुश्री सुरुचि अग्रवाल और सुश्री रीना जॉर्ज के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री राजेश अग्रवाल, सचिव ने इस बात पर जोर देकर कहा कि पीडब्ल्यूडी को यदि उचित प्रशिक्षण दिया जाता है तो वे उद्यमी हो सकते हैं और जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने एफएलओ उद्यमियों और पेशेवरों से अपील की कि वे पीडब्ल्यूडी के साथ एक अनुभवी व्यक्ति को रखने की सलाह दें ताकि वे उद्यमी बन सके तथा वृद्धावस्था देखभाल में पीडब्ल्यूडी और वृद्ध लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।

(xxxix) दिव्यांगजन सप्ताह मनाने के एक भाग के रूप में, एनआईईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई में समूह गतिविधि सत्रों में भाग लेने वाले बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए 06.12.2022 को मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर

एमजीएम डेंटल कॉलेज, कामोठे, नवी मुंबई द्वारा आयोजित किया जाता है। शिविर के दौरान कुल 49 बच्चों की जांच की गई।

(xl) 08.12.2022 को, युवा वयस्कों के बीच न्यूरोडाइवर्जेंट और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए श्रीमती अमला अक्किनेनी, निदेशक, अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया, हैदराबाद और उसके अन्य संकाय के साथ श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक (स्थानापन्न), एनआईईपीआईडी सहित एनआईईपीआईडी के संकाय डॉ शिल्पा मनोगना और डॉ श्रवण रेड्डी के साथ बैठक आयोजित की गई।

(xli) 14 दिसंबर, 2022 को एनआईईपीआईडी से बौद्धिक दिव्यांग बच्चों और उनके माता–पिता/शिक्षकों/कर्मचारियों ने पीवीएनआर तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद के 1 (टी) आर एंड वी रेजिमेंट में 'यूनिटी फ्लेम रन' के ध्वजारोहण समारोह में अल्ट्रा रनर कर्नल कृष्ण सिंह बधवार का स्वागत किया।

7.7.7 कोविड–19 की प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाई

(i) संस्थान ने पीडब्ल्यूआईडी के माता–पिता के लाभ के लिए अपने टोल–फ्री नंबर **18005726422** के माध्यम से टेली–कॉल सेवाएं जारी रखीं।

(ii) कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्यों का पालन किया जा रहा है। पेशेवरों और क्लाइंटों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों को प्रत्येक उपयोग के बाद साफ किया जाता है।

जनवरी से मार्च 2023 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमः

(i) पेशेवरों/पीडब्ल्यूआईडी के लिए स्व–वकालत पर राष्ट्रीय सम्मेलन – दिसंबर 2022 / जनवरी 2023.

(ii) दिव्यांगता पुनर्वास में परिवर्तनकारी समाधान और नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन– 22–23 फरवरी 2023.

(iii) पीडब्ल्यूआईडी के लिए विशेष कर्मचारियों की बैठक – फरवरी 2023.

7.8 राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

बहु–दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 में मुत्तुकाडु, चेन्नई, तमिलनाडु में राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी) की स्थापना की गई थी।

7.8.1 लक्ष्य और उद्देश्यः

(i) अत्याधुनिक पुनर्वास, हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) अर्थात् शैक्षिक, चिकित्सीय, व्यावसायिक, रोजगार, अवकाश और सामाजिक गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पूर्ण भागीदारी के साथ–साथ सामुदायिक पुनर्वास, परियोजना प्रबंधन और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) का क्षमता निर्माण सहित विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करने के माध्यम से बहु–दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए

अंतर–विषयात्मक, बहु–विषयात्मक और ट्रांसडिसिप्लिनरी गतिविधियों को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास विकसित करना है।

(ii) बहु दिव्यांगता से संबंधित सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के विभिन्न समूहों की विभिन्न कार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक पुनर्वास हेतु ट्रांस–डिसिप्लिनरी मॉडल और कार्यनीतियों को विकसित करना, इस समाज द्वारा इसे बाद में "संस्थान" या गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से संदर्भित किया जाता है।

(iii) संस्थान द्वारा या गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास, क्षमता निर्माण, स्वतंत्र जीवन यापन के सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजन, समन्वय करना या सब्सिडी देना।

(iv) प्रारंभिक हस्तक्षेप, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार, स्वतंत्र जीवन यापन, सामुदायिक पुनर्वास और परियोजना प्रबंधन, चिकित्सक और ऐसे अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण के क्षत्र में प्रशिक्षकों और पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण शुरू करना और / या प्रायोजित करना जिसे संस्थान द्वारा बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों को सशक्त बनाने में आवश्यक समझा जा सकता है।

(v) बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों की शिक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी या सभी सहायक यंत्रों के विनिर्माण, निर्माण, अनुकूलन या प्रचार या प्रोटोटाइप के निर्माण को सब्सिडी देना और वितरण करना।

7.8.2 प्रदत्त सेवाएं

चिकित्सा	शैक्षणिक	पुनर्वास
❖ चिकित्सा उपचार और रेफरल ❖ सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिकल सेवाएं जैसे 1. न्यूरोलॉजी, 2. न्यूरोसर्जरी 3. मनोचिकित्सा 4. नेत्र विज्ञान 5. डेंटल 6. ईएनटी 7. होम्योपैथी ❖ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन ❖ बाह्य रोगी होम्योपैथी क्लिनिक	❖ विशेष स्कूल (बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मॉडल स्कूल) इसमें शामिल हैं 1. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की यूनिट 2. सेरेब्रल पाल्सी की इकाई 3. बधिरों की इकाई 4. प्रारंभिक बाल्यावस्था की इकाई 5. गंभीर बहु दिव्यांगता की इकाई 6. ट्रांजिशन सेल की इकाई और प्ले स्कूल ❖ ऐसे दिव्यांग बच्चों, जो मॉडल स्कूल में नहीं जा सकते, के माता पिता को परामर्श द्वारा विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान करना ❖ अभिभावक सशक्तिकरण	❖ प्रारंभिक उपचार सेवाएं ❖ फिजियोथेरापी ❖ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ❖ संवेदी एकीकरण थेरेपी ❖ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स ❖ ऑडियोलॉजिकल मूल्यांकन ❖ वाक् और भाषा उपचार ❖ मनोवैज्ञानिक उपचार ❖ मार्गदर्शन और परामर्श ❖ वयस्क स्वतंत्र जीवन ❖ मोबाइल सेवाएं ❖ डे केयर सेंटर ❖ समुदाय / आउट रीच प्रोग्राम ❖ सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण ❖ परिवार कुटीर सेवाएं ❖ प्रलेखन और प्रसार सेवाएं ❖ राहत देखभाल सेवाएं ❖ टोल फ्री हेल्पलाइन

7.8.3 क्षेत्रीय केंद्र और समेकित क्षेत्रीय केंद्र

कोझिकोड, शिलांग और अंडमान एवं निकोबार द्वीप में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए तीन समेकित क्षेत्रीय केंद्र एनआईईपीएमडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं।

7.8.4 नई गतिविधियाँ

क) बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

विश्व स्वास्थ्य दिवस और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उत्सव (आजादी का आरती महोत्सव) के अवसर पर, एनआईईपीएमडी ने विशेष ओलंपिक भारत, तमिलनाडु के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव का आयोजन किया और एनआईईपीएमडी, मुत्तुकाडु, चेन्नई में 7 अप्रैल 2022 को कई स्थानों पर एक साथ अधिकांश लोगों के दौड़ लगाने के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। विशेष ओलंपिक फिट 5 का प्रदर्शन स्क्रीनिंग स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। फिट 5 शारीरिक गतिविधि, पोषण और जलयोजन के लिए एक योजना है, जिसका उद्देश्य एथलीटों और समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार करना है।

ख. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने 03.10.2022 को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के लिए एनआईईपीएमडी का दौरा किया।

भारत सरकार के माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 03 अक्टूबर 2022 को एनआईईपीएमडी में चेंगलपट्टू कलेक्टर और जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन और मंत्रिस्तरीय कार्य की समीक्षा करने के लिए एनआईईपीएमडी का दौरा किया। माननीय मंत्री ने बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली एनआईईपीएमडी पुनर्वास सेवा गतिविधियों की भी समीक्षा की जैसे कि 3 डी लैब प्रिंटिंग लैब, ऑडियोलॉजी लैबः साउंड ट्रीटेड, एडीएल लैब, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, किरण मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, राहत देखभाल सेवा, डेंटल क्लिनिक, न्यूरोडेवलपमेंटल थेरेपी, हाइड्रो थेरेपी, सीएसआर पहल के तहत सुगम्य स्कूल बस आदि।

07 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव का गिनीज रिकॉर्ड

17 मई 2022 को सीआरसी शिलांग का उद्घाटन

08 मई 2022 को डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

12 जुलाई 2022 को सचिव का एनआईईपीएमडी में दौरा

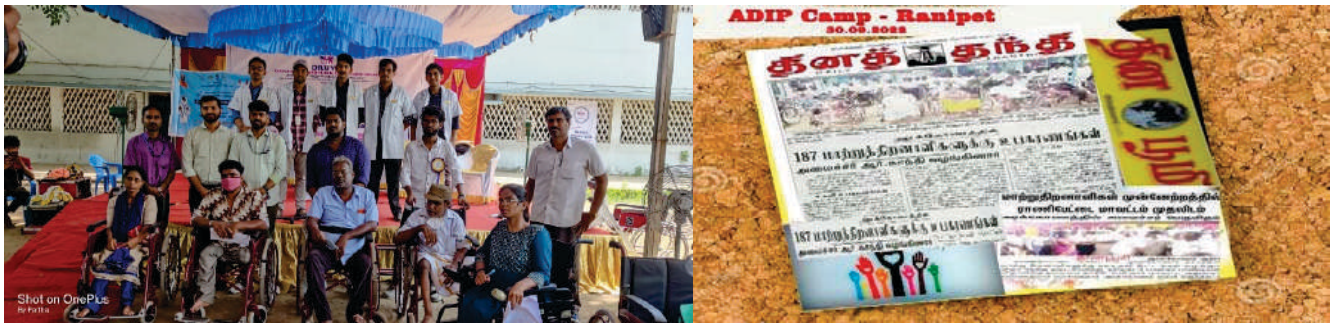

20 सितंबर 2022 को रानीपेट में एडिप शिविर

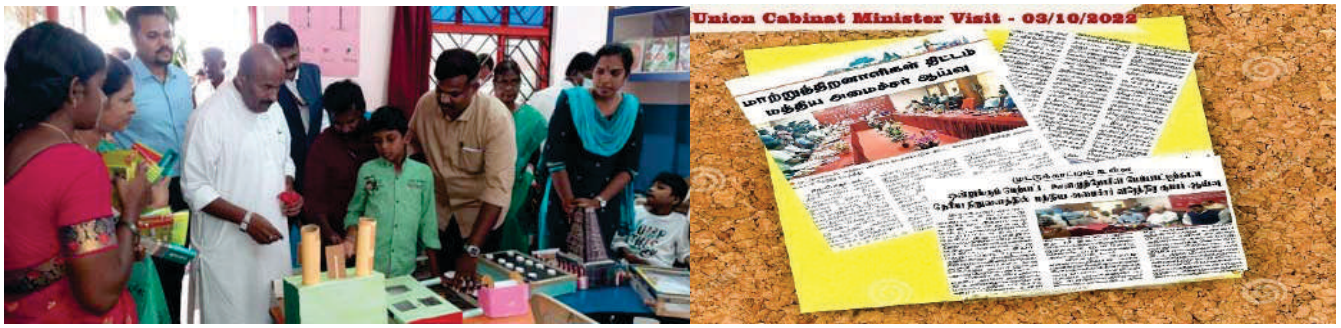

माननीय केंद्र कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, एमएसजे एंड ई, डीईपीडब्ल्यूडी ने 03 अक्टूबर 2022 को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के लिए एनआईईपीएमडी का दौरा किया।

03 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उत्सव मनाया गया।

7.9 भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी)

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के तहत 28 सितंबर, 2015 को स्थापित और पंजीकृत (पंजीकरण संख्या एस/1440/2016) स्वायत्त संगठन है।

7.9.1 केंद्र के लक्ष्य और उद्देश्य–

संस्थान के बहिर्नियम के अनुसार संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) द्विभाषिता (यानी सांकेतिक भाषा + लेखन) सहित भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) का प्रयोग, ,शिक्षण और इसमें अनुसंधान आयोजित करने के लिए जनशक्ति विकसित करना ।

(ii) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर श्रवण बाधित छात्रों के लिए एक शैक्षिक मोड के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना। यह केंद्र शिक्षा मंत्रालय(भारत सरकार) और राज्य शिक्षा विभागों के साथ तौर–तरीकों पर काम करेगा।

(iii) भारत और विदेशों में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान करना और भारतीय सांकेतिक भाषा कोष (शब्दावली) के निर्माण सहित आईएसएल के भाषा विज्ञान का रिकॉर्ड तैयार करना/विश्लेषण करना ।

(iv)भारतीय सांकेतिक भाषा को समझने और इसका उपयोग करने के लिए विभिन्न समूहों यानी सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों, शिक्षकों, पेशेवरों, समुदाय के नेताओं और बड़े पैमाने पर जनता को इसकी ओर उन्मुख करना और इसके लिए प्रशिक्षण देना।

(v) भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में बधिर संगठनों और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना ।

लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आईएसएलआरटीसी निम्नलिखित डोमेन में गतिविधियों का संचालन करता है:–

- अकादमिक गतिविधियाँ
- दुभाषिया सेवाएँ
- संसाधन विकास और प्रसार
- प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र

7.9.2 नई पहल और घटनाएं:

(i) आईएसएलआरटीसी दो पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है: डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल)। आईएसएलआरटीसी ने डीआईएसएलआई 2021–2022 और 2022–23 सत्र में (34 + 46) छात्रों को प्रवेश दिया है और (60 + 50) छात्रों को डीटीआईएसएल में 2021–22 और 2022–23 सत्रों में प्रवेश दिया है।

(ii) एनबीईआर–आरसीआई के तहत जांच निकाय होने के नाते आईएसएलआरटीसी ने सत्र 2021–22 में दिसंबर 2022 में डीआईएसएलआई/डीटीआईएसएल की परीक्षाएं आयोजित कीं।

(iii) आईएसएलआरटीसी ने भारत सरकार के विभिन्न विभागों और विभिन्न संगठनों जैसे ईसीआई, दूरदर्शन, एनएचआरसी आदि को इंटरप्रिटेशन सेवाएं प्रदान कीं।

(iv) 23 सितंबर, 2022 को "सांकेतिक भाषा दिवस" पूरे देश में मनाया गया क्योंकि माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति (एनआईसी) ने अन्य बातों के साथ–साथ "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) द्वारा आयोजित और मनाए जाने वाले कार्यक्रम – "सांकेतिक भाषा दिवस" को मंजूरी दी। लगभग 3,200 संगठनों/संस्थानों, डीईपीडब्ल्यूडी के तहत सभी एनआई, सीआरसी, आरसी को उत्सव के लिए शामिल किया गया था।

(v) 23 सितंबर 2022 को सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर केंद्र द्वारा किए गए निम्नलिखित विकास माननीय एसजे एंड ई राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक द्वारा लॉन्च किए गए थे:

- केंद्र द्वारा विकसित "साइन लर्न" नामक मोबाइल ऐप – आईएसएल शब्दकोश का उपयोग करने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध है।
- कक्षा –VI की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की आईएसएल ई–सामग्री – जिसे केंद्र द्वारा सीआईईटी, एनसीईआरटी के सहयोग से विकसित किया गया था।

- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, स्वतंत्रता सेनानियों पर नेशनल बुक ट्रस्ट की वीरगाथा श्रृंखला की पांच कॉमिक्स का आईएसएल संस्करण– केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।
- माध्यमिक स्तर पर इस्तेमाल होने वाले लगभग 500 शैक्षणिक शब्द, जो अक्सर इतिहास, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, गणित में उपयोग किए जाते हैं, आईएसएलआरटीसी और एनसीईआरटी के संयुक्त प्रयास से आईएसएल में विकसित किए गए थे और इसे आईएसएल शब्दकोश में शामिल किया गया था।

(vi) भारत में बधिर स्कूलों की निर्देशिका और आईएसएल दुभाषियों की निर्देशिका केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

(vii) आईएसएलआरटीसी ने पूरे भारत में सभी केंद्रों पर बधिर छात्रों तथा डीआईएसएलआई और डीटीआईएसएल के छात्रों के लिए 5 वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया। 23 सितंबर 2022 को सांकेतिक भाषा दिवस के दौरान चार श्रेणियों के विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

(viii) आईएसएलआरटीसी ने देश भर के विभिन्न स्थानों पर आईएसएल पर ऑनलाइन जागरूकता सत्र आयोजित करके इंडिया/75 के तहत 19 सितंबर से 25 सितंबर, 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया।

(ix) आईएसएलआरटीसी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हिंदी दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, संविधान दिवस और हर घर तिरंगा उत्सव मनाया और इसका अनुष्ठान किया।

(x) आईएसएलआरटीसी पुस्तकालय विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है जैसे परिसंचरण सेवा, संदर्भ सेवा, वर्तमान जागरूकता सेवा, प्रश्न पत्र सेवा, वीडियो प्रदर्शन, आदि।

7.9.3 दिनांक 23 सितंबर, 2022 को सांकेतिक भाषा दिवस 2022 मनाया गया

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 23 सितम्बर, 2022 को सी.डी. देशमुख ऑडिटोरियम, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी), नई दिल्ली में 'साइन लैंग्वेजस यूनाइट अस' विषय के साथ 'सांकेतिक भाषा दिवस' मनाया गया।

(ii) जब से संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है, तब से आईएसएलआरटीसी हर साल 23 सितंबर को इसे मनाता है। इस वर्ष माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति (एनआईसी) ने अन्य बातों के साथ–साथ 23 सितंबर, 2022 को "सांकेतिक भाषा दिवस" कार्यक्रम को मंजूरी दे दी, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) द्वारा "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के तहत आयोजित और मनाया जाएगा। कार्य योजना के अनुसार, लगभग 3,200 संगठनों/संस्थानों, डीईपीडब्ल्यूडी के तहत सभी एनआई, सीआरसी, आरसी को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सांकेतिक भाषा दिवस मनाने के लिए शामिल किया गया था।

(iii) सांकेतिक भाषा दिवस समारोह का उद्देश्य आम जनता को श्रवण बाधित व्यक्तियों के जीवन में भारतीय संकेत भाषा के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना था।

दिनांक 23.09.2022 को सांकेतिक भाषा दिवस 2022 मनाया गया

(iv) एक वीडियो संदेश के माध्यम से, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें गर्व और खुशी महसूस होती है कि पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति के सिद्धांत यानी वसुधैव कुटुम्बकम (सभी विश्व एक परिवार है) को अपना रही है और इसे पूरे विश्व में सांकेतिक भाषा दिवस के उत्सव के माध्यम से देखा जा सकता है।

(v) माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव एवं आईएसएलआरटीसी के निदेशक श्री राजेश यादव और नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ के अध्यक्ष श्री ए.एस. नारायणन भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति, संयुक्त निदेशक (एनसीईआरटी) और इस क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में दुभाषिया प्रशिक्षुओं और बधिर शिक्षक प्रशिक्षुओं द्वारा आईएसएल में गीत और माइम जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल थे।

(vi) दिनांक 23 सितंबर 2022 को मनाए गए सांकेतिक भाषा दिवस और माननीय एसजे एंड ई राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक द्वारा किए गए लॉन्च के मुख्य अंश इस प्रकार हैं :

- आईएसएल शब्दकोष का प्रयोग करने के लिए केंद्र द्वारा विकसित "साइन लर्न" नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध है।

- आईएसएलआरटीसी ने कक्षा 1 से 12 तक एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा (डिजिटल प्रारूप) में बदलने के लिए 06 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि पाठ्यपुस्तकों को श्रवण बाधित बच्चों के लिए सुगम्य बनाया जा सके। इस वर्ष सीआईईटी, एनसीईआरटी के सहयोग से केंद्र द्वारा विकसित छठी कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की आईएसएल ई–विषय–सामग्री लॉन्च की गई थी।

- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, केंद्र द्वारा विकसित स्वतंत्रता सेनानियों पर नेशनल बुक ट्रस्ट की वीरगाथा श्रृंखला के पांच कॉमिक्स के आईएसएल संस्करण का शुभारंभ किया गया।

- माध्यमिक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले 500 नए शैक्षणिक शब्द लॉन्च किए गए, जो अक्सर इतिहास, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, गणित में प्रयोग किए जाते हैं, जिसे आईएसएलआरटीसी और एनसीईआरटी के संयुक्त प्रयास से आईएसएल में विकसित किया गया था और इसे मौजूदा आईएसएल शब्दकोष में शामिल किया गया था। अब आईएसएल शब्दकोष में कुल 10,500 शब्द हैं।

7.9.4 बधिर छात्रों और दुभाषियों के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, 5 वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता, 2022 का उत्सव :

केंद्र ने 5 वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता, 2022 का उत्सव मनाया, जो बधिर छात्रों और दुभाषियों के लिए अपने आईएसएल कौशल, रचनात्मकता और ज्ञान का प्रदर्शन करने हेतु आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता के लिए, भारतीय सांकेतिक भाषा में चुटकुले, कहानियों और निबंधों पर प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं। सांकेतिक भाषा दिवस कार्यक्रम के दौरान, 5 वीं आईएसएल प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक द्वारा ट्रॉफी और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

7.9.5 भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

(i) आईएसएलआरटीसी ने 04.08.2022 से 06.08.2022 तक भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षकों को इस तरह से तैयार करना है कि वे स्वयं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, चाहे वह 1 दिन, 3 दिन या 15 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम हो।

दिनांक 04 से 06 अगस्त, 2022 तक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

(ii) एक या दो सफलता की कहानियां जिसमें रोगी के व्यक्तिगत विवरण के साथ रोगी / घटना की प्रासंगिक तस्वीरें (कैप्शन के साथ) शामिल हैं। सफलता की कहानी नियमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विशिष्ट होनी चाहिए, जो वार्षिक रिपोर्ट में मुद्रित होने के योग्य है।

(iii) माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से आईएसएलआरटीसी के प्रयासों, आईएसएल शब्दकोष और शिक्षा में आईएसएल की भूमिका की सराहना की।

(iv) एनसीईआरटी की आईएसएल ई– विषय–सामग्री का उपयोग करने के लिए, एनसीईआरटी की आईएसएल ई–सामग्री को एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल पर, शिक्षा मंत्रालय के पीएम ई–विद्या चैनल पर और आईएसएलआरटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। आईएसएल में शैक्षिक सामग्री स्कूलों में श्रवण बाधिता बच्चों को सुगम्य शिक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

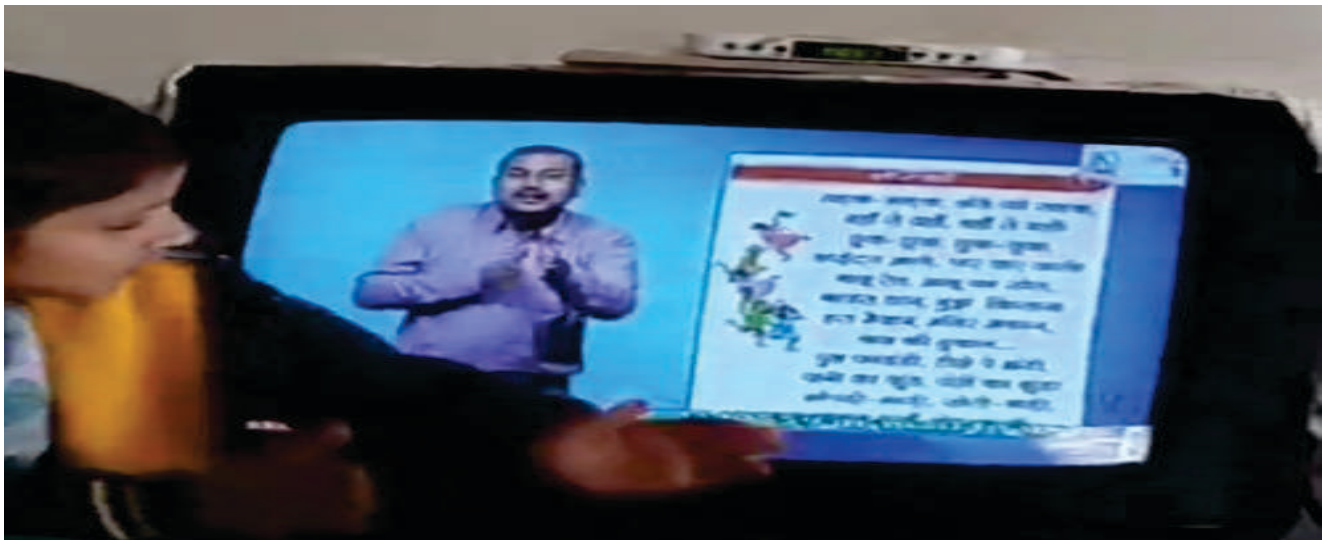

पीएम ई–विद्या चैनल पर आईएसएल ई कंटेंट के माध्यम से सीख रहे छात्र

7.10 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश

बौद्धिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में एकीकृत बहुविषयक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए बौद्धिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देने और बौद्धिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों को विकसित करने के उद्देश्य से 28 मई 2019 को मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। इस संस्थान के भवन का निर्माण सिहोर, मध्यप्रदेश में भोपाल–सीहोर हाईवे के किनारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 25 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। वर्तमान में एनआईएमएचआर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'पुराना जिला पंचायत भवन', सीहोर में प्रदान किए गए अस्थायी आवास से कार्य कर रहा है। यह पुनर्वास और क्लीनिकल सेवाएं प्रदान कर रहा है और सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग (सीसीसीजी मानसिक स्वास्थ्य), डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन (डीसीबीआर) और डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन–इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी (डीवीआर–आईडी) में सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाता है।

7.10.1 लक्ष्य और उद्देश्य:

(i) मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए मानक विकसित करना।
(ii) मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र के लिए मानव संसाधन का विकास।
(iii) नीति तैयार करने और अग्रिम अनुसंधान के लिए कार्य करना ।

7.10.2 सेवाए:

- ❖ बुद्धि परीक्षण जैसा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
- ❖ व्यक्तित्व मूल्यांकन
- ❖ मनोवैज्ञानिक उपचार या मनोचिकित्सा
- ❖ मनोरोग उपचार और मनोरोग नर्सिंग देखभाल
- ❖ आक्यूपेशनल थेरेपी

7.10.3 नई पहल और कार्यक्रम :

वर्ष 2022–23 में एनआईएमएचआर, सीहोर द्वारा आयोजित गतिविधियों का विवरण–

- एनआईएमएचआर ने 4 अप्रैल 2022 को विश्व ऑटिज़्म दिवस के अवसर पर एनआईएमएचआर, सीहोर में "ऑटिस्टिक बच्चों का गृह आधारित प्रबंधन" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया है।

- 31 मई 2022 को मंडी आंगनवाड़ी, इंद्रा नगर, सीहोर पर "विश्व तंबाकू निषेध दिवस" का आयोजन किया गया।

- डीओ नंबर 1–14002/1/2022–एआईसी जागरूकता कार्यक्रम "सुगम्य भारत ऐप का प्रदर्शन" पर 9 मई 2022 को जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र, सीहोर में आयोजित किया गया था।

- 12 मई 2022 को सीहोर के "आंगनवाड़ी" शिव आराध्य नगर में "सुगम्य भारत ऐप का प्रदर्शन" पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

- 17 मई 2022 को एनआईएमएचआर, सीहोर में "सुगम्य भारत ऐप का प्रदर्शन" पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

- 26 मई 2022 को आंगनवाड़ी जमशेद नगर में "पोषण का महत्व" पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

- डीईपीडब्ल्यूडी के कार्यालय ज्ञापन पत्र सं. ए– 42018/26/2019 दिनांक 7 जून 2022 के अनुपालन में, एनआईएमएचआर ने 13 जून 2022 को सभी एनआईएमएचआर छात्रों के लिए योग सत्र और योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया।

- 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 13 जून 2022 को आयोजित योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

- 'स्वच्छता पखवाड़ा उत्सव' के तहत 28 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर में सफाई अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर एनआईएमएचआर के अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों ने परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया।

- "स्वच्छता पखवाड़ा उत्सव" के एक भाग के रूप में, एनआईएमएचआर ने संस्थान के मुख्य परिसर के निर्माण स्थल पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर एनआईएमएचआर के अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक अभियान में भाग लिया।

- "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान में मनोचिकित्सा ओपीडी का उद्घाटन" किया गया।

  6 अगस्त 2022 को, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर में मनोचिकित्सा ओपीडी सेवाओं का उद्घाटन मनोचिकित्सक डॉ. प्रितेश गौतम, डॉ. प्रियंका भटनागर और डॉ. फैजल सिद्दीकी की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर श्री मोहम्मद अशफाक (उप रजिस्ट्रार), सुश्री प्रगति पांडेय (एपीसीपी), श्री आनंद किशोर पांडेय (प्रशासनिक अधिकारी) सहित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। पहले दिन 20 रोगी एनआईएमएचआर में मनोरोग ओपीडी में आए, जिन्हें उचित उपचार और चिकित्सीय मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

- "हर घर तिरंगा" के तहत गतिविधियों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) ने इसके लिए एक जागरूकता गतिविधि का आयोजन किया। इस अवसर पर एनआईएमएचआर के सभी अधिकारी, कर्मचारी और छात्रों ने गतिविधि में भाग लिया।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक जागरूकता गतिविधि का आयोजन किया।

- एनआईएमएचआर सीहोर ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएचएम द्वारा आयोजित रैली में भाग लिया। एनआईएमएचआर सीहोर ने 10 सितंबर 2022 को एनआईएमएचआर, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के साथ एक जागरूकता रैली आयोजित करने के माध्यम से "कार्य के माध्यम से आशा पैदा करना" विषय के साथ विश्व आत्मघात निवारण दिवस 2022 मनाया।

एनआईएमएचआर सीहोर ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएचएम द्वारा आयोजित रैली में भाग लिया। एनआईएमएचआर सीहोर ने 10 सितंबर 2022 को विश्व आत्मघात निवारण दिवस 2022 मनाया।

- विश्व आत्मघात निवारण दिवस पर आयोजित कार्यशाला में, विशिष्ट अतिथि सीहोर के कलेक्टर– श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने कहा कि "असफलता सफलता की दिशा में पहली सीढ़ी है, मानव जीवन सबसे मूल्यवान है और इसे आत्महत्या से समाप्त नहीं करना चाहिए।

विश्व आत्मघात निवारण दिवस पर कार्यशाला का आयोजन, विशिष्ट अतिथि श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर– सीहोर

- विश्व आत्मघात निवारण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में श्रीमती प्रगति पांडे, सहायक प्रोफेसर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एनआईएमएचआर–सीहोर ने कहा कि "हमें यह सोचना चाहिए कि यदि आत्महत्या का प्रयास सफल नहीं होता है तो जीवन अधिक मापनीय हो सकता है क्योंकि यह जीवन भर दिव्यांगता का कारण बन सकता है"।

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022 के अवसर पर एनआईएमएचआर द्वारा आयोजित जागरूकता रैली को सीहोर के विधायक श्री सुदेश राय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस एवं सप्ताह 2022 के उपलक्ष्य में एनआईएमएचआर–सीहोर द्वारा आशा निकेतन बधिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त निदेशक श्रीमती अल्पना ओझा, भाजपा की प्रवक्ता श्रीमती नेहा बग्गा, एनआईएमएचआर के उप रजिस्ट्रार, सहायक प्राध्यापकों एवं इसके संकाय सदस्य की उपस्थिति में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

- स्थानीय लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022 के अवसर पर एनआईएमएचआर के छात्रों द्वारा 'नुक्कड़ नाटक' का प्रदर्शन किया गया।

- 14 अक्टूबर 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के समापन समारोह के अवसर पर, एनआईएमएचआर ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर आशा और आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

- एनआईएमएचआर ने सामाजिक न्याय विभाग– सीहोर, मध्य प्रदेश के सहयोग से 3 दिसंबर, 2022 को "अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीहोर के विधायक श्री सुदेश राय ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और साथ ही संयुक्त कलेक्टर और निदेशक, सामाजिक न्याय, एसडीएम–सीहोर, उप–रजिस्ट्रार, सहायक प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी, एनआईएमएचआर के सभी कर्मचारी और छात्र उपस्थित थे।

सामाजिक न्याय विभाग– सीहोर के सहयोग से 3 दिसंबर, 2022 को "अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" मनाया गया।

विभाग की योजनाएं

14 अक्टूबर 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर एनआईएमएचआर ने आशा और आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया

- एनआईएमएचआर– सीहोर में बाल और किशोर पुनर्वास शिक्षा (केयर) – क्लिनिक की शुरुआत ।

सिंहावलोकन

विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। योजना के उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बढ़ाने तथा साथ ही उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाने के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास को प्रोत्साहन देना तथा विकास करना है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रमुख योजनाएं हैं:

8.1 दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) / दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

8.1.1 दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

उद्देश्य

(i) डीडीआरएस (दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना) विभाग की एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जो गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित ऐसी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना है जिसका लक्ष्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक उनकी पहुंचना और उन्हें बनाए रखना है।

(ii) दिव्यांगजनों के समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करना।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाई को प्रोत्साहित करना।

8.1.2 डीडीआरएस के अंतर्गत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियां/घटक

(i) कर्मचारियों को मानदेय
(ii) लाभार्थियों को परिवहन
(iii) लाभार्थियों के लिए स्टाइपेंड/हॉस्टल रखरखाव
(iv) कच्चे सामग्री की लागत
(v) कार्यालय व्यय, बिजली, पानी शुल्क एवं किराए के लिए आकस्मिक राशि देना

8.1.3 डीडीआरएस के तहत अनुदान के लिए पात्रता शर्तें

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर–लाभकारी कंपनी के तहत संगठन,
- जो न्यूनतम दो साल की अवधि से अस्तित्व में है,
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत
- नीति आयोग पोर्टल, एनजीओ – दर्पण पर पंजीकृत,
- परियोजना पर कार्य करने के लिए वह एक उपयुक्त रूप से गठित एक प्रबंधन निकाय हो, उसके पास पर्याप्त सुविधाएं और अनुभव हो, न कि वह किसी व्यक्ति या वैयक्तिक निकाय के लाभ के लिए कार्य करता हो,

8.1.4 योजना की मॉनीटरिंग के लिए प्रक्रिया

(i) उस संगठन को दिए गए पिछले अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र होने पर ही अनुदान जारी किया गया।

(ii) संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों की मॉनीटरिंग और निरीक्षण करते हैं।

(iii) विभाग अपने राष्ट्रीय संस्थानों और विभाग के अधिकारियों के माध्यम से योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों का समय–समय पर निरीक्षण भी करता है।

(iv) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अन्तर्गत सहायता अनुदान (जीआईए) मांगने वाले गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सभी आवेदन मंत्रालय के ई–अनुदान पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

(v) विभाग ने एक केन्द्रीय कार्यक्रम मॉनिटरिंग इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना की है, जो मुख्य रूप से योजना की परियोजनाओं के निरीक्षण और गहन मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई है। पीएमयू टीम/सदस्य पीआईए का औचक निरीक्षण करेंगे और पीआईए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कार्य निष्पादन और गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करेंगे।

8.1.5 डीडीआरएस योजना के अंतर्गत पिछले चार वर्शों एवं चालू वर्श में वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्श	वित्तीय आउटले (परिव्यय)/उपलब्धियां (रू. करोड़ में)			वास्तविक उपलब्धियां	
	बीई	आरइ	वास्तविक व्यय	सहायता प्रदत्त एनजीओ की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2018-19	70.00	70.00	70.00	543	41,803
2019-20	75.00	105.00	101.66	432	38,004
2020-21	130.00	85.00	77.42	340	31,542
2021-22	125.00	105.00	100.89	318	30,082
2022-23 **(31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)**	125.00	125.00	48.95	214	17,897

8.1.6 संशोधित योजना के प्रावधान

01 अप्रैल 2022 से संशोधित दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) कार्यान्वित की जा रही है। संशोधित डीडीआरएस योजना के तहत मॉडल परियोजनाओं की सूची 9 से घटाकर 8 कर दी गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

क) पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (एनजीओ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी परियोजना अनुमोदित होने के बाद, इस संशोधित योजना के तहत निर्धारित लागत–मानदंडों के आधार पर आकलित 90% राशि की हकदार होंगी। विशेष क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामले में संशोधित लागत मानदंडों के आधार पर आकलित राशि का 100% अनुमत होगा।

विशेष क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- 8 उत्तर–पूर्वी राज्य
- हिमालय क्षेत्र राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश)
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (समय–समय पर गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित)
- अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले ।

ख) शहरी क्षेत्रों में भी सहायता अनुदान की कोई टैपरिंग नहीं होगी।

ग) आरपीडब्ल्यूडी, अधिनियम, 2016 के अनुसार सभी 21 दिव्यांगताओं को कवर करने के लिए मॉडल परियोजनाओं की अवधारणा की गई है।

घ) दो नई मॉडल परियोजनाओं को छोड़कर सभी परियोजनाओं में गृह आधारित पुनर्वास (एचबीआर) और समुदाय आधारित पुनर्वास का प्रावधान रखा गया है।

ङ) आईडी लाभार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है।

च) कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी किया जाएगा।

छ) समावेशी शिक्षा जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक/उपचार केंद्र के लिए नई परियोजना रखी गई है।

ज) सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए एक अन्य नई परियोजना क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर का प्रावधान किया गया है।

झ) लाभार्थियों की संख्या:

(i) निरीक्षण की तारीख से पहले पिछले 30 दिनों में से कम से कम 15 दिनों तक संस्थान में उपस्थित रहने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए सहायता अनुदान की गणना की जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण अधिकारी द्वारा ऐसे लाभार्थियों की संख्या निर्दिष्ट की जानी है।

(ii) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि पर कोई रोक नहीं है बशर्ते अवसंरचना उपलब्ध हो।

ड़. संगठन को मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) पर सहायता अनुदान के लिए आवेदन करना होगा और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पूरा प्रस्ताव अग्रेषित करना होगा। ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट के निरीक्षण और प्रस्तुत करने पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।

च. (i) प्राप्त प्रस्तावों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या, (ii) डीडीआरएस के तहत जारी किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निधि, (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार लाभार्थियों की संख्या, (iv) डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2022–23 में

दिए गए सहायता–अनुदान का विवरण **अनुबंध–6 क, अनुबंध–6 ख, अनुबंध–6 ग तथा अनुबंध–6 घ** में दिया गया है।

8.1.7 **डीडीआरएस के तहत मॉडल परियोजनाएं इस प्रकार हैं:–**

i. **गृह आधारित पुनर्वास एवं समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के प्रावधान के साथ क्रास–डिसेबिलिटी प्री–स्कूल एवं प्रारंभिक उपाय की परियोजना** – प्राथमिक उद्देशय सभी प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रस्त **6 वर्ष की आयु तक के बच्चों** को विशेष स्कूलों में अपनी स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना और / या समावेशी शिक्षा के लिए नियमित स्कूलों में उचित चरण में एकीकरण के लिए तैयार करना और प्रारंभिक उपचार करके उनकी दिव्यांगता के बोझ को कम करने के लिए कोशिश करना है।

ii. **गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल** - श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में, भाषा और संचार कौशल एवं शिक्षाविदों के विकास पर जोर दिया गया है। इस मॉडल परियोजना के लिए विशेष शिक्षा का मूल उद्देश्य श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के माध्यम से यथासंभव सामान्य जीवन–यापन में सहायता करना है।

iii. **गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों (बधिर –दृष्टिहीनता सहित) के लिए विशेष स्कूल -** दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में, संचार कौशल और अन्य संवेदी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया जाता है, इसका अंतिम उद्देश्य इन छात्रों को अधिगम के नियमित संस्थानों और सामान्य रूप से समाज के साथ एकीकृत करना है।

iv. **गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, आटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, बहु दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बधिर–दृष्टिहीनता आदि)-** विशेष स्कूल आवासीय और गैर–आवासीय देखभाल प्रदान करने के लिए हैं जिसका उद्येश्य अंतत दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार की विभिन्न चरणों को लाना है। ये दैनिक जीवन की गतिविधियों के रूप में बुनियादी कौशल प्राप्त करने से लेकर सामान्य रूप से सीखने और समाज के नियमित संस्थानों में उनके एकीकरण तक हो सकते हैं।

v. **गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ कुश्ठरोग उपचारित व्यक्तियों (एलसीपी) का पुनर्वास-** इस परियोजना का मूल उद्देश्य कुष्ठ रोग से उपचारित व्यक्तियों को कौशल के साथ सशक्त बनाना है ताकि वे अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। परियोजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाइयां और घर (केवल गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए) शामिल हो सकते हैं।

vi. **गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ उपचारित एवं नियंत्रित मानसिक रूग्णता ग्रसित व्यक्तियों के मनो–सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम परियोजना-** इस परियोजना का उद्देश्य उचित समय के भीतर सामान्य जीवन में एकीकृत होने में सक्षम होने के लिए मानसिक बीमारी से उपचारित और नियंत्रित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक सुविधाजनक तंत्र प्रदान करना है।

vii. **समावेशी शिक्षा परियोजना को जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक / उपचार केंद्र -** इस योजना के माध्यम से, अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों की पहचान जल्दी की जाएगी और पिछड़े (लैगिंग) अवधारणाओं को अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से समर्थन दिया जाएगा और समावेशी शिक्षा को जारी रखने में सक्षम बनाया जाएगा।

viii. **क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श केंद्र -** यह परियोजना किसी भी प्रकार की दिव्यांगता (जैसा कि एसिड–अटैक पीड़ितों सहित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में निर्दिष्ट है) से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों को उनकी चिकित्सीय या परामर्श आवश्यकताओं के लिए क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श सहायता प्रदान
करना है।

8.1.8 जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

8.1.8.1 डीडीआरसी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

(i) प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप (इंटरवेंशन)।

(ii) जागरूकता सृजन।

(iii) सहायक उपकरणों की आवश्यकता/प्रावधान/फिटमेंट का आकलन।

(iv) चिकित्सीय सेवाएं जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि।

(v) रेफरल और सर्जिकल सुधार की व्यवस्था।

(vi) छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता।

(vii) कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ऋण।

(viii) शिविर दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान।

(ix) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी करने में सहायता करना

(x) स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था

(xi) राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करना

(xii) बाधा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना।

8.1.8.2 डीडीआरसी की स्थिति

(i) डीडीआरसी की स्थापना के लिए अनुमोदित जिलों की संख्या– देश के हर जिले में एक डीडीआरसी

(ii) स्थापित डीडीआरसी की संख्या– 269

(iii) कार्यरत और नियमित अनुदान प्राप्त कर रहे डीडीआरसी की संख्या – 55–60

8.1.8.3 **डीडीआरसी के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियाँ/घटकें**

मदें	संशोधित दरें (')
कुल मानदेय	**27.63**
कार्यालय व्यय/आकस्मिक व्यय	5.25
उपकरण (स्थापना के लिए केवल पहले वर्ष के लिए)	20.00

[*विशेष क्षेत्रों/राज्यों में डीडीआरसी के लिए मानदेय की 20% अधिक राशि निम्नानुसार अनुमेय है]

- 8 पूर्वोत्तर राज्य,
- हिमालयी क्षेत्र के राज्य (जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश),
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) और
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे जिले।

(iv) **डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसियां** एक रेड क्रॉस सोसाइटी या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का कोई भी स्वायत्त/अर्ध–स्वायत्त निकाय **या** एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन हो सकती हैं।

(v) **संशोधित डीडीआरसी योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं: –**

- संशोधित डीडीआरसी योजना 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है ।
- इस योजना में चार नए पद सृजित किए गए और एक पद हटा दिया गया।
- डीडीआरसी का स्थान अधिमान्यतः जिला अस्पताल/ डीईआईसी या अधिक निकट में स्थापित किया जाएगा.
- दिव्यांगजनों के प्रभावी पुनर्वास के लिए कम से कम 4 चिकित्सा और पुनर्वास पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सहायता अनुदान प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाएगी।

(vi) **डीडीआरसी के तहत अनुदान हेतु स्वीकार्य पद अनुबंध – 7क पर, 2018–19 से 2022–23 के दौरान सहायता प्राप्त डीडीआरसी, जारी की गई राशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या अनुबंध – 7ख पर, 2022–23 के दौरान जारी की गई सहायता अनुदान का विवरण अनुबंध – 7ग पर है।**

8.2 सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजनाः

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थाओं/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों/भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)/जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र/राज्य दिव्यांगजन विकास निगम/अन्य स्थानीय निकाय/एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान करना है ताकि दिव्यांगजनों की अक्षमताओं के प्रभाव को घटाने तथा उसी वक्त उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से उनकी भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक साधनों तथा उपकरणों को प्राप्त करने में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करने की स्थिति में हो सके। दिव्यांगजनों को उनके स्वतंत्र कार्य करने में सुधार करने और अक्षमता को रोकने तथा सेकेंडरी अक्षमता होने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें सहायक उपकरण दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत दिए गए यंत्र तथा उपकरण का विधिवत प्रमाणन होना चाहिए। योजना में जब कभी आवश्यक हो, सहायक उपकरण देने से पूर्व सुधारात्मक सर्जरी के आयोजन की भी परिकल्पना की गई है। दिनांक 01.04. 2022 से इस योजना में परिशोधित/संशोधित किया गया है।

8.2.1. पात्रता मानदंड:

(i) 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले भारतीय नागरिक (राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार)।

(ii) सभी स्रोतों से मासिक आय 100 प्रतिशत रियायत के लिए 22,500/– रू0 प्रतिमाह और 50 प्रतिशत रियायत के लिए 22,501/– से 30,000/– रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) नए सहायक उपकरण केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 03 वर्ष के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे। तथापि, 12 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए इसकी आपूर्ति 01 वर्ष बाद की जा सकती है।

(iv) अनाथालयों एवं हाफ–वे होम्स में रहने वाले लाभार्थियों के आय प्रमाणपत्रों को जिला क्लैक्टर या संबंधित संगठन के मुखिया के प्रमाणन पर स्वीकार किया जा सकता है ।

8.2.2. सहायक यंत्र/उपकरण की अधिकतम लागत सीमा:

(i) सहायक यंत्र एवं उपकरण **15000/– रू0** से अधिक की लागत के नहीं होने चाहिए।

(ii) बहु दिव्यांगता के मामले में, एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने के मामले में सीमा व्यक्तिगत मद पर अलग से लागू होगी।

(iii) कोक्लियर इम्प्लांट और **मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल को छोड़कर 30,001/– रुपये** से अधिक की महंगी वस्तुएं, जो आय सीमा के अध्यधीन योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं, को सूचीबद्ध किया जाएगा। भारत सरकार समिति द्वारा इस प्रकार सूचीबद्ध इन मदों की लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष का योगदान या तो राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठन या किसी अन्य एजेंसी द्वारा या मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के अधीन संबंधित लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

8.2.3. गतिविधियों का प्रकार– एडिप योजना के तहत धन निर्धारित किया गया है और निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता हैः

(i) एडिप–एसएसए शिविर

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एमएचआरडी) की समग्र सर्वशिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरित किए जाते हैं। एचआरडी मंत्रालय के साथ करार के अनुसार, एलिम्कों, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी को एमएचआरडी द्वारा व्यय का 40 प्रतिशत तथा एडिप योजना के अंतर्गत अनुदान के माध्यम से विभाग द्वारा व्यय का शेष 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ii) शिविर गतिविधियों के लिएः

योजना के तहत, जिलेवार दिव्यांगता शिविरों का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को शिविरों के आयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों की सिफारिश करते हुए दुर्गम और असेवित क्षेत्रों के कवरेज पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । उभरती जरूरतों के अनुसार समय–समय पर शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। जबकि कोविड–19 पूरी आबादी को प्रभावित कर रहा है, दिव्यांगजन, उनके शारीरिक, संवेदी और संज्ञानात्मक सीमाओं के कारण इस रोग के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने लाभार्थियों की पहचान तथा सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक नई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। तापमान जांच, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन आदि जैसे सुरक्षा और बचाव सुनिश्चित करने के उपायों का कड़ाई से पालन किया गया है। मास्क, दस्ताने और पीपीई किट आदि के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है।

(iii) मुख्यालय गतिविधियों के लिए

(क) राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिम्को उन पात्र लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एडिप अनुदान का उपयोग करते हैं जो इन संस्थानों अथवा उनके संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों से संपर्क करते हैं।

(ख) कुछ प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के केंद्र/उप–केंद्र हैं जो दिव्यांगजनों के लिए ओपीडी क्रियाकलाप निष्पादित करते हैं तथा सुधारात्मक सर्जिकल संबंधी आप्रेशन करते हैं। बहुत से दिव्यांगजन सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के लिए अपने केंद्रों/उपकेंद्रों में जाते हैं। अतः, एडिप अनुदान उनके संबंधित मुख्यालय क्रियाकलापों के लिए जारी किए जाते हैं।

(ग) कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया गया है ।

(iv) कोकलियर इंप्लांट सर्जरियां

क) 1 से 5 वर्ष की आयु के बीच प्री–लिंगवल श्रवण हानि वाले बच्चों के मामले में 7.00 लाख रुपये प्रति यूनिट (सरकार द्वारा वहन की जानी है) की सीमा के साथ श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट और पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी और पुनर्वास का प्रावधान है और 5 से 18 वर्ष के बीच अधिग्रहित श्रवण हानि वाले बच्चों के मामले में यह 6.00 लाख रुपये है। वित्तीय सहायता दोनों मामलों में इम्प्लांट, सर्जरी, थेरेपी, मैपिंग, यात्रा और प्री–इम्प्लांट मूल्यांकन की लागत को कवर करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से, श्रवण और वाक् बाधित बच्चे सफलतापूर्वक सुनने और बोलने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हैं।

ख) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई कोकलियर इंपलांट सर्जरी के लिए नोडल एजेंसी है। सर्जरी इस विभाग द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों में की जाएगी। कोकलियर इंप्लांट यंत्र कोर समिति द्वारा सिफारिश किए गए विनिर्देशों के अनूसार भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा खरीदा जाएगा। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संस्करण) में विज्ञापन जारी करने और अपनी वेबसाइट – www.adipcochlearimplant.in के माध्यम से भी आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुम्बई के वेबसाइट पर विज्ञापन/ब्यौरे के आधार पर आवेदन करना पड़ता है।

(v) मोटरयुक्त तिपहिया तथा व्हीलचेयर का वितरण

एडिप योजना के अंतर्गत, गंभीर लोकोमोटर दिव्यांगता, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हेमिपेलिगिया और इसी तरह की स्थिति वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए मोटरचालित तिपहिया और मोटर चालित व्हीलचेयर का प्रावधान है, जहां या तो तीन/चार अंग या शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से बाधित हुआ है। 80 प्रतिशत और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन मोटर चालित तिपहिया और मोटर चालित व्हीलचेयर के लिए सहायता के लिए पात्र होंगे। सब्सिडी की सीमा 50,000/– रुपये होगी। यह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को, पांच साल में एक बार, प्रदान किया जाएगा। मानसिक रूप से बाधित 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्ति मोटर चालित तिपहिया साइकिल और व्हील चेयर के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि इससे उन्हें गंभीर दुर्घटना / शारीरिक नुकसान का खतरा होता है।

माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्र मंत्री, श्री नितिन गडकरी और माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्र मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 25.08.2022 को नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित एक वितरण शिविर में एडिप योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों को मोटर चालित तिपहिया साइकिल वितरित की।

8.2.4. इस योजना के तहत पिछले चार वित्त वर्षों की वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार है:–

(रू. करोड़ में)

वर्ष	बीई आबंटन	संशोधित अनुमान	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	230.00	222.50	213.83	3,51,629
2020-21	230.00	195.00	189.13	2,58,749
2021-22	220.00	180.00	198.69	2,43,387
2022-23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)	235.00	-	145.67	1,40,266

8.2.5. एडिप योजना के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2022 तक) के दौरान विभिन्न गतिविधियों के तहत आयोजित शिविरों,, उपयोग की गई निधियां और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध–8क** पर है। वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान राष्ट्रीय संस्थान/एलिम्को/सीआरसी एवं गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध–8ख** पर है। 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मांग पर आयोजित विशेष शिविरों/आयोजित शिविरों का विवरण **अनुबंध–8ग** पर है। विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी आदि को जारी किए गए सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध–8घ** पर है।

8.2.6 पिछले आठ वर्शों एवं चालू वर्श (31.12.2022 तक) के दौरान सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) के अंतर्गत वि ेश उपलब्धियां:

(i) एडिप योजना के तहत, पिछले आठ वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 1526.31 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान का उपयोग किया गया जिससे 13009 शिविरों के माध्यम से लगभग 23.69 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ii) 13009 शिविरों में से, 899 मेगा शिविरों/विशेष शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए लगभग 690.52 करोड़ रुपये की लागत से 7.68 लाख दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

(iii) इन मेगा शिविरों में से ग्वालियर में एक शिविर में माननीय राष्ट्रपति ने उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई और वाराणसी, नवसारी, वडोदरा, राजकोट और प्रयागराज में पांच शिविरों में माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित थे।

(iv) देश भर के स्कूलों में एडिप–समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 7562 शिविरों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले 8.02 लाख दिव्यांग बच्चों को लगभग 282.09 करोड़ रुपये की लागत वाले सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए।

(v) 17.09.2022 को 72 शिविर आयोजित किए गए जिसमें 29,750 दिव्यांगजनों को 28.95 करोड़ रुपये की लागत वाले सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए।

(vi) देश में 4732 (एडिप योजना के तहत 3797 और सीएसआर के तहत 753) कॉकलियर इंप्लांट सर्जरियाँ सफलतापूर्वक की गई है।

(vii) पात्र दिव्यांगजनों को 34949 मोटरचालित ट्राइसाइकिल वितरित की गई हैं।

8.2.7 दस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ये इस प्रकार हैं:–

- **पहला** रिकॉर्ड – 16 सितंबर, 2016 को गुजरात के नवसारी में एक ही स्थान पर एक साथ सबसे ज्यादा तेल के दीपक जलाकर बनाया गया ।
- **दूसरा** रिकॉर्ड – 17 सितंबर, 2016 को गुजरात के नवसारी में एक ही स्थान पर 8 घंटे के भीतर 600 व्यक्तियों (1200 हियरिंग एड्स) के लिए 1200 हियरिंग एड्स की फिटिंग।
- **तीसरा** रिकॉर्ड – 17 सितंबर, 2016 को गुजरात के नवसारी में 1000 दिव्यांगजन द्वारा सबसे बड़ा व्हीलचेयर लोगो/छवि बनाना, जिसने इस घटना को ऐतिहासिक बना दिया।
- **चौथा** रिकॉर्ड – 05 नवंबर, 2016 को मणिपुर शिविर में बनाया गया जब 3,911 श्रवण बाधितों को 8 घंटे में हियरिंग एड्स फिट की गई।
- **पाँचवाँ** रिकॉर्ड – हमारे राष्ट्रगान का प्रदर्शन करते हुए एक ही स्थान पर सांकेतिक भाषा के पाठ में श्रवण बाधित 1445 व्यक्तियों की अधिकतम भागीदारी से गिन्निज वर्ल्ड रिकार्ड बना। इससे पहले, ताइवान (चीन) द्वारा श्रवण बाधित 978 व्यक्तियों की भागीदारी के साथ ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया था।
- **छठा** रिकॉर्ड – 29 जून, 2017 को गुजरात के राजकोट में एक ही दिन में 781 गतिविषयक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों में अधिकतम आर्थोसिस(कैलिपर्स) फिट करने की श्रेणी के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकार्ड बना।
- **सातवां** विश्व रिकॉर्ड "अधिकांश लोगों को 8 घंटे (एकल स्थान) में कृत्रिम अंग लगाए गए" यह रिकार्ड एडिप योजना के तहत दिनांक 28 फरवरी, 2019 को भरूच गुजरात में आयोजित शिविर में बनाया गया था जहां पर 260 दिव्यांग व्यक्तियों को इस तरह के कृत्रिम अंग लगाए गए थे।
- **आठवां** रिकार्ड 29 फरवरी, 2020 को प्रयागराज में एक घंटे में हाथ से संचालित ट्राई साइकिल (626 संख्या) का दान किया गया।
- **नौवां** रिकार्ड – 29 फरवरी, 2020 को प्रयागराज में हाथ से संचालित ट्राइसाइकिल(300 संख्या) की सबसे बड़ी परेड।
- **दसवां** रिकार्ड – 29 फरवरी, 2020 को प्रयागराज में व्हील चेयर की सबसे बड़ी चलती लाइन (400 संख्यां) – 1.8 कि.मी. ।

8.2.8 मॉनिटरिंग तंत्र

योजना के कार्यान्वयन की मानिटरिंग के लिए निम्नलिखित तंत्र की व्यवस्था की गई है :

(i) यह योजना डीबीटी भारत पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

(ii) मंत्रालय की दिव्यांगता संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त संगठनों का निरीक्षण, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकारियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन किया गया है।

(iii) **विभाग द्वारा निरीक्षण, गुणवत्ता मापदंडों की मानिटरिंग और रिपोर्टें तैयार करने, डाटा वि लेशण के लिए केंद्रीय परियोजना मानिटरिंग इकाई (सीपीएमयू) सृजित की गई।**

(iv) एडिप योजना के तहत, किसी विशेष कार्यान्वयन एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर अनुदान जारी किए जाते हैं। अनुशंसित प्राधिकरण संगठन को पिछले अनुदान से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की 15 प्रतिशत (10 लाख रूपये तक की जीआईए के मामले में) और 10 प्रतिशत (10.00 लाख रूपये से अधिक जीआईए के मामले में) जांच/नमूना जांच का आयोजन भी करता है।

(v) संगठनों को उन्हें जारी पिछले अनुदान के संबंध में लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है ।

(vi) एडिप योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों को एक वेबसाइट का भी अनुरक्षण करना चाहिए और प्राप्त, उपयोग की गई अनुदानों का विवरण, उपयोग और लाभार्थियों की सूची के साथ फोटो और राशन कार्ड नंबर/वोटर आईडी नंबर/आधार कार्ड नंबर अपलोड करना चाहिए, जैसा भी मामला हो। (सरकार के निर्देशों के अनुसार, आधार नंबर हालांकि प्राप्त किया जाता है लेकिन प्रदर्शित नहीं किया जाता है)।

(vii) ई–अनुदान पोर्टल पर गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को ऑन लाइन प्रस्तुत करना और प्रोसेस करना।

(viii) नीति आयोग पोर्टल (एनजीओ दर्पण)पर एनजीओ का अनिवार्य पंजीकरण

(ix) पीएफएमएस के ईएटी (व्यय अग्रिम अंतरण) मॉड्यूल के माध्यम से सहायता–अनुदान का उपयोग।

(x) कार्यान्वयन एजेंसियां जागरूकता, मूल्यांकन और अनुवर्ती शिविरों के संचालन के लिए प्रशासनिक/ओवरहेड खर्चों के रूप में सहायता–अनुदान का 5 प्रतिशत उपयोग करेंगी। मेगा शिविरों के लिए जहां लाभार्थियों की संख्या 1000 और उससे अधिक है और शिविरों में कैबिनेट/राज्य मंत्री (एसजेएंडई)/मुख्यमंत्रियों द्वारा भाग लिया जाता है, इस योजना के तहत अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की अनुमति है।

8.2.9 एडिप योजना के अंतर्गत, विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए समकालीन सहायक यंत्र और उपकरणों की दिव्यांगता वार सूची अधिसूचित की है जो विभाग की वेबसाइट (www.disabilityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, दिव्यांगता की संख्या 7 से बढाकर 21 कर दी गई है। विभाग सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरणों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है।

8.2.10 एडिप योजना के संबंध में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट:

क) नीति आयोग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डिवलेपमेंट (एनआईएलईआरडी) ने तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को प्रस्तुत किया, इस योजना ने बड़ी संख्या में पीडब्ल्यूडी और उनकी देखभाल करने वालों के जीवन को बदलने में मदद की है। यह देखा गया कि ये लाभार्थी सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं और अपने घरों तक सीमित रहने के बजाय अन्य लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

ख) अध्ययन ने पता लगाया कि 86 प्रतिशत लाभार्थियों की उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच थी। इसमें से 48.53 प्रतिशत को सहायक यंत्रों और उपकरणों के फिटमेंट के बाद रोजगार मिला। इस प्रकार, एडिप योजना के तहत प्राप्त सहायता का सकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में बोधगम्य था।

ग) अध्ययन से यह भी पता चला है कि 39 प्रतिशत लाभार्थियों ने सहायक यंत्र/उपकरण प्राप्त करने के बाद अध्ययन शुरू किया है, 51.98 प्रतिशत ने फिटमेंट के बाद काम फिर से शुरू किया, 66.10 प्रतिशत ने गतिशीलता में सुधार का अनुभव किया और 52 प्रतिशत ने देखभाल करने वालों के जीवन में सुधार की सूचना दी। इसके अलावा, 30.57 प्रतिशत ने दूसरों पर निर्भरता कम होने की सूचना दी। कुल मिलाकर सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों में से 98 प्रतिशत ने सहायक यंत्रों / उपकरणों को प्राप्त करने / फिट करने के बाद समाज की प्रतिक्रियाओं में सकारात्मक बदलाव की सूचना दी।

8.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)

8.3.1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (सिपडा) के कार्यान्वयन के लिए योजना एक अंब्रेला "केंद्रीय क्षेत्रक योजना" है जिसमें 11.08.2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक के दौरान संशोधन के बाद 10 उप–योजनाएं शामिल हैं। सिपडा योजना को 2021–22 से 2025–26 तक संशोधन और जारी रखने के लिए ईएफसी (व्यय वित्त समिति) की सिफारिशों के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। निम्नलिखित 10 उप–योजनाएं/घटक सिपडा योजना के अंतर्गत हैं:

1. दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन।
2. सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)
3. निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना के साथ दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना
4. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना
5. केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य प्रदाताओं के मुख्य कार्यकर्ताओं का सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदनशील सहित जागरूकता सृजन और प्रचार (एजीपी)
6. दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान के लिए और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त उतपाद, सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता,
7. स्पाइनल इंजुरी केंद्रों के लिए सहायता, राज्य स्पाइनल इंजुरी केंद्र (एसएसआईसी) और भारतीय स्पाइनल इंजुरी केंद्र (आईएसआईसी) उप–योजनाओं के विलय के बाद नया नाम,
8. क्रास डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर
9. सिपडा के तहत 'परियाजनाओं के रूप में उप योजना'–

(क) एनआईईपीवीडी, देहरादून के माध्यम से परियोजना के रूप में ब्रेल प्रेस योजना जारी रखी गई है।

(ख) एवाईजेएनआईएसएचडी मुंबई के माध्यम से परियोजना के रूप में देश के पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखी गई है।

10. केंद्रीय परियोजना मॉनिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) सह डाटा कार्यनीति यूनिट (डीएसयू)।

नोट– "निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना" नामक क्रम सं. 3 में उल्लिखित उप–योजना के घटक को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से विभाग के दिनांक 14.06.2022 के का.ज्ञा. द्वारा बंद कर दिया गया है। इसलिए पीडब्ल्यूडी के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना अंब्रेला योजना सिपडा के तहत एकल उप–योजना के रूप में होगी।

8.3.1.1 पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय का ब्यौराः

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बीई आवंटन	आरई आबंटन	जारी की गई राशि
1	2017-18	207.00	273.06	272.24
2	2018-19	300.00	258.30	260.82
3	2019-20	315.00	260.00	217.34
4	2020-21	251.50	122.89	103.43
5	2021-22	209.77	147.31	108.44
6	2022-23	240.39	-	21.40

(i) वर्ष 2022–23 के दौरान योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी किया गया है [बाधामुक्त वातावरण का सृजन, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान–पत्र परियोजना (यूडीआईडी), जागरूकता सृजन एवं प्रचार, दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान, देश के पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता, सूचना और जन शिक्षा (मीडिया), राज्य स्पाइनल इंजुरी केंद्र के लिए योजना, ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्द्धन के लिए सहायता केंद्रीय क्षेत्रक योजना, भारतीय स्पाइनल इंजुरी केंद्र और क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटर्वेंशन सेंटर स्थापित करना] **अनुबंध–9 पर है।**

8.3.2 दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन –

(i) दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण प्रदान करना, जिसमें स्कूल, कालेज, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय तथा सरकारी भवन, मनोरंजनात्मक क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल आदि में निर्मित वातावरण तक पहुंच शामिल हैं। इसमें रैंपस, रेल्स, लिफ्टस, व्हीलचेअर प्रयोगकर्त्ताओं के लिए सुगम्य शौचालय, ब्रैल संकेतक (साइनेजिज) तथा आडिटरी सिग्नल, टेक्टाइल फलोरिंग, व्हील चेअर प्रयोगकत्तओं की सुगम पहुँच हेतु, पेवमैंट पर ढलान बनाना, दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु जैबरा क्रासिंग की सतह पर उत्कीर्णन करना, दृष्टिहीनों अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु रेलवे प्लेटफार्मो पर उत्कीर्णन करना तथा दिव्यांगता के उचित चिन्हों की डिवाइसिंग करना आदि शामिल है।

(ii) भारतीय सरकारी वैबसाइट हेतु एनआईसी और प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए केन्द्रीय/राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाना, जो उनकी वेबसाइट "http://darpg.nic.in"पर उपलब्ध है।

(iii) दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम।

(iv) निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली की सुगम्यता बढ़ाना। विभाग ने सार्वभौमिक सुगम्यता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अग्रणी अभियान के रूप में ''सुगम्य भारत अभियान'' की अवधारणा प्रारंभ की जो दिव्यांगजनों को समान अवसर और स्वतंत्र जीवन तथा एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी के लिए पहुँच का लाभ लेने के लिए समर्थ बनाएगा। अभियान में सुगम्यता लेखा परीक्षा का संचालन और निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली में सार्वजनिक स्थानों/अवसंरचना पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना शामिल होगा।

(v) दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड जारी करने हेतु शिविरों के आयोजनों में राज्य सरकारों की सहायता करना।

(vi) विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम सृजित करना। सिपडा योजना में जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के कार्यान्वयन का घटक है।

(vii) दिव्यांगता मुद्दों एवं काउंसिलिंग पर सूचना का प्रसार करने और सहायक सेवायें प्रदान करने हेतु संसाधन केन्द्र स्थापित करना/सहायता प्रदान करना।

(viii) पुस्तकालयों, भौतिक और डिजिटल दोनों, में सुगम्यता बढाना और अन्य ज्ञान केन्द्र (नॉलेज सैंटरों) का संवर्धन करना।

(ix) दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सिपडा योजना में "दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर अनुसंधान" के कार्यान्वयन का घटक है।

(x) श्रवण बाधित नवजात शिशुओं की सहायता करने और युवा बच्चों को नियमित स्कूलिंग हेतु तैयार करने के लिये आवश्यक कौशल प्राप्त करने हेतु जिला मुख्यालयों/सरकारी चिकित्सा कालेजों वाले अन्य स्थानों पर प्रारंभिक नैदानिक और इंटर्वेंशन केन्द्र स्थापित करना।

(xi) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को संरचनात्मक सुविधाओं हेतु राज्य दिव्यांगजन आयुक्त के कार्यालयों हेतु एकबारगी सहायता अनुदान प्रदान करना।

(xii) जहां उपयुक्त सरकारों/स्थानीय अधिकारियों की अपनी जमीन हो वहां दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण/पार्कों का विकास और मौजूदा पार्कों और अन्य शहरी बुनियादी ढाँचों में बाधामुक्त मानक प्रदान करना।

(xiii) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेलकूद आयोजनों हेतु सहायता करना।

(xiv) नई योजनाओं/परियोजनाओं को तैयार करने के लिए आवश्यक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त करने संबंधित व्यय को पूरा करने हेतु सहायता।

(xv) केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण।

(xvi) दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन।

(xvii) अधिनियम में निर्दिष्ट किसी ऐसे अन्य कार्यकलाप के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिये विभाग की मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध/कवर नहीं कराई जा रही हैं। (विभिन्न गतिविधियों के विवरण संबंधित प्रभाग द्वारा दिए जाएंगे)

8.3.3 सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी):

8.3.3.1 विभाग द्वारा 21 मार्च, 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सहयोग से सिपडा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना, दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी।

(i) उद्देश्य और कवरेज:

(क) यह दिशानिर्देश 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और जिनके पास इस आशय के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, उनको कवर करेगा,

(ख) महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास के रूप में, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुल 30% प्रवेश महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है,

(ग) कौशल प्रशिक्षण इस विभाग द्वारा पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से, निहित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ii) प्रशिक्षुओं की पात्रता की शर्तें :

(क) भारतीय नागरिकता,

(ख) बेंचमार्क दिव्यांगताग्रस्त व्यक्ति जिसे 40% से अधिक दिव्यांगता हो एवं जिनके पास इस आशय हेतु सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, [दिव्यांगता को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) जिसे, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम; 1999 की धारा 2 (जे) और/या किसी भी प्रासंगिक कानून जो लागू हो, के साथ पढ़ा जाए, के तहत परिभाषित किया गया है]

(ग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/बैच के शुरू के अंतिम तिथि पर आयु कम से कम 15 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(घ) आवेदक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/बैच के शुरू होने से पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी अन्य कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुआ हो।

(iii) कार्यान्वयन एजेंसियों (प्रशिक्षण भागीदारी) की योग्यता:

इस योजना को संगठनों/ संस्थानों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिन्हें इसके बाद से "सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों" के नाम से संदर्भित किया जाएगा। निम्न श्रेणियों के संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

क) राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग, या

ख) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या

ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान/ सीआरसी/डीडीआरसी/आरसी/आउटरीच केंद्र, या

घ) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों या उनके अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं।

(ड.) संगठन के पास कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का कम से कम तीन साल का अनुभव हो।

(च) गैर–सरकारी संगठनों के मामले में, वे नीति आयोग की एनजीओ–भागीदारी (एनजीओ–पीएस) के साथ पंजीकृत होंगे और उन्हें एक विशिष्ट आईडी प्राप्त होनी चाहिए। गैर–सरकारी संगठन द्वारा अनुदान के लिए आवेदन करते समय विशिष्ट आईडी अनिवार्य रूप से उद्धृत की जानी चाहिए।

(iv) आवेदन और चयन की प्रक्रिया:

चरण –I

इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "प्रशिक्षण भागीदार" के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी जो पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, अवसंरचना और उपलब्ध जनशक्ति और अन्य समान प्रासंगिक विचारों के मानदंडों के आधार पर चयन करेंगे। चयन समिति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

(क) समिति जब कभी आवश्यक समझे, एक विशेषज्ञ को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

(ख) संगठनों, जिन्होंने प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में नामित किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा है, के चयन के लिए समिति समय–समय पर (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) बैठक आयोजित करेगी।

(ग) समिति विभिन्न कौशल प्रशिक्षण के प्रस्तुत पाठ्यक्रमों को तय/ अनुमोदित करेगी और व्यक्तिगत दौरे या अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रदान किये गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करेगी।

(घ) चयन समिति के गैर–सरकारी सदस्य भारत सरकार के निदेशक के समकक्ष अधिकारी को स्वीकृत दरों पर टीए/ डीए के हकदार होंगे।

(ङ) चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए संगठनों को इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु तीन साल की अवधि के लिए "प्रशिक्षण भागीदारों" के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।

चरण–II

जो संगठन प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध हैं, वे उनके द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में जहां कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना प्रस्तावित है उस संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विधिवत अनुशंसित नया परियोजना विशिष्ट आवेदन (दोनों तकनीकी और वित्तीय) सौंपेंगे। आवेदनों की जाँच की जाएगी और चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय अनुदान दिया जायेगा।

(v) **प्रशिक्षण पाठ्यक्रमः**

(क) एमएसडीई ने दिव्यांगजनों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल का गठन किया है।

(ख) एनएसक्यूएफ के अनुरूप पाठ्यक्रमों में एनएपी के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

(vi) **निधियन मानदंडः**

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–I दिनांक 15 जुलाई, 2015, समय–समय पर संशोधित किए गए अनुसार, कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड के रूप में प्रशिक्षण लागत, बोर्डिंग और आवास लागत, परिवहन/ वाहन लागत, तीसरे पक्ष के प्रमाणन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट सहयोग आदि सहित पूरे निधियन मानदंडों के संबंध में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(vii) **प्रशिक्षण की गुणवत्ता की मॉनीटरिंगः**

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही प्रशिक्षण की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के लिए एक तंत्र विकसित करेगा जो सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं पर बाध्यकारी होंगे।

(viii) **अन्य शर्तें:**

(क) कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात प्रशिक्षण प्रदाताओं को, सहायता अनुदान के लिए योजना में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी एक वेबसाइट रखेगी और प्राप्त सहायता अनुदान, उसके उद्देश्य, कार्यक्रमों का आयोजन और लाभार्थियों की सूची तथा उनकी नौकरी नियुक्तियों के विवरण को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगी।

(ग) विशेष ट्रेडों/ नौकरी भूमिकाओं के लिए लागत मानदंड कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–I दिनांक 15 जुलाई 2015, समय–समय पर संशोधित किए गए अनुसार, की अनुसूची–II में निर्धारित लागत श्रेणी के अनुसार तय किया जाएगा।

(घ) प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में चयनित एनजीओ, नीति आयोग के का.ज्ञा. सं एम–11/16(2)/2015–वीएसी दिनांक 10 सितंबर 2015 द्वारा समय–समय पर संशोधित रूप में अधिसूचित केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं के क्रियान्वयन लिए सामान्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(ix) अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरणः

कौशल विकास के घटकों का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संचालित अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण होगा, जो कौशल विकास के लिए सामान्य मानदंडों का पालन करेंगे। यदि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सभी कौशल, विकास योजनाओं को निधि देने का निर्णय करता है, तो सिपडा योजना के इस घटक को बंद कर दिया जाएगा।

सिपडा के तहत कौशल विकास का कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत इस विभाग द्वारा वित्तपोषित कौशल विकास का घटक बंद कर दिया गया है।

(x) समीक्षा और मॉनीटरिंगः

दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक चयन समिति द्वारा की जाएगी। कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए एमआईएस आधारित मॉनीटरिंग तंत्र रखा जाएगा।

(xi) योजना का अधिकार क्षेत्रः

दिशानिर्देशों का अधिकार क्षेत्र दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

(xii) गलत सूचना का प्रस्तुतीकरणः

यदि किसी प्रशिक्षु या प्रशिक्षण सहयोगी ने कोई गलत सूचना/ दस्तावेज प्रस्तुत किया है और इसे झूठ पाया गया है, तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा और उस पर व्यय की गई राशि पर 15 प्रतिशत दंडस्वरूप ब्याज के साथ वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रशिक्षु या प्रशिक्षण संगठन को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(xiii) मुकदमाः

इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न मामलों पर किसी भी मुक़दमे पर केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।

(xiv) दिशानिर्देशों के प्रावधानों में परिवर्तनः

इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को किसी भी समय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के विवेकानुसार बदला जा सकता है।

(xv) दिशानिर्देशों की समीक्षाः

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जब आवश्यक हो, अपने विवेक पर, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

8.3.3.2 राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

(i) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस): योजना के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए, एमआईएस विकसित किया गया है और अब यह कार्यात्मक है। नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल को एमआईएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मॉनिटरिंग के उद्देश्य से आधार सक्षम बायो–मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) केंद्र दिशानिर्देश: गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए केंद्रों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने हाल ही में सीसीटीवी, वीसी, आधार सक्षम बायो–मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), जॉब रोल विशिष्ट प्रयोगशालाओं, उपकरणों और प्रशिक्षित शिक्षकों, प्रशिक्षण केंद्र की अनिवार्य विशेषताओं के रूप में पहुंच के साथ केंद्र दिशानिर्देश पेश किए हैं। केन्द्र के दिशा–निर्देशों के अनुसार, किसी भी केन्द्र पर प्रशिक्षण की अनुमति देने से पहले विभाग के अधिकारियों या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा फिजिकल निरीक्षण द्वारा केन्द्र की लेखा परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है।

8.3.3.3 एनएपी के तहत प्रशिक्षण भागीदार :

योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग द्वारा प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध गैर–सरकारी संगठनों, निजी प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के संगठनों से कौशल प्रशिक्षण भागीदारों के नेटवर्क द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण भागीदारों की सूचीबद्धता चयन समिति द्वारा किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। चयन समिति, ने अब तक आयोजित 23 बैठकों में 31 सरकारी संगठनों और 268 गैर–सरकारी संगठनों सहित 299 संगठनों को एनएपी के तहत प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो देश भर में फैले हुए हैं। चूँकि सूचीबद्धता की वैधता तीन वर्षों की अवधि के लिए है, अब तक टीपी के रूप में सूचीबद्ध 299 में से 31 संगठनों (3 सरकारी और 28 गैर–सरकारी) की सूचीबद्ध होने की वैधता दिनांक 23.08. 2022 तक अर्थात चयन समिति की 23 वीं बैठक तक है। इटीपी के अतिरिक्त, विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन विविध संस्थानों अर्थात नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनैंस एंड डिवेलपमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) एवं विभिन्न राज्यों में स्थापित उनके समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभाग दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेक्टर कौशल परिषद और राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर करके प्रशिक्षण आधार का विस्तार कर रहा है। फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशियेटिव (एफआईसीएसआई) ने पहले ही लक्ष्य दे दिया है। श्रम मंत्रालय से 21 वीआरसी का हस्तांतरण भी प्रक्रियाधीन है जो गुणवत्ता प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विभाग की क्षमता को बढ़ाएगा।

8.3.3.4 एनएपी के तहत वित्तीय सहायता:

प्रशिक्षण भागीदारों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आउटकम आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड अधिसूचना संख्या एच–22011/2/2014–एसडीई–I दिनांक 15 जुलाई, 2015 के जरिए समय–समय पर यथासंशोधित अनुसार प्रशिक्षण लागत, बोर्डिंग और आवास लागत, परिवहन/वाहन लागत, तृतीय पक्ष प्रमाणन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट समर्थन आदि सहित संपूर्ण निधियन मानदंडों के संबंध यथावत लागू होगा ।

(i) वर्तमान में, टीपी को वित्तीय सहायता तीन किश्तों में जारी की जाती है: पहली किस्त – प्रशिक्षण शुरू होने पर 30%,

(ii) एनएपी के तहत, प्रशिक्षण भागीदारों को विभिन्न प्रकार के दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण लागत की दर से 10 से 25 प्रतिशत अधिक और नौकरी आउटरीच गतिविधियों के लिए 5000 रुपये प्रति दिव्यांगजन प्रदान किए जाते हैं।

(iii) दिव्यांग प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता भी निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाता है : व्यक्तिगत सहायक उपकरण हेतु लागत : दो किश्तों में 5000 रुपये प्रति दिव्यांग प्रशिक्षु अर्थात 4000 रुपये सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुरू करते समय और सफल प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 1000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(iv) एक ही जिले के दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए मासिक 1000 रुपये और बाहरी जिले के प्रशिक्षुओं के लिए 1500 रुपये की राशि प्रशिक्षण के लिए अपने यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए भी प्रदान की जाती है।

8.3.3.5 दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी)

दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक अलग क्रॉस कटिंग सेक्टर कौशल परिषद बनाया गया है जिसका निजी क्षेत्र से एक अध्यक्ष एवं एक पूर्णकालिक सीईओ है। परिषद में दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठन के स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध सदस्य हैं। विभाग, सेक्टर कौशल परिषद तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों से परामर्श से समरूप पाठ्यक्रम, प्रमाणीकरण तन्त्र, दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रोजगार की पहचान, अतिरिक्त प्रशिक्षण घण्टों की अपेक्षा आदि के सृजन के लिए कार्य कर रहा है।

8.3.3.6 रोजगार से जुड़ी गतिविधियाँ

विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं को रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ सीएसआर सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न निजी क्षेत्र के संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ मिलकर उनकी सहायता भी करता है। विभाग स्वयं या एनएचएफडीसी और अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य अधीनस्थ संगठनों के माध्यम से, नियमित रूप से कार्यशालाओं, सम्मेलनों और रोजगार मेलों का आयोजन करता है। विभाग व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के इन समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करता है।

8.3.4 सुगम्य भारत अभियान

8.3.4.1 निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ निर्मित वातावरण (भवन), परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता हासिल करने के लिए 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था:–

सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाना।

सुगम्य परिवहन प्रणाली(एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन वाहक (बस)), के अनुपात को बढ़ाना।

सुगम्य सरकारी वेबसाइटों, सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का पूल, सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के अंश को बढ़ाना ।

उपरोक्त एआईसी के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24 जून, 2024 को आयोजित बैठक के दौरान केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा जो दिव्यांगता क्षेत्र में निर्णय लेने वाला उच्चतम निकाय है, उसके द्वारा जून, 2022 की समय सीमा को संशोधित करके मार्च 2024 कर दिया गया था। विभिन्न संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा इस विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, दिनांक 15.12.2022 तक सुगम्य भारत अभियान के तहत ब्यौरे निम्नानुसार है:

(i) सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्य:

लक्ष्य 1.1: 50 शहरों में कम से कम 25–50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और उन्हें जून, 2022 तक पूरी तरह सुगम्य बनाना।

लक्ष्य 1.2: जून, 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के 50% को पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

लक्ष्य 1.3: 50 प्रतिशत सरकारी भवनों की सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और जून, 2022 तक लक्ष्य (1.1) और (1.2) के तहत शामिल न किए गए राज्यों के 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों में उन्हें पूरी तरह से सुगम्य बनाना।

स्थिति

- राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों में, ऑडिटर्स द्वारा 48 शहरों में 1662 भवनों का सुगम्यता ऑडिट पूरा किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों को 1662 सुगम्यता ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

- अब तक 1484 भवनों के रेट्रोफिटिंग के वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, विभाग द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 1183 भवनों के संबंध में 503.17 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी जारी की गई है।

- इसके अलावा, 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, ने 577 भवनों में रेट्रोफिटिंग कार्य पूरा करने की सूचना दी। 7 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि लक्ष्य/चरण (1.2) और (1.3) के लिए अपने स्वयं की निधि से 2839 राज्य सरकार के भवनों को सुगम्य बनाने के लिए चयन किया गया है।

- केंद्र सरकार में, सीपीडब्ल्यूडी ने सुगम्य भारत अभियान के तहत वित्त वर्ष 2020–21 में लक्षित चयनित 1100 केंद्र सरकार के भवनों में से 1030 में रेट्रोफिटिंग के पूरा होने की सूचना दी।

(i) सुगम्य परिवहन तंत्र [हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन वाहक (बसें)] का अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य

(ii.क) लक्ष्य 2.1 और 2.2 – हवाई अड्डों : सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाए।

स्थिति

- सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 में सुगम्यता सुविधाएँ (रैंप, सुगम्य शौचालय, हेल्पडेस्क तथा ब्रेल और श्रवण सूचना प्रणाली वाली लिफ्ट) प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, सूचना है कि सभी अंतरराष्ट्रीय/कस्टम हवाई अड्डों पर एरोब्रिजेज उपलब्ध कराए गए हैं।

- अधिकांश हवाई अड्डों पर स्पर्श पथ प्रदान किया गया है जबकि 41 हवाई अड्डों को एयरोब्रिज से सुसज्जित किया गया है और 12 हवाई अड्डों पर एम्बूलिफ्ट उपलब्ध हैं और अन्य हवाई अड्डों के लिए इसकी खरीद की जा रही है।

- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने हवाई अड्डों पर दिव्यांगजन की निर्बाध स्क्रीनिंग करने की एडवाइजरी भी जारी की है। इस संबंध में, सीआईएसएफ ने अपने एसओपी को भी संशोधित किया है, जिसमें बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया है।

- नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सुगम्यता मानकों को तैयार किया गया है और वर्तमान में, भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रक्रियाधीन है।

- एक्सेस : द फोटो डाइजेस्ट ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एयर ट्रैवल सर्विस नामक गाइडबुक की सीरीज़ के दूसरे खंड का शुभारंभ दिनांक 19.11.2021 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा संयुक्त रूप से सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के कांफ्रेंस के दौरान किया गया था। इस समारोह के दौरान माननीय नागर विमानन और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, जेनरल (डॉ.) वी. के. सिंह भी उपस्थित थे।

(ii.ख) लक्ष्य 3.1 और 3.2–रेलवे : ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है; सभी रेलवे स्टेशनों के 50% को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है।

स्थिति

- सभी 709 ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित सात (07) अल्पकालिक सुविधाएं अर्थात, रैंप, दिव्यांगजन के लिए दो पार्किंग स्थल, पार्किंग से स्टेशन बिल्डिंग तक फिसलन रहित पैदल पथ, साइनेज, पीने का पानी का कम से कम एक नल, एक सुगम्य शौचालय और ''क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं'' बूथ उपलब्ध कराया गया हैं।
- 603 रेलवे स्टेशनों को अतिरिक्त दो (02) दीर्घकालिक सुविधाएं नामतः एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर अंतरण तथा प्लेटफॉर्म के किनारों पर एनग्रेविंग (स्पर्श संकेतक) की सुविधा का प्रावधान दिया गया है ।
- रेल मंत्रालय ने सुगम्य भारतीय रेल, जिसमें बाधा मुक्त आईसीटी सेवाएं, स्टेशनों की इमारतें, कोच के साथ–साथ यात्रा सेवाएं शामिल हैं, के लिए दिशा–निर्देशों को तैयार कर रही है। भारतीय रेलवे में सुगम्यता प्राप्त करने के लिए रेलवे ने सुगम्यता दिशा–निर्देश जारी किया है जिसे जोनल रेलवे द्वारा लागू किया जाना है। मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (सीसीपीडी) के कार्यालय द्वारा रेलवे को मानकों को अधिक व्यापक बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। विशेषज्ञों और जन साधारण से राय एकत्रित करने के लिए लोक परामर्श आयोजित करने के लिए दिशा–निर्देश लंबित है।
- रेलवे ने आने वाले महीनों में मॉडल सुगम्य रेलवे स्टेशनों के रूप में प्रदर्शित किए जाने के लिए नई दिल्ली, कानपुर और चेन्नई के 03 स्टेशनों को भी चिह्नित किया है।

(ii.ग) लक्ष्य 4.1 –बसें : सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन वाहक का 25% पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है:

स्थिति

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2020–21 में 1,47,152 बसों में से, 44153 (30.01%) बसें आंशिक रूप से सुगम्य हैं और 8443 (8.73%) बसें पूरी तरह से सुगम्य हैं।
- बस बॉडी कोड को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है कि सभी नई सिटी बसें दिव्यांगजनों के अनुकूल हों।
- एमओआरटीएच से रोडवेज सेवाओं को पूरी तरह सुगम्य बनाने के लिए व्यापक सुगम्यता मानक तैयार करेगा। मसौदा दिशा–निर्देशों पर सीसीपीडी से परामर्श कर लिया गया है और लोक परामर्श के प्रक्रियाधीन है।

(ii) सुगम्य सरकारी वेबसाइटों; सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का पूल; सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के अंश को बढ़ाने का लक्ष्यः

(iii.क) लक्ष्य 5.1 और 5.2 – वेबसाइट : केंद्र और राज्य सरकार की कम से कम 50% वेबसाइटें में सुगम्यता मानकों को पूरा करना है।

स्थिति

- विभाग ने 917 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए ईआरनेट इंडिया को 26. 19 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं, जिनमें से 23.52 करोड़ रूपए संवितरित कर दिए गए हैं। कुल 627 राज्य सरकारों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है, जिसमें से 471 वेबसाइटों को लाइव बनाया गया है।

- सामग्री प्रबंधन ढांचे के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों की 95 वेबसाइटें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुगम्य बनाई गई हैं।

(iii.ख) लक्ष्य 6.1 –सांकेतिक भाषा दुभाषिया प्रशिक्षण और 200 अतिरिक्त सांकेतिक भाषा दुभाषियों का विकास

स्थिति

- सरकार ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सितंबर 2015 में एक सोसायटी के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) स्थापित किया है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग, शिक्षण और अनुसंधान के संचालन के लिए जनशक्ति विकसित करना है।

- आईएसएलआरटीसी ने सूचित किया है कि आईएसएलआरटीसी के डिप्लोमा और अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1000 से अधिक व्यक्तियों को भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया गया है।

- कुल 198 छात्रों ने 2019–20 से 2022–23 के दौरान तीन शैक्षणिक सत्रों में डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) कोर्स पूरा किया है। आईएसएलआरटीसी वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के लिए डीआईएसएलआई का एक बैच चला रहा है।

- एक नया पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज) सितंबर, 2019 से शुरू हुआ है। शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के लिए 50 छात्रों ने प्रवेश लिया।

(iii. ग) लक्ष्य 7.1 और 7.2 टीवी देखनाः

क) सार्वजनिक टेलीविजन समाचार– कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या पर राष्ट्रीय मानकों को बनाया और अपनाया जाना है;

ख) सरकारी चैनलों पर कम से कम 25% सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रम को निर्धारित मानकों का पालन करना है।

स्थिति

- श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा सुगम्य टीवी देखने के लिए सुगम्यता मानक सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं जो टेलीविजन सेट, रिमोट कंट्रोल, उपकरण और इंटरनेट सामग्री के लिए सुगम्यता के साथ–साथ सब–टाइटलिंग, सांकेतिक भाषा की व्याख्या प्रदान करते हैं। इसके अलावा, एमओआईबी दृष्टिबाधितों सहित अन्य दिव्यांगताओं के लिए इसी तरह के दिशानिर्देश तैयार करेगा।

- टीवी पर सुगम्य सामग्री को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है और अब तक 19 निजी समाचार चैनल आंशिक रूप से सुगम्य समाचार बुलेटिन का प्रसारण कर रहे हैं, 2447 समाचार बुलेटिन को सबटाईटलिंग/सांकेतिक–भाषा इंटरप्रिटेशन के साथ प्रसारित किया जा चुका है और 3686 से अधिक अनुसूचित कार्यक्रमों/ फिल्मों को सामान्य मनोरंजन चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया जो सबटाईटलिंग का उपयोग कर रहे हैं ।

8.3.4.2. इसके अलावा, सुगम्य भारत अभियान के तहत संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के सहयोग से इस विभाग द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(i) दिव्यांगों के लिए शिक्षा तक सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) को भी साथ लिया गया है। कक्षा 1 से 12 और बीएड के पाठ्यक्रम में सुगम्यता से संबंधित सामग्री को शामिल करने और शिक्षकों/विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलावा डीओएसईएल ने यह भी बताया है कि 11,68,292 (71%) में से 8,33,703 स्कूलों को विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए बाधामुक्त बनाया गया है। डीईपीडब्ल्यूडी उच्च शिक्षा विभाग, यूजीसी और सीबीएसई के साथ भी काम कर रहा है ताकि संबद्धता प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों में सुगम्यता की कवरेज को और बढ़ाया जा सके ।

(ii) इसी तर्ज पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से भी सुगम्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास का अनुरोध किया गया है।

(iii) पर्यटन मंत्रालय ने भी अभियान के अधिदेशों को सक्रिय रूप से अपनाया है और अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रसाद, एडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट आदि के तहत सुगम्य पर्यटक अनुभवों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कई होटल और पर्यटक सुविधाएं सुगम्य सेवाएं जैसे दिव्यांगजनों के लिए कमरे, ब्रेल सूचना बुकलेट और मेनू इत्यादि भी प्रदान किए जा रहे हैं। प्रमुख स्मारकों और पर्यटन स्थलों का भी इसी तर्ज पर रेट्रोफिटमेंट किया जा रहा है।

(iv) इसके अतिरिक्त 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को भी क्षेत्रक–विशिष्ट सुगम्यता दिशा–निर्देश/मानकों को तैयार करने के लिए शामिल किया गया है।

8.3.4.3 एआईसी की मॉनिटरिंग:

इस अभियान की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रगति के माध्यम से, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और सचिवों की समिति के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से की जा रही है। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने स्तर पर सुगम्य भारत अभियान की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं। इन बैठकों के निर्देशों के आधार पर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अभियान के तहत कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

इस अभियान की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रगति के माध्यम से, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और सचिवों की समिति के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से की जा रही है। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने स्तर पर सुगम्य भारत अभियान की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं। इन बैठकों के निर्देशों के आधार पर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अभियान के तहत कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) **नियमित मॉनीटरिंग** : माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और संयुक्त सचिव डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा नियमित आधार पर मॉनिटरिंग बैठकें आयोजित की जाती हैं। अंतिम समीक्षा बैठक माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 10.05.2022 को हुई थी, इसके बाद 24.06.2022 को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा आयोजित की गई। कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में नियमित फोलो–अप पत्राचार और वीडियो कॉन्फ्रेन्सों के माध्यम से किया गया । अंतिम वीडियो कान्फ्रेंस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नवम्बर 2022 को हुई थी और दिशा–निर्देशों को तैयार करने के लिए मई 2022 को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ हुई थी।

(ii) **सचिव समिति की बैठकः** कैबिनेट सचिव ने 27.11.2020 को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सभी सरकारी भवनों को दी गई समय–सीमा के अंतर्गत पूरी तरह सुगम्य बनाने, अभियान की प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग और समयबद्ध तरीके से सुगम्यता मानकों का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देश दिए गए थे ।

(iii) **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टलः** एआईसी के तहत लक्ष्यों की प्रगति की प्रभावी और वास्तविक समय मॉनिटरिंग के उद्देश्य से, एमआईएस पोर्टल शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य निर्मित वातावरण, परिवहन और आईसीटी पारिस्थिति की तंत्र में सुगम्यता से संबंधित एक केंद्रीकृत डेटा स्रोत बनाने का है। अब तक, एमआईएस पोर्टल (30 नवम्बर 2022 तक) पर कुल 3228 फोटोग्राफ के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीपीडब्ल्यूडी की 2142 इमारतों का ब्यौरा अपलोड किया जा चुका है। विभाग ने मानकों की शुद्धता और अनुपालन की जांच के लिए सीपीडब्ल्यूडी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों का आंतरिक सत्यापन भी किया, इसके आगे सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ टिप्पणियों को भी साझा किया गया है। अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करने की प्रक्रिया के लिए एमआईएस सिस्टम पर सभी डाटा को अपडेट करना अब अधिदेशित किया गया है।

चित्र 1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा क्षेत्र–विशिष्ट दिशानिर्देशों के लिए सभी भागीदार मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठक

चित्र 2 दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की पांचवीं बैठक

8.3.4.4 नई पहल :

(i) सुगम्य भारत ऐप– 2 मार्च 2021 को, माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशों के अनुसार, पूर्व माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचंद गहलोत द्वारा सुगम्य भारत ऐप – एक क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुगम्य ऐप जन–भागीदारी के हिस्से के रूप में किसी से भी, कहीं से भी, कभी भी, सार्वजनिक केंद्रिक बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करते समय उनके द्वारा सामना किए जा रहे सुगम्यता–संबंधी मुद्दों को ध्यान में लाने में सक्षम बनाता है, जिनके लिए निवारण की आवश्यकता होती है। ऐप पर 23762 से अधिक डाउनलोड और लगभग 1178 संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इन्हें राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है। महामारी की स्थिति को देखते हुए, सुगम्य भारत ऐप में, कोविड–19 से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए केवल दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष सुविधा जोड़ी गई है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन मुद्दों को प्राथमिकता और समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

(ii) **संस्थागत साक्षरता सामग्री–** जागरूकता पैदा करने और सार्वजनिकों के साथ–साथ सुगम्यवता के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के बीच संवेदनशीलता बढ़ाने की दृष्टि से, विभाग ने निम्नलिखित पहल की –

क. विभाग इस अभियान के तहत, **सुगम्यता की 10 बुनियादी विशेषताओं का एक आसान रेकनर**, फोटो डाइजेस्ट और अन्य दस्तावेजों विकसित करने में सक्षम रहा है जो अधिकारियों, इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स, प्रासंगिक स्टेकहोल्डरों और जनता के लिए उनकी सुगम्यता की समझ को बढ़ाने के लिए गाइडबुक के रूप में काम करते हैं। इन दस्तावेजों ने सुगम्य सुविधाओं के दिशानिर्देशों के सरल और उदाहरणात्मक स्पष्टीकरण के माध्यम से मदद की है।

ख. दिनांक 2 मार्च 2021 को पूर्व माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा पेशेवरों के लिए गाइडबुक की श्रृंखला का वॉल्यूम 1 शीर्षक – ऐक्सेस– द फोटो डाइजेस्ट ऑन पब्लिक सेंट्रिक बिल्डिंग्स को सुगम्य भारत ऐप के साथ लॉन्च किया गया था।

ग. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और माननीय नागर उड्डयन मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा संयुक्त रूप से सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली **दिनांक 19.11.2021 को** नागर उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान **हवाई अड्डों पर श्रृंखला का वॉल्यूम–2 का शुभारंभ किया गया।**

घ. स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, **24 अगस्त 2021 को शिक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से 'प्रिया: द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर' नामक एक ई–कॉमिक–कम–एक्टिविटी बुक का शुभारंभ किया गया था।** ई–कॉमिक कम एक्टिविटी बुक का शुभारंभ माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए की गई पहलों के शुभारंभ के अवसर पर और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में निपुण भारत पर कार्यशाला के अवसर पर किया गया था। ई–कॉमिक कम एक्टिविटी बुक एक पूरी तरह से संवादात्मक और सुगम्य ई–कॉमिक बुक है जिसे एनसीईआरटी के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और इसे केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास में विकसित किया गया है।

(iii) सुगम्यता के क्षेत्रक विशिष्ट मानकों का निर्माण – सीओएस की सिफारिशों के अनुसार, सुगम्यता के क्षेत्र विशिष्ट मानकों को तैयार करने का कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपा गया है ताकि उन्हें आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के तहत अधिसूचित किया जा सके। यह कार्य चल रहा है और डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा नियमित पत्रों, वीडियो कॉन्फ्रेंसों और मंत्रालय/विभाग विशिष्ट चर्चाओं के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ नोडल विभाग के रूप में अनुसरण किया जा रहा है। अब तक, आवासन और शहरी मामलें मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिशानिर्देशों को पूरा कर लिया है और इन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाना अभी अंतिम चरण में हैं। रेल मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नागर विमानन मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, संस्कृति मंत्रालय, खेल विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों/विभागों ने दिशा–निर्देश पूरे कर लिए हैं और इन दिशा–निर्देशों की अधिसूचना जारी की जा रही है। इसके अलावा, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पोत और जहाजरानी मंत्रालय और गृह, पेयजल और स्वच्छता, वित्तीय सेवाएं, उपभोक्ता और शहरी मामले, कानून और न्याय, दूरसंचार और सूचना और प्रसारण सहित अन्य मंत्रालय/विभाग इन दिशानिर्देशों को तैयार करने, सीसीपीडी परामर्श, विशेषज्ञ, सार्वजनिक परामर्श और आंतरिक समीक्षा के विभिन्न चरणों में हैं।

8.3.5 ब्रेल प्रेसों की स्थापना / आधुनिकीकरण/ क्षमता संवर्धन के लिए सहायता की योजना

8.3.5.1 योजना का उद्देश्य

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 2014–15 में ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता योजना की शुरुआत की। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले दृष्टि बाधित बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तक के मुफ्त वितरण के लिए इसके उत्पादन में सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2020–21 से ब्रेल प्रेस योजना का विलय सिपडा के साथ उसके घटकों में से एक घटक के रूप में किया गया है और वित्त वर्ष 22–23 से इसे एक परियोजना के रूप में जारी रखा जा रहा है।

8.3.5.2. नोडल एजेंसी

इस योजना के संचालन के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून नोडल एजेंसी है। इस नोडल एजेंसी को प्रस्ताव आमंत्रित करने, जांच, निरीक्षण, मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी और सहायता अनुदान (जीआईए) प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रस्तावों को स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

8.3.5.3 कार्यान्वयन एजेंसियां

इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां पांच साल से अधिक समय से ब्रेल प्रेस चला रही राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और स्वैच्छिक संगठन अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा ब्रेल प्रेस चलाने के लिए निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिष्ठान हैं।

8.3.5.4 सहायता अनुदान के घटक

नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियां को सहायता अनुदान (जीआईए) के निम्नलिखित घटक प्रदान किए गए है–

(i) नई ब्रेल प्रेस की स्थापना, ब्रेल प्रेसों के आधुनिकीकरण और ब्रेल प्रेस की क्षमता संवर्द्धन के लिए गैर–आवर्ती सहायता अनुदान

(ii) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ब्रेल में पाठ्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में आवर्ती सहायता अनुदान (जीआईए)।

8.3.5.5 वर्तमान स्थिति

अब तक, 28 ब्रेल प्रेसों को कुल वित्तीय सहायता के रूप में 45.75 करोड़ रूपये के साथ इस योजना के तहत सहायता दी गई है।

- 13 नई ब्रेल प्रेस स्थापित की गई हैं,
- 12 पुरानी ब्रेल प्रेस को आधुनिकीकृत किया गया, और
- 3 ब्रेल प्रेस की क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता दी गई।

8.3.6 जागरूकता सृजन और प्रचार योजना (एजी एंड पी स्कीम)

यह योजना, सितंबर, 2014 में शुरू की गई और वित्त वर्ष 2014–15 से चालू है। बेहतर और कारगर परिणामों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन का आधार व्यापक बनाने के लिए तथा इसके कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, पात्रता आदि को सरल बनाने तथा बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2015–16 में इसे संशोधित किया गया। वित्त वर्ष 2021–22 में योजना को संशोधित किया गया है और सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना को एजीपी योजना में मिला दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना और केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना है।

8.3.6.1 योजनाओं का लक्ष्य और उद्देश्य :

इस योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटकों में विषय–सामग्री विकास और प्रकाशन शामिल हैं; कार्यक्रमों का आयोजन; वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए स्वयंसेवी सेवा/आउटरीच कार्यक्रम; मनोरंजन और पर्यटन; जागरूकता अभियान; सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि।

8.3.6.2 योजना के तहत उपलब्ध सहायता

(i) अल्पावधि परियोजनाएं (6 माह की अवधि तक के एक बार के कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं); वितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगाः

(क) 75 प्रतिशत – अनुमोदन, स्वीकृति पर, आवश्यक बांड आदि के निष्पादन पर।

(ख) 25 प्रतिशत – प्रथम किस्त के लिए अंतिम रिपोर्ट और यूसी, मदवार व्यय के साथ लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, की प्राप्ति पर।

(ii) दीर्घावधि परियोजनाएं (6 माह तथा उससे अधिक अवधि की परियोजनाएं); वितरण तीन किस्तों में निम्नानुसार किया जाता हैः

(क) 40 प्रतिशत – परियोजना के अनुमोदन, स्वीकृति तथा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने/बांड निष्पादित करने पर।

(ख) 40 प्रतिशत – प्रगति समीक्षा, प्रथम किस्त के उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद।

(ग) 20 प्रतिशत– अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र, तथा मदवार व्यय के साथ लेखा के लेखापरीक्षित विवरण की प्राप्ति पर

(घ) जब योजना के अंतर्गत कोई केंद्र/राज्य सरकार के अधीन संस्थानों द्वारा कार्य सीधे ही शुरू किया जाता है, तो निधियां वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार संस्वीकृत तथा जारी की जाएगी।

8.3.6.3 अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन

(i) स्व –सहायता समूह

(ii) एडवोकेसी तथा सेल्फ–एडवोकेसी संगठन

(iii) संघटन हेतु सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रह माता–पिता तथा समुदायिक संगठन

(iv) मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक सहायता सेवा

(v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन

(vi) दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन जिनमें श्रम बाजार कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले, तनाव प्रबंधन और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अलगाव उन्मूलन हेतु काम कर रहे संगठन शामिल हैं।

(vii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठन।

8.3.6.4 पात्रता मानदंड :

i) इस योजना के 4 (क) के तहत ये संगठन न्यूनतम तीन वर्ष तक पंजीकृत संगठन हो, जिसमें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत संगठन, अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट या चैरिटेबल एंड रिलिजियस एंडोमेंट एक्ट, 1920 अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 आदि के तहत पंजीकृत एक निगम या केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।

ii) संगठन गैर–लाभकारी और नॉट फॉर प्रोफिट संगठन होना चाहिए अथवा यह अपने लाभ, अन्य आय, यदि कोई हो, या तो उसे धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु उपयोग करने वाला होना चाहिए।

iii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत अथवा केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत निगम को दिव्यांगजन अधिनियम के तहत पंजीकरण की शर्तों से छूट दी गई है।

iv) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार से अनुशंसित करने की आवश्यकता है। जी ओ के पास विशिष्ट पहचानपत्र विवरण के साथ–साथ नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।

v) संगठन को यह प्रमाणित करना होगा कि वह पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस के व्यय अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल का उपयोग करेगा।

vi) वित्तीय सहायता की मात्रा निम्नलिखित प्रकार से गठित समिति द्वारा तय की जाती है :–

- संयुक्त सचिव/उप महानिदेशक (जागरूकता सृजन एवं प्रचार)
- उप सचिव/निदेशक (आईएफडी), डीईपीडब्ल्यूडी
- डीएवीपी के प्रतिनिधि
- दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे दिव्यांगजनों/प्रतिनिधि समूहों/संगठनों के बीच से विशेष आमंत्रित सदस्य
- निदेशक/डीएस (जागरूकता सृजन और प्रचार)

8.3.6.5 मॉनिटरिंग तंत्र

कार्यक्रम के लेखापरीक्षित लेखों की विवरणी, उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ जैसी घटनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ बिलों/वाउचरों की जांच की जाती है। एनजीओ से अनुरोध भी किया जाता है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए संबंधित सांसद/विधायक/जिला प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करें।

8.3.6.6 आयोजित मूल्यांकन/अध्ययनों के परिणामः

हाल ही में, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डिवलेपमेंट (एनआईएलआरईडी) द्वारा इस योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (टीपीई) किया गया था तथा एजेंसी ने इस योजना की सराहना की कि यह योजना दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में सफल हुई है। टीपीई की रिपोर्ट के अनुसार, एजीपी योजना को जारी रखने तथा इसे विभाग की सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना के साथ विलय करने का प्रस्ताव किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के संवेदीकरण करने से संबंधित है।

8.3.6.7 एजीपी योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियांः

क्र.सं.	वर्श	नोशानल आबंटन (सिपडा योजना के अंतर्गत) रू.करोड़ में			वास्तविक उपलब्धियां (कार्यक्रमों की संख्या)
		बी.ई.	आर.ई.	व्यय	
1.	2019-20	3.00	2.00	2.12	16
2.	2020-21	2.50	1.00	1.17	11
3.	2021-22	2.50	2.50	2.24	11
4.	2022-23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)	2.80	2.80	2.11	06

8.3.6.8 प्रमुख पदाधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना

I उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी मामलों पर नियमित आधार पर केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और सुग्राही बनाना है। यह समान अवसर, समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करके और पीडब्ल्यूडी में विश्वास निर्माण सुनिश्चित करके जीवन के सभी क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी के सामाजिक समावेशन के लिए कार्यस्थल पर एक समावेशी वातावरण के निर्माण में मदद करेगा। तद्नुसार योजना के निम्न उद्देश्य है :

(i) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रबुद्ध, कुशल और प्रतिबद्ध प्रमुख पदाधिकारियों को सुनिश्चित करना।

(ii) दिव्यांगजनों से संबंधित विधायन विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच पुनर्वास और रेफरल सेवाएं।

(iii) दिव्यांगताओं की रोकथाम, शीघ्र पहचान, इंटरवेंशन, पुनर्वास और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाए जाने के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें सुग्राही बनाना।

II योजना का दायरा

(i) इस योजना में कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) और दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों (लगभग 5000–6000 एक वर्ष के लिए) को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

(ii) राष्ट्रीय/राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर आधे दिन, एक या दो दिन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मामला दर मामला आधार पर और अधिक लंबी अवधि पर विचार किया जा सकता है।

(iii) केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक संस्थानों / डीईपीडब्ल्यूडी/ आरसीआई के अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों / विश्वविद्यालय विभागों के राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा

(iv) विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के परामर्श से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल/पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

(v) प्रशिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण के उद्देश्य से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा स्वीकार्य गतिविधियों और व्यय के मानदंडों के लिए सामान्य दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(vi) प्रशिक्षण/कार्यक्रम फिजिकल या वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है, जो भी उस समय वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार लागू हो। तथापि, वर्चुअल प्रशिक्षण के लिए प्रति सत्र लागत मानदेय (यूजीसी) की सीमा तक होगी। सेवाकालीन प्रशिक्षण मोड के तहत यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदेय की दर स्वीकार्य होगी।

III नोडल एजेंसी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रमुख पदाधिकारियों सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी है। भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल, पाठ्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) और दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आरसीआई को निधियां जारी की जाएंगी। समूहों में सूचीबद्ध प्रमुख पदाधिकारियों निम्नानुसार है :

(i) लक्ष्य समूह– I वरिष्ठ पदाधिकारी

सांसद/विधायक/न्यायपालिका/प्रशासनिक सेवा अधिकारी/संबद्ध सेवा अधिकारी/कुलपति/राजस्व विभाग – केंद्र और राज्य सरकारें/ पुलिस अधिकारी

(ii) लक्ष्य समूह–II पदाधिकारी– शिक्षा

सरकारी कॉलेजों और स्कूलों के प्रिंसिपल/ उप प्रिंसिपल, उच्च शिक्षा संकाय, शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल /फेकल्टी

(iii) लक्ष्य समूह–III पदाधिकारी – स्वास्थ्य और संबद्ध स्वास्थ्य

स्वास्थ्य और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर, प्रशासक (सीएमओ, उप सीएमओ, एमओ)

(iv) लक्ष्य समूह–IV के पदाधिकारी – मध्य स्तरीय प्रशासक जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर नियोजक और रोजगार अधिकारी

(v) लक्ष्य समूह–V पदाधिकारी – स्कूल शिक्षा

शिक्षक, हेड मास्टर्स, (प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर), एसएमसी

(vi) लक्ष्य समूह – VI कार्यकर्ता – जमीनी स्तर के कार्यकर्ता एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सीबीआर कार्यकर्ता, ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता। लक्ष्य समूह– VII – इंजीनियरिंग (मॉड्यूल तैयार किया जाना है)

IV पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, योजना प्रावधानों के तहत सहायता अनुदान नीचे दिए गए अनुसार जारी किया गया है :

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2018-19	1.67
2019-20	शून्य
2020-21	शून्य
2021-22	शून्य
2022-23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)	शून्य

8.3.6.9 वर्ष 2022 में एजीपी योजना के तहत उपलब्धियां :

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाने और सरकार के कार्यक्रमों तक आउटरीच बढ़ाने के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश में 15–16 सितंबर, 2022 को दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले और सुश्री प्रतिमा भौमिक की उपस्थिति में माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने किया। 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत दिल्ली, गोवा, ओडिशा और पंजाब के मंत्रियों और 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने उक्त बैठक में भाग लिया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत कार्य करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी दिव्यांगजनों के लाभ के लिए अपनी गतिविधियों की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवगत कराने के लिए अपने द्वारा प्रदान किए जा रहे कार्यक्रमों/सेवाओं को साझा किया ।

(ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा इंडिया गेट, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 6 दिवसीय (2–7 दिसंबर, 2022) दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों के लिए www.nhfdcfoundation.org ऑनलाइन विक्रय पोर्टल का शुभारंभ किया और आईडीईए–सक्षम द्वारा 75 दिव्यांगजनों को उनके स्वरोजगार के लिए 16 लाख से अधिक सीड अनुदान की राशि वितरित की। इसके साथ ही एक दर्जन दिव्यांगों को विभिन्न कंपनियों से रोजगार पत्र भी प्रदान किए गए। वहीं मेले में भाग लेने वाले 200 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों को जीवन बीमा के लिए 5–5 हजार की राशि दी गई। मेले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिव्यांगजनों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मेले में दिल्ली के लोगों ने दिव्यांगजनों की कला और कौशल की सराहना की और उनके द्वारा निर्मित सामानों को खरीदा। दिव्य कला मेले में 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 200 से अधिक दिव्यांग शिल्पकारों, कलाकारों, उद्यमियों ने अपने कौशल, कला और उद्यमिता का प्रदर्शन किया। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका आनंद लोगों ने मेले में लिया।

(iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 10 दिसंबर 2022 को रंग भवन सभागार, आकाशवाणी भवन, दिल्ली में 'दिव्य कला शक्ति' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिव्यांगजन क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों और विभाग के स्टेकहोल्डरों ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान पीडीयूएनआईपीपीडी के सहयोग से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम 'दिव्य कला शक्ति– दिव्यांगता में क्षमता का दर्शन में दिव्यांग बच्चों और युवाओं द्वारा असाधारण प्रदर्शन देखा।

(iv) विभिन्न राज्यों, सांस्कृतिक समाजों, संस्थानों, उत्तरी क्षेत्रों की सिविल सोसाइटी के लगभग 100 दिव्यांग कलाकारों ने इसे वास्तव में उत्तर क्षेत्रीय भावना बनाने के लिए इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, रचनात्मक हस्तियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, विभिन्न दिव्यांगता वकालत समूहों (एडवोकेसी ग्रुप) आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 300 गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम कई राज्य विशिष्ट और प्रेरणादायक प्रदर्शनों से भरपूर था जिसने शाम को आकर्षक बना दिया। पूर्व की एक कैंसर सर्वाइवर और लोकोमोटर डिसेबल अनीता गुप्ता द्वारा दुर्गा नृत्य वास्तव में एक जागृति थी।

8.3.7 दिव्यांगजन संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जनवरी, 2015 में "दिव्यांगजन संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों और मुद्दों पर अनुसंधान" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। 2021–22 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए इस योजना को जारी करने हेतु विचार करते समय, इस योजना के उद्देश्यों को पुनः दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है और संशोधित उप–योजना दिशानिर्देश दिनांक 04.05.2022 को जारी किए गए हैं।

उद्देश्य

(क) दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और समर्थन करना;

(ख) दिव्यांगता के प्रसार और इसकी रोकथाम के उपायों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(ग) सुविधा और पुनर्वास को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना तथा ऐसे अन्य मुद्दे जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं;

(घ) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए स्वदेशी उत्पादों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

वर्तमान स्थिति:

अब तक इस योजना के तहत 16 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिसके लिए कुल वित्तीय सहायता के रूप में विभिन्न किस्तों में 1.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान, निम्नलिखित 03 संगठनों को निधियां जारी की गई हैं। तीन परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त अंतिम रिपोर्टों का मसौदा और एक परियोजना के संबंध में प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट के मसौदे पर आगे किस्तें जारी करने पर विचार किया जा रहा है, जो निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	परियोजना का शीर्षक
1	एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद (मसौदा अंतिम रिपोर्ट)	इंटेलिजेंस के भारतीय परीक्षण का विकास
2	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई (ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट)	सूचना और एक क्लिक (दिव्यांगता के लिए एक ऑनलाइन मुंबई सूचना पोर्टल)
3	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद अनुकूलित विज्ञान विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु का विकास (मसौदा अंतिम रिपोर्ट)	माध्यमिक स्तर पर विज्ञान सीखने और दृष्टि बाधित वाले छात्रों में कौशल में सुधार के लिए प्रयोग।
4	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब (अंतरिम रिपोर्ट का मसौदा)	बधिर बधिर लोगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा सिंथेटिक एनीमेशन का उपयोग करते हुए रासिलवे स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का विकास।

वित्त वर्ष 22–23 के दौरान, दिव्यांगता क्षेत्र में अनुसंधान/अध्ययन शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कुल 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हालांकि, बाद में 18 प्रस्ताव वापस ले लिए गए। स्क्रूटनी सह तकनीकी समिति ने प्रारंभ में 21.07.22 को 16 प्रस्तावों पर विचार किया और एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद और एनआईईपीएमडी चेन्नई से 'सिद्धांत रूप में' 2 प्रस्तावों की सिफारिश की। इस समिति ने 15.12.2022 को आयोजित अपनी बैठक में केवल 6 प्रस्तावों (क्योंकि अन्य प्रस्ताव प्रस्ताव मौजूदा योजना के तहत उपयुक्त नहीं पाए गए थे) पर विचार किया और 'सिद्धांत रूप में' 3 प्रस्तावों की सिफारिश की। संवीक्षा सह तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत प्रस्ताव अनुसंधान एवं विकास उप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु विचार और अनुमोदन हेतु संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

8.3.8 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार करने उन्हें विशिष्ट पहचान पत्र कार्ड भी जारी करने के विचार से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यूडीआईडी परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना के लिए एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है और एनआईसी क्लाउड पर मई 2016 से उपलब्ध है। यह एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर दिव्यांगता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए भी एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। यह डेटाबेस ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर से कार्यान्वयन के अनुक्रम के सभी स्तरों पर लाभ के वितरण की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का पता लगाने में मदद प्रदान करेगा। यह दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम्यता को प्रोत्साहित करेगा यह डेटाबेस व्यक्तिगत विवरण, पहचान विवरण, दिव्यांगता का विवरण (दिव्यांगता का प्रतिशत आदि) शिक्षा की स्थिति, रोजगार का विवरण, आय स्तर (बीपीएल/एपीएल, आदि, योजना संबंधित विवरण आदि का रिकार्ड रखेगा।

(ii) दिनांक 10.01.2023 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 740 जिलों में से 716 में 88,02,912 ई–यूडीआईडी कार्ड सृजित किए गए हैं। यूडीआईडी कार्ड के सृजन की राज्य–वार स्थिति **अनुबंध 10** में दी गई है। विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उच्चतम स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक संचार के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की लगातार मॉनीटर करता है।

(iii) विभाग इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:–

(क) प्रचार और जागरूकता हेतु सहायता–20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.5 लाख रूपये, 10 लाख से अधिक और 20 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.0 लाख रूपये और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 1.5 लाख रूपये।

(ख) तकनीकी सहायता–आईटी अवसंरचना–एक कम्प्यूटर डेस्कटॉप, आधार प्रमाणीकरण के लिए चार बॉयोमेट्रिक सिंगल स्कैनर, स्कैनर सहित एक साधार प्रिंटर और एक वेब कैमरे जैसी आईटी अवसंरचना की खरीद के लिए प्रति जिला/चिकित्सा प्राधिकरण को 1.00 लाख रूपये तक।

(ग) जनशक्ति समर्थन–यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य समन्वयक की नियुक्ति के लिए प्रति माह 50,000 रूपये की राशि

(घ) पुराने मैनुअल प्रमाण पत्र का डिजिटलीकरण–3.61 रूपये प्रति प्रमाण पत्र

दिनांक 10.01.2023 के अनुसार 2022–23 के दौरान 2.10 करोड़ रूपये सहित उपरोक्त उद्देश्यों के लिए विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 36.32 करोड़ रूपये जारी किए हैं।

(iv) यूडीआईडी डेटाबेस को डेटा सुरक्षा के लिए इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर एप्लिकेशन के साथ लिंक किया गया है। रेल मंत्रालय से रेल द्वारा रियायती यात्रा के लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य हेतु यूडीआईडी परियोजना के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को मान्य करने का अनुरोध किया गया है।

(v) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तुलनात्मक राज्यवार स्थिति **अनुबंध–10** में है।

8.3.9 देश के पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना (बधिर कॉलेज योजना)

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर सहित निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है:

(i)	भारत के उत्तरी क्षेत्र में बधिर के लिए ग्रामीण विकास और प्रबंधन कॉलेज (आरडीएमसी);
(ii)	पश्चिम क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;
(iii)	दक्षिण क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;
(iv)	मध्य क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;
(v)	पूर्वी क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है–

(i) इस योजना मूल रूप से 29.01.2015 को मंजूरी दी गई थी, और संशोधित योजना 1 अगस्त, 2018 को अधिसूचित की गई थी। हाल ही में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के कार्य के दौरान, योजना के एक संशोधित संस्करण को अम्ब्रेला स्कीम – सिपडा के तहत एक परियोजना के रूप में जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। अनुमोदित परियोजना का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड किया जाना है: https://disabilityaffairs.gov.in

(ii) इस योजना में मौजूदा कॉलेज के बुनियादी ढांचे के विस्तार, सहायक यंत्र/उपकरण, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर, फर्नीचर और फिक्सचर आदि की खरीद के लिए देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज को वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है; और कॉलेज संकाय, कर्मचारियों और सांकेतिक भाषा दुभाषिए के लिए वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए कॉलेज द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता ।

(iii) यदि योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त कॉलेज नहीं मिलते हैं, तो विभाग को इस योजना के तहत जारी करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हुए एक क्षेत्र में दो बधिर कॉलेजों की पहचान करने की छूट होगी।

(iv) विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत निम्नलिखित कॉलेजों को सहायता–अनुदान जारी किया गया है :

क्र.सं	वर्श	कॉलेज का नाम	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	2018-19	राष्ट्रीय वाक् और श्रवण संस्थान (एनआईएसएच) तिरुवनन्तपुरम, केरल	1.50
2.	2019-20	-	-
3.	2020-21	-	-
4.	2021-22	-	-
5.	2022-23	-	-

*11.01.2023 की स्थिति के अनुसार

8.3.10 स्पाइनल इंजरी सेंटर को वित्तीय सहायता के लिए योजना (एएसआईसी योजना)

8.3.10.1 उद्देश्य

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य देश भर में स्पाइनल इंजरी सेंटर को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि स्पाइनल इंजरी सेंटर वाले रोगी अपनी भरपूर क्षमताओं के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हो सके। इस योजना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैः–

8.3.10.2 घटक 1: इंडियन स्पाौइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली को सहायता

I इस योजना की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 28.03.1989 के निर्णयों और 15.12.1997 के संशोधन के माध्यम से इंडियन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर (एससीआई) गरीब रोगियों को इनडोर उपचार प्रदान करने के लिए की गई थी

ii. यह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और संबंधित बीमारियों वाले रोगियों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है

iii. घटक में पुनर्निर्माण सर्जरी, स्थिरीकरण संचालन, शारीरिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पुनर्वास और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं के रूप में विभिन्न इंटरवेंशन शामिल हैं

iv. लाभार्थियों की पात्रता – स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले भारतीय नागरिक जिनकी पारिवारिक आय 3,00,000 रुपये (तीन लाख रुपये) प्रति वर्ष से अधिक नहीं है

v. प्रदान की गई सहायता

क. विभाग एससीआई गरीब रोगियों के इलाज के लिए प्रतिदिन 25 निःशुल्क बेड प्रदान करने के लिए आईएसआईसी को @रू. 7000 /बेड/दिन वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ख. इसके अलावा, आईएसआईसी केंद्र गरीब एससीआई रोगियों को 5 निःशुल्क बेड प्रदान करेगा

vi. निधियों का संवितरण योजना घटक के अंतर्गत केवल आईएसआईसी, दिल्ली तक ही सीमित है।

vii. पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना प्रावधानों के अनुसार आईएसआईसी को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	राशि (करोड़ में)
1.	2018-19	-
2.	2019-20	-
3.	2020-21	3.99
4.	2021-22	2.52
5.	2022-23*	-

*11.01.2023 की स्थिति के अनुसार

8.3.10.3 घटक 2 : राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर (एसएसआईसी) की स्थापना के लिए योजना इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं :

i. 2015–16 से राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर (एसएसआईसी) स्थापित करने पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना लागू की जा रही है।

ii. सभी राज्यों की राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों के संबद्ध में व्यापक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना करना।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के संबंध में स्पाइनल इंजुरी के उपचार, पुनर्वास और प्रबंधन हेतु समर्पित 12 बेड।

iv. <u>गैर–आवर्ती सहायता</u>

- चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा/सर्जिकल यंत्रों (ओटी), पुनर्वास उपकरण (क) ओटी और पीटी (ख) ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स तथा सहायक प्रौद्योगिकी पर व्यय के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे 2.33 करोड़ रूपये तक का गैर–आवर्ती सहायता अनुदान।
- 12 बिस्तर वाले समर्पित वार्ड की स्थापना के लिए 56.00 लाख रूपये तक गैर–आवर्ती सहायता अनुदान।

v . <u>आवर्ती सहायता</u>

- प्रतिदिन प्रति बिस्तर के लिए 1000/– रूपये के दर से वार्षिक आधार पर 10 बेड के रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 36,00,000/– रूपये)।
- राज्य सरकार/कार्यान्वयन अस्पताल द्वारा 2 बिस्तरों के संबंध में आवर्ती व्यय देयता वहन की की जाएगी बशर्ते कि शर्तों को पूरा किया गया हो।

vi. विगत तीन वर्षों और चालू के दौरान योजना के प्रावधानों के अनुसार एसएसआईसी को जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं	वर्ष	सेंटर का नाम	राशि (करोड़ रूपये में)
1.	2018-19	गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्तपताल, भोपाल	2.82
2.	2019-20	-	-
3.	2020-21	एमएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान	0.31
4.	2021-22	-	
5	2022-23*	-	-

* 11.01.2023 की स्थिति के अनुसार

8.3.11 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी):

दिनांक 17.06.2021 को 7 राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) अर्थात् एवाईजेएनआईएसडी मुंबई, एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद, एनआईईपीएमडी चेन्नई, एनआईईपीवीडी देहरादून, एनआईएलडी कोलकाता, पीडीयूएनआईपीपीडी नई दिल्ली और एसवीएनआईआरटीएआर कटक और 7 समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) में भोपाल, कोझीकोड, लखनऊ, नेल्लोर, पटना, राजनंदगांव और सुंदरनगर में 14 एकल–विंडों **निकटस्थ** क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) शुरू किए गए। ये सीडीईआईसी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों के संबंध में स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन करने के लिए सुसज्जित हैं और (i) बच्चों की स्क्रीनिंग और जोखिम वाले मामलों की पहचान के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, (ii) चिकित्सीय सेवाएं जैसे स्पीच थेरेपी, आक्यूपेशनल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, आदि, (iii) माता–पिता की परामर्श और सहकर्मी परामर्श और (iv) दिव्यांगता वाले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए प्रारंभिक स्कूल के लिए सुविधाएं। विभाग सीडीईआईसी की स्थापना के लिए एनआई/सीआरसी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना की जा सके ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना की जा सके। अब तक उपरोक्त एनआईएस और सीआरसी पर सीडीईआईसी की स्थापना के लिए 2.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.12.2022 तक 95,34,734 रुपये जारी किए गए हैं। (विवरण **अनुबंध–9** ज में देखा जा सकता है)

8.4 छात्रवृत्ति योजनाएं

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

8.4.1 सिंहावलोकन

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 31 (1) एवं (2) यह अधिदेशित करती है कि 6 से 18 वर्ष तक की बैंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी इच्छा के निकटतम विद्यालय अथवा किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जब तक दिव्यांग बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उपयुक्त वातावरण में उनकी निःशुल्क शिक्षा तक सुगम्यता सुनिश्चित करेंगे।

(ii) इस अधिदेश को पूरा करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक समग्र योजना 'दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है जिसके छह घटक हैं नामतः प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क कोचिंग।

(iii) समग्र छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी आजीविका उपार्जन के लिए आगे की पढ़ाई करने हेतु और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे अध्ययन कार्य और गरिमापूर्ण जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं।

(iv) 2017–18 तक, इन छह छात्रवृत्ति योजनाओं को अलग–अलग बजट वाली स्टैंड–अलोन योजनाओं के रूप में लागू किया गया था। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप 1 अप्रैल, 2012 को शुरू की गई थी। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2014 को शुरू की गई थी। उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग 1 अप्रैल, 2017 को आरम्भ किया गया था।

(v) 1 अप्रैल, 2018 से, सभी छह छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति और निःशुल्क कोचिंग को एक स्कीम नामतः 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना' नामक एक समग्र योजना में विलय कर दिया गया है। 2018–19 से प्रभावी योजनाओं का विलय/एकीकरण बजट आवंटन की मांग–आपूर्ति असंतुलन को दूर करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए किया गया है। समग्र योजना में, यदि एक खंड में अधिशेष निधि उपलब्ध होती है, तो उस अधिशेष का उपयोग दूसरे में किया जा सकता है।

(vi) प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा में हर वर्ष उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50% और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्लॉट का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तथापि, यदि योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं या योग्य नहीं हैं, तो उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके अनुपयुक्त स्लॉट का उपयोग किया जा रहा है।

8.4.2 अंब्रेला छात्रवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

8.4.2.1 प्री–मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)

I.	माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा	माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।
II.	रखरखाव भत्ता	12 महीने के लिए हॉस्टलर्स के लिए रु. 800/– प्रति माह और डे–स्कॉलर्स के लिए रु. 500/– प्रति माह
III.	दिव्यांगता भत्ता	दिव्यांगता भत्ता रु. 2000 से रु. 4000/– प्रति वर्ष तक
IV.	पुस्तक भत्ता	रू. 1000/– प्रति वर्ष

8.4.2.2 पोस्ट–मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के लिए)

I.	माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा	माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।

II. रखरखाव भत्ता

समूह	रखरखाव भत्ते की दर (प्रति माह)	
	होस्टलर	डे स्कॉलर
समूह I मेडिसन/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, प्लानिंग/वास्तुकला, फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, बिजनेस/ वित्त प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान में सभी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम। किसी भी विषय में यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	1600	750
समूह II फार्मेसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडिकल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रैवल/पर्यटन/ होस्पिटेलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज–सज्जा, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे क्षेत्र में डिग्री/ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	1100	700
समूह III स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम जो समूह I तथा II के अंतर्गत नहीं आते अर्थात बीए/ बीएससी/बी.कॉम आदि ।	950	650
समूह IV समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तरीय गैर–डिग्री पाठ्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि है।	900	550

III. दिव्यांगता भत्ता — दिव्यांगता भत्तों की सीमा रु. 2000/–से रु. 4000/– प्रति वर्ष तक है।

IV.	पुस्तक भत्ता	रू. 1500/–प्रति वर्ष
V.	अनिवार्य गैर–वापसी योग्य शुल्क	प्रति वर्ष अधिकतम शुल्क रू. 1.50 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन है।

8.4.2.3 उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए)

I.	**माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा**	माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 8 लाख प्रति वर्ष है।
II.	**रखरखाव भत्ता**	@रू. 3000/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए @रु 1500/– प्रति माह की दर से दिया जाता है।
III.	**दिव्यांगता भत्ता**	रू. 2000/– प्रति माह।
IV.	**पुस्तक एवं लेखन सामग्री**	रू. 5000/– प्रति वर्ष।
V.	**ट्यूशन शुल्क और गैर–वापसी योग्य शुल्क**	रू. 2.00 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक स्कॉलर द्वारा संस्थान को देय है।
VI.	**कंप्यूटर, एक्सेसरीज़/ सहायक यंत्र और सहायक उपकरण**	पूरे पाठ्यक्रम के लिए एक्सेसरीज सहित कम्प्यूटर की खरीद के लिए 45,000/–रु. और सहायक यंत्र और सहायक उपकरण के लिए रु. 30,000/–एकबारगी अनुदान।

8.4.2.4 दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री और पीएचडी के लिए)

I.	**माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा**	माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष है
II.	**ट्यूशन शुल्क**	भुगतान की गई राशि के अनुसार वास्तविक ट्यूशन शुल्क।
III.	**रखरखाव भत्ता**	सयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों हेतु – 15400/– अमरीकी डालर सिवाय यू.के. के जहां यह जीबीपी 9900/–प्रति वर्ष है।
IV.	**वार्षिक आकस्मिक व्यय भत्ता**	यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के लिए 1,500 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जहां यह जीबीपी 1,100 /–प्रति वर्ष है

V.	**आकस्मिक यात्रा भत्ता**	20 अमरीकी डालर या भारतीय रूपये में इसके समान।
VI.	**उपकरण भत्ता**	रू. 1500/–
VII.	**वीज़ा शुल्क**	वास्तविक अनुसार
VIII.	**चिकित्सा बीमा प्रीमियम**	वास्तविक यथा प्रभारित स्वीकार्य है
IX.	**वायु मार्ग की लागत**	वास्तविक अनुसार

8.4.2.5 दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल/पीएचडी के लिए)।

I.	**माता–पिता/अभिभावक की आयः**	**माता–पिता/अभिभावक की कोई अधिकतम आय सीमा नहीं है।**
फेलोशिप की दर :जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होंगी। वर्तमान में ये दरें इस प्रकार हैं:		
II.	**फेलोशिप**	रू. 31,000/-प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), रु. 35,000/-प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए (सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ)
III.	**मानविकी और सामाजिक विज्ञान (कला/ललित कला सहित) के लिए आकस्मिक व्यय**	रू. 10,000/-प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 20,500/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए
IV.	**विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय**	रू. 12,000/-प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 25,000/-प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए
V.	**विभागीय सहायता (सभी विषय)**	रू. 3,000/-प्रति वर्ष प्रति छात्र मेजबान (होस्ट) संस्थान को अवसंरचना प्रदान करने के लिए
VI.	**एस्कॉर्ट/रीडर सहायता (सभी विषय)**	रू. 2,000/- प्रतिमाह शारीरिक और दृष्टि दिव्यांग उम्मीदवारों के मामलों में
VII.	**मकान किराया भत्ता**	मकान किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान यूजीसी पैटर्न पर किया जाता

	(एचआरए) स्लॉट	है और उन छात्रों को देय होता है, जिन्हें हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाता है। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रस्तावित हॉस्टल आवास नहीं लिया जाता है, तो छात्र का एचआरए का दावा समाप्त हो जाएगा। उनके फेलोशिप कार्यक्रम के मामले में अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश सहित सभी अवकाश यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होंगे।
VIII.	स्लॉट	**स्लॉट्स की संख्याः 200 स्लॉट्स प्रतिवर्ष** विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्लॉट्स का वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिव्यांग छात्रों की संख्या के अनुपात में किया जाता है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित फेलोशिप की संख्या का पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पूरा उपयोग नहीं होने के मामले में, खाली स्लॉट्स उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं, जहां पात्र उम्मीदवारों की संख्या आवंटित स्लॉट से अधिक है।

8.4.2.6 दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए)

I.	**माता–पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा**	माता–पिता/अभिभावक आय की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष 8 लाख रू. है।
II.	**कोचिंग शुल्क रू.**	रू.1,20,000/- (अधिकतम)
III.	**स्टाईपेंड**	स्थानीय छात्रों को @ 2500/– रूपये प्रति छात्र की दर से तथा बाहरी छात्रों को 5000/– रूपये प्रति छात्र की दर से मासिक स्टाईपेंड प्रदान किया जाएगा।
IV.	**विशे ा भत्ता**	छात्रों को रीडर भत्ते, एस्कॉर्ट भत्ते, सहायक भत्ते आदि के लिए @2000/– रूपये प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है।

8.4.3 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की शर्तें

(i) केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।

(ii) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग छात्र (राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित) छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित दिव्यांगता हो।

8.4.4 कार्यान्वयन की विधिः

छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की विधि निम्नलिखित हैः

(i) दिव्यांग छात्रों के लिए पहली तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ, अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और छात्रवृत्ति राशि को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे प्रेषित किया जाता है।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना के तहतः विभाग लाभार्थियों के चयन, चयनित उम्मीदवारों को पुरस्कार पत्र जारी करने और चयनित उम्मीदवारों को फैलोशिप के वितरण के लिए जिम्मेदार है।

(iii) स्व–विकास के लिए नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति के अंतर्गत उम्मीदवार द्वारा किए गए छात्रवृत्ति राशि/विविध खर्चों की प्रतिपूत आदि का संवितरण विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

8.4.5 प्रचार आर जौगरूकता

जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रचार करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों (दैनिक समाचार पत्रों) में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन जारी किए जाते हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभ रेडियो चैनलों, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर प्रसारित कार्यक्रमों में प्रसारित किए जाते हैं।

8.4.6 मॉनीटरिंग तंत्रः

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्यान्वित योजनाओं (प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा) का मॉनीटिरिंग तंत्र निम्नलिखित हैः–

(i) उम्मीदवार एनएसपी वेब–पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसे राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र द्वारा डिज़ाईन और अनुरक्षित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख कैबिनेट सचिवालय, डीबीटी मिशन द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तय की जाती है।

(ii) संबंधित संस्थानों को राज्य नोडल अधिकारी को आवेदन सत्यापित करना और अग्रेषित करना होता है।

(iii) राज्य नोडल अधिकारी को संबंधित संस्थान की विधिवत सहित आवश्यक जांच करनी अपेक्षित है और राज्य सरकारों की सिफारिश के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवेदन अग्रेषित करना होगा।

(iv) अंतिम चयन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य सरकार की सिफारिशों के अन्य बातों के साथ, उस विशेष राज्य के लिए उपलब्ध स्लॉट के आधार पर किया जाता है,

(v) यदि उम्मीदवार किसी राज्य का स्थायी निवासी है लेकिन किसी अन्य राज्य में पढ़ रहा है, तो उसके आवेदन को उसके गृह राज्य के स्लॉट के तहत माना जाएगा और उसके आवेदन को उस राज्य की सिफारिश की आवश्यकता है जिसका वह स्थायी निवासी है।

(vi) राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम की मॉनिटरिंग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है। जूनियर रिसर्च फैलोशिप चरण में उम्मीदवार द्वारा शोध कार्य में प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन के बाद एसआरएफ/जेआरएफ प्रदान किया जाता है। 15 वें वित्त आयोग के अंत के बाद अर्थात 2025–26 या विभाग द्वारा तय किए गए पहले इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा योजना का मूल्यांकन किया जाएगा।

(vii) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत वार्षिक अनुरक्षण, ट्यूशन शुल्क और अन्य भत्तों को जारी करने से पहले भारतीय दूतावास/उच्चायोग के माध्यम से संबंधित कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय से छात्र की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ।

8.4.7 छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में विगत सात वर्शों और चालू वर्श के दौरान और जारी की गई राशि लाभार्थियों की संख्या अनुबंध–17क में है।

8.5 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

(i) विभाग ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा 86 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का गठन किया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम नियम, 2017 के नियम 41 और 42 निधि के उपयोग के तरीके और उद्देश्य से संबंधित हैं। केन्द्र सरकार ने प्रारंभ में डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किया था, जो उक्त निधि के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। शासी निकाय का पुनर्गठन 13.10.2022 को किया गया है। 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय निधि के तहत निधि की स्थिति निम्नानुसार हैः –

(ii) सावधि जमा – 327.26 करोड़ रुपये
(iii) बचत खाता (शुद्ध राशि) – 36.33 करोड़ रुपये
(iv) दिनांक 31.12.2022 को 2022–23 के दौरान व्यय – 3.44 करोड़ रुपये

8.5.1 राष्ट्रीय निधि के तहत दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैंः –

(i) पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तशिल्प आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां / कार्यशालाएं,

(ii) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर खेल या ललित कला/संगीत/नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) का समर्थन करें। एक ही घटना/कार्य के लिए निधि से सहायता केवल एक बार पीडब्ल्यूडी को दी जा सकती है; और

(iii) मामला–दर–मामला आधार पर विशिष्ट सिफारिश पर राज्य मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की कुछ अनन्य आवश्यकताओं का समर्थन करें।

8.5.2 विभाग में प्राप्त प्रस्तावों और प्रारंभिक संवीक्षा के पश्चात्, संबंधित संगठनों/व्यक्तियों से अनुरोध किया गया था कि वे जहां कहीं भी आवश्यक हो अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करें। तदुपरांत, अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावों **(अनुबंध–12)** पर सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई है, जिसके लिए अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद निधियां जारी की जाएंगी।

8.6 दिव्यांगता खेल केंद्र

दिव्यांगता खेल केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को विश्व में अद्यतन के समान प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे पैरालम्पिक, डेफलिंपिक्स, विशेष ओलंपिक और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें और पदक जीत सकें।

8.6.1 **दिव्यांगता खेल केंद्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश** : मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.02.2019 की बैठक में ग्वालियर (एमपी) में एक दिव्यांगता खेल केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 5 वर्षों में 170.99 करोड़ रुपये की थी : –

(i) गैर–आवर्ती लागत (निर्माण, फर्नीचर, खेल उपकरण– 151.16 करोड़ रुपये)

(ii) आवर्ती लागत (वेतन और संचालन और रखरखाव) – 19.83 करोड़ रुपये (निर्माण के बाद 3 साल के लिए)

8.6.2 खेल सुविधाओं में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल और टेनिस जैसी आउटडोर खेल है और बैडमिंटन, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सिटिंग वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, व्हीलचेयर फेंसिंग, व्हीलचेयर रग्बी, बोकिया, गोलबॉल, फुटबॉल 5–ए–साइड, पैरा डांस स्पोर्ट और पैरा पावरलिफ्टिंग के साथ–साथ एक हॉस्टल जैसा इनडोर खेल शामिल हैं।

8.6.3 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा केंद्र के भवन और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य टर्नकी की आधार पर किया जा रहा है, जिसके मार्च, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

*****

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

9.1 सिंहावलोकन

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं/राज्यों/जिलों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यह पुरस्कार निम्नलिखित 14 श्रेणियों के तहत हर वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' के अवसर पर अर्थात 3 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं :–

9.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के दिनांक 19 अप्रैल, 2017 से प्रभाव में आने से नवीन अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गयी। तदनुसार सभी 21 दिव्यांगताओं को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार दिशा–निदेश, 2018 में शामिल कर लिया गया, जिसे भारत के असाधारण राजपत्र में 2 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया। बाद में 14 जुलाई, 2022 के भारत के असाधारण राजपत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी को बदल दिया गया। अधिसूचना के अनुसार पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन निम्नलिखित 15 श्रेणियों के लिए आमंत्रित किए गए थे :

I. व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

क. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन

ख. श्रेष्ठ दिव्यांगजन

ग. श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका (18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चे)

घ. दिव्यांगजनो के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति

ड. दिव्यांगता के श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वस पेशेवर

च. दिव्यांगता के श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास

II. दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार.

क. दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान। (निजी संगठन, एनजीओ)

ख. दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन/पीएसई/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)

ग. दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी – सरकारी / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों को छोड़कर

घ. सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वंयन /बाधामुक्तवातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला।

ड. सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन /सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी ।

च. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्न योजना के कार्यान्वछयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला।

छ. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वायन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य दिव्यांवगजन आयुक्त

ज. पुनर्वस सेवाओं के लिए पेशेवर तैयार करने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्थान।

9.3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 और 2022 के लिए, गृह मंत्रालय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से सभी 21 विनिर्दिष्ट दिव्यां्गताओं से आवेदन आमंत्रित करने वाला एक विज्ञापन 15 अगस्त, 2022 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त, 2022 थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था और 04 सितंबर, 2022 तक प्राप्त आवेदन स्वीकार किए गए थे। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन भेजने और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया गया था। राष् ट्रीय पुरस् कारों की विस् तृत योजना के साथ–साथ पुरस् कार पोर्टल (www.awards.gov.in) पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन मंगाने के लिए जारी विज्ञापन भी। वास्त विक आवेदन स्वीकार नहीं किए गए थे।

9.4 वर्ष 2021 के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से कुल 844 और 1210 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों को इस उद्देश्य के लिए गठित चार स्क्रीनिंग समितियों द्वारा योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, कुमारी प्रतिमा भौमिक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों पर विचार किया गया था। संस्थान श्रेणियों के लिए वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय चयन समिति ।.

9.5 वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची **अनुबंध 13 क और 13 ख** पर है ।

*****

अनुबंध 1

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य

भारत सरकार नियमावली के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित विषय (कार्य आवंटन), इस प्रकार हैं:–

1. निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–I के अंतर्गत – संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में आते है:
   दान में दी गई राहत वस्तुओं/आपूर्तियों के कर–मुक्त आयात हेतु भारत–यू.एस., भारत–यू.के, भारत–जर्मन, भारत–स्वीडन तथा भारत–स्वीट्जरलैंड की आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।
2. निम्नलिखित विषय जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान के संबंध में):
   ''सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर''
3. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–II समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं–राज्य सूची अथवा सूची–III–जहां तक ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वे विद्यमान हैं:
   ''दिव्यांगजनों को रोजगार हेतु सहायता; सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर''।
4. दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग की भांति कार्य करना:

{**टिप्पणी**: दिव्यांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजन तथा समन्वय के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।}

5. दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लक्षित विशेष योजनाएं, जैसे सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्वरोजगार के लिए सब्सिडी आदि।
6. पुनर्वास व्यावसायिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।
7. विभाग से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और करार, जैसे संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन।
8. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।
9. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में चैरिटेबल और धर्मार्थ अनुदान तथा स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

10.अधिनियम/विधान/नीतियां

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34);
(ii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–दिव्यांगताग्रस्त जनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44);
(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)।

11.सांवधिक निकाय

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त।
(iii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एंव बहु–दिव्यांगताग्रस्तजनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

12.सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत निकाय

(i) नैशनल हैंडिकैप्ड फाइनैंस एण्ड डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन – कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत।
(ii) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर।

13. राष्ट्रीय संस्थान

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली।
(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक
(iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता।
(iv) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीपीडी), देहरादून।
(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईएनआईएसएचडी), मुंबई
(vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडर), सिकंदराबाद।
(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगताग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईपीएमडी), चेन्नई।
(viii) भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली।
(ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सिहौर (एनआईएमएचआर), मध्य प्रदेश

अनुबंध 2

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्य वार जनसंख्या

क्र.स.	राज्य	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	12,19,785
2	अरूणाचल प्रदेश	26,734
3	असम	4,80,065
4	बिहार	23,31,009
5	छत्तीसगढ़	6,24,937
6	दिल्ली	2,34,882
7	गोवा	33,012
8	गुजरात	10,92,302
9	हरियाणा	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12	झारखंड	7,69,980
13	कर्नाटक	13,24,205
14	केरल	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	15,51,931
16	महाराष्ट्र	29,63,392
17	मणिपुर	58,547
18	मिजोरम	15,160
19	मेघालय	44,317
20	नागालैंड	29,631
21	ओडिशा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडु	11,79,963
26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखंड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,660
32	चंडीगढ़	14,796
33	दमन और द्वीप	2,196
34	दादर और नगर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुडुचेरी	30,189
	कुल	**2,68,14,994**

1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा

क्र. सं.	मौजूदा योजना	मौजूदा अवसंरचना		संशोधित योजना	संशोधित अवसंरचना		
		स्थापना लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधि (रू.)		स्थापना लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधि (रू.)	अपेक्षित स्टाफ
1	दिशा (प्रारंभिक उपचार एवं स्कूल तैयारी योजना)	1.55 लाख	5500/-	दिश–सह–विकास योजना (40 बच्चों का बैच)	1.55 लाख	3500/– रू. (3000/– रू. + वाहन @ 500/– रू. प्रति माह पात्र लाभार्थी को) गरीबी रेखा की सीमा से नीचे वाले अधिकतम 30 पात्र लाभार्थियों तक। अनुपात की शर्तें दिशानिर्देशों के अनुसार समान होंगी।	(1) प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट/ओटी/पीटी: कोई दो (2) विशेष शिक्षक /वोकेशनल प्रशिक्षक: कोई एक (3) परामर्शदाता : एक सप्ताह में 3 बार (4) केयर गिवर : 02 (5) आया : 02
2	विकास (10+ आयु वालों के लिए डे केयर योजना)	1.95 लाख	4,850/-				
3	समर्थ (रेसपाइट केयर रेजिडेन्शियल स्कीम)	2.90 लाख	7,000/-	समर्थ–सह–घरौंदा (आवासीय देखभाल) योजना (30 लोगों का बैच)	1.90 लाख	5,000/– रू. गरीबी रेखा की सीमा से नीचे वाले अधिकतम 20 पात्र लाभार्थियों तक	(1) ओटी : 01 (2) पीटी : 01 (3) विशेष शिक्षक / वोकेशनल प्रशिक्षक : कोई एक (4) केयर गिवर : 03 (5) आया : 02 (6)कुक : 01
4	घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक घर)	2.90 लाख	10,000/-				

5	निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)		पहले के अनुसार		
6	सहयोगी (केयरगिवर प्रशिक्षण योजना)	1.00 लाख	1) प्रशिक्षु लागत : – प्राइमरी– 4,200 रू. – एडवांस– 8,000 रू. 2) प्रशिक्षु स्टाइपेंड – प्राइमरी– 5,000 रू. – एडवांस – 10,000 रू.	50,000/-	1)प्रशिक्षु लागत : (प्राइमरी–2000 रू. और एडवांस्ड–3,000 रू) 2) प्रशिक्षु स्टाइपेंड (प्राइमरी– 3,000 रू.और एडवांस्ड– 5,000 रू.)
7	ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता)		दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सा.न्या.एवं अधि. मंत्रालय द्वारा समान योजना का कार्यान्वयन किए जाने के कारण योजना को बंद कर दिया गया है।		
8	प्रेरणा (विपणन सहायता)		संशेधित किया जाना है		
9	संभव (सहायक यंत्र और सहायक उपकरण)		संशेधित किया जाना है		
10	बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक परस्पर क्रिया और नवाचार परियोजना)		एक वित्त वर्ष में प्रति आरओ को केवल 1 कार्यक्रम		

सफलता की कहानियां

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली

क) श्री भानु साहू :

श्री भानु साहू मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आधार फाउंडेशन में लागू की जा रही राष्ट्रीय न्यास की समर्थ सह

घरौंदा (आवासीय योजना) के लाभार्थी हैं। भानु का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मामला और बदतर हो गया, भानु के पिता ने उनको और उनकी मां श्रीमती मंजू साहू को छोड़ दिया। उसने दो वक्त की रोटी के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम करना शुरू किया। आधार फाउंडेशन के अधिकारियों ने सितंबर, 2018 में आधार फाउंडेशन के एक नियमित सर्वेक्षण में भानु की मां से मुलाकात की। उन्हें उनके समान और अधिक गंभीर बौद्धिक चुनौतियों वाले बच्चों के आधार फाउंडेशन में संभावित सुधारों के बारे में बताया गया। कुछ प्रोत्साहन के साथ, भानु ने अक्टूबर 2018 में समर्थ–सह–घरौंदा केंद्र में प्रवेश लिया। जब उन्होंने केंद्र में प्रवेश लिया, तो वे केवल अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दे सकते थे। उन्हें सामाजिककरण में कठिनाइयां थीं, समय को समझने और उसके पेसेज होने में असमर्थ थे, वे बुनियादी गणित में सक्षम नहीं थे। वे बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे।

आधार फाउंडेशन के समर्थ–सह–घरौंदा केंद्र में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं, विशेष प्रशिक्षकों और व्यावसायिक प्रशिक्षक ने उनके सामाजिक और गणितीय कौशल पर काम करने के अलावा, उनके काम और नए प्राप्त ज्ञान और कौशल के व्यवसाय और दैनिक अनुप्रयोगों पर काम करना शुरू कर दिया ।

आधार फाउंडेशन की मदद से, भानु मई, 2019 में छिंदवाड़ा (पुलिस स्टेशन के सामने) में तिवारी मेडिकल्स में 3000 रुपये प्रति माह के शुरुआती वेतन पर रोजगार पाने में सक्षम हो गए थे। उनका काम दवाओं के बक्से, चिकित्सा उपकरणों को गोदाम से स्टोर में ले जाना, गोदाम की देखभाल करना और स्टोर एवं गोदाम की साफ–सफाई करना था। भानु अब प्रति माह 5500 रुपये कमाते हैं।

भानु और उनकी मां अब बेहद खुश हैं और अपनी खुशी के लिए आधार फाउंडेशन और राष्ट्रीय न्यास के प्रति आभार व्यक्त करना कभी नहीं भूलते हैं।

ख) श्री बाबुली बारिक

श्री बाबुली बारिक राष्ट्रीय न्यास की घरौंडा योजना (वयस्कों के लिए समूहिक घर) के लाभार्थी हैं, जिसे रामपुरहाट स्पास्टिक्स एंड हैंडीकैप्ड सोसाइटी, बीरभूम, पश्चिम बंगाल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वे बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित एक 36 वर्षीय व्यक्ति है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र बारिक और माता का नाम गौरी बारिक है। उनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। वे 3 भाई–बहन हैं और बाबुली उनमें से सबसे छोटा है। बाबुली बीपीएल परिवार से संबंधित हैं। बाबुली वर्ष 2018 में हमारे घरौंदा केंद्र में आए थे।

जब बाबुली केंद्र में आये तो उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें दिए गए निर्देशों का वे पालन नहीं कर पाते थे। वे अनावश्यक बात करते रहते थे। वह ज्यादातर समय गुस्से में रहते थे, अन्य शब्दों में वह चिड़चिड़ा था। वे इस बात से अनजान थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे कुछ समय के लिए एक स्थान पर नहीं बैठ सकते है। अपने गांव में वे अनावश्यक इधर–उधर घूमते रहते थे। ग्रामवासियों ने उन्हें बिना भुगतान किए अनेक कार्यों में अनावश्यक रूप से लगा रखा था। वे अपने परिवार में किसी की नहीं सुनते थे। वह उस समय साफ–सफाई नहीं रखते थे।

उनके घरौंदा केंद्र में आने के बाद बाबुली को समय–समय पर व्यवहार प्रबंधन के साथ विशेष शिक्षा, पूर्व–व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न उपचार (इंटरवेंशन) दिए गए। उपचार (इंटरवेंशन) के बाद, बाबुली सब कुछ पूर्ण रूप से कर सकते हैं जैसे कि वे साफ–सफाई बनाए रखते हैं, स्वयं का ख्याल रखते हैं, वे दिए गए निर्देशों को समझ सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। अब वे फिनाइल, अगरबत्ती इत्यादि बनाने में सक्षम हैं। वे अपने कपड़े धोने में सक्षम है। अब वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठकर उसे दिए गए काम को पूरा कर सकते हैं। वर्तमान में बाबुली स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर सकते हैं।

बाबुली अपने दोस्तों के साथ अगरबत्ती पैक कर रहा है

बाबुली क्लास रूम में है और अपना नाम लिख रहा है

ग) मास्टर कृष्ण राठौरः–

मास्टर कृष्ण राठौर राष्ट्रीय न्यास की निरामय योजना (स्वास्थ्य बीमा योजना) के लाभार्थी हैं। वे बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त 16 वर्ष की आयु की हैं। वे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठन स्नेह नागदा में निरामय के तहत पंजीकृत हैं। वे दृष्टि समस्या के बारे में लगातार शिकायत कर रहे थे। आरओ ने उसके माता–पिता से संपर्क किया, जिन्होंने वित्तीय स्थिति के कारण उसकी आंखों का इलाज कराने में असमर्थता व्यक्त की। आरओ ने आनादम नेत्रालय नागदा के लिए एप्रोच किया, जहां उन्हें पता चला कि उनकी दोनों आंखों में

मोतियाबिंद हो गया है और अगर समय पर सर्जरी नहीं की गई तो इससे आंखों की रोशनी जा सकती है। डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों आंखों की मोतियाबिंद सर्जरी के लिए 40000 रुपये का खर्चा आएगा जिसमें लेंस की लागत भी शामिल है। आरओ ने अस्पताल प्रबंधन से रियायत देने पर विचार करने का अनुरोध किया। प्रबंधन 50 : रियायत प्रदान करने के लिए और सर्जरी करने के लिए तैयार था। चूंकि कृष्णा को निरामय योजना के तहत कवर किया गया था, आरओ ने शुरू में उनकी सर्जरी शुल्क का भुगतान किया और प्रतिपूर्ति के बाद उनके माता–पिता ने आरओ को धनरा ि ा लौटा दी। अब कृश्णा बहुत खु ा है और उनकी दृश्टि स्पश्ट है।

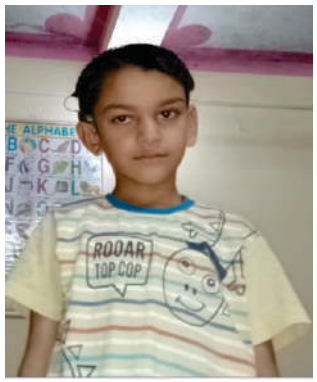

एडिप सीआई योजना – सफलता की कहानियां

नामः मास्टर शिवांश नवीन शर्मा

नॉर्थ जोन, पताः गांव – करयाली, पोस्ट– चंबोह, तहसील– भोरंज करियाली, (43/91) हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश –177601

मास्टर शिवांश नवीन शर्मा में बिलिटेरल सीवियर सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस ह्रास का निदान किया था, जिसके कारण वे सुन या बोल नहीं सकते थे। 17–08–2021 को 5 साल की आयु में एडिप योजना के तहत उनकी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। जिसके बाद उन्होंने अपने स्थान के पास प्राइवेट एडिप पैनलबद्ध केंद्र में नियमित चिकित्सा (थेरेपी) सत्रों में भाग लिया। वर्तमान में इम्प्लांट के 01 साल बाद, वे छोटे शब्दों और वाक्यांशों में स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम है, आसान कहानियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, कविताएं (राइम) गाने का प्रयास कर रहे हैं। वे नियमित रूप से प्रयोग किए गए मौखिक आदेशों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं। माता–पिता, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ अपने आप बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और सभी के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उन्हें पेंटिंग करने में रुचि है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में केजी हिंदी माध्यम के स्कूल में नियमित भाग ले रहे हैं। उसके माता–पिता को लगता है कि उसमें बेहतर सुधार हुआ है और वे इससे बहुत खुश हैं।

नामः मास्टर रुद्र रविराज अरगड़े

वेस्ट–सेन्ट्रल जोन, पताः सी –21 संग्रामचॉल, अकुरली रोड, महालक्ष्मी स्वीट्स के पास, गोकुल नगर कांदिवली पूर्व, मुंबई –400101

यह एक एडिप सीआई लाभार्थी **मास्टर रुद्र अरगड़े** की कहानी है, जिनका 6 वर्ष की आयु में बिलिटेरल प्रोफाउंड सेंसरिन्यूरल हियरिंग लॉस (पोस्ट लिंगुअल) का निदान किया गया था। उन्हें 14.06.2019 को 8 वर्ष 6 महीने की आयु में केईएम अस्पताल, मुंबई में एवाईजेएनआईएसडी (डी) के माध्यम से 'न्यूक्लियस' इम्प्लांट लगाया गया है। वे प्रत्यारोपण के 1 वर्ष के बाद से एडिप पैनलबद्ध स्पीच क्लिनिक, दादर, मुंबई में नियमित रूप से थेरेपी में भाग ले रहे हैं। बातचीत का उनका वर्तमान तरीका मौखिक है और वे कठिन वाक्यों में बोल और समझ सकते हैं। वर्तमान में वे स्कूल में नियमित रूप से पढ़ते हैं और 5 वीं कक्षा में है। वे कॉक्लियर इंप्लांटेशन के बाद सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलों में भाग लेते हैं। वे किसी भी अन्य सामान्य श्रवण हमउम्र बच्चों की तरह परिवार में और टेलीफोन पर बातचीत में सामाजिक रूप से शामिल होना पसंद करते हैं। बच्चे के माता–पिता उनकी वाक और समग्र विकास से बहुत संतुष्ट हैं।

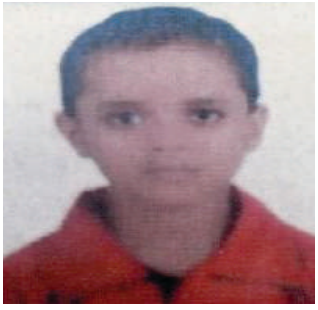

एसवीएनआईआरटीएआर

***** सफलता की कहानी / (फिजियोथेरेपी विभाग)**

कमल कांत नायक की सफलता की कहानी–1

श्री कमल कांत नायक का जन्म 14 जून, 1992 को ओडिशा राज्य के पुरी जिले के ब्रह्मगिरि मंडल के एक दूरस्थ स्थान नियाजपुर में हुआ था। उन्हें 21 दिसंबर, 2014 को वॉली बॉल खेलते समय पूरी तरह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। उनका 3 महीने के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में पुनर्वास किया गया था और उन्होंने 2016 में ओडिशा में "द एबिलिटी मैराथन" में भाग लिया और स्वर्ण पदक हासिल किया जिसने उनको खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रोगियों के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में एक निवासी सहकर्मी संरक्षक (रेजीडेंट पीर मेंटर) हैं।

अपनी अदम्य भावना के साथ उन्होंने निम्नलिखित हासिल किया:

1. 15 और 16 जनवरी 2022 को मैनुअल व्हीलचेयर के साथ भुवनेश्वर (राजमहल से मास्टर कैंटीन) में 213.7 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

2. उन्होंने 23 बार हाफ मैराथन (21 किमी) और 16 बार पूर्ण मैराथन 42 किलोमीटर सफलतापूर्वक पूरी की है।

3. भुवनेश्वर में आयोजित हाल ही में आयोजित 20 वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लिया और टी 53 वर्गीकरण श्रेणी के तहत 800 और 500 मीटर में 5 वां स्थान हासिल किया

4. उन्होंने ओडिशा में एक महिला व्हीलचेयर बास्केट बॉल टीम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5. राष्ट्रीय पैरा फेसिंग प्रतियोगिताओं में दो बार चैंपियन

विश्व रिकॉर्ड धारक कमल कांत नायक

अनुबंध 4

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सुचित्रा परिदा की सफलता की कहानी–2

ओडिशा के पुरी के भुआन की रहने वाली 29 वर्षीय सुश्री सुचित्रा परिदा आम तोड़ते समय सीढ़ी से गिर गई थीं, उन्हें 28 अप्रैल, 2016 को एल 1 वेर्टेब्रा फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद पैराप्लेजिया हो गया और 1 मई, 2016 को उनका ऑपरेशन किया गया। उनका एसवीएनआईआरटीएआर में 6 महीने के लिए व्यापक पुनर्वास किया गया। 2017 में एसवीएनआईआरटीएआर में आयोजित बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर में उनकी भागीदारी के माध्यम से उनका आत्मविश्वास बढ़ा था और उसके बाद उन्होंने बिना किसी बाधा के निम्नलिखित हासिल किया :

1. हैदराबाद में आयोजित चौथी राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में "सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार"।
2. उन्होंने थाईलैंड में आयोजित 2018 और 2019 में एशिया ओशिएन चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया
3. ओडिशा की टीम ने उनकी कप्तानीमें पंजाब, में 2019 में 6 वें राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल में चौथा स्थान हासिल किया।
4. मार्च 2022 में राष्ट्रीय पैरा–एथलेटिकजेविलियन थ्रो में कांस्य पदक विजेता।
5. उन्होंने कप्तान के रूप में सितंबर 2022 में विश्व चैम्पियनशिप हैंडबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया।

सुचित्रा परिदा और कमल कांता नायक

***** सफलता की कहानी / (ऑक्यूपेभानल थेरेपी विभाग)**

कहानी एक जिम्मेदार युवा पुलिस इंस्पेक्टर तृप्तिमाया नायक के बारे में है, जिन्हें वर्ष 2020 में स्ट्रोक आया था, जिससे राइट साइड में हेमिप्लेजिया हो गया था। जोखिम कारकों के प्रबंधन के बाद रोगी को उनकी शारीरिक दिव्यांगता के लिए थेराप्यूटिक कार्यक्रम में भेजा गया था। एक महीने की थेरेपी के बाद, रोगी ने चलना शुरू कर दिया। परिवार के सदस्य अब चलने में उनके सुधार से खुश हो गए हैं। तीन महीने तक उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों ने उनकी दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन किया। फिर उनकी पत्नी का वास्तविक संघर्ष शुरू हुआ क्योंकि उन्हें अपने परिवार, बच्चों के साथ–साथ पति को भी संभालना था। इस तरह की घटना के 5 वें महीने के बाद, उन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग, एसवीएनआईआरटीएआर में किसी भी दैनिक गतिविधियों को करने के लिए अपने प्रभावित दाहिने हाथ का प्रयोग करने में असमर्थ होने से संबंधित समस्या के लिए रिपोर्ट किया और भ्रम और चेतना हीनता का रवैया विकसित हो गया। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने समग्र रूप से उनका मूल्यांकन किया और जब परिवार के सदस्य से व्यवसाय के बारे में पूछा गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि वे वीआरएस की योजना बना रहे हैं, उनकी थेरेपी और नौकरी (जॉब) को एक साथ बरकरार रखना काफी मुश्किल था।

ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसे एक सामुदायिक कार्यकर्ता बनाने के लिए उपचारात्मक थेरेपी के साथ शुरू हुई (उदाहरण के लिएः एक निर्धारित समय में यातायात को पार करने के लिए), स्मृति के लिए अभिज्ञान प्रशिक्षण (अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति), निरंतर, बॅटे हुए ध्यान और वैकल्पिक ध्यान में सुधार पर ध्यान देना। तीन महीने की थेरेपी के बाद रोगी स्मृति और ध्यान की दृष्टि से ठीक हो गए और साथ ही हाथों से कार्य करने में उनमें सुधार हुआ और वे कांच की वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम थे। उन्हें खाने और लेखन मोडिफीकेशन में स्वतंत्र बनाने के लिए चम्मच और दैनिक जीवन की अन्य गतिविधियों में एक हाथ से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया गया था ।

एक कहावत है कि उचित मार्गदर्शन और सहयोग एंव मजबूत दृढ़ संकल्प के सामने कुछ भी असंभव नहीं है।

अब तृप्तिमाया को अपने सामुदायिक की भागीदारी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विपणन, दोपहिया वाहन चलाने, पारिवारिक कार्यों का आयोजन करने और स्वैच्छिक गतिविधियों जैसी गतिविधियां शामिल थी। उन्हें प्रशिक्षित किया गया और उन सभी गतिविधियों के लिए एक्सपोजर दिया गया जो उन्हें स्वतंत्र बनाते हैं। अंत में, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में सुधार करने के लिए उन्हें अपनी नौकरी (जॉब) में शामिल होने और जिम्मेदारी के साथ पुलिस स्टेशन का प्रबंधन करने की सलाह दी गई थी।

अब वे सफलता के एक उदाहरण बन गया है और एक जिम्मेदार पुलिस निरीक्षक के रूप में अपनी नौकरी (जॉब) बरकरार रखे हुए है और डीएसपी के लिए चुने गए हैं ।

***

अनुबंध 4

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सफलता की कहानी / (प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक विभाग)

सफलता की कहानी 1–

ओडिशा के भद्रक जिले की 72 वर्षीय, श्रीमती सलमा बीबी, दाहिने हाथ से प्रभावित, वृद्ध महिला रोगी श्रीमती सलमा बीबी को 2010 में गिरने के कारण बाएं हाथ में चोट लग गई थी उनका लेफ्ट साइड एक नॉन–यूनियन डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर का निदान किया गया था। प्रबंधन, प्लास्टर कास्ट विधि द्वारा किया गया था लेकिन फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ और एक नॉन–यूनियन के रूप में रहा। उन्हें 2021 में पूर्व के नॉन–यूनियन साइट के आसपास एक और फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। रेडियोग्राम की रिपोटों से पता चला कि एक उभरी हुई डिस्टल फीमर अपनी सामान्य

स्थिति से दूर है, जिससे ग्रॉस माल–अलिनमेंट होता है। वे जुलाई 2021 में प्रबंधन और पुनर्वास के लिए स्वामी विवेकानंद पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) में आई। उन्होंने कोहनी और फोर आर्म में दर्द, फोर आर्म और हाथ की सूजन, बाएं ऊपरी अंग के माल–अलिनमेंट होने और दैनिक गतिविधियों को करने में असमर्थता के बारे में बताया। रोगी की सर्जरी पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वे अधिक आयु की है। यह देखा गया कि कोहनी का जोंट माल–अलिनमेंट था; हाथ लटक रहा था, जिसमें पूरे बाएं ऊपरी अंग में काफी सूजन थी। भुजा (आर्म) मुश्किल से चल पा रहा था। हाथ और शारीरिक परीक्षण से रोएंटजेनोग्राम से फ्रैक्चर माल–अलिनमेंट का पता चला जिसमें 20 डिग्री एटेरिअर बोइंग, 30 डिग्री वारस एंगुलेशन, 25 डिग्री माल–रोटेशन और 3 सेमी छोटा (शोर्टनिंग) होना शामिल है। एलवो जोंट कॉनग्रेंसी करने के लिए, वेरीएबल रोम एलबो के साथ एलबो ऑर्थोसिस की योजना बनाई गई थी। हाथ को सहायता देने के लिए, ऑर्थोसिस को एक अतिरिक्त अटैचमेंट सहित मेटाकार्पल जोंट तक बढ़ाया गया था।

ऑर्थोसिस के प्रयोग के 16 सप्ताह के बाद, रोगी के रेडियोग्राफिक डेटा को ध्यान से देखा गया था और पाया गया था कि एलबो जोंट अलिनमेंट था और संयोजन (कॉग्रंसी) हासिल किया गया था। कोहनी के समीपस्थ और डिस्टल दोनों जोड़ों (जोंटो) की गति सीमा में काफी वृद्धि हुई थी।

सफलता की कहानी –2

श्री देबेंद्र सूर्य साहूकार, एक 47 वर्षीय पुरुष हैं, जो रायगडा जिले, ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्र के मध्यम निम्न वर्गीय कृषि परिवार से संबंधित हैं, वे 24.02.2022 को एसवीएनआईआरटीएआर में आए थे। उनका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का निदान किया गया था, जिसके कारण उनके बाएं पैर पर ट्रांसटिबियल (घुटने के नीचे) अंग विच्छेदन (एम्प्यूटेशन) हो गया था। उन्होंने फिर से चलने की उम्मीद छोड़ दी थी।

वे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स विभाग में एक्सिलरी बैसाखी की एक जोड़ी के साथ आए और उन्हें बैसाखी पर बिना निर्भर स्वतंत्र रूप से चलने की उम्मीद थी। पूर्ण मूल्यांकन और आकलन के बाद, उन्हें बाएं एंडोस्केलेटल ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस निर्धारित और फिट किया गया है। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपने अंग संचालन (एंबुलेशन) के लिए कृत्रिम अंग का प्रयोग करने के लिए उचित चाल (गैट) प्रशिक्षण दिया गया था, जो उनके उत्पत्ति स्थान अर्थात् समान और असमान सतहों, सीढ़ियों और ढलानों के अनुरूप होगा। अपनी चाल (गैट) प्रशिक्षण अवधि के अंत में, वे आरामदायक था और बैसाखी के बिना स्वतंत्र रूप से चला पा रहे थे। वे अपनी दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों को बरकरार रखने और अपने मूल स्थान पर कृषि कार्य की देखभाल करने के लिए आश्वस्त थे। उन्हें 18.04.2022 को छुट्टी दे दी गई थी ।

सफलता की कहानियां:

एनआईएलडी, कोलकाता

सुश्री सयंती भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के बर्धमान की रहने वाली 40 वर्षीय 'नर्स' वर्ष 2013 में एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने 2014 में राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन), कोलकाता में उन्होंने बिलिटेरल अबव नी एम्प्युटेशन और लेफ्ट अबव एल्बो एम्प्युटेशन के साथ संपर्क किया ।

एनआईएलडी पुनर्वास टीम ने उनकी जांच और मूल्यांकन किया और उसके पुनर्वासन एवं स्वतंत्र गतिशीलता के लिए बिलटेरल प्रोस्थेसिस, थेरेपी, काउंसलिंग और नर्सिंग देखभाल प्रदान की। उनके संस्थागत पुनर्वास के दौरान पुनर्वास टीम द्वारा उन्हें दैनिक जीवन गतिविधियों और नर्सिंग पेशेवर जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए निरंतर प्रोत्साहन और प्रेरणा दी गई थी।

अब सुश्री सयंती भट्टाचार्य स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रही हैं और बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पश्चिम बंगाल में सिस्टर–इन–चार्ज के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें वर्ष 2021 में कोविड–19 महामारी के दौरान उनके उत्कृष्ट समर्पित सामाजिक कार्य के लिए एएएलओ ट्रस्ट द्वारा प्रमाण पत्र के साथ भी सराहना की गई है।

एनआईएलडी नियमित रूप से प्रोस्थेटिक रखरखाव और निरंतर परामर्श (काउंसलिंग) में उनकी सहायता करता है।

एनआईईपीवी

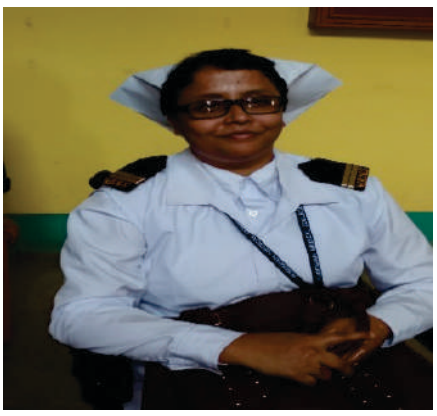

iii) संस्थान की सफलता की कहानियां

श्री राजेश कुमार सिंह

अपनी दिव्यांगता को सफलता की सीढ़ी के रूप में परिवर्तित करना

झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह, पटना सिविल कोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी रवींद्र कुमार सिंह के बेटे, क्रिकेट खेलते समय छह साल की उम्र में अपनी दृष्टि (विजन) खो चुके थे। वह क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय कुएं में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बावजूद, क्रिकेट के प्रति उनका प्यार और जुनून जस का तस बना रहा। उन्होंने वर्ष 1998, 2002 और 2006 विश्व कप चैम्पियनशिप में भारतीय दृष्टिबाधित (ब्लाइंड) क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। विश्व कप में भी उन्होंने क्रिकेट की गेंदों को पकड़ने की वैसी ही चपलता दिखाई जैसी बचपन में दिखाई थी। उन्होंने विश्व कप क्रिकेट चैम्पियनशिप में तीन बार भारतीय दृष्टिबाधित (ब्लाइंड) क्रकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है।

उन्होंने पटना से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, वह संस्थान के मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून चले गए। वर्ष 2001 में कक्षा 12 वीं पास करने के बाद, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और अपनी मास्टर डिग्री (इतिहास) पूरी की। वे आज जो कुछ भी हैं, वह अपने परिवार, शिक्षकों और दोस्तों के समर्थन के कारण हैं।.

उनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उनके रास्ते में बाधाएं हाने के बावजूद आईएएस अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए उनके पास गहन दृष्टि है। जब भी उन्हें निराशा होती थी, वह पूर्व प्रधानमंत्री "अटल बिहारी वाजपेयी" की कविता सुनते थे या गुनगुनाते थे, 'मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रोऊंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा..... अटलजी की यह कविता उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। 2007 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा से अस्वीकृत (रिजेक्टेड) होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और आईएएस अधिकारी बनने की अपनी पात्रता के लिए उच्चतम न्यायलय में केस दायर किया। आखिरकार, उच्चतम न्यायल ने उन्हें आईएएस के पद के लिए योग्य माना। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने टिप्पणी की थी, "रवैया महत्वपूर्ण है, आईएएस अधिकारी के लिए दृ ष्टि नहीं", 2010 में, उन्हें आईएएस के लिए चुना गया था। पहले उन्हें असम कैडर और फिर झारखंड कैडर में तैनात किया गया था। पहली बार, राजेश कुमार सिंह को बोकारो के उपायुक्त (डीसी) के रूप में नियुक्त किया गया था।

राजेश कुमार सिंह को जल संरक्षण पर किताबें लिखने का भी शौक है। उनकी पहली किताब 'पुटिंग दा आई इन आईएएस' थी और पाठकों ने इसकी सराहना की थी। उन्होंने उस पुस्तक का हिंदी संस्करण भी लिखा है। कई अन्य पुस्तकें लिखने के बाद, वे अब जल संरक्षण पर अपनी अगली पुस्तक लिख रहे हैं। उनकी किताबें अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बेच रही हैं। अपनी लिखित पुस्तकों को बेचने से सृजित आय का प्रयोग दिव्यांगजनों की मदद के लिए किया जाता है।.

बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह अपनी सेवाओं में बहुत समयनिष्ठ हैं और वह विलंबता की प्रवृत्ति से सख्त नफरत करते हैं। क्योंकि इस प्रवृत्ति के कारण सरकारी अधिकारियों के प्रति लोगों की धारणा खराब हो जाती है। उपायुक्त के रूप में उनकी कार्यशैली उत्कृष्ट है।

अनुबंध 4

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मास्टर सोवेंद्र भंडारी

सोवेंद्र भंडारी का जन्म उत्तरकाशी जिले **(उत्तराखंड)** के डुंडा ब्लॉक के ग्राम सभाकल्याणी (ब्रह्मखाल) के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही, वह अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे, लेकिन कहा जाता है कि प्रतिभा और सच्चे जुनून के आगे किस्मत को भी सिर झुकाना पड़ता है। सोवेंद्र भंडारी बचपन से ही एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चों हैं; उन्होंने देहरादून के मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड से अपनी स्कूली शिक्षा पास की। एनआईवीएच देहरादून में रहते हुए, उन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों का अध्ययन किया एवं ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड फुटबॉल में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया।

वह सिर्फ यहीं रुकने वाले नहीं थे, एनआईवीएच से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में प्रवेश लिया। डीयू में पढ़ाई के दौरान उन्होंने क्रिकेट के साथ–साथ फुटबॉल भी खेलना जारी रखा। जिसके बाद उनकी प्रतिभा को इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल महासंघ (फेडरेशन) के अधिकारियों ने पहचाना और इंग्लैंड दौरे में भाग लेने के लिए भारतीय दृष्टिबाधित फुटबॉल टीम के लिए चुना। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खेलों में स्वयं को साबित किया है। वह संगीत और पढ़ाई में भी अच्छे हैं। उन्होंने 2019 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भारत–नेपाल क्रिकेट में भी देश का प्रतिनिधित्व किया।

अन्य उपलब्धियां:

- कोच्चि में भारत, मलेशिया और लाओस के बीच त्रिकोणीय ब्लाइंड फुटबॉल श्रृंखला में ब्लाइंड फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया
- भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के लिए चयनित और 30 सितंबर से 7 अक्टूबर, 2019 तक पट्टाया, थाईलैंड में आयोजित आईबीएसए एशियाई ब्लाइंड फुटबॉल चैम्पियनशिप, 2019 में भी भाग लिया।
- 2019 में नेपाल के खिलाफ भारत–नेपाल श्रृंखला में ब्लाइंड क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- वर्ष 2017 और 2018 में ब्लाइंड फुटबॉल नेशनल टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड प्राप्त किया
- राजभवन उत्तराखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में वाद्य यंत्र–तबला का प्रदर्शन किया।

मास्टर इदरीश अहमद

इदरीश अहमद का जन्म 2 जनवरी, 2002 को कानपुर में हुआ था। वे जन्म से दृश्टिहीन थे। उन्होंने दृश्टिबाधित मॉडल स्कूल, एनआईवीएच, देहरादून से अपनी पढ़ाई पूरी की है। बचपन के दौरान कंप्यूटर में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे–जैसे वे बड़े होते गए, उन्हें वर्तमान वि व में आईटी के महत्व के बारे में एहसास हुआ। इस दिलचस्पी ने उन्हें अपने स्कूल में अतिरिक्त कंप्यूटर कक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। बाद में, उन्होंने 2021 में दिव्यांग युवाओं के लिए ग्लोबल आईटी चैलेंज में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जोकि ऑनलाइन आयोजित किया गया था और इसमें 21 देश और लगभग 396 प्रतिभागी शामिल थे। उन्होंने इस प्रतियोगिता में दो प्रथम पुरस्कार जीते, एक ई–टूल एक्सल में और दूसरा ई–लाइफ मैप में। उन्होंने एक प्रमाण पत्र और पुरस्कार के रूप में + 200 अमरीकी डालर प्राप्त किया। उनकी अन्य राष्ट्रीय उपलब्धि एनएबी आईटी चैलेंज 2022 में भाग लेना था, जो दिल्ली में ऑफ़लाइन आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में 45 से अधिक प्रतियोगी थे। उन्होंने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने एक प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी और पुरस्कार के रूप में 7000 रुपये प्राप्त किए। उनका एक बड़ा सपना है कि वह आईटी विशेषज्ञ और सभी अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनें ...

"अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपको क्या मिलता है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके क्या बनते हैं''।

मास्टर शिवांश नवीन शर्मा

मास्टर शिवांश नवीन शर्मा में बिलिटेरल सीवियर सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस ह्रास का निदान किया था, जिसके कारण वे सुन या बोल नहीं सकते थे। 17–08–2021 को 5 साल की आयु में एडिप योजना के तहत उनकी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। जिसके बाद उन्होंने अपने स्थान के पास प्राइवेट एडिप पैनलबद्ध केंद्र में नियमित चिकित्सा (थेरेपी) सत्रों में भाग लिया। वर्तमान में इम्प्लांट के 01 साल बाद, वे छोटे शब्दों और वाक्यांशों में स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम है, आसान कहानियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, कविताएं (राइम) गाने का प्रयास कर रहे हैं। वे नियमित रूप से प्रयोग किए गए मौखिक आदेशों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं। माता–पिता, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ अपने आप बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और सभी के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उन्हें पेंटिंग करने में रुचि है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में केजी हिंदी माध्यम के स्कूल में नियमित भाग ले रहे हैं। उसके माता–पिता को लगता है कि उसमें बेहतर सुधार हुआ है और वे इससे बहुत खुश हैं।

मास्टर रुद्र रविराज अरगड़े

यह एक एडिप सीआई लाभार्थी मास्टर रुद्र अरगडे की कहानी है, जिनका 6 वर्ष की आयु में बिलिटेरल प्रोफाउंड सेंसरिन्यूरल हियरिंग लॉस (पोस्ट लिंगुअल) का निदान किया गया था। उन्हें 14.06.2019 को 8 वर्ष 6 महीने की आयु में केईएम अस्पताल, मुंबई में एवाईजेएनआईएसडी (डी) के माध्यम से 'न्यूक्लियस' इम्प्लांट लगाया गया है। वे प्रत्यारोपण के 1 वर्ष के बाद से एडिप पैनलबद्ध स्पीच क्लिनिक, दादर, मुंबई में नियमित रूप से थेरेपी में भाग ले रहे हैं। बातचीत का उनका वर्तमान तरीका मौखिक है और वे कठिन वाक्यों में बोल और समझ सकते हैं। वर्तमान में वे स्कूल में नियमित रूप से पढ़ते हैं और 5 वीं कक्षा में है। वे कॉक्लियर इंप्लांटेशन के बाद सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलों में भाग लेते हैं। वे किसी भी अन्य सामान्य श्रवण हमउम्र बच्चों की तरह परिवार में और टेलीफोन पर बातचीत में सामाजिक रूप से शामिल होना पसंद करते हैं। बच्चे के माता–पिता उनकी वाक और समग्र विकास से बहुत संतुष्ट हैं।

अनुबंध 4

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

एनआईईपीआईडी

सफलता की कहानी –1:

श्री एम श्रीकांत

एम श्रीकांत थोड़ी सी डाउनसिंड्रोम दिव्यांगता के साथ पैदा हुए। जन्म से ही उनका जीवन पूर्ण संघर्षों का था, उन्होंने स्वयं और उनके माता–पिता ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। लोगों के साथ बातचीत करते समय उन्हें कुछ व्यवहार संबंधी समस्याएं थीं। निरंतर प्रयासों के साथ, उसने सुधार दर्शाया, जो अपने आप में आशीर्वाद और चमत्कार था।

2019–2022 में उन्हें एनआईईपीआईडी डीएआईएल संस्थान द्वारा फोटोकॉपी और बागवानी में प्रशिक्षित किया गया था जो बौद्धिक दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने अनेक गतिविधियों सीखी जिससे उनके व्यक्तित्व में निखार हुआ बागवानी ने उसको प्रकृति के करीब ला दिया ।

एम श्रीकांत दक्षिण भारतीय हैं, जो सभ्य मध्यम वर्ग शिक्षित परिवार से संबंधित हैं। उसके माता और पिता उसे प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं और उसके प्रति चिंतित हैं। श्रीकांत का हमेशा से सपना रहा है कि वह मेहनती और अच्छा इंसान बने। उनकी एक छोटी बहन है और उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बनती हैं। श्रीकांत अपनी बहन की बहुत देखभाल करता है। आज जो कुछ भी है, वह सब उनके निरंतर प्रयासों के कारण है कि वह आज यहां तक पहुंचने में सक्षम हैं।

25 अगस्त, 2022 महीने में, वे करिश्मा स्पोर्ट्स एंड गारमेंट्स कंपनी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने पैकेजिंग सहायता के रूप में काम किया । एम. श्रीकांत ने काम करते हुए जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। उन्होंने सीखा कि अपने आस–पास के लोगों के साथ कैसे मेलजोल करना है, कु ालता से काम करना है और ध्यान केंद्रित करना है। इस पूरी यात्रा के दौरान उनके मनोदशा विकारों में भी सुधार हुआ। कैसे वह हर महीने वेतन कमाता है।

सफलता की कहानी– 2 : मास्टर नीलेश कुलसपुरकर

मास्टर नीलेश कुलसपुरकर

मास्टर नीलेश कुलसपुरकर डाउन सिंड्रोम मध्यम (एमआर) बोलने में देरी से रोग ग्रस्त बच्चे हैं। मास्टर नीलेश कुलसपुरकर का जन्म 5 दिसंबर, 2011 को हुआ था। उनके जन्म के 9 दिन बाद 14–12–2011 को उनके मेनिन्जाइटिस का पता चला था। उनका 4 महीने तक लोटस अस्पताल में इलाज चला और उन्हें छुट्टी दे दी गई। घर आने के बाद माता–पिता ने उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष देखभाल की और दवाएं ली, उनका विकास धीमा था लेकिन फिर उनमें तब हाइड्रोसिफ़लस होना भुरू हो गया, 4 महीने की आयु में उनकी पहली सर्जरी की गई। उनका स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता थी और उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दवाएं चल रही थीं।

एक साल वह 2015 से 2016 तक प्लेस्कूल गए, फिर उनके प्रिंसिपल ने देखा और कहा कि वह कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।

उनकी मालिश और उसकी शारीरिक देखभाल की गई। 10 माह की आयु में, उनकी शंट को फिर से बंद (ब्लॉक) कर दिया गया और दूसरी सर्जरी की गई। उनका विकास बहुत धीमी गति से हुआ। जब वे चार साल के थे, (2015) वे बाहर खेलने जाने के लिए रोता था लेकिन बाद में उसने समायोजित कर लिया। उन्होंने रियमस गाना शुरू किया और सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे।

2016 में मास्टर नीलेश को डॉक्टरों ने एनआईईपीआईडी में दिखाने का सुझाव दिया। वे अपने आईक्यू परीक्षण के लिए एनआईईपीआईडी आए और यह पाया गया कि उन्हें एडीएचडी और व्यवहार संबंधी समस्या थी। उन्होंने

बातचीत करने और शांत होने के लिए सामूहिक कक्षाएं ली। उनके माता–पिता के लिए उसकी आक्रामकता को नियंत्रित करना मुश्किल था। जब माता–पिता एनआईईपीआईडी में सामूहिक कक्षाओं के लिए नियमित रूप से आने लगे, तो वे लंबे समय तक बैठ सकते थे। एनआईईपीआईडी प्रिंसिपल, शिक्षक और माता–पिता जिन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने अनुभवों को पढ़ाने और साझा करने की पहल की, सर्वश्रेष्ठ जिम्मेदारी लेने के लिए, और हमारे बच्चों के लिए एक योजना तैयार की।.

फाइन मोटर, विजुअल मोटर, सेल्फ केयर, सेंसरी–मोटर प्लानिंग, ग्रॉस मोटर, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल और एजुकेशन सिखाई गई। एनआईईपीआईडी शैक्षिक किट ने बच्चों को व्यावहारिक रूप से अवधारणाओं को सीखने और उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद की। बच्चों के व्यवहार संबंधी मुद्दों की 50% समस्याओं को आहार और पोषण द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। थेरेपीयों ने नीलेश को फोकस, ध्यान, एकाग्रता, समझने की क्षमता, दूसरों के साथ बातचीत में सुधार करने में मदद की। चिंता के लक्षणों और व्यवहार संबंधी बोधगत मे कमी आई। संगीत और नृत्य कार्यक्रमों ने भावनाओं और व्यवहार के संवाद को बढ़ाया एवं मोटर क्षमता में भी सुधार किया। योग ने उन्हें संतुलन, समन्वय और ध्यान केंद्रित करने और नींद में सुधार बढ़ाने की क्षमता रखने में मदद की है। उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है और जब तक वह अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक वे रुकेंगे या पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।

एनआईईपीएमडी, चेन्नई

iv. सफलता की कहानियां–1:

श्री मास्टर एच, 7 वर्श 3 माह का अपने परिवार के दूसरे बच्चे है। उनका बौद्धिक दिव्यांगता (90 : दिव्यांगता) के साथ सेरेब्रल पाल्सी के रूप में निदान किया गया था। बच्चे का जन्म सीज़ेरियन सेक्शन द्वारा हुआ था; जन्म के समय रोना सामान्य था। बच्चा जन्म के समय कम वजन के साथ पैदा हुआ था। बच्चे को 30 दिनों तक एनआईसीयू नवजात शिशु में रखा गया था।

श्री मास्टर एच

वह 3 वर्ष की आयु में एनआईईपीएमडी में आए और अच्छी प्रकार से फिजियोथेरेपी मूल्यांकन किया। उनकी पहचान बैठने में कठिनाई और वह खड़े होने और चलने में असमर्थता के लिए की गई थी। वे बिना किसी सहारे के बैठने एवं नीचे की तरफ खिसक कर चलने में सक्षम थे। इसके बाद उनका केस विशिष्ट उपचार डिजाइन के साथ नियमित फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन के लिए शुरू किया गया था।

इंटरवेंशनः बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी (एनडीटी), बैलेंस ट्रेनिंग एंड गैट ट्रेनिंग के रूप में नियमित फिजियोथेरेपी प्राप्त हो रही है। एनडीटी यूनिट में, ऊपरी अंग, निचले अंग और ट्रंक नियंत्रण प्रशिक्षण की सुविधा पर इंटरवेंशन पर फोकस करना था। पूर्व–एम्बुलेटरी प्रशिक्षण के कारण बच्चा रेंगने और घुटने टेककर चलने में सक्षम था। उनको न्यूनतम सहायता के साथ बैठने खड़े होने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बच्चे को खड़े होने में संतुलन बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था और समानांतर (पैरालल) बार में चाल प्रशिक्षण (गैट ट्रेनिंग) किया गया था जिसके बाद वे न्यूनतम सहायता के साथ फर्श से खड़े होने में सक्षम थे। उन्होंने कुछ सेकंड स्वतंत्र रूप से खड़े हाने में उपलब्धि हासिल की। वे अब रोलेटर के साथ कुछ कदम चलने में सक्षम हैं। बच्चे के ग्रॉस मोटर फंक्शनल मेजर (जीएमएफएम स्केल) में सुधार दिख रहा है, जो नियमित फिजियोथेरेपी उपचार के माध्यम से 49.4% से 60.8% तक सुधर गया है।

अनुबंध 4

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सफलता की कहानियां 2:

मास्टर जे. नंदकुमार ने 17 वर्ष की आयु में प्रीवोकेशनल लेवल एएसडी यूनिट में प्रवेश लिया। उनका बौद्धिक दिव्यांगता के साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का निदान किया गया था। प्रस्तुत शिकायत में स्वयं का हंसना, मां को पीटना, व्यवहार संबंधी समस्याएं 2 महीने से शुरू हुई है थी, अस्थायी रूप से ध्वनि बनाने के लिए ऑब्सेसिव वाक् की समस्या केवल प्रश्न और उत्तर का जवाब देते है। उनके वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को मापने के लिए एफएसीपी, आईएसएए, पीईपी, आईएनसीएलआईईएनटी के साथ उनका मूल्यांकन किया गया था और वे एडीएल कौशल, अकादमिक में निर्भर
दिख रहे हैं। वे एकांत (आईसोलेशन) की तरह अन्यों के साथ घुल–मिल नहीं पाता थे।

पाठ्यक्रम–आधारित मेजरमेंट के आधार पर मूल्यांकन के बाद, माता–पिता की मदद से दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों की योजना बनाई गई थी। कौशल कार्यक्रम एफएसीपी, आईएसएए, पीईपी, आईएनसीएलआईईएनटी से चुना गया है। मास्टर जे नंदकुमार के बैठने की सहनशीलता (सिटिंग टोलरेंस), ध्यान, एकाग्रता, रुचिपूर्ण गतिविधियों, शब्दों, के साथ बातचीत शुरू करना, दोहराव में सुधार हुआ। वे समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ सकते हैं। वे व्यक्तिगत विवरण लिख सकते हैं और बैंक चालान भर सकते हैं, रेलवे बुकिंग फॉर्म इत्यादि भर सकते हैं, वह समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी एचएससी स्कूल पल्लवरमल में जा रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष एसएसएलसी पास कर लिया है। अब वे पल्लवरम सरकारी एचएससी स्कूल, चेन्नई में एचएससी 11 वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। वे समूह में शामिल होते है और दूसरों के साथ आनंद साझा करते हैं एवं प्रभावी ढंग से भाग लेते हैं। उनकी कंप्यूटर खोलने और वर्ड फ़ाइल खोलने तथा वर्णमाला (अल्फाबेट) टाइप करने एवं पेंट गतिविधि करने की क्षमता है।

एडीएल में उन्होंने शिक्षक द्वारा दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद स्वतंत्र रूप से खाना खाना, टॉयलेट जाना और स्वयं स्नान करना, दांतों को ब्रश करना सीखा है। उन्होंने सकारात्मक व्यवहार समर्थन, टोकन इकोनोमी, और दोस्तों के सर्कल, फ्लोर टाइम गतिविधि और टाइम आउट तकनीकों के माध्यम से अपनी व्यवहार समस्या संबंधी को कम किया है। वे अपनी जरूरतों को व्यक्त करने के लिए संचार पुस्तिका थे और वह सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। श्रवण (ऑडीटरी) में अतिसंवेदनशीलता, टेक्टाइल ओटी का संबोधित मामला था और संवाद में वाक विभाग द्वारा मदद की गई थी।

सफलता की कहानियां 3 :

क्रिस्टी सोफिया ने 10 वर्ष की आयु में वर्ष 2014 में मॉडल स्कूल की डेफ ब्लाइंड स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने संवाद समस्याओं, पढ़ने और लिखने में कठिनाइयों, व्यवहार संबंधी मुद्दों और स्कूल में भाग नहीं लेने की सूचना दी थी। उनका ऑडीटरी और दृश्टि बाधिता का निदान किया गया था। उनको एक कक्षा कक्ष में बिठाया गया था जहां समान निदान वाला एक शिक्षक उसका पालन–पोषण करने के लिए तैयार था।

छात्र–शिक्षक की बातचीत पूरी तरह से गैर–मौखिक थी और वे थोड़े समय में ही बातचीत के भागीदार बन गए। क्रिस्टी सोफ़िया ने उन दैनिक संकेतों को समझना शुरू किया जो बातचीत और भाषा को मजबूत करते थे। गणितीय गणनाओं को पढ़ना, लिखना और करना सीखने के माध्यम से एक छोटी सी पहल कदम के रूप में शुरू किया, अब कई गुना बढ़ गया है, जिससे उन्होंने राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम में कक्षा 10 को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। प्रशिक्षण के दौरान, हमने देखा कि वह गतिविधियों में अपनी सहेलियों की मदद करने की अपनी प्रवृत्ति के माध्यम से अपने शिक्षक का समर्थन करती है। अपने माता–पिता की सलाह के आधार पर, उसने केयर गिविंग में एक प्रमाणन पाठ्यक्रम करने का फैसला किया है जो उसे विशेष शिक्षा केंद्रों में प्रशिक्षक / सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाने में मदद करेगा ।

राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों (एक या एक वर्ष से अधिक अवधि) का विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4 ½ वर्ष	68
2.	बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4 ½ वर्ष	68
3.	बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स (बीपीओ)	4 ½ वर्ष	39
4.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (एमपीओ)	2 वर्ष	11

सीआरसी, लखनऊ

1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 वर्ष	25
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वीआई)	2 वर्ष	30

सीआरसी, श्रीनगर

1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4 ½ वर्ष	25
2.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक दिव्यांगता)	2 वर्ष	30
3.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलेशन साइकलॉजी	1 वर्ष	20

एसवीएनआईआरटीएआर, कटक

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
01	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	4½ वर्ष	62
02	बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी	4½ वर्ष	62
03	बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	4½ वर्ष	46
04	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी	2 वर्ष	15
05	मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी	2 वर्ष	15
06	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	2 वर्ष	10
07	डीएनबी, पीएमआर पोस्ट एमबीबीएस	3 वर्ष	02
08	डीएनबी, पीएमआर पोस्ट डिप्लोमा	2 वर्ष	02
09	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ओर्थोपेडिक नर्सिंग	1 वर्ष	10

एनआईएलडी, कोलकाता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी	4 ½ वर्ष	57
2.	बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी	4 ½ वर्ष	56
3.	बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	4 ½ वर्ष	27
4.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (ओर्थोपेडिक्स)	2 वर्ष	7
5.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (न्यूरोलोजी)	2 वर्ष	3
6.	मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी (ओर्थोपेडिक्स)	2 वर्ष	7
7.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	2 वर्ष	7
8.	एम.एससी. इन नर्सिंग (ओर्थोपेडिक्स एवं रिहैबिलिटेशन नर्सिंग)	2 वर्ष	11
9.	पोस्ट ग्रेजुऐट डिप्लोमा इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट	1 वर्ष	17
10.	डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (पीएमआर) पोस्ट एमबीबीएस	3 वर्ष	4
11.	सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी बेस्ड इनक्लूसिव डेवलपमेंट	6 माह	40

सीआरसी, पटना

1.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस)	1 वर्ष	30
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वीआई)	2 वर्ष	35

एनआईईपीवीडी, देहरादून

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
	एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	एम.फिल इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी –1 केंद्र	2 वर्ष	11

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
2.	एम.फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी –1 केंद्र	2 वर्ष	07
3.	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (वी.आई)–1 केंद्र	2 वर्ष	16
4.	इंटीग्रेटेड एम.एससी. एप्लाइड साइकोलॉजी – बी.एससी.+ एम.एससी. प्रोग्राम	5 वर्ष	44
5.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (वी.आई) – 4 केंद्र	2 वर्ष	132
6.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (एम.डी) -1 केंद्र	2 वर्ष	33
7.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (डी.बी) -1 केंद्र	2 वर्ष	33
8.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वी.आई)-11 केंद्र	2 वर्ष	385
9.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी -1 केंद्र	I वर्ष	16
	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	1 वर्ष	21
2.	ब्रेल शॉर्टहैंड (हिंदी)	1 वर्ष	16
3.	ब्रेल स्टेनोग्राफी और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1 वर्ष	15

सीआरसी, सुंदरनगर :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (दृष्टि बाधिता)	2 वर्ष	35
2	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (श्रवण बाधिता)	2 वर्ष	35
3	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता)	2 वर्ष	35
4.	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	35

सीआरसी, गोरखपुर :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	30
2.	डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता)	2 वर्ष	30
3.	सर्टिफिकेट इन चाइल्ड केयर गिवर	1 वर्ष	25

एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	पीएचडी (एसपी और एचजी)	3 + वर्ष	20
02	पीएचडी (स्पे. एजु.)	3 + वर्ष	20
03	एम.एससी. (ऑडियोलॉजी)	2 वर्ष	15
04	मास्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	1 वर्ष	23
05	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	43
06	बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	1 वर्ष	39
07	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी	1 वर्ष	20
08	डिप्लोमा इन साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स	2 वर्ष	15
09	सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए)	1 वर्ष	25

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	2 वर्ष	15
02	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	31
03	बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग हैंडिकेप्ड)	2 वर्ष	23
04	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन– डिस्टेंस एजुकेशन (एचआई)	2.5 वर्ष	40
05	डिप्लोमा इन एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	31
06	डिप्लोमा इन साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स	2 वर्ष	15
07	डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन	1 वर्ष	20

क्षेत्रीय केंद्र, सिकंदराबाद

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	मास्टर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी)	2 वर्ष	13
02	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	31
03	बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	31
04	डिप्लोमा इन एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	31

क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	25
02	बैचलर ऑफ एजुकेशन– स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 वर्ष	30
03	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	20
04	श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर एप्लिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	1 वर्ष	20

अनुबंध 5

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

क्षेत्रीय केंद्र, जनला, ओड़िशा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (एचआई)	2 वर्ष	31
02	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	30
03	बैचलर ऑफ एजुकेशन – विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता)	2 वर्ष	30

एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.फिल इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी (आईडी)	2	14+1(ईडब्ल्यूएस)
2	एम.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	25+2(ईडब्ल्यूएस)
3	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन	1	20+2(ईडब्ल्यूएस)
4	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	30+3(ईडब्ल्यूएस)
5	डिप्लोमा इन अर्ली चाइडहुड स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	1	30+3(ईडब्ल्यूएस)
6	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	35+3(ईडब्ल्यूएस)
7	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (आईडी)	1	30+3(ईडब्ल्यूएस)
8	समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)	6	40

क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	15+3(ईडब्ल्यूएस)
2	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	39+3(ईडब्ल्यूएस)
3	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	35+3(ईडब्ल्यूएस)

क्षेत्रीय केंद्र, नवी मुंबई

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	15+1(ईडब्ल्यूएस)
2	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	20+2(ईडब्ल्यूएस)
3	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	35+3(ईडब्ल्यूएस)
4	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	1	30+3(ईडब्ल्यूएस)
5	डिप्लोमा इन वोकशनल रिहैबीलिटेशन (आईडी)	1	25+2(ईडब्ल्यूएस)

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	12+1(ईडब्ल्यूएस)
2	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	30+3(ईडब्ल्यूएस)
3	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	30+3(ईडब्ल्यूएस)
4	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबीलिटेशन (आईडी)	1	30+3(ईडब्ल्यूएस)
5	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी) – ओडीएल	2	40

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, नेल्लोर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एचआई)	2	35

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, देवांगेरे

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	35
2	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (एचआई)	2	35

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, राजनंदगाँव

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2	35

एनआईईपीएमडी, चेन्नई

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.फिल (क्लिनिकल साइकोलॉजी)	2 वर्ष	12+ 1 ईडब्ल्यूएस
2	एम.एड. स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	20
3	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	30
4	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन (पीजीडीईआई)	1 वर्ष	15
5	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	30+5 ईडब्ल्यूएस
6	बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में स्नातक (बी. एएसएलपी)	4 वर्ष	25+2 ईडब्ल्यूएस
7	बैचलर ऑफ ओक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	4½ वर्ष	25+3 ईडब्ल्यूएस
8	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	4½ वर्ष	25+3 ईडब्ल्यूएस
9	बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स (बी.पी.ओ)	4½ वर्ष	20

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, कोझिकोड

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (एएसडी)	2 वर्श	35
2	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (सीपी)	2 वर्श	35
3	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 वर्श	35

आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
03	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 वर्ष	46
04	डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल)	2 वर्ष	50

एनआईएमएचआर, सिहोर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा – बौद्धिक दिव्यांगता (डीवीआर–आई डी)	1 वर्ष	30
2.	समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (डीसीबीआर)	1 वर्ष	30
3.	सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग – मानसिक स्वास्थ्य (सीसीसीजी)	10 माह	30

डीडीआरएस के तहत वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (As on 31.12.2022)	
		प्राप्त	स्वीकृत *	प्राप्त	स्वीकृत *	प्राप्त	स्वीकृत *	प्राप्त	स्वीकृत *
1	आंध्र प्रदेश	66	67	69	65	70	49	0	46
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	11	8	3	5	6	6	0	3
4	बिहार	0	1	2	0	3	1	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	2	0	1	0	1	0	0
6	दिल्ली	0	3	7	6	9	6	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	19	10	16	5	7	7	0	1
9	हरियाणा	23	12	15	9	13	7	0	2
10	हिमाचल प्रदेश	6	5	5	6	4	4	0	2
11	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	0	0	0
12	झारखंड	0	1	0	0	0	0	0	0
13	कर्नाटक	3	2	3	3	4	3	0	2
14	केरल	43	29	38	27	38	26	0	16
15	मध्य प्रदेश	22	11	16	16	17	13	1	7
16	महाराष्ट्र	16	19	2	10	8	5	0	7
17	मणिपुर	25	28	25	22	26	17	24	19

अनुबंध 6क

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (As on 31.12.2022)	
		प्राप्त	स्वीकृत *	प्राप्त	स्वीकृत *	प्राप्त	स्वीकृत*	प्राप्त	स्वीकृत*
18	मेघालय	7	4	6	4	6	2	0	1
19	मिजोरम	6	2	5	1	2	0	0	0
20	नागालैंड	0	1	2	1	2	0	0	1
21	ओडिशा	49	49	43	42	39	39	0	15
22	पंजाब	11	4	10	4	9	5	0	1
23	राजस्थान	8	19	11	8	13	12	3	7
24	तमिलनाडु	26	17	0	11	16	9	0	7
25	त्रिपुरा	0	0	1	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	41	44	49	42	47	43	0	21
27	उत्तराखंड	4	3	1	3	1	3	0	1
28	पश्चिम बंगाल	20	20	28	13	24	18	0	11
29	तेलंगाना	50	67	44	34	48	40	0	41
30	पुडुचेरी कुल	4	3	4	2	4	2	0	3
कुल		**460**	**432**	**405**	**340**	**416**	**318**	**28**	**214**

* इन आंकड़ों में पिछले वर्ष के आगे लाए गए प्रस्ताव भी शामिल हैं।

वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान डीडीआरएस के तहत जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निधियां

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1	आंध्र प्रदेश	2663.05	1711.80	1723.42	1094.42
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0	0
3	असम	124.72	62.02	139.06	52.66
4	बिहार	23.67	0.00	41.89	0
5	छत्तीसगढ़	49.78	1.63	47.58	0
6	दिल्ली	32.65	247.67	162.74	0
7	गोवा	0.00	0.00	0	0
8	गुजरात	131.96	23.32	96.17	3.32
9	हरियाणा	154.81	140.18	101.99	43.65
10	हिमाचल प्रदेश	71.77	55.31	67.15	13.19
11	जम्मू और कश्मीर	4.53	0.00	0	0
12	झारखंड	10.39	0.00	0	0
13	कर्नाटक	41.31	81.29	135.60	35.16
14	केरल	611.82	628.30	725.30	321.17
15	मध्य प्रदेश	155.50	214.84	259.59	105.93
16	महाराष्ट्र	342.21	154.33	43.95	134.04
17	मणिपुर	974.01	530.09	691.62	567.82
18	मेघालय	32.59	105.37	29.64	8.92
19	मिजोरम	33.90	11.73	0	0

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
20	नागालैंड	2.48	26.31	0	30.36
21	ओडिशा	1001.05	742.03	1436.38	291.50
22	पंजाब	133.65	98.91	131.90	10.02
23	राजस्थान	261.60	144.01	241.13	109.10
24	तमिलनाडु	191.90	208.24	137.06	117.59
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0	0
26	उत्तर प्रदेश	1018.59	1161.31	1254.21	579.12
27	उत्तराखंड	84.07	29.37	37.44	28.20
28	पश्चिम बंगाल	335.46	311.65	553.35	264.77
29	तेलंगाना	1646.76	1034.30	1439.72	1054.36
30	पुडुचेरी	32.61	18.48	35.89	30.02
कुल		**10166.84**	**7742.49**	**9532.78**	**4895.32**

***31.12.2022** की स्थिति के अनुसार

वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान डीडीआरएस के तहत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	6187	5620	4620	3630
2	असम	603	248	397	289
3	बिहार	53	0	55	0
4	छत्तीसगढ़	187	110	110	0
5	दिल्ली	501	685	615	0
6	गोवा	0	0	0	0
7	गुजरात	864	378	447	215
8	हरियाणा	512	505	292	119
9	हिमाचल प्रदेश	302	212	144	49
10	जम्मू और कश्मीर	81	0	0	0
11	झारखंड	64	0	0	0
12	कर्नाटक	339	373	389	295
13	केरल	2112	1656	1883	1043
14	मध्य प्रदेश	639	822	682	331
15	महाराष्ट्र	3036	2049	1677	438
16	मणिपुर	2597	1523	1478	1622
17	मेघालय	443	322	84	34
18	मिजोरम	168	20	0	0
19	नागालैंड	30	47	0	60

अनुबंध 6ग

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)
20	ओडिशा	3239	5953	5306	1317
21	पंजाब	588	272	505	28
22	राजस्थान	1096	370	528	259
23	तमिलनाडु	786	706	1267	1142
24	त्रिपुरा	0	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	4105	3580	3604	2120
26	उत्तराखंड	197	144	142	71
27	पश्चिम बंगाल	3621	1935	1389	976
28	तेलंगाना	5513	3932	4397	3771
29	पुडुचेरी	141	80	71	88
कुल		**38004**	**31542**	**30082**	**17897**

अनुबंध 6घ

वर्ष 2022–23 के दौरान डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठन को जारी सहायता अनुदान का विवरण
(31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
1	एचिवमेंट ऑफ राइजिंग मेडेन, इंफाल पश्चिम, मणिपुर	34,93,693
2	आदर्श मूक बधिर विद्यालय, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश	18,06,872
3	आदित्य एजुकेशनल सोसायटी, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	4,04,796
4	अहिल्यादेवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर, महाराष्ट्र	16,90,639
5	अलकेन्दु बोध निकेतन रेसिडेनसिअल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	18,10,091
6	अल्फोंस सोशल सेंटर, एर्नाकुलम, केरल	19,89,117
7	अल– शिफा माइनोरिटी इंस्टीएट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड एंड ओल्डि ऐज्ड, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	14,91,589
8	आंध्र महिला सभा (दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल), हैदराबाद, तेलंगाना	45,53,158
9	आंध्र प्रदेश स्टेट फोरम फॉर ईकोनोमिकली वीकर सेक्शोन, निजामाबाद , तेलंगाना	24,18,553
10	अन्नम्मा स्कूल फॉर दा हियरिंग एंड फिजिकली हैंडिकेप्ड एंड बेबी केयर सेंटर, कृष्णा, आंध्र प्रदेश	5,58,575
11	अनुराग ह्यूमन सर्विस, हैदराबाद, तेलंगाना	30,37,834
12	आशा आवा केंद्र (आर्मी वेलफेयर सोसायटी), जबलपुर, मध्य प्रदेश	11,04,715
13	आशा ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर दा डिसेलब्ड, नलगोंडा , तेलंगाना	24,67,947
14	आशादीपा अंगविकलारा सर्व अभिवृद्धि सेवा समस्थे , बागलकोट , कर्नाटक	5,81,884
15	आश्रय आकृति , हैदराबाद, तेलंगाना	1,59,525

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
16	एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एंड सोशल रिसर्च इन ओडिशा , बौध , ओडिशा	19,92,198
17	एसोसिएशन फॉर दा वेलफेयर ऑफ हैंडिकेप्ड, फरीदाबाद, हरियाणा	14,01,676
18	एसोसिएशन वॉलंटरी एक्शन (एवीए), पुरी , ओडिशा	1,71,009
19	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे , महाराष्ट्र	20,20,350
20	बीसीजी स्कूल फॉर दा डेफ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	18,01,789
21	बरजोरा अशार अलो , बांकुरा , पश्चिम बंगाल	18,00,702
22	बाइसन आशा स्कूल, हैदराबाद, तेलंगाना	8,49,004
23	ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन, नदिया, पश्चिम बंगाल	34,68,252
24	ब्रेश भद्राचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन सोसाइटी फॉर हैंडिकैप्ड, भद्राद्री कोठागुडेम , तेलंगाना	20,02,894
25	कार्मेल सेंटर फॉर मेंटली रिटार्डेड, चेन्नई, तमिलनाडु	16,48,118
26	सेंटर फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, थौबल , मणिपुर	17,79,930
27	सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	10,98,625
28	चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर दा लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम , आंध्र प्रदेश	5,40,277
29	चैरिटेबल सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड , एर्नाकुलम , केरल	9,07,822
30	चेतना बिलासपुर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	9,03,453
31	चाइल्ड गाइडलाइन सेंटर, रंगारेड्डी , तेलंगाना	5,99,341
32	क्रिश्चियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, चेन्नई, तमिलनाडु	22,30,560
33	काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पूअर एंड लेबरर्स (सीडीपीएल), इंफाल पश्चिम, मणिपुर	4,11,820
34	काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पूअर एंड लेबरर्स (सीडीपीएल), इंफाल पश्चिम, मणिपुर	66,17,589
35	डेफ एंड डंब स्कूल (मूक बधीर विद्यालय), मेरठ, उत्तर प्रदेश	25,32,867
36	दीप्ति सेंटर, कोट्टायम , केरल	20,02,910

अनुबंध 6घ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
37	डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ जीम ब्लाइंड, नलगोंडा , तेलंगाना	31,64,143
38	दिशा समिति , बरेली, उत्तर प्रदेश	11,81,292
39	डॉ दत्तू राव मेमोरियल चैरिटेबल (पाथवे सेंटर), चेन्नई, तमिलनाडु	23,74,049
40	डॉ. शैलेंद्र नाथ मुखर्जी मुक बधीर विद्यालय , पुरबा बर्धमान , पश्चिम बंगाल	25,66,420
41	द्वार जिंगक्रीमेन स्कूल फौर चाइल्ड इन नीड ऑफ स्पेशन एजुकेशन, शिलांग , मेघालय	8,91,558
42	इको क्लब ब्रह्मा इंस्टीरट्यूट फॉर जीम मेंटली हैडिकेप्ड, महबूबनगर , तेलंगाना	39,25,732
43	एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑगेनाईजेशन, थौबल , मणिपुर	4,38,199
44	एहसास, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1,95,277
45	फेथ इंडिया, एर्नाकुलम , केरल	35,47,563
46	फ्लोरेंस स्वेंसन हायर सेक्शन स्कूल फोर दा डेफ, तिरुनेलवेली , तमिलनाडु	4,17,333
47	फ्रेंड ऑफ हैंडिकेप्ड – भारत, मेरठ, उत्तर प्रदेश	45,39,340
48	गलोबल हेल्थ इमुनाइजेशन एंड पोपूलेशन कंट्रोल ऑर्गेनाईजेशन, नागांव , असम	6,15,000
49	ग्रेसी ऑर्गेनाईजेशन फॉर डेवलपमेंट सर्विस, निजामाबाद , तेलंगाना	15,49,637
50	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान , बीकानेर, राजस्थान	18,03,075
51	हैंडिकेप्ड डेवलपमेंट काउंसिल, आगरा, उत्तर प्रदेश	40,03,394
52	हरिसुंदर महिला बहुदेशीय शिक्षण प्रसारक मंडल , लातूर , महाराष्ट्र	23,89,948
53	हेलेन केलर्स स्कूल फॉर दा डेफ, कडप्पा , तेलंगाना	31,18,919
54	हेलेन केलर्स स्कूल फॉर दा डेफ, रंगारेड्डी , तेलंगाना	64,22,203
55	होली क्रॉस सोशल सर्विस सोसाइटी, अनंतपुर , आंध्र प्रदेश	53,05,084
56	इमैक्युलेट हार्ट ऑफ़ मैरी सोसाइटी फॉर दा वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड, कृष्णा, आंध्र प्रदेश	21,41,593
57	इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मैरी सोसाइटी, कृष्णा, आंध्र प्रदेश	7,89,600

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
58	इंफाल गार्जियन सोसाइटी, इंफाल , मणिपुर	11,32,865
59	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (काकीनाडा), ईस्ट, गोदावरी, आंध्र प्रदेश	12,02,827
60	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (सहाय), कटक, ओडिशा	7,25,618
61	इंटिग्रेटेड इंस्टीडट्यूट फॉर दा डिसेबल्ड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	36,38,691
62	जे एंड जे करुणोदय इंस्टीट्यूट फॉर एमएच, वेस्ट् गोदावरी, आंध्र प्रदेश	29,87,594
63	जलपाईगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाईजेशन, जलपाईगुड़ी , वेस्ट बंगाल	30,31,797
64	जया किशन यूथ क्लब, पुरी , उड़ीसा	8,71,598
65	जयश्री मारुति नंदन किशन विकास एजुकेशन ट्रस्ट, दाहोद , गुजरात	3,31,897
66	केएसजे हाई स्कूल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	23,76,616
67	कबि नरसिंह माथा ब्लाइंड एंड डेफ स्कूल, गंजम , ओडिशा	31,37,973
68	कचाजुली फिजिकली हेंडिकेप्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर , असम	20,41,937
69	कला सोशल वेलफेयर सोसाइटी , गुंटूर, आंध्र प्रदेश	4,41,923
70	कल्याणी रूरल रिहैबिलिटेशन एंड एजुकेशनल सोसाइटी, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	14,53,247
71	कांगचुप एरिया ट्रिबल वोमेन सोसाइटी, इंफाल , मणिपुर	51,48,750
72	करुणा चैरिटेबल सोसाइटी, कोल्लम , केरल	16,71,910
73	कोंगू अरिवलयम स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड, इरोड, तमिलनाडु	27,62,467
74	कोरक प्रतिबन्धी कल्याण केंद्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	8,56,001
75	क्रांति एजुकेशन सोसाइटी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	20,57,435
76	लक्ष्य साधना सोसाइटी फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, रंगारेड्डी , तेलंगाना	19,36,762
77	लेबेंशिल्फ़े , विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	66,01,808
78	लुइस ब्रेल ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	22,95,648
79	मैडोना चैरिटेबल सोसाइटी, त्रिशूर , केरल	12,51,008

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
80	महाराजा कृष्ण चंद्र गजपति स्कूल फॉर दा ब्लाइंड एंड डेफ, गजपति , ओडिशा	24,51,167
81	महर्षि सांबमूर्ति इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट स्टडीज, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	30,34,674
82	महाशक्ति शिक्षण आरोग्य व क्रीड़ा प्रसारक बहुदेश्य संस्था , अकोला, महाराष्ट्र	18,16,243
83	महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति , भरतपुर , राजस्थान	15,24,013
84	मानसिका विकास केंद्रम , खम्मम , तेलंगाना	16,01,808
85	मानसिका विकास केंद्रम , विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	42,42,249
86	मानसिका विकास केंद्रम , विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	82,13,390
87	मानव विकास संस्था , बीड , महाराष्ट्र	16,00,178
88	मानव विकास संस्था , बीड , महाराष्ट्र	15,63,840
89	मणिपुर गाइडेंस सेंटर (एमएजीसी), इंफाल पश्चिम, मणिपुर	29,08,340
90	मनुदेवी शिक्षण प्रसारक मंडल , नंदुरबार , महाराष्ट्र	23,22,852
91	मरुधरा बाल शिक्षण संस्थान , जोधपुर, राजस्थान	14,54,244
92	मेरठ चिल्ड्रेन वेलफेयर ट्रस्ट, मेरठ, उत्तर प्रदेश	26,35,314
93	मेफी मेंटली रिटार्डेड रिहेबिलिटेशन सेंटर, खम्मम , तेलंगाना	14,47,143
94	मदर थेरेसा स्कूल फॉर दा ब्लालइंड, प्रकाशम , आंध्र प्रदेश	10,60,339
95	नारायण सेवा संस्थान , उदयपुर, राजस्थान	7,54,639
96	नेशनल एसोसिएशन फॉर दा इंटीग्रेटेड एंड रिहेबिलिटेशन, फरीदाबाद, हरियाणा	29,62,951
97	नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वोमेन डेवलपमेंट, संबलपुर , ओडिशा	21,33,853
98	नव चेतना मानसिक एवं मूक बधिर विद्यालय समिति , जयपुर , राजस्थान	14,91,582
99	नव ज्योति स्पेशल स्कूल (महाकौशल नवज्योति सोसाइटी), जबलपुर, मध्यप्रदेश	19,79,832
100	न्यू डॉन बॉस्को एजुकेशनल सोसाइटी, सिकंदराबाद , तेलंगाना	27,99,619
101	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान , पुरी , उड़ीसा	62,66,709

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
103	नार्ड बंगाल हैंडिकेप्ड् रिहेबिलिटेशन सोसायटी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	69,18,523
104	नॉर्थ ईस्ट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गुवाहाटी , असम	26,08,751
105	पहल विकलांग पुनर्वास केन्द्र समिति , कानपुर, उत्तर प्रदेश	3,05,505
106	पामेनकेप (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर दा एमएच पर्सन, करीमनगर) गोदावरीकानी , करीमनगर , तेलंगाना	31,14,015
107	पामेनकेप सिकंदराबाद , सिकंदराबाद , तेलंगाना	18,46,280
108	पैराडाइज चिल्ड्रन केयर सेंटर, चंबा , हिमाचल प्रदेश	4,16,000
109	पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर ऑस्टिक चिल्ड्रन (पीएएसी), रंगारेड्डी , तेलंगाना	7,08,658
110	परिवर्तन इंटीग्रेटेड रूरल पीपल वेलफेयर सोसाइटी, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	15,88,602
111	पतितपाबन सेवा संघा , पुरी , उड़ीसा	11,19,690
112	पतितपाबन सेवा संघा , पुरी , उड़ीसा	20,32,499
113	पावनी इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीपल हैंडीकैप्ड एंड स्पास्टिक्स, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	27,05,114
114	पामेनकेप (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर दा वेलफेयर ऑफ एमएच पर्सन), हैदराबाद, तेलंगाना	6,99,105
115	पामेनकेप (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर दा वेलफेयर ऑफ एमएच पर्सन), हैदराबाद, तेलंगाना	46,67,850
116	पीपल विथ हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क, हैदराबाद, तेलंगाना	29,72,957
117	प्राग नारायण मूक बधीर विद्यालय समिति , अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	13,24,681
118	प्रगति चैरिटीज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	1,57,457
119	प्रगति चैरिटीज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	13,45,132
120	प्रगति चैरिटीज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	11,09,587
121	प्रतीक्षा चैरिटेबल सोसाइटी, त्रिचूर , केरल	15,15,534
122	राजेश्वरी सेवा संस्थान , औरैया , उत्तर प्रदेश	25,52,777

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
123	रक्षा सोसायटी फॉर दा केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, एर्नाकुलम , केरल	13,86,188
124	रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ अकादमी (रामकृष्ण मिशन आश्रम), 24 साउथ परगना , पश्चिम बंगाल	45,645
125	आरईएसीएच, कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	14,43,102
126	री–क्रिएशन, ए वोलंटरी एजेंसी स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ मणिपुर, इंफाल वेस्ट, मणिपुर	26,26,053
127	रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन, थौबल , मणिपुर	20,56,120
128	रिहैब फाउंडेशन, मलप्पुरम , केरल	10,65,844
129	रेजिडेनसिअल स्कूल फॉर दा ब्लाइंड, जोगुलम्भा गडवाल , तेलंगाना	61,75,957
130	रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, तिरुवनंतपुरम , केरल	29,72,915
131	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, थौबल , मणिपुर	32,59,090
132	रूरल इंडिया मेडिकल एंड रिलीफ सोसाइटी, चित्तूर , आंध्र प्रदेश	7,40,514
133	एसकेआर पुपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम , आंध्र प्रदेश	37,90,283
134	सबिता एजुकेशनल सोसायटी, संगारेड्डी , तेलंगाना	48,04,754
135	साधना सोसाइटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, मेडचला एंड मलकजगिरी , तेलंगाना	29,85,413
136	शहीद युवा संघ , नयागढ़ , उड़ीसा	3,01,901
137	शहीद युवा संघ , नयागढ़ , उड़ीसा	16,65,162
138	सामाजिक उत्थान समिति , बलिया , उत्तर प्रदेश	29,47,407
139	संभव स्कूल फॉर ऑटिज्म एवं मल्टीपल डिसएबिलिटी, जयपुर , राजस्थान	20,35,972
140	समसंरक्षण वेलफेयर सोसाइटी फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड , आदिलाबाद , तेलंगाना	13,92,377
141	संचित विकास संस्थान , बस्ती , उत्तर प्रदेश	6,68,331
142	संजोस वेलफेयर सेंटर, कोट्टायम , केरल	29,70,816
143	शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीस, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	46,80,690

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
144	सप्तगिरि पुनर्वास ट्रस्ट, विरुधुनगर , तमिलनाडु	13,05,743
145	सरोजिनी देवी मेमोरियल सोसायटी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	16,57,750
146	सत्य स्पेशल स्कूल, पुडुचेरी , पुडुचेरी	1,80,134
147	सत्य स्पेशल स्कूल, पुडुचेरी , पुडुचेरी	12,04,386
148	सीमा सेवा संस्थान , लखनऊ , उत्तर प्रदेश	16,00,444
149	शालोम स्पेशल स्कूल (निर्मल माता सोसाइटी), भोपाल, मध्य प्रदेश	23,75,867
150	शांतिनिकेतन , हैदराबाद, तेलंगाना	31,38,933
151	शांतिनिकेतन , रंगारेड्डी , तेलंगाना	28,35,002
152	सेल्टर, हुगली, पश्चिम बंगाल	26,63,339
153	शिखर सोसायटी फॉर द वेलफेयर मेंटली हैंडीकैप्ड, कोटा, राजस्थान	18,46,339
154	श्रीकृष्ण आदर्श विद्या मंदिर , फतेहपुर , उत्तर प्रदेश	19,76,373
155	श्री श्री उत्कर्ष समिति , इंदौर, मध्य प्रदेश	9,87,147
156	सिरिशा पुनर्वास केंद्र, कृष्णा, आंध्र प्रदेश	28,27,976
157	स्नेह शिक्षण एवम मानव सेवा संस्थान , रीवा , मध्य प्रदेश	17,88,918
158	स्नेहा सदन स्पेशल स्कूल फॉर एमएच, एर्नाकुलम , केरल	12,35,160
159	स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रीकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद , तेलंगाना	10,89,943
160	स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रीकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद , तेलंगाना	4,64,019
161	नेहाराम चैरिटेबल सोसाइटी, त्रिशूर , केरल	26,02,218
162	सोशल एंड हेल्थट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंफाल , मणिपुर	20,26,035
163	सोशल एंड हेल्थट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंफाल , मणिपुर	66,33,725
164	सोशल ह्यूमन एक्शन फॉर रूरल एम्पावरमेंट सोसाइटी, चूड़ाचंदपुर , मणिपुर	25,84,544
165	सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड रिहेब ऑफ विजुअल हैंडिकेप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना	27,55,909
166	सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ दा डेफ एंड ब्लांइं, विजयनगरम , आंध्र प्रदेश	28,51,049

अनुबंध 6घ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
167	सोसाइटी फॉर इंपावरमेंट ऑफ दा डिसेबल्ड , बिष्णुपुर , मणिपुर	34,24,321
168	सोसाइटी फॉर एनवायर्नमेंटल डेवलपमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन (सेवा), नयागढ़ , ओडिशा	27,55,574
169	सोसायटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश	32,46,737
170	श्री विवेकानंद एजुकेशनल सोसायटी, ईस्टड गोदावरी, आंध्र प्रदेश	28,63,710
171	श्री दक्षिणाय भव समिति , गुंटूर, आंध्र प्रदेश	89,942
172	श्री दक्षिणाय भव समिति , गुंटूर, आंध्र प्रदेश	32,82,631
173	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	25,03,214
174	श्री विद्या सेंटर फॉर स्पेगशल चिल्ड्रन, हैदराबाद, तेलंगाना	23,33,953
175	सेंट एन्स सोशल सर्विस सोसाइटी (सेंट एन्स मनोविकास केंद्रम), गुंटूर, आंध्र प्रदेश	50,39,676
176	सेंट एन्स सोशल सर्विस सोसाइटी (सेंट एन्स मनोविकास केंद्रम), कुरनूल, आंध्र प्रदेश	79,95,679
177	सेंट जोसेफ मेंटल हेल्थ केयर होम, त्रिचूर, केरल	19,61,057
178	सेंट जोसेफ सोशल सेंटर, अलापुझा, केरल	14,91,209
179	सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर दा वेलफेयर ऑफ एमएच, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	4,79,161
180	सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर दा वेलफेयर ऑफ एमएच, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	7,64,117
181	सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर दा वेलफेयर ऑफ एमएच, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	4,37,653
182	सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर दा वेलफेयर ऑफ एमएच, नलगोंडा , तेलंगाना	23,02,967
183	स्वर्ण स्वयं कृषि सोसायटी, प्रकाशम , आंध्र प्रदेश	26,39,024
184	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, हैदराबाद, तेलंगाना	24,76,830
185	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, हैदराबाद, तेलंगाना	43,54,465

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
186	तबिता इनेबलिंग सोसाइटी, कोहिमा , नागालैंड	30,36,176
187	टेक चाँद सूद चैरिटेबल ट्रस्ट, होशियारपुर , पंजाब	10,02,404
188	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहे. फॉर दा मेंटली हैंडिकेप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना	32,50,399
189	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहे. फॉर दा मेंटली हैंडिकेप्ड, रंगारेड्डी , तेलंगाना	1,85,647
190	ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहे. फॉर दा मेंटली हैंडिकेप्ड, रंगारेड्डी , तेलंगाना	60,10,169
191	सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, इंफाल , मणिपुर	17,58,625
192	दा डेवलपमेंट फॉर वूमन्स प्रोग्राम सेंटर, थौबल , मणिपुर	4,54,025
193	दा करीमनगर डिस्ट्रिक फ्रिडम फाइटर्स ट्रस्ट , करीमनगर , तेलंगाना	22,85,214
194	दा रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, अनंतपुर , आंध्र प्रदेश	2,26,393
195	दा स्कूल फॉर यंग डेफ चिल्ड्रन (बाल विद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु	10,20,895
196	दा सोसायटी फॉर एजुकेशन एंड रिहे. ऑफ दा डिसेबल्ड (एसईआरडी), सूर्यापेट , तेलंगाना	5,30,576
197	दा सोसाइटी फॉर क्राइस्ट ज्योति , वाराणसी, उत्तर प्रदेश	54,85,101
198	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल , मणिपुर	21,69,541
199	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल , मणिपुर	78,58,966
200	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	46,49,162
201	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी, प्रकाशम , आंध्र प्रदेश	17,37,098
202	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी, यनम , पुडुचेरी	16,17,230
203	उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय , प्रयागराज , उत्तर प्रदेश	62,16,949
204	वाणी एजुकेशनल एकेडमी, कृष्णा, आंध्र प्रदेश	13,49,836
205	वेलुगु , चित्तूर , आंध्र प्रदेश	8,36,831
206	विजया (भद्रक), भद्रक , ओडिशा	18,49,053

अनुबंध 6घ

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम और स्थान	राशि (रुपये में)
207	विकास सोशल सर्विस सोसाइटी, कन्नूर , केरल	35,45,495
208	विकलांग मंदबुद्धि कल्याण समिति , नैनीताल , उत्तराखंड	28,20,447
209	विकलांग सेवा भारती , जबलपुर, मध्य प्रदेश	21,61,463
210	विश्व धर्म माहिल मट्टू मक्कल शिक्षण सेवाश्रम समिति , धारवाड़ , कर्नाटक	29,34,481
211	वोलंटरी ऑर्गेनाईजेशन ऑफ रूरल इंप्रुमेंट, क्योंझर , ओडिशा	16,75,711
212	वोलंटरी ऑर्गेनाईजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	43,19,248
213	वृंदावन शिक्षा एवं जनकल्याण समिति , कौशाम्बी , उत्तर प्रदेश	45,67,852
214	वूमन एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, विजयनगरम , आंध्र प्रदेश	33,56,358
	कुल	48,95,31,980

*****

डीडीआरसी के तहत अनुदान हेतु स्वीकार्य पद

क्र.सं	पद और योग्यताएं	मानदेय (रुपये में)
1	**क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट / रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट** **क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट :** क. एम. फिल. क्लिनिकल साइकोलॉजी ख. क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रोफेशनल डिप्लोमा **रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट** क. एम.फिल. पुनर्वास मनोविज्ञान ख. पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)	20500 / 850 (प्रति विजिट)
2	**सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट / ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट** **फिजियोथेरेपिस्ट** : 01 अनिवार्य योग्यता : बीपीटी **ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट** : 01 अनिवार्य योग्यता : बीओटी	20500/850 (प्रति विजिट)
3	**वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट (ओएच श्रेणी)** योग्यता: आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बीपीओ) में स्नातक	20500/850 (प्रति विजिट)
4	**प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट तकनीशियन** योग्यता: 3 वर्ष के अनुभव के साथ पी एंड ओ में डिप्लोमा या पी एंड ओ में सर्टिफिकेट	14500
5	**ऑडियोलॉजिस्ट और वरिष्ठर सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट** पात्रता: ऑडियोलॉजी और वाक् और भाषा पैथोलॉजी (बीएएसएलपी) में स्नातक या वाक् और श्रवण में बी.एस.सी	20500/850 (प्रति विजिट)
6	**हियरिंग असिस्टेंट / जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट** हियरिंग एड रिपेयर / ईयर–मोल्ड मेकिंग के ज्ञान के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा **भाषा और श्रवण (स्पीच और हियरिंग) तकनीशियन** पात्रता: श्रवण भाषा और वाक् में डिप्लोमा (डीएचएलएस) **ईयर–मोल्ड तकनीशियन** योग्यता: हियरिंग एड रिपेयर एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)	14500

अनुबंध 7क

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अनुबंध 7क

क्र.सं	पद और योग्यताएं	मानदेय (रुपये में)
7.	**मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर** मोबिलिटी में मैट्रिक और सर्टिफिकेट /डिप्लोमा पात्रताः विशेषतः बैचलर इन मोबिलिटी साइंस (बीएमएससी.) या श्रवण बाधिता (विजुअल इम्पेयरमेंट) में डी.एड.विशेष शिक्षा/बी.एड.विशेष शिक्षा	14500
8.	**मल्टी–पर्पज रिहैबिटिलेशन वर्कर** पात्रताः सामुदायिक आधारित पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीबीआर)/ सामुदायिक आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (डीसीबीआर)/ सामुदायिक आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)/एमआरडब्ल्यू	14500
9.	**एकाउंटेंट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर** बी.कॉम/एसएएस के साथ 2 वर्ष का अनुभव	14500
10	**अटेंडेंस कम पीओन कम मैसेंजर** कक्षा 8 पास	9500
11	**वोकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट** पात्रताः वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (डीवीआर) में डिप्लोमा / एडवांस्ड डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग (एडीसीजीसी) / बैचलर ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस (बीआरएससी)	14500
12	**अर्ली इंटरवेंशन थेरेपिस्ट** योग्यताः पीजीडीडीटी / पीजीडीईआई / बीएमआर / बीआरएससी / बीआरटी / एमआरएससी / एमएससी–ईआई	14500
13	**ट्रांस–डिसिप्लिनरी स्पेशल एजुकेटर (02 सं.)** **दोनों पदों के लिए पात्रता** 1. श्रवण बाधिता (हियरिंग इम्पेयरमेंट) में डीएडएसई / बीएडएसई 2. वीआई / आईडी / सीपी / एएसडी / एमडी / डीबी / एसएलडी में डीएडडीएसई / बीएडएसई	14500
14	**केयरगिवर** पात्रताः सीसीसीजी–आरसीआई/सीसीसीजी–राष्ट्रीय न्यास या आठवीं कक्षा उत्तीर्ण सहित पीडब्ल्यूडी की देखभाल करने का 3 वर्ष का अनुभव	6250

सहायता प्राप्त डीडीआरसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या, 2019–20 से 2022–23 के दौरान जारी की गई राशि

क्र. सं.	राज्य का नाम	2019–20		2020–21		2021–22		2022–23 (31.12.2022 तक)	
		राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2727336	1	3486017	2	5647299	2	3596391	2
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	6948399	4	2868072	1	2870357	1	2639005	1
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
6	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	2855307	2	2000484	2	2449389	2	0	0
9	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	1156550	1	1388059	1	0	0	649247	1
11	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
12	झारखंड	0	0	0	0	0	0	2609250	1
13	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
14	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	119441	1	3346234	3	6598598	2	0	0

अनुबंध 7ख

क्र. सं	राज्य का नाम	2019–20		2020–21		2021–22		2022–23 (31.12.2022 तक)	
		राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या
16	महाराष्ट्र	6350200	2	2578000	1	2751455	1	0	0
17	मणिपुर	0	0	6614500	3	4992300	2	1443392	2
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	0	0	4712250	2	2120410	1	0	0
22	पंजाब	0	0	0	0	1737811	2	0	0
23	राजस्थान	806761	2	657400	1	4512742	2	0	0
24	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	6059915	5	17393261	9	13514896	7	544590	1
28	उत्तराखंड	1068470	1	7331201	1	3122565	1	0	0
29	पश्चिम बंगाल	2211000	2	2464669	1	5353946	1	710053	1
30	तेलंगाना	0	0	2716250	1	0	0	0	0
31	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दादरा और नगर हवेली	1456583	1	0	0	0	0	0	0
34	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	31759962	22	57556397	28	55671768	24	12191928	9

2022–23 के दौरान डीडीआरसी को जारी सहायता अनुदान का विवरण

क्र.स.	राज्य का नाम	डीडीआरसी के नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	किस्त	वर्ष के लिए	कुल
1	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी, पूर्वी गोदावरी	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी	दूसरी और अंतिम किस्त	2021-22	406599
2	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी, पश्चिम गोदावरी	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी	पूर्ण और अंतिम किस्त	2021-22	3189792
3	असम	डीडीआरसी, नागौन	श्रीमंत शंकर मिशन	पूर्ण और अंतिम किस्त	2019-20	2639005
4	हिमाचल प्रदेश	डीडीआरसी, कुल्लू	इंडियनरेड क्रॉस सोसाइटी	पूर्ण और अंतिम किस्त	2020-21	649247
5	झारखंड	डीडीआरसी, हजारीबाग	डीएमटी, (जिला प्रबंधन दल)	पहली किस्त	2022-23	2609250
6	मणिपुर	डीडीआरसी, उखरुल	सामाजिक और स्वास्थ्य विकास संगठन	दूसरी और अंतिम किस्त	2021-22	611342
7	मणिपुर	डीडीआरसी, बिष्णुपुर	पाइनियर डेवलपमेंट एसोसिएशन	दूसरी और अंतिम किस्त	2021-22	832050
8	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी, रामपुर	उपासना जन कल्याण सेवा समिति	दूसरी और अंतिम किस्त	2021-22	544590
9	पश्चिम बंगाल	डीडीआरसी, मालदा	मालदा का हैदरपुर शेल्टर	दूसरी और अंतिम किस्त	2021-22	710053

अनुबंध 8क

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अनुबंध 8क

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2022 तक) के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एडिप योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित किए गए शिविर, उपयोग की गई निधियों और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	29	802.02	6331	27	1490.75	12099	58	1757.62	10755	8	512.11	2939
2	बिहार	8	208.79	5420	62	667.39	10054	28	675.77	6308	18	706.06	9448
3	छत्तीसगढ	16	561.89	7409	13	400.80	5040	4	18.86	468	1	125.43	1372
4	गोवा	1	2.48	76	3	173.03	2616	1	2.62	28	0	0	0
5	गुजरात	21	1215.03	24819	48	968.29	17975	86	890.45	13929	76	587.81	10668
6	हरियाणा	31	1013.10	17617	10	306.79	2931	35	482.94	5743	25	295.68	3818
7	हिमाचल प्रदेश	5	27.10	220	15	108.76	2824	13	79.91	1586	29	103.93	1295
8	जम्मू और कश्मीर	1 1	213.19	2307	33	212.6	3690	65	321.97	5331	41	279.15	3625
9	झारखंड	2	102.86	216	16	162.19	2066	204	294.32	4399	38	594.983	10362
10	कर्नाटक	29	718.20	4997	22	481.01	2566	22	502.34	2922	18	903.66	6746
1 1	केरल	15	187.07	3833	68	300.27	3502	27	265.17	3126	26	320.76	3273
12	मध्य प्रदेश	152	948.41	17587	83	1696.51	29936	302	1723.27	24312	103	599.22	6026
13	महाराष्ट्र	145	2972.97	49762	122	2482.85	28272	38	2665.92	25139	23	1061.03	6228
14	ओडिशा	147	723.18	9480	136	981.72	16544	82	982.74	11529	42	359.05	4247
15	पंजाब	101	914.25	18863	43	449.65	5089	141	1210.94	19009	35	680.91	7360
16	राजस्थान	43	1159.00	15343	49	607.96	11419	43	759.88	11273	21	591.33	3868
17	तमिलनाडु	37	879.25	14557	58	557.09	8982	83	885.37	26118	19	482.8	6223
18	उत्तर प्रदेश	185	5234.60	109239	236	3548.46	50015	211	3473.67	39396	105	3980.28	30779
19	उत्तराखंड	45	178.09	4299	73	262.22	5775	34	161.27	4724	13	165.92	2626
20	पश्चिम बंगाल	42	825.51	18047	46	713.05	14855	50	547.50	7507	19	687.22	7326
21	अंडमान और निकोबार	1	6.21	114	1	5.33	166	1	14.05	146	1	6.57	154
22	चंडीगढ	1	11.83	227	4	46.46	478	2	25.55	428	1	26.12	316

अनुबंध 8क

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
23	दादरा और नगर हवेली	6	17.79	333	1	2.49	93	0	0	0	3	13.75	173
24	दमन और दीव	0	0	0	1	7.31	147	1	1.99	38	1	0.81	30
25	दिल्ली	15	199.17	2991	8	187.36	958	23	263.28	1922	4	277.41	1542
26	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	पुदुचेरी	1	30.71	720	4	28.54	572	3	52.87	793	0	0	0
28	अरुणाचल प्रदेश	2	17.49	309	6	32.63	366	9	20.8	300	0	0	0
29	असम	23	683.51	13000	59	303.53	13083	91	431.30	9180	18	277.13	4036
30	मणिपुर	3	56.28	145	45	71.64	1586	16	73.10	1694	3	30.66	198
31	मेघालय	1	4.32	46	2	7.56	201	1 1	34.64	307	20	49.96	862
32	मिजोरम	0	0	0	2	9.12	82	8	5.95	189	0	0	0
33	नागालैंड	2	23.52	255	2	17.8	412	2	45.33	487	5	3.99	64
34	सिक्किम	1	51.32	321	2	12.84	169	0	0	0	0	0	0
35	त्रिपुरा	6	62.91	350	35	80.41	2241	15	57.73	643	12	101.61	1332
36	तेलंगाना	29	519.53	2396	30	495.60	1945	53	802.66	3658	8	702.06	3330
कुल		1156	20571.58	351629	1365	17880.01	258749	1762	19531.78	243387	736	14527.40	140266

अनुबंध 8ख

एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थानों/ सीआरसी/ एलिम्को/ राज्य निगमों/ डीडीआरसी/ एनजीओ/डीडीआरसी आदि) को जारी की गई निधियां

क्र. सं.	संगठन का नाम	शिविर गतिविधि	मुख्यालय गतिविधि	एडिप–एसएसए	कोकलियर इंप्लांट	मीडिया और प्रचार/अन्य	कुल	शिविर गतिविधियों के लिए जिन राज्यो को निधियां जारी की गयी
1.	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम **(एलिम्को)**, कानपुर, उत्तर प्रदेश	5500.00	875.00	2351.00	1380.00		10106.00	पेन इंडिया
		112.50		112.50			225.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र
2.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकन्दराबाद	438.49	74.77				513.26	पेन इंडिया
		123.75					123.75	पूर्वोत्तर क्षेत्र
3.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई, के.सी. मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा, मुंबई–400050	149.81	216.67		525.00		891.48	पेन इंडिया
		45.19					45.19	पूर्वोत्तर क्षेत्र
4.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा	225.00	300.00				525.00	पेन इंडिया
5.	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	229.00	168.75				397.75	पेन इंडिया
		56.25					56.25	पूर्वोत्तर क्षेत्र
6.	**राश्ट्रीय** बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण **संस्थान**	328.00	65.00				393.00	पेन इंडिया
7.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), अहमदाबाद	45.00	11.25				56.25	गुजरात
8.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), नागपुर, महाराष्ट्र	33.00	13.00				46.00	महाराष्ट्र
9.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), भोपाल, मध्य प्रदेश	24.35	26.60				50.95	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश
10.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	17.50	7.50				25.00	छत्तीसगढ
11.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), दावणगेरे, कर्नाटक	67.50	30.00				97.50	कर्नाटक
12.	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर, 483, सेक्टर **4**, हिरण, मगरी उदयपुर, राजस्थान	160.00	600.00				760.00	राजस्थान
13.	महात्मा गांधी सेवा संघ, प्रभावनी, महाराष्ट्र	30.00	41.25				71.25	महाराष्ट्र
14.	भगवान महावीर सहायता समिति, जयपुर, राजस्थान		150.00				150.00	
15.	डीएवीपी ने इमपैनल्ड क्रिएटिव डिजाइन एजेंसीज को सूचीबद्ध किया					1.23	1.23	पेन इंडिया
16	सी–डैक, नोएडा, उत्तर प्रदेश					32.16	32.16	अर्जुन–एडीआईपी–एमआईएस पोर्टल का विकास।
	कुल	**7585.34**	**2579.79**	**2463.50**	**1905.00**	**33.39**	**14567.02**	

अनुबंध 8ग

एडिप योजना के अतर्गत माननीय सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022–23 (31–12–2022 तक) के दौरान मांग पर आयोजित विशेष शिविरों का ब्यौरा।

क्र.सं	जिला / राज्य	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	वितरण की तिथि
1	काकचिंग, मणिपुर	144	16.01	07.01.2022
2	गोपालगंज, बिहार	2562	212.9	08.01.2022 से 13.01.2022 तक
3	पन्ना, मध्य प्रदेश	876	114.35	17.01.2022 से 22.01.2022 तक
4	पोलाची (कोयम्बटूर), तमिलनाडु	798	69.91	24.01.2022
5	चिरांग, असम	652	61.62	08.02.2022
6	सोनीपत, हरियाणा	336	56.52	11.02.2022
7	तेओसा विधान सभा, अमरावती, महाराष्ट्र	1096	113.98	13.02.2022
8	छतरपुर, मध्य प्रदेश	1391	186	13.02.2022
9	निवारी, मध्य प्रदेश	394	37.27	15.02.2022
10	कोटा और बूंदी, राजस्थान	1750	278.45	13.02.2022 और 15.02.2022
1 1	बेंगलुरु, कर्नाटक	329	27.97	27.02.2022
12	सतना, मध्य प्रदेश	712	97.25	07.03.2022
13	भिवंडी, महाराष्ट्र	273	34.01	09.03.2022
14	अमरपाटन, रामनगर और शहरी क्षेत्र अमरपाटन, मध्य प्रदेश	346	71.29	13.03.2022
15	तेओसा, अमरावती, महाराष्ट्र	1096	113.98	13.02.2022 और 14.03.2022
16	कठुआ, जम्मू और कश्मीर	647	62.36	15.03.2022 से 27.03.2022
17	पानीपत, हरियाणा	268	21.3	22.03.2022

अनुबंध 8ग

क्र.सं	जिला / राज्य	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	वितरण की तिथि
18	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	1209	91.82	06.04.2022
19	तरन तारन, पंजाब	833	193.39	6, 7 और 9.04.2022
20	सांवेर, मध्य प्रदेश	203	15.49	07.04.2022
21	चिकमंगलूर, कर्नाटक	360	29.2	10.04.2022
22	सागर, मध्य प्रदेश	175	18.01	28.04.2022
23	**13**– राणाघाट (एससी)– नादिया, पश्चिम बंगाल	1130	78.9	07.05.2022
24	बारपेटा, असम	2375	143.01	08.05.2022
25	जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	620	51.82	21.05.2022 से 24.05.2022 तक
26	कुरनूल, आंध्र प्रदेश	990	82.11	24.05.2022
27	रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड	167	12	26.05.2022
28	खगड़िया, बिहार	365	46.81	02.06.2022
29	दापोली (रत्नागिरी), महाराष्ट्र	2420	145.01	04.06.2022
30	कोट्टायम, केरल	1258	94.69	06.06.2022 से 15.06.2022 तक
31	नवादा, बिहार	748	65.04	08.06.2022
32	तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु	2052	188.84	09.06.2022
33	कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	409	46.41	14.06.2022 से 16.06.2022 तक
34	खूंटी, झारखंड	841	78.87	27.06.2022 से 30.06.2022 तक
35	सिकंदराबाद, तेलंगाना	850	157.84	28.06.2022
36	लखनऊ और सीतापुर, उत्तर प्रदेश	317	31.99	28.06.2022 से 29.06.2022 तक
37	करूर, तमिलनाडु	1606	132.17	01.07.2022
38	जिंतूर, परभणी, महाराष्ट्र	727	63.22	02.07.2022

अनुबंध 8ग

क्र.सं	जिला / राज्य	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	वितरण की तिथि
39	पलामू, झारखंड	1014	122.01	08.07.2022 से 14.07.2022 तक
40	कन्नौज, उत्तर प्रदेश	1539	348.1	12.07.2022 से 14.07.2022 तक
41	औरैया, उत्तर प्रदेश	769	77.89	21.07.2022 से 23.07.2022 तक
42	राजौरी, जम्मू और कश्मीर	529	41.77	01.08.2022 से 09.08.2022 तक
43	इग्नू कैंपस, दिल्ली	30	6.26	08.08.2022
44	बक्सर, बिहार	128	49.72	14.08.2022
45	ओंगोल (प्रकाशम), आंध्र प्रदेश	1401	288.56	13.09.2022
46	अंडमान और निकोबार	154	6.57	17.09.2022
47	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	200	46.5	17.09.2022
48	नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	287	26.81	17.09.2022
49	गुवाहाटी, असम	307	20.44	17.09.2022
50	दक्षिण सलमारा, असम	856	53.45	17.09.2022
51	बरौनी, बिहार	629	65.61	17.09.2022
52	पटना, बिहार	153	13.35	17.09.2022
53	औरंगाबाद, बिहार	182	17.77	17.09.2022
54	राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	302	27.99	17.09.2022
55	उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली	780	100.14	17.09.2022
56	नई दिल्ली, दिल्ली	194	18.4	17.09.2022
57	सेन्ट्रल दिल्ली, दिल्ली	279	41.56	17.09.2022
58	कच्छ, गुजरात	359	33.26	17.09.2022
59	पाटन, गुजरात	187	26.83	17.09.2022
60	गांधीनगर, गुजरात	110	13.2	17.09.2022
61	अहमदाबाद, गुजरात	245	10.7	17.09.2022
62	पलवल, हरियाणा	1067	160.61	17.09.2022
63	महेंद्रगढ़ हरियाणा	1058	98	17.09.2022

अनुबंध 8ग

क्र.सं	जिला / राज्य	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	वितरण की तिथि
64	धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश	219	50.58	17.09.2022
65	पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	164	13	17.09.2022
66	सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश	255	9.45	17.09.2022
67	शिमोगा, कर्नाटक	1020	82.49	17.09.2022
68	बैंगलोर, कर्नाटक	225	19.71	17.09.2022
69	दावणगेरे, कर्नाटक	257	21.2	17.09.2022
70	आरसी बीदर, कर्नाटक	465	29.32	17.09.2022
71	कोझिकोड, केरल	208	10.75	17.09.2022
72	रांची, झारखंड	196	14.43	17.09.2022
73	बोकारो, झारखंड	184	14.49	17.09.2022
74	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	294	13.06	17.09.2022
75	जबलपुर, मध्य प्रदेश	834	43.77	17.09.2022
76	उज्जैन, मध्य प्रदेश	206	52.89	17.09.2022
77	रतलाम, मध्य प्रदेश	618	57.01	17.09.2022
78	बालाघाट, मध्य प्रदेश	130	6.5	17.09.2022
79	दमोह, मध्य प्रदेश	142	7.6	17.09.2022
80	भोपाल, मध्य प्रदेश	188	19.56	17.09.2022
81	इंफाल, मणिपुर	276	23.16	17.09.2022
82	मुंबई, महाराष्ट्र	462	36.99	17.09.2022
83	मुंबई, महाराष्ट्र	126	15.12	17.09.2022
84	नागपुर, महाराष्ट्र	4209	340.78	17.09.2022
85	खेलरियाहाट, मेघालय	145	8.51	17.09.2022
86	शिलांग, मेघालय	158	10.42	17.09.2022
87	मोकोकचुंग, नागालैंड	92	6.5	17.09.2022
88	भुवनेश्वर, ओडिशा	323	52.75	17.09.2022

अनुबंध 8ग

क्र.सं	जिला / राज्य	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	वितरण की तिथि
89	कटक, ओडिशा	284	27.2	17.09.2022
90	नुआपाड़ा, ओडिशा	10	0.58	17.09.2022
91	बलांगीर, ओडिशा	114	7.51	17.09.2022
92	जनला, ओडिशा	84	4.47	17.09.2022
93	केंद्रपाड़ा, ओडिशा	226	19.56	17.09.2022
94	मोगा, पंजाब	1015	164.23	17.09.2022
95	मोहाली, पंजाब	235	36	17.09.2022
96	भीलवाड़ा, राजस्थान	301	27	17.09.2022
97	श्री गंगानगर, राजस्थान	142	13.3	17.09.2022
98	सिक्किम	50	2.1	17.09.2022
99	चेन्नई, तमिलनाडु	557	29	17.09.2022
100	पूर्वी गोदावरी, तेलंगाना	466	48.98	17.09.2022
101	सिकंदराबाद, तेलंगाना	489	41.74	17.09.2022
102	सिकंदराबाद, तेलंगाना	220	12.93	17.09.2022
103	दक्षिण त्रिपुरा, त्रिपुरा	1585	139.24	17.09.2022
104	अगरतला, त्रिपुरा	112	7.1	17.09.2022
105	जालौन, उत्तर प्रदेश	1155	162.75	17.09.2022
106	गोंडा, उत्तर प्रदेश	1038	158.93	17.09.2022
107	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	60	25.2	17.09.2022
108	कानपुर, उत्तर प्रदेश	219	15.92	17.09.2022
109	नोएडा, उत्तर प्रदेश	520	35.61	17.09.2022
110	अयोध्या, उत्तर प्रदेश	410	48.57	17.09.2022
111	मथुरा, उत्तर प्रदेश	159	16.67	17.09.2022
112	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	238	16.9	17.09.2022
113	देहरादून, उत्तराखंड	269	18.86	17.09.2022
114	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	927	61.86	17.09.2022

अनुबंध 8ग

क्र.सं	जिला / राज्य	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	वितरण की तिथि
115	(नार्थ 24 परगना) हारोआ, पश्चिम बंगाल	120	11.28	17.09.2022
116	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	1066	87.01	24.09.2022
117	बहरामपुर, पश्चिम बंगाल	174	13.28	27.09.2022
118	गुड़गांव (गुरुग्राम), हरियाणा	120	15.73	01.10.2022
119	डिंडोरी, मध्य प्रदेश	160	19.64	09.10.2022
120	कैथल, हरियाणा	556	58.81	12.10.2022
121	अलवर, राजस्थान	1572	212.31	16.10.2022 से 21.10.2022 तक
122	बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	52	4.46	20.10.2022
123	एर्नाकुलम, केरल	437	33.14	22.10.2022
124	गुड़गांव (गुरुग्राम), हरियाणा	120	15.73	01.10.2022
125	डिंडोरी, मध्य प्रदेश	160	19.64	09.10.2022
126	कैथल, हरियाणा	556	58.81	12.10.2022
127	अलवर, राजस्थान	1572	212.31	16.10.2022 से 21.10.2022 तक
128	बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	52	4.46	20.10.2022
129	एर्नाकुलम, केरल	437	33.14	22.10.2022
130	बालासोर, ओडिशा	1972	181.1	02.12.2022
131	अशोक नगर, मध्य प्रदेश	646	63.4	03.12.2022
132	खंडवा, मध्य प्रदेश	484	60.23	03.12.2022
133	केंद्रपाड़ा, ओडिशा	1365	120.5	03.12.2022
134	महुआना, गिद्दरबाहा, मुक्तसर साहिब, पंजाब	219	25.41	03.12.2022
135	बहराइच, उत्तर प्रदेश	410	50.56	03.12.2022
136	बडगाम, जम्मू और कश्मीर	525	52.49	05.12.2022 से 06.12.2022 तक

अनुबंध 8ग

क्र.सं	जिला / राज्य	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रु. लाख में)	वितरण की तिथि
137	मलेरकोटला, पंजाब	158	17.74	10.12.2022
138	कोसली (रेवाड़ी), हरियाणा	155	29.04	14.12.2022
139	कुपवाड़ा, जम्मू और कश्मीर	464	49.36	19.12.2022 से 22.12.2022 तक
140	उधमपुर	241	14.81	23.12.2022 से 28.12.2022 तक
141	दम दम, **24** परगना (नार्थ), पश्चिम बंगाल	354	30.26	30.12.2022
	कुल	**82512**	**8654.21**	

अनुबंध 8घ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अनुबंध 8घ

एडिप योजना के तहत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31–12–2022 तक) के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एनजीओ/वीओ/राज्य निगमों/डीडीआरसी आदि को जारी सहायता अनुदान।

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	2019–20 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	2020–21 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	2021–22 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	जारी की गई निधियां 2022–23 (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	उमा एजुकेशन एंड टेक्निकल सोसाइटी काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला द्वारा संचालित जिला डीडीआरसीओ काकीनाडा–533001 दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी),	10.50	11.00	0	0
		गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट, मंगलपलेम, कोथावलसा मंडल, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	0	10.00	0	0
		गुड वॉक ऑर्थोटिक्स एसोसिएशन, 74–74–6ए हेमलता नगर कल्लूर (एम) कुरनूल (जिला) पिन कोड 518003 आंध्र प्रदेश	0	4.00	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	रामकृष्ण मिशन अस्पताल, पी.ओ. आर. के. मिशन, ईटानगर–791113, अरुणाचल प्रदेश	0	27.95	0	0
3	दिल्ली	अमर ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट, नंबर 192, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली	0	20.0	0	0
4	दादरा और नगर हवेली	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस हाउस, सिलवासा 0396 230., सिलवासा, दादरा और नगर हवेली	0	0	12.62	0
5	गुजरात	ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, डॉ. विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रापुर, अहमदाबाद।	0	32.25	0	0
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), सीएसएस विभाग, एसएसजी अस्पताल, वडोदरा।	15.00	0	0	0
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), ओ ब्लॉक, सिविल अस्पताल, सिविल अस्पताल परिसर, असरवा, अहमदाबाद, गुजरात	10.00	0	0	0

अनुबंध 8घ

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	2019–20 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	2020–21 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	2021–22 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	जारी की गई निधियां 2022–23 (लाख रु. में)
		जयश्री मारुति नंदन किसान विकास शिक्षा ट्रस्ट, सुखसार, स्वामी विवेकानंद सोसाइटी, आश्रम के पास, ओपी. यूनाइटेड मोटर्स, गरबाड़ा रोड, दाहोद।	0	25.00	11.25	0
		श्री ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड, नियर, एसटी, स्टैंड, पाटन।	0	45.00	0	0
		आशीर्वाद ट्रस्ट फॉर डिसेबल, सायला, पुलिस स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, सायला, जिला– सुरेंद्रनगर, गुजरात	0	7.50	0	0
		डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, श्री साईं समर्थ रेजीडेंसी के पास, बी/एच सरदयातन स्कूल, अपोजिट. लेकव्यू गार्डन, उमरा, सूरत।	0	7.50	0	0
		आई श्री खोडियार एजुकेशन सेवा ट्रस्ट, एट पल्ला कोठंबता लुनवादादिस्ट महिसागर, पिन – 389220	0	5.00	0	0
		जीवनदीप हेल्थ एजुकेशन एंड चौरिटेबल ट्रस्ट, कोडिनार, 2/12, बाईपास ताल के पास राजनगर सोसाइटी, कोडीनार, गिर सोमनाथ	0	10.00	0	0
6	हरियाणा	आरोहण वेलफेयर सोसायटी, 132, प्रोफेसर कॉलोनी, यमुना नगर। पिन कोड 135001 हरियाणा।	0	8.99	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कुल्लू।	0	0	6.04	0
8	कर्नाटक	ऑल इंडिया जैन यूथ फेडरेशन (आर), महावीर अंग केंद्र, किम्स परिसर विद्यानगर धारवाड़ हुबली कर्नाटक।	0	11.00	0	0
9	केरल	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग, (एनआईएसएच), करीमनल, त्रिवेंद्रम।	0	15.00	0	0
10	मध्य प्रदेश	दीन दयाल अंत्योदय मिशन फॉर डीडीआरसी बालाघाट, बालाघाट, जिला निशक्त पुनर्वास केंद्र, जिला पंचायत परिसर, बालाघाट।	0	0	7.50	0
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), मंदसौर, जिला अस्पताल परिसर गांधी चौराहा,	0	0	0	0

अनुबंध 8घ

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	2019–20 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	2020–21 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	2021–22 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	जारी की गई निधियां 2022–23 (लाख रु. में)
		मंदसौर।				
		जिला निशक्त कल्याण एवं विकास समिति, मुरैना।	0	0	0	0
		श्री गौरी शंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति, भिण्ड।	0	0	0	0
		इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रीवा, मध्य प्रदेश	0	0	7.50	0
		इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, दमोह, मध्य प्रदेश	0	0	7.50	0
11	महाराष्ट्र	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, क्र.सं. 51/2, एसआरपी गेट नंबर 2 के पास, विकास नगर, वानावाड़ी गांव, पुणे।	0	11.25	0	0
		महात्मा गांधी सेवा संघ, निकट सरकारी लाइब्रेरी समर्थ नगर औरंगाबाद।	0	67.50	0	71.25
		श्री महिला बाल कल्याण और अपंग पुनर्वासन विकास, मांडले धुले, महाराष्ट्र	20.00	0	0	0
		पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, सरकारी मिल्क डेयरी एमआईडीसी के सामने वडगांव गुप्ता रोड, विलाद घाट, अहमदनगर –414111	0.00	10.00	0	0
		अपंग जीवन विकास संस्था, भूमिपुत्र कूनी, कांग्रेस नगर, अमरावती।	0	0	7.50	0
12	ओडिशा	सीआरएसआर भद्रक (पुनर्वास सेवा और अनुसंधान केंद्र, पथरादी पीओ चरमपा जिला भद्रक।	45.00	0	34.50	0
		क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, आरआरआरसी, आरजीएच पानपोश रोड के पास, राउरकेला, ओडिशा	0	40.00	0	0
13	पंजाब	भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट, पीओ – दिव्यांग सहायता केंद्र, सीओ ब्लॉक, ऋषि नगर, लुधियाना।	0	50.00	0	0
		गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना	0	7.50	0	0

अनुबंध 8घ

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम	2019–20 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	2020–21 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	2021–22 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	जारी की गई निधियां 2022–23 (लाख रु. में)
		इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फरीदकोट, शाखा रेड क्रॉस भवन सादिक चौक फरीदकोट 151203 पंजाब।	0	15.00	0	0
		डीडीआरसी बठिंडा, 100 फीट मेन रोड, गुरु नानक स्कूल के पास, शांत नगर, बठिंडा।	0	0	11.25	0
14	राजस्थान	नारायण सेवा संस्थान, सेवाधाम, 483, हिरण मगरी, सेक्टर–4, उदयपुर।	450.00	495.00	495.00	760.00
		ज्ञानाराम झम्मनलाल, जयपुर, 67/56ए मंदरा बस स्टैंड के पास, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राजस्थान।	0	7.5	0	0
		माँ गीता देवी सेवा संस्थान खेरली, पावर हाउस के पीछे, बाई पास रोड, वार्ड नंबर 18, खेरली – 321606	0	3.66	0	0
		आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान, करिगल मोहल्ला, वार्ड नंबर 4, टोंक, राजस्थान।	0	10.00	0	0
		तंवर शिक्षण संस्थान, प्लॉट नंबर 11 खसरा नंबर 18 रमजान जी का हट्टा बनार रोड पिन कोड–34215	0	5.00	0	0
15	सिक्किम	डीडीआरसी गंगटोक, एमजी मार्ग एसटीएनएम अस्पताल पूर्वी गंगटोक।	11.25	0	0	0
16	त्रिपुरा	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), उत्तरी त्रिपुरा	0	0	48.08	0
17	उत्तराखंड	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, टिहरी गढ़वाल, ग्राम एवं पोस्ट रानीचौरी टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	0	10.00	0	0
18	पश्चिम बंगाल	बिकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1ख, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता।	0	9.73	0	0
	कुल		561.75	982.33	648.74	831.25

अनुबंध 9

सिपडा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए संस्थानों/संगठनों/राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को जारी सहायता अनुदान बाधा मुक्त वातावरण, सुगम्य भारत अभियान, समेकित पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी), के लिए सहायता जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) पीडब्ल्यूडी के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और पीडब्ल्यूडी की पहचान और सर्वेक्षण/सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) आईडी

क. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत बाधा मुक्त वातावरण के लिए संस्थाओं/संगठनों को जारी सहायता अनुदान

क.सं.	विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों/एनजीओ के नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि (लाख रुपये में)
1	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, (एनएफडीसी), नई दिल्ली	बच्चों, देखभाल करने वाली महिलाओं और वृद्ध लोगों के लिए कोविड–19 महामारी से संबंधित सलाह/सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस पर 05 मिनट की अवधि (प्रत्येक) पर 04 ऐड ऑन लघु फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए पहली किस्त	9.91
		बच्चों, देखभाल करने वाली महिलाओं और वृद्ध लोगों के लिए कोविड –19 महामारी से संबंधित सलाह/सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस पर 05 मिनट की अवधि (प्रत्येक) पर 04 ऐड ऑन प्रोडक्शन के लिए दूसरी किस्त	9.91
2	मैसर्स फ्यूजन एडवरटाइजिंग सर्विस, दिल्ली	गुजरात, गांधी नगर में डिजिटल इंडिया वीक के लिए बैनर का क्रियेटिव डिजाइन एंड आर्ट वर्क	0.99
3	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना	सीआरसी, श्रीनगर के मुख्य भवन परिसर में बाधामुक्त रैंप सुविधा का विकास	13.29
4	महाराष्ट्र सरकार	नागपुर, महाराष्ट्र में अनुभूति इनक्लुसिव पार्क का विकास	503.93
5	पंजाब सरकार	शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब में राज्य सरकार के 15 भवनों में बाधामुक्त वातावरण का सृजन	279.46
		कुल	817.49

ख. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत सुगम्य भारत अभियान के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान			
क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित (एनआईसीएसआई), नई दिल्ली	06 महीनों के लिए एआईसी परियोजना की पीएमओ इकाई के लिए एनआईसीएसआई को परामर्श शुल्क का भुगतान (01.01.2022 से 30.06.2022)	27.29
2	आर्किटेक्ट कविता मुरुगकर, पुणे, महाराष्ट्र	रांची के 49 भवनों और कोलकाता के 37 भवनों की चालन अभिगम लेखा परीक्षा संचालन की प्रतिपूर्ति	8.77
3	जियोस्टेट इंफॉर्मेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	सुगम्य भारत ऐप का संचालन और प्रबंधन (19.01.2022 से 18.04.2022 तक की 5वीं तिमाही)	2.52
		एआईसी के तहत सुगम्य भारत ऐप के संचालन और प्रबंधन के लिए 02 सदस्य के लिए भुगतान (19.04.2022 से 18.07.2022 तक)	2.57
		कुल	41.15

घ. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत पीडब्ल्यूडी के लिए कौशल विकास के राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान			
क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
	दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली	2042 प्रशिक्षुओं के संबंध में मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान	20.42
		05 ईटीपी द्वारा प्रशिक्षित 1611 पीडब्ल्यूडी के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए शुल्क	16.11
		ईटीपी द्वारा प्रशिक्षित 1971 पीडब्ल्यूडी के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए शुल्क	19.71
	नवज्योति ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा	पीडब्ल्यूडी के लिए दूसरी किस्त	39.05
		डीबीटी मोड के माध्यम से 41 पीडब्ल्यूडी के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	1.64
		डीबीटी मोड के माध्यम से 170 पीडब्ल्यूडी के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	1.86
	भगिनी निवेदिता शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश	डीबीटी मोड के माध्यम से 279 पीडब्ल्यूडी के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	13.95
		डीबीटी मोड के माध्यम से 155 पीडब्ल्यूडी के लिए वाहन लागत	4.06
	एनएचएफडीसी, नई दिल्ली'	एनएपी के तहत दिव्यांगजनों का कौशल प्रशिक्षण	177.85

अनुबंध 9

ख. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत सुगम्य भारत अभियान के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान			
क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
		पीडब्ल्यूडी को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त	205.90
	सनसाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	डीबीटी मोड के माध्यम से 84 पीडब्ल्यूडी को भुगतान	3.36
	दिव्य ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, मैसूर, कर्नाटक	डीबीटी मोड के माध्यम से 09 पीडब्ल्यूडी के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	0.36
	कन्नियप्पा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु	डीबीटी मोड के माध्यम से (148 पीडब्ल्यूडी) और वाहन लागत (145 पीडब्ल्यूडी) के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	11.04
	नेशनल बंजारा एजुकेशन सोसाइटी, कर्नाटक	डीबीटी मोड के माध्यम से 69 पीडब्ल्यूडी के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र सहायता	2.76
	प्रोवाइडर्स स्किल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु	डीबीटी मोड के माध्यम से 27 पीडब्ल्यूडी के लिए पोस्ट प्लेसमेंट सहायता लागत	1.62
	ओस्टार्ड, ओडिशा	डीबीटी मोड के माध्यम से 59 पीडब्ल्यूडी के लिए व्यक्तिगत सहायक यंत्र	2.36
	एक परामर्शदाता के लिए परामर्श शुल्क	अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022	3.48
		कुल	525.53

* एनएचएफडीसी एनएपी के तहत एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है। निधियों का विवरण तालिका घ1 में दर्शाया गया है।

घ1- 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत पीडब्ल्यूडी के लिए कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान			
क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1	सनसाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी,	पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त	6.95
2	नवज्योति ग्लोबल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त	4.14
3	ओस्टार्ड	पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त	8.34
4	हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (एचएलएफपीपीटी)	पीडब्ल्यूडी को दूसरी किस्त	134.93
5	कन्नियप्पा शिक्षा पहली परियोजना	पीडब्ल्यूडी को तीसरी किस्त (भाग)	6.65
6	राष्ट्रीय बंजारा	पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त	1.43
7	प्रदाता कौशल	पीडब्ल्यूडी को तीसरी किस्त	3.82

अनुबंध 9

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
8	दिव्यांग कौशल विकास केन्द्र	पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त	10.1
9	एनआईईपीएमडी	पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त	1.49
10	सत्यम शिवम बिल्डविजन प्राइवेट लिमिटेड", राजस्थान	पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त	105.97
11	नवज्योति ग्लोबल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त	12.43
12	एफआईसीएसआई	पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त	46.95
13	कन्नियप्पा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट	पीडब्ल्यूडी को तीसरी किस्त (भाग)	27.83
14	ग्राम भारती महिला मंडल	पीडब्ल्यूडी को तीसरी किस्त	10.95
15	निम्तोरी तामलुक उन्नयन समिति	पीडब्ल्यूडी को तीसरी किस्त	1.63
16	केंडुडीही विकास सोसाइटी	पीडब्ल्यूडी को तीसरी किस्त	0.13
		कुल	383.74

अनुबंध 9

ड. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
	मेसर्स वर्सेटाइल कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु	यूडीआईडी कार्ड के लिए कोडित क्यूआर का मुद्रण और प्रेषण	11.47
		क्यूआर कोडित यूडीआईडी कार्ड के मुद्रण और प्रेषण के लिए	17.02
		यूडीआईडी कार्ड के लिए कोडित क्यूआर का मुद्रण और प्रेषण	12.51
		यूडीआईडी कार्ड के लिए कोडित क्यूआर का मुद्रण और प्रेषण	15.37
	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना	मेसर्स वर्सेटाइल कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु को प्रतिपूर्ति	16.99
		यूडीआईडी परियोजना (बिहार और हिमाचल प्रदेश) के तहत तैनात 02 समन्वयकों को पारिश्रमिक	3.43
		यूडीआईडी कार्डों की छपाई और प्रेषण के लिए मैसर्स वर्सटाइल कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु को प्रतिपूर्ति	8.54
		नागालैंड में यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात एक समन्वयक का पारिश्रमिक	0.65
		एनआईसीएसआई, नई दिल्ली को swavlambancard.gov.in पर वेबसाइट के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को बल्कस एसएमएस का भुगतान	4.39
		यूडीआईडी परियोजना के मुद्रण और प्रेषण की प्रतिपूर्ति	8.11
		यूडीआईडी परियोजना के मुद्रण और प्रेषण की प्रतिपूर्ति	12.03
		यूडीआईडी परियोजना के मुद्रण और प्रेषण की प्रतिपूर्ति	5.79
	सिपडा त्रिपुरा	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा संरचना	8.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में 06 महीने (यानी 18.04.2022 से 17.10.2022) के लिए पारिश्रमिक	3.00
		08 जिलों में विशिष्ट दिव्यांमगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) का घर–घर प्रचार करना	4.22

अनुबंध 9

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
	यूडीआईडी अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार	03 जिलों में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) का घर–घर प्रचार करना	2.04
		यूडीआईडी परियोजना के लिए राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक	3.00
	वेतन लेखा अधिकारी, एजी यूटी चंडीगढ	यूडीआईडी परियोजना के राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
	सिपडा, मणिपुर		
	सिपडा, मणिपुर	यूडीआईडी परियोजना का आउटडोर प्रचार	12.00
		मणिपुर में यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात एक समन्वयक का पारिश्रमिक	3.00
	समाज कल्याण निदेशक, मणिपुर	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में 06 महीनों के लिए पारिश्रमिक (यानी 25.04.2022 से 24.10.2022)	3.00
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय मामला, अरुणाचल प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में 06 महीनों के लिए पारिश्रमिक (यानी 01.04.2022 से 30.09.2022)	3.00
	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, मिजोरम	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में 06 महीनों के लिए पारिश्रमिक (यानी 01.04.2022 से 30.09.2022)	3.00
	केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन, केरल	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में 06 महीनों के लिए पारिश्रमिक (यानी 01.04.2022 से 30.09.2022)	3.00
	दिव्यांग ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निदेशक, आंध्र प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में 06 महीनों के लिए पारिश्रमिक (यानी 01.04.2022 से 30.09.2022)	2.00
	राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में 06 महीनों के लिए पारिश्रमिक (01.04.2022 से 30.09.2022)	3.00
	निदेशक समाज कल्याण, उत्तराखंड	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में 06 महीनों के लिए पारिश्रमिक (यानी 01.04.2022 से 30.09.2022)	3.00
	नियामक समाज सुरक्षा यूडीआईडी, गुजरात	यूडीआईडी परियोजना के लिए समन्वयक के संबंध में 06 महीनों के लिए पारिश्रमिक (यानी 01.04.2022 से 30.09.2022)	3.00
	निदेशक, समाज कल्याण, असम	यूडीआईडी परियोजना के लिए राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक 24.01.2022 से 23.07.2022 तक	3.00
	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी), सिक्किम	यूडीआईडी परियोजना के लिए राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक	3.00
	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	यूडीआईडी परियोजना के यूडीआईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वार्षिक रखरखाव के लिए एनआईसीएसआई को 06 महीने (08.02.2022 से 07.08.2022) के लिए भुगतान	14.38
	विशिष्ट दिव्यांगता कार्ड परियोजना, उत्तर	उत्तर प्रदेश में यूडीआईडी परियोजना के तहत तैनात एक	2.43

अनुबंध 9

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
	प्रदेश	समन्वयक का पारिश्रमिक	
	दिव्यांजन कल्याण आयुक्त, तमिलनाडु	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक का पारिश्रमिक	2.76
	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी), नई दिल्ली	ऑडियो / विजुअल प्रचार की 02 मिनट की अवधि के साथ यूडीआईडी पर एक लघु फिल्म का निर्माण	7.08
		कुल	210.21

च. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत जागरूकता सृजन और प्रचार के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1	एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई, महाराष्ट्र	04–05 मार्च, 2022 को केवडिया, गुजरात में 02 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन	4.82
2	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना	इंदौर, मध्य प्रदेश में 15–16 सितंबर, 2022 को 02 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन	29.22
		दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सामाजिक और स्वास्थ्य विकास संगठन मणिपुर को पहली किस्त	0.55
		पायनियर डेवलपमेंट एसोसिएशन, मणिपुर को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहली किस्त	0.19
		इंडिया गेट पर दिव्य कला मेले के आयोजन के लिए एनएचएफडीसी को पहली किस्त 2–7 दिसंबर, 2022 तक	132.05
		एसवीएनआईआरटीएआर, ओडिशा द्वारा गुवाहाटी में 'दिव्य कला शक्ति' का आयोजन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम	19.26
		पीडीयूएनआईपीपीडी, दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में 'दिव्य कला शक्ति' एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन	20.77
		एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा 15–16 सितंबर, 2022 को इंदौर में 02 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए दूसरी किस्त	4.64
		कुल	211.50

छ. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों /कॉलेजों / गैर सरकारी (एनजीओ) संगठनों के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी),	सिकंदराबाद, तेलंगाना इंटेलिजेंस के भारतीय परीक्षण का विकास	8.00
		कुल	8.00

ज. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजा / गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीएनआईआरटीएआर),	अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि के लिए सीडीईआईसी में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक	6.45
2	कटक, ओडिशा	अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि के लिए सीडीईआईसी में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक	12.39
3	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी),	अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 तक की अवधि के लिए सीडीईआईसी में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक	25.98
		सीडीईआईसी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक	50.53
4	सिकंदराबाद, तेलंगाना	अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 तक की अवधि के सीडीईआईसी में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक	16.08
		कुल	111.43

अनुबंध 9

झ. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत ब्रेल प्रेस के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजा / गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना	14 एजेंसियों को ब्रेल पृष्ठों की छपाई के लिए	194.13
		कुल	194.13

ञ. 2022–23 के दौरान सिपडा योजना के तहत सीपीएमयू सह डीएसयू के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र. सं.	विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजा / गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम	लक्ष्य	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1	चौदह परामर्शदाताओं के लिए परामर्श शुल्क	अक्टूबर, 2022 और नवंबर, 2022	20.30
		कुल	20.30

दिनांक 10–01–2023 की स्थिति के अनुसार यूडीआईडी परियोजना की स्थिति					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीसीपीडी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की	जिलों की कुल संख्या	यूडीआईडी कार्ड बनाने वाले जिलों की संख्या	सृजित ई–यूडीआईडी कार्डों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,604	3	3	5,304
2	आंध्र प्रदेश	11,81,097	13	13	11,18,863
3	अरुणाचल प्रदेश	2,907	25	25	2,947
4	असम	3,44,665	34	33	1,66,545
5	बिहार	14,87,357	38	38	3,87,784
6	चंडीगढ़	29,054	1	1	7,607
7	छत्तीसगढ़	2,84,464	28	28	2,23,163
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	6,069	3	3	3,122
9	दिल्ली	1,83,160	11	11	38,051
10	गोवा	19,202	2	2	7,393
11	गुजरात	5,51,000	33	33	3,38,036
12	हरियाणा	3,39,190	22	22	1,11,578
13	हिमाचल प्रदेश	95,630	12	12	76,234
14	जम्मू और कश्मीर	1,76,355	20	20	88,876
15	झारखंड	4,93,012	24	24	1,40,572
16	कर्नाटक	12,29,825	31	30	6,15,114
17	केरल	3,14,777	14	14	2,30,962

अनुबंध 10

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीसीपीडी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की	जिलों की कुल संख्या	यूडीआईडी कार्ड बनाने वाले जिलों की संख्या	सृजित ई–यूडीआईडी कार्डों की संख्या
18	लद्दाख	3,030	2	2	3,205
19	लक्षद्वीप	1,353	1	1	912
20	मध्यप्रदेश	6,60,313	52	52	7,61,194
21	महाराष्ट्र	17,79,545	36	36	8,61,375
22	मणिपुर	26,450	16	16	8,619
23	मेघालय	22,244	12	12	27,953
24	मिजोरम	12,409	11	11	4,016
25	नागालैंड	1,752	12	12	2,159
26	ओडिशा	8,44,250	30	30	5,68,210
27	पुदुचेरी	29,700	4	4	19,314
28	पंजाब	3,82,081	23	23	2,98,767
29	राजस्थान	5,66,157	33	33	4,79,124
30	सिक्किम	5,767	4	4	4,036
31	तमिलनाडु	11,79,303	38	38	6,19,775
32	तेलंगाना	7,92,345	33	33	4,76,152
33	त्रिपुरा	89,060	8	8	32,396
34	उत्तर प्रदेश	23,95,120	75	75	9,95,867
35	उत्तराखंड	1,28,947	13	13	77,678
36	पश्चिम बंगाल	17,63,711	23	1	9
कुल		**1,74,25,905**	**740**	716	88,02,912

अनुबंध 11

पिछले सात वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां और छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:–

राशि करोड़ रू. में

क्र.सं.	योजना		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (as on 31.12.22)
1	प्री–मैट्रिक	राशि	1.60	5.52	9.07	6.50	24.57	9.82	12.35	10.76
		लाभार्थी	2368	7927	12593	6767	22218	12488	12592	10812
2	पोस्ट–मैट्रिक	राशि	3.21	9.82	14.92	56.39	64.98	47.29	83.12	41.34
		लाभार्थी	3565	6281	7657	22953	19978	12573	28347	11921
3	उच्च श्रेणी शिक्षा	राशि	0.24	0.86	0.67	1.06	3.02	4.50	5.04	3.16
		लाभार्थी	14	42	37	78	239	453	519	280
4	नेशनल ओवरसीज	राशि	0	0.38	0.70	1.08	1.02	1.23	2.39	1.22
		लाभार्थी	0	2	1	2	0	2	4	2
5	राष्ट्रीय फैलोशिप	राशि	19.97	19.26	30.24	19.86	20.98	28.69	29.27	21.26
		लाभार्थी	527	589	666	566	537	551	669	537
6	निःशुल्क कोचिंग	राशि	0	0	0.87	1.38	0.00	0.23	0.00	0.00
		लाभार्थी	0	0	250	0	0	0	0	0

अनुबंध 12

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राष्ट्रीय निधि की अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर, नीचे दर्शाए गए प्रस्तावों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई है, जिसके लिए निधियां जारी की जाएंगी :–

क्र.सं.	संगठन / व्यक्ति का नाम	प्रयोजन	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत निधि (रुपये में)
क.	**प्रदर्शनी**		
1.	ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, नई दिल्ली	'बौद्धिक और विकास वाले व्यक्तियों की प्रतिभा और कार्यक्षेत्र' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी – पहली किस्त	20,00,000/-
2.	एनआईईपीएमडी, चेन्नई	एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की हस्तशिल्प और चित्रकला प्रदर्शनी – पहली किस्त	14,00,000/-
3.	नेशनल हैंडिकैप्ड फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी)	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला –2023 – पहली किस्त	20,00,000/-
4.	डेफ लीडर्स फाउंडेशन, कोयम्बटूर	राज्य स्तरीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी अर्थात् '7 वीं भारत बधिर (पीडब्ल्यूडी) प्रदर्शनी और महोत्सव, 2023' – पहली किस्त	10,00,000/-
5.	मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए आदर्श पुनर्वास केंद्र (एआरसीएनपीएचसी), भिवानी, हरियाणा	राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी – पहली किस्त	10,00,000/-
6.	असम ग्रामीण विकास केंद्र गुवाहाटी, असम	राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी – पहली किस्त	10,00,000/-
	कुल		84,00,000/-
ख.	**अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागीदारी**		
1	श्री चौहान मनहर नशीभाई, (75 प्रतिशत ओएच)	23 से 26 मार्च 2023 तक मेट्ज, फ्रांस में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए– पहली किस्त	1,30,000/-
2	श्री मोहम्मद शमीम आलम (48 प्रतिशत ओएच)		1,30,000/-
3	सुश्री भाग्यश्री मनोहर नदीमेटाला कन्नड़ (100 प्रतिशत एचआई)		1,30,000/-
4	श्री अविनाश केएस (90 प्रतिशत एचआई)		1,30,000/-
5	मोहम्मद काशिव अकबर खान (100 प्रतिशत एचआई)		1,30,000/-

क्र.सं.	संगठन/ व्यक्ति का नाम	प्रयोजन	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत निधि (रुपये में)
6	श्री पी. साईकृष्णन (80 प्रतिशत ओएच)		1,30,000/-
7	सुश्री प्रियंका दीपक दाबादे (80 प्रतिशत एचआई)		1,30,000/-
8	श्री ओमकार देवरुखर (100 प्रतिशत एचआई)		1,30,000/-
9	श्री चेतन चन्द्रकांत पशिलकर (100 प्रतिशत एचआई)		1,30,000/-
10	श्री फारूक वाहिदभाई शेख		1,30,000/-
11	श्री शुभंकर मजूमदार (40 प्रतिशत एलवी)		1,30,000/-
12	श्री रजनीश अग्रवाल (90 प्रतिशत ओएच)		1,30,000/-
	उपरोक्त 12 पीडब्ल्यूडी को सहायता प्रदान करने के लिए 4 एस्कॉर्ट्स	1,05,000 x 4	4,20,000/-
कुल			**19,80,000/-**
ग.	**उच्च समर्थन की आवश्यकता के लिए सहायता**		
1.	श्री वैभव भंडारी	स्वचालित व्हीलचेयर	72,000/-

अनुबंध 13क

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची (श्रेणी–वार):

I व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार–2021

संख्या	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार विजेताओं के नाम
1	**सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन** (किसी भी क्षेत्र या गतिविधि से संबंधित अर्थात शिक्षा/ स्वास्थ्य / रोजगार / कला और संस्कृति / खेल / रचनात्मक कार्य / दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण / सामाजिक सेवा / आदि – एक रोल मॉडल) – आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त वाले सभी दिव्यांगजनों के लिए खुला।	06 (पुरुष के लिए 03 और महिला के लिए 03) (रोजगार/स्व–रोजगार, स्वास्थ्य/खेल, कला, संस्कृति ड्राइंग, चित्रकला, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में))	**महिला** 1. श्रीमती मृदु राम गोयल 2. सुश्री विद्या वाई 3. सुश्री पूजा ओझा **पुरुष** 4. श्री अतुल जायसवाल 5. डॉ. वैभव भंडारी 6. श्री अशोक तुकाराम भोईर
2	**श्रेष्ठ दिव्यांगजन** क. गतिविषयक दिव्यांगता – (लोकोमोटर, मस्कुलर दिव्यांगता, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, कुष्ठ रोग उपचारित, सेरेब्रल पाल्सी)। ख. दृष्टि बाधित – (दृष्टिहीनता, कम दृष्टि) ग. श्रवण बाधिता – (बधिर, सुनने में कठिनाई, वाक् और भाषा दिव्यांगता) घ. बौद्धिक दिव्यांगता – (मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार) ड़. ऊपर दी गई क्र.सं. (क) से (घ) तक उल्लिखित दिव्यांगताओं को छोड़कर कोई भी अन्य निर्दिष्ट दिव्यांगता। (रक्त विकार, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग और बहु दिव्यांगता के कारण दिव्यांगता)। च. हालांकि, यदि इनमें से किसी एक या अधिक उप–श्रेणियों में उपयुक्त व्यक्ति (ओं) नहीं पाए जाते हैं, तो पुरस्कार अन्य उप–श्रेणियों में अतिरिक्त व्यक्तियों (ओं) को दिए जा सकते हैं। (रोजगार/स्व–रोजगार, स्वास्थ्य/खेल, कला, संस्कृति ड्राइंग, चित्रकला, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में))	10 (पांच श्रेणियों (क) से (ड़)) में से प्रत्येक में पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 1)।	1. श्रीमती कुमारी वैष्णवी 2. श्रीमती शेनबागवल्ली वलानूरा 3. सुश्री अंजलि 4. सुश्री इंदु उमा एलिलारस 5. श्रीमती विमल पोपट गव्हाणे 6. श्री सुब्बैया थिरुमलाई कुमार 7. श्री सोमपुरा हिमांशु जयंतीलाल 8. श्री मनोज श्रीधर पई 9. श्री प्रमोद धर दुबे 10. डॉ. शुभम रामनारायण धू

अनुबंध 13क

संख्या	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार विजेताओं के नाम
3	**श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका (18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चे)** (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की किसी भी श्रेणी से संबंधित)– (कला और संस्कृति ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य आदि के क्षेत्र में)	2 (पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 1) (18 वर्ष की आयु तक)	1. सुश्री फातिमा अंशी टी के 2. श्री विनायक बहादुर
4	दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति	1 पुरस्कार	श्री बुद्धदेव दास
5	दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर	1 पुरस्कार	डॉ. खेम आनंद भट्ट
6	दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास	1 पुरस्कार	श्री अंकित राजीव जिंदल

II) दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार विजेता का नाम और पता
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ)	1 व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरस्कार। 1 समावेशी शिक्षा के लिए पुरस्कार (समावेशी शिक्षा प्रदान करने या बढ़ावा देने वाले संस्थान)	**अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली**
2.	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन/पीएसई/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)	1 पुरस्कार	शून्य
3	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी– सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों को छोड़कर	1 पुरस्कार	शून्य
4	सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्व्यन/बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला	1 पुरस्कार	शून्य
5.	सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन / सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	1 पुरस्कार	**ई–समिति भारत का सर्वोच्च न्यायालय**
6.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य/ योजनाओं के कार्यान्वनयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला	1 पुरस्कार	**जिला परिषद अकोला, महाराष्ट्र।**
7.	दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम के अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दिव्यांगजन आयुक्त	1 पुरस्कार	शून्य
8	पुनर्वास सेवाओं के लिए पेशेवर तैयार करने वाला सर्वश्रेष्ठ संस्थान	1 पुरस्कार	**उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय**

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची (श्रेणी–वार)।

व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार–2022

सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की संख्या	
1	**सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन** (किसी भी क्षेत्र या गतिविधि से संबंधित अर्थात शिक्षा / स्वास्थ्य / रोजगार / कला और संस्कृति / खेल / रचनात्मक कार्य / दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण / सामाजिक सेवा /आदि – एक रोल मॉडल)– आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से किसी एक दिव्यांगता से ग्रस्त रखने वाले सभी दिव्यांगजनों के लिए खुला।	06 (पुरुष के लिए 03 और महिला के लिए 03)	**महिला** – (1) डॉ. पोट्टाबाथिनी पद्मावती, (2) डॉ. नीलिमा ढींगरा पासी (3) सुश्री एम पूंगुझाली **पुरुष** – (1) प्रो. सोमेश्वर सती (2) श्री अपूर्व कुलकर्णी (3) श्री जयसिंह कृष्णारो चव्हान
2	**श्रेष्ठ दिव्यांगजन** क. गतिविषयक दिव्यांगता – (लोकोमोटर, मस्कुलर दिव्यांगता, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, कुष्ठ रोग उपचारित, सेरेब्रल पाल्सी)। दृष्टि बाधिता – (कम दृष्टि) ख. श्रवण बाधिता – (बधिर, सुनने में कठिनाई, वाक् और भाषा दिव्यांगता) ग. बौद्धिक दिव्यांगता – (मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। घ. ऊपर दी गई क्र.सं. (क) से (घ) तक उल्लिखित दिव्यांगता को छोड़कर कोई अन्य निर्दिष्ट दिव्यांगता। (रक्त विकार, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग और बहु दिव्यांगता के कारण दिव्यांगता)। ड. हालांकि, यदि इनमें से किसी एक या अधिक उप–श्रेणियों में उपयुक्त व्यक्ति (ओं) नहीं पाए जाते हैं, तो पुरस्कार अन्य उप–श्रेणियों में अतिरिक्त व्यक्तियों (ओं) को दिए जा सकते हैं। (रोजगार / स्व–रोजगार, स्वास्थ्य / खेल, कला, संस्कृति ड्राइंग, चित्रकला, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में))	10 (पांच श्रेणियों (क) से (ड़)) में से प्रत्येक में पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 1)	1. सुश्री इंशाह बशीर 2. डॉ. सत्य नारायण मिश्रा 3. सुश्री शर्मिष्ठा अत्रेजा 4. श्री अभिषेक ठाकुर 5. श्रीमती तेमसुटोला जमीर 6. श्री बिजेंदर कहताना 7. सुश्री अपर्णा रॉय 8. श्री रघुनाथ सिंह कुटलेहरिया 9. सुश्री पूजा गुप्ता 10. श्री कृष्णकुमार एम पी
3	**श्रेष्ठ दिव्यांग बाल / बालिका (18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चे)** (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दिव्यीगताओं की किसी भी श्रेणी से संबंधित) – (कला और संस्कृति ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, या किसी अन्य	2 (पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 1) (18 वर्ष की आयु तक)	1. सुश्री श्रेया मिश्रा 2. मास्टर अवनीश तिवारी

सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की संख्या	
	प्रकार के रचनात्मक कार्य आदि के क्षेत्र में)		
4	**दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति**	1 पुरस्कार	1. श्रीमती पूजा सुरेशभाई वघासिया 2. श्री हरमनजीत सिंह
5	**दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर**	1 पुरस्कार	डॉ. वीरेंद्र किशन शांडिल्य
6	**दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास**	1 पुरस्कार	डॉ. भाऊसाहेब अशोक बोत्रे

II) दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2022

क्र.स.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार विजेता का नाम और पता
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ)	1 व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरस्कार। 1 समावेशी शिक्षा के लिए 1 पुरस्कार (समावेशी शिक्षा प्रदान करने या बढ़ावा देने वाले संस्थान)	महात्मा गांधी सेवा संघ, महाराष्ट्र बलवंतराय मेहता विद्या भवन अंगूरी देवी शेरसिंह मेमोरियल अकादमी, नई दिल्ली
2.	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन/पीएसई/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)	1 पुरस्कार	मेसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक
3	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी – सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों को छोड़कर	1 पुरस्कार	डॉ. रेड्डीज फाउंडेशन, हैदराबाद
4	सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन/बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला	1 पुरस्कार	महाराष्ट्र राज्य
5.	सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	1 पुरस्कार	शून्य
6.	दिव्यांगज अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला	1 पुरस्कार	जिला प्रशासन – अलवर
7.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य दिव्यांगजन आयुक्त	1 पुरस्कार	दिव्यांगजन राज्य आयुक्त, हरियाणा
8	पुनर्वास सेवाओं के लिए पेशेवर तैयार करने वाला सर्वश्रेष्ठ संस्थान	1 पुरस्कार	शून्य

*****

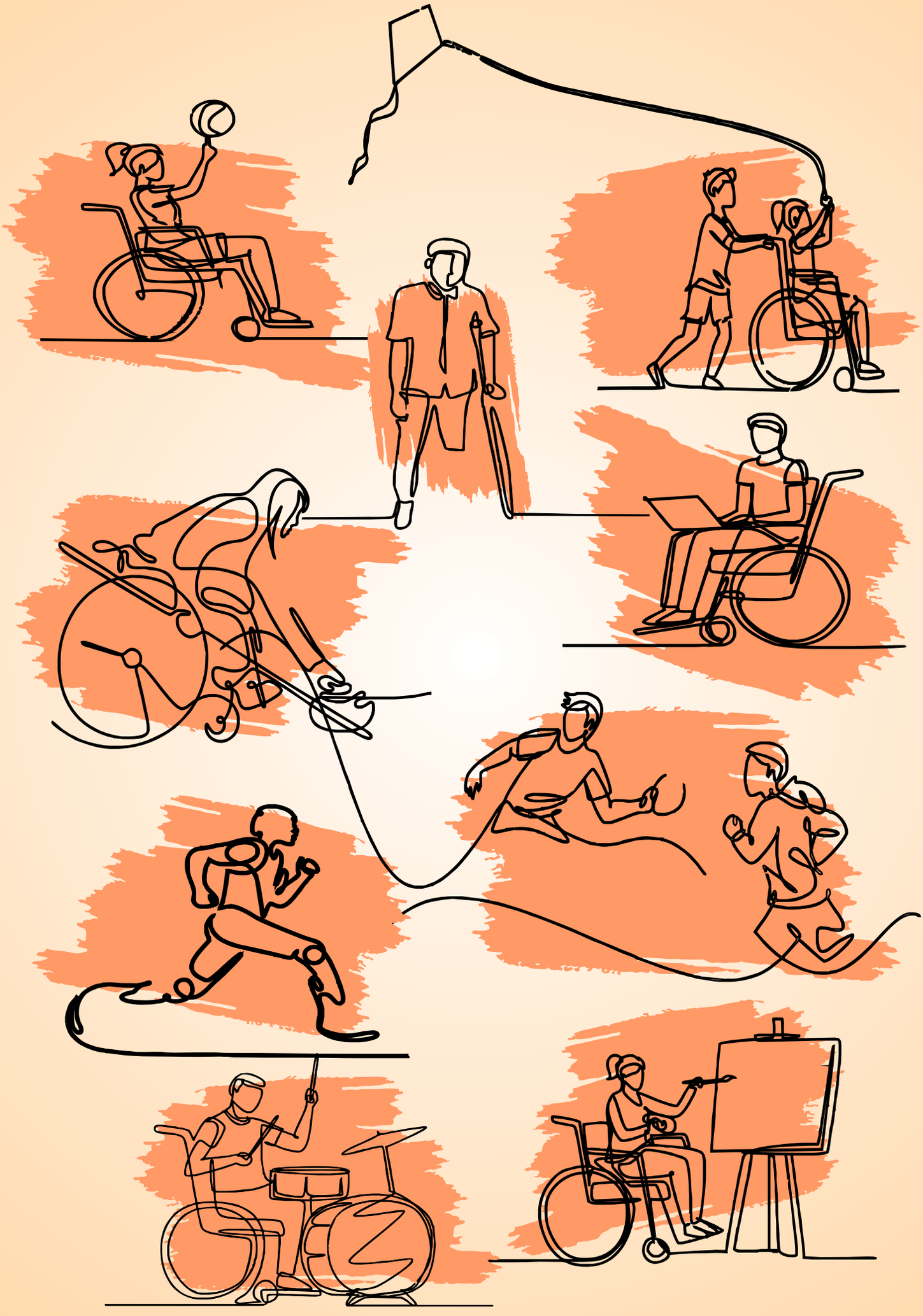

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन)

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली – 110003

www.disabilityaffairs.gov.in

designed & printed by sunrise enterprises